अष्टम माला, खंड 22, अंक 12

बुधवार, 19 नवम्बर 1986
28 कार्तिक, 1908 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

# का

# हिन्दी संस्करण

सातवां सत्र

( आठवीं लोक सभा )

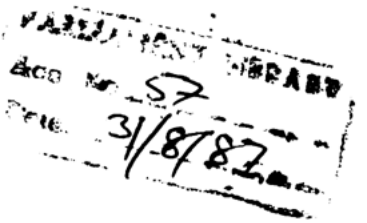

(खंड 22 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रमाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रमाणित नहीं माना जायेगा । ]

# विषय सूची

अष्टम माला, खंड 22, सातवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 12, बुधवार, 19 नवम्बर, 1986/28 कार्तिक 1908 (शक)

| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | 1—20 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : 225, 226, 228 से 231, 233 और 234 | |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर : | 20—151 |
| तारांकित प्रश्न संख्या : 227, 232 और 235 से 244 | |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : 2328 से 2444 और 2446 से 2476 | |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र | 152—156 |
| लोक लेखा समिति | 156 |
| सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण | 156 |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति | 156—159 |
| 26वां प्रतिवेदन | |
| पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के प्रवर्तन के बारे में वक्तव्य | 159—160 |
| श्री भजन लाल | |
| नियम 377 के अधीन मामले | 160—163 |
| (एक) मध्य प्रदेश के ग्वालियर से कलकत्ता और अहमदाबाद के लिये सुपर फास्ट रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता | |
| श्री कम्मोदी लाल जाटव | 160 |
| (दो) गुरुवायुर मन्दिर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 और 17 को जोड़ने हेतु एक सम्पर्क राजमार्ग का निर्माण करने की आवश्यकता | |
| श्री पी०ए० एन्टनी | 161 |

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात को द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

(तीन) देश में लगभग 40,000 नाविकों की शिकायतों की जांच करने की आवश्यकता

श्री आई० रामा राव 161

(चार) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों को कड़ाई से लागू करने की मांग

श्री मूलचन्द डागा 162

(पांच) अन्तर्राज्यीय विद्युत परियोजनाओं से राजस्थान को विद्युत आपूर्ति का आनुपातिक हिस्सा देने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 162

(छह) कागजनगर और सिकन्दराबाद के बीच एक शटल गाड़ी चलाने की आवश्यकता

श्री जी० भूपति 163

(सात) गत अक्तूबर, में रद्द की गयी त्रिवेन्द्रम मेल रेलगाड़ी पुनः चलाने की आवश्यकता

डा० एस० जगत्तरक्षकन 163

(आठ) देश को पारिस्थितिकीय विनाश से बचाने के लिये वन क्षेत्र बढ़ाने के लिये उपाय करने की मांग

डा० पी० वल्लन पेरुमन 163

**अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87** 164-225

श्री आनन्द गजपति राजू 168
श्री वृद्धि चन्द्र जैन 170
श्री सोमनाथ रथ 172
श्री बी०एन० रेड्डी 174
श्री राम पूजन पटेल 175
श्री पी० नामग्याल 178
श्री एच०एम० पटेल 179
श्री भरत सिंह 181
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही 183
श्री एन० सुन्दरराजन 185
डा० फूलरेणु गुहा 188
श्री जैनुल बशर 189
श्रीमती गीता मुखर्जी 192
श्री राम प्यारे सुमन 195
श्री बी०एस० विजयराघवन 197
श्री एम०आर० मैकिया 199

विषय पृष्ठ संख्या

श्री कम्मोदी लाल जाटव 200
श्री राम सिंह यादव 201
श्री शांति धारीवाल 204
प्रो० सैफुद्दीन सोज 205
श्री मूल चन्द डागा 207
श्री कमला प्रसाद सिंह 213
श्री अमर राय प्रधान 215
श्री के०एस०राव 218
श्री एन०वी०एन० सोमू 220
डा० दत्ता सामन्त 222

**बंगलौर में हुए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के दूसरे सम्मेलन के बारे में वक्तव्य**
श्री राजीव गांधी 202—204

**इंचमपल्ली परियोजना के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर में जल संसाधन मंत्री की ओर से वस्त्र मंत्री द्वारा 6 नम्बर, 1986 को दी गई कतिपय जानकारी के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य और उसके प्रत्युत्तर में मंत्री द्वारा वक्तव्य** 210—213
श्री सी० माधव रेड्डी 210
श्री राम निवास मिर्धा 211

**आधे घण्टे की चर्चा** 225—233

कराकोरम राजमार्ग का चीन द्वारा सुधार
डा० गौरी शंकर राजहंस 225
श्री एडुआर्डो फैलीरो 228
श्री सोमनाथ रथ 230
श्री हरीश रावत 231
श्री चिन्तामणि जैना 231

**कार्य-मंत्रणा समिति** 233

तीसवां प्रतिवेदन

# लोक सभा

**बुधवार, 19 नवम्बर, 1986/28 कार्तिक, 1908 (शक)**

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

**अवैध रूप से प्राप्त हुआ धन जब्त करने के लिए विधान**

*225. **श्री सनत कुमार मंडल*** :
**श्री एस०एम० गुरुडी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तीसरे पक्षों अथवा बेनामी मालिकों से अवैध रूप से प्राप्त धन को जब्त करने के लिये अधिकार प्राप्त करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 में संशोधन करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित विधान से कब पुर: स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) से (ग) दंड विधि संशोधन अध्यादेश (आर्डिनेंस), 1944 में, अवैध रूप से प्राप्त की गई सम्पत्ति की कुर्की करने के साथ-साथ जिन व्यक्तियों को कपटपूर्वक सम्पत्ति हस्तान्तरित कर दी जाती है उनकी सम्पत्ति को भी कुर्की करने के लिए उपबन्ध विद्यमान हैं। इस प्रकार आवश्यक शक्तियां पहले से ही उपबन्ध हैं। तथापि, विद्यमान भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक व्यापक भ्रष्टाचार निवारण विधेयक प्रस्तुत करने का प्रश्न विचाराधीन है।

**श्री सनत कुमार मंडल** : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार का बेईमान लोगों द्वारा राजस्व और जनता की कीमत पर जमा किये गये काले धन की समस्या को किस प्रकार हल करने का विचार है।

**श्री पी. चिदम्बरम** : यह मंत्रालय केवल सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू करने के लिये जिम्मेवार है। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री जी का प्रश्न वित्त मंत्रालय को भेजा जाना चाहिये था।

**श्री सनत कुमार मंडल** : क्या ऐसी गलत ढंग से और बेनामी सम्पत्तियों की मात्रा के बारे में कोई आकलन किया गया है।

**श्री पी. चिदम्बरम** : यह प्रश्न वित्त मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए था।

**डा. जी. विजय रामाराव** : दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश और भ्रष्टाचार निवारण विधेयक के बावजूद पिछले 38 वर्षों से देश में अत्याधिक भ्रष्टाचार फैला है जिसमें कुछ लोग

लखपति हो गए हैं और अधिकतर लोग गरीब हैं। इस दृष्टि से, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार लोगों में आर्थिक समानता लाने के लिये अधिकतम सीमा लागू करेगी।

**श्री पी. चिदम्बरम :** अधिकतम सीमा लागू करना मेरे मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं है। यह प्रश्न भी वित्त मंत्रालय को भेजा जाना चाहिये था।

**त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स द्वारा आत्मसमर्पण की पेशकश**

*226. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर कानूनी गुरिल्ला संगठन, त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में यह संकेत दिया था कि वे सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगे ; और

(ख) क्या सरकार ने त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स के कार्यकर्ताओं को अपने हथियार समर्पित करने हेतु प्रेरित करने के लिए मिजोराष्ट्रीय मोर्चे के नेताओं का सहयोग प्राप्त करने का निर्णय किया है ?

**गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) :** (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

**श्री सी. माधव रेड्डी :** यह कहा गया है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने आम माफी की घोषणा की है और यह आदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति आगे आयेगा और अपने हथियार डाल देगा उसे माफ कर दिया जायेगा और उसे सामान्य जीवन जीने की सुविधा होगी। इस दृष्टि से और इस तथ्य को देखते हुए भी कि इन विद्रोहियों को मिजो राष्ट्रवादियों और श्री लालडेंगा, जो कि मिजोरम के मुख्य मंत्री हैं से सहायता प्राप्त हो रही है क्या भारत सरकार इस ओर ध्यान देगी कि मुख्यमंत्री अपने प्रभाव का उपयोग करके विद्रोहियों से हथियार डालने को कहें।

**सरदार बूटा सिंह :** महोदय, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री द्वारा त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स के लोगों को आम माफी दिये जाने की हमें कोई जानकारी नहीं है। मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के लोगों के साथ हुए समझौते में भी उन्होंने यह वायदा किया था कि वे त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स के लोगों को किसी प्रकार की मदद नहीं देंगे और उन्होंने अपना वायदा निभाया है समझौते पर हस्ताक्षर होने के पश्चात ऐसे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं जिनसे यह साबित हो कि उनके द्वारा त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स को मदद दी गई है।

**श्री सी. माधव रेड्डी :** हाल ही में इन विद्रोहियों की आतंकवादी गतिविधियों में तेजी आई है। केवल पिछले सप्ताह में ही, तीन दिन के भीतर लगभग 17 लोगों को मार दिया गया है। इस तथ्य की दृष्टि से कि गांवों में विशेषकर अलग-अलग पड़े गांवों में और गैर आदिवासियों में आतंक फैला हुआ है और वे उन गांवों में रहना असुरक्षित समझ रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस मामले को बांग्लादेश सरकार के साथ उठाया है क्योंकि वे सीमा पार करके पर्वतीय क्षेत्रों में शरण ले रहे हैं और वहां हथियार और असला एकत्रित करके त्रिपुरा आते हैं तथा वहां पर हत्याएं करके वापस चले जाते हैं। क्या इस तथ्य

को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश सरकार की दुर्भावना के बारे में भारत के दौरे पर आये बांग्लादेश के राष्ट्रपति के ध्यान में यह बात लाई गई थी। क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने अधिक बल की मांग की है और त्रिपुरा में पहले से भेजे गए सशस्त्र बल की कुल संख्या क्या है; मुख्यमंत्री ने कितनी और बटालियनों की मांग की है और इस संबंध में भारत सरकार का क्या रुख है।

**सरदार बूटा सिंह** : त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स को सीमा पार से विशेषकर बंगलादेश से मदद मिलने के प्रश्न को बंगलादेश के प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया है। जब बंगलादेश के राष्ट्रपति भारत आए थे मुझे उनसे भेंट करने का अवसर मिला और मैंने उनके साथ चकमा लोगों द्वारा त्रिपुरा और अन्य भागों में भी घुस आने के बारे में चर्चा की थी। प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने यह बात उनको बताई कि बंगलादेश में त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स के लोगों को सहायता दी जा रही है। टी. एन. वी. की गतिविधियों का प्रमुख संचालन मुख्यालय बंगलादेश की सीमा पर पर्वतीय क्षेत्र में है। इस ओर भी मैंने बगलादेश के राष्ट्रपति का ध्यान दिलाया। हम राजनयिक माध्यमों से भी बंगलादेश की सरकार के साथ संपर्क बनाये हुए हैं। त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स के इन लोगों की गतिविधियों की घटनाओं में हाल में हुई वृद्धि के बारे में मुख्य मंत्री को कहा गया था। मैंने उन्हें एक विशेष संदेश भेजा था। गृह सचिव ने मुख्य सचिव से भी बात की थी। समन्वय समिति की विशेष बैठक बुलाई गई थी।

हमने त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स द्वारा उत्पन्न संकट का सामना करने के लिये राज्य सरकार को सभी सहायता दी है। इस समय हमने त्रिपुरा में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 6 बटालियनें, असम राइफल की एक बटालियन, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलटी (आर. ए. सी.) की एक बटालियन; सीमा सुरक्षा बल की सात बटालियनें; त्रिपुरा सशस्त्र पुलिस की 3 बटालियनें और एक बटालियन त्रिपुरा राज्य राइफल की भेजी हुई हैं। इनके अतिरिक्त जब मैंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से भेंट की थी मैंने उन्हें इस समस्या की जो कि नियंत्रण से बाहर होती जा रही है की गंभीरता के बारे में बताया था। परन्तु दुर्भाग्यवश, वह पूरी तरह से कड़ाई बरतने को इच्छुक नहीं थे। इस समस्या के बारे में उनके अपने विचार हैं और मैं कहूंगा कि सरकार भी कड़ाई नहीं बरत रही है।

**श्री वसुदेव आचार्य** : पूरी तरह से कड़ाई बरतने से आपका तात्पर्य क्या है ? आप इसे स्पष्ट करें।

**सरदार बूटा सिंह** : त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स के लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना और उसे 'गैर-कानूनी' घोषित करना। (व्यवधान) इन मामलों पर राज्य सरकार के अपनी आशंकायें हैं। मैं अभी भी मुख्य मंत्री पर यह जोर दे रहा हूं कि इन घुसपैठियों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया जाये और उन्हें कोई अवसर नहीं दिया जाना चाहिये···।

**श्री अजय बिश्वास** : त्रिपुरा में समस्या भिन्न है। इसकी तुलना नागालैंड अथवा मिजोरम से नहीं की जा सकती है। मामला दो जातिवादी ग्रुपों, आदिवासी और गैर-आदिवासी के बीच एकता और सद्भाव उत्पन्न करने का है। वर्ष 1984 में त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स की संख्या 500 से अधिक की, परन्तु सरकार द्वारा जोर दिए जाने पर कई उग्रवादियों ने समर्पण कर

दिया और अब यह संख्या 150 के लगभग है। वे अब आदिवासियों से एकदम अलग पड़ गए हैं और उनका कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं है। अत: सेना की तैनाती अथवा क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने से दोनों जातिवादी ग्रुपों के मध्य खाई बढ़ती जायेगी। अत: मुख्य मंत्री और त्रिपुरा सरकार सेना की तैनाती और क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने के विरुद्ध हैं। यही समस्या है। केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की और अधिक बटालियन उपलब्ध करानी चाहिये। गृह मंत्री ने बताया है कि वहां 10 या 12 से अधिक बटालियन तैनात की गई हैं।

**एक माननीय सदस्य :** छ: बटालियन।

**श्री अजय बिश्वास :** परन्तु वास्तव में केवल छह से सात बटालियन ही राज्य सरकार के वास्तविक नियंत्रण में हैं और अन्य बटालियन केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में हैं और सीमा पर तैनात की गई हैं···।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न क्या है ?

**श्री अजय बिश्वास :** राज्य सरकार की यह मांग है कि बंगलादेश और त्रिपुरा के मध्य 100 किलोमीटर सीमा को अर्थात् चटगांव के पहाड़ी क्षेत्र को बंद कर दिया जाये। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है ··।

**अध्यक्ष महोदय :** आप यह क्यों नहीं पूछते हैं कि क्या वे और बटालियन देने को तैयार हैं ?

**श्री अजय बिश्वास :** क्या मैं माननीय गृह मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को मुख्य मंत्री द्वारा मांगी गई केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की और अधिक बटालियन भेजेगी ? दूसरी समस्या है···।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपको इस तरह बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

**श्री अजय बिश्वास :** पंजाब के मामले में सभी दल बरनाला सरकार का समर्थन कर रहे हैं परन्तु त्रिपुरा में कांग्रेस-आई राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है और मेरा अनुमान है कि ऐसा वह केन्द्रीय दल की अनुमति से नहीं कर रही है···।

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने आपको इस तरह बेसिरपैर की बातें करने की अनुमति नहीं दी थी।

**श्री अजय बिश्वास :** मेरा प्रश्न यह है कि क्या वे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की और अधिक बटालियन भेजेंगे और क्या वे सीमा पर और अधिक सड़कें भी बनायेंगे। सीमा पर कम से कम अवधि में अधिक से अधिक सड़कें बनाई जानी चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न पूछने का तरीका नहीं है।

**सरदार बूटा सिंह :** मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं जिन्होंने अभी राज्य सरकार द्वारा इस गंभीर स्थिति से निपटने में दिखाए गए निर्मम रुख का वर्णन किया है···।

**श्री वसुदेव आचार्य :** 'निर्णय' कैसे ? इसे स्पष्ट करें। **(व्यवधान)**

**सरदार बूटा सिंह** : कृपया सुनिये। मैं स्पष्ट करता हूं कि यह किस प्रकार निर्णय है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार यह कहकर कि वहां केवल थोड़े से उग्रवादी हैं अधिक से अधिक केन्द्रीय पुलिस की मांग करती है। यदि यही तर्क है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि वे सैकड़ों बटालियन की मांग क्यों कर रहे हैं ? उनका क्या उपयोग है ? यदि वहां 150 या 200 ही उग्रवादी हैं तो आप सारे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और दिल्ली से केन्द्रीय पुलिस की मांग क्यों कर रहे हैं ? अतः यह राज्य सरकार का दृष्टिकोण है, राज्य सरकार का इन तत्वों के साथ यही व्यवहार है। (व्यवधान) मैं इस सदन के सामने एक उदाहरण रखता हूं। हम राज्य सरकार पर इस बात का जोर देते रहे हैं कि ऐसे तत्वों के साथ कड़ाई से निपटा जाए। एक तरीका तो उनसे निपटने का उन पर कार्यवाही करना था। (व्यवधान) सैफुद्दीन जी आपको भी सुनने की कोशिश करनी चाहिए। हमने राज्य सरकार को सुझाव दिया था कि ऐसे तत्वों से निपटने के लिए उन्हें आतंकवादी तथा विध्वंशकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम उपबन्धों का प्रयोग करना चाहिए। (व्यवधान) अनुभव के अनुसार, जिन्हें हमने प्राप्त किया है, इस प्रकार के तत्व से केवल 30 अधिनियम के उपबन्धों के द्वारा ही निपटा जा सकता है और राज्य सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया है। वे इस दण्डात्मक अधिनियम का उपयोग नहीं कर रहे हैं जिससे उनके कार्यकलापों पर प्रभावी ढंग से निगरानी की जा सकती है। (व्यवधान) इससे केवल राज्य सरकार तथा इस सदन में उनकी पार्टी के प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण का पता चलता है।

माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि लगभग एक सौ किलोमीटर की सम्पूर्ण पट्टी पर प्रत्येक एक इंच की दूरी पर सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवान तैनात किए जाएं। क्या ऐसा करना व्यवहारिक है ? वे वहां कार्यवाही कर रहे हैं। यदि आप वहां हुई घटनाओं की संख्या देखें, आप वर्ष 1984, 1985 और 1986 की घटनाएं ही लें, वर्ष 1984 में इनकी संख्या 72 थी, वर्ष 1985 में इनकी संख्या 47 थी और यदि आप हाल ही की घटनाओं को देखें जोकि अब त्रिपुरा में हुई हैं वह बहुत ही गंभीर घटनाएं हैं, ये घटनाएं प्रतिदिन बढ़ रही हैं और राज्य सरकार यह कहकर बहुत ही प्रसन्न है कि वे हर कीमत पर सामान्य संबंध बनाए रखना चाहते हैं। हम यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि वे आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच सामान्य सम्बन्धों को बिगाड़े। इस प्रकार का सुझाव किसने दिया है ? हमने ऐसा सुझाव कभी नहीं दिया। लेकिन हम कहते हैं कि ये आतंकवादी और उग्रवादी जोकि त्रिपुरा में निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाए लेकिन सरकार ऐसा करने से हिचकिचा रही है।

मेरा आपके माध्यम से इस सदन से अनुरोध है कि हमने राज्य सरकार की आवश्यकता के मुताबिक वहां फौजें भेजी हैं। हम राज्य सरकार के साथ हैं। और हम उनको हर प्रकार का समर्थन देना जारी रखेंगे। लेकिन जब तक राज्य सरकार वास्तव में इस खतरे से निपटने के बारे में निश्चय नहीं करती इसका केवल इन फौजें द्वारा मुकाबला नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार को हिम्मत से काम लेना चाहिए और उसको इन लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए। तभी केवल आतंकवाद पर रोक लगाई जा सकती है।

**श्री जी०जी० स्वैल** : मैं यह जानना चाहूंगा कि यदि इन घटनाओं और मौतों के बढ़ने से जिनको कि मन्त्री जी ने स्वीकार किया है त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्ज एक संदेश देने की कोशिश

कर रहा है और क्या सरकार ने अनुमान लगाया है कि वह संदेश क्या है और व्यापक राष्ट्रीय हित में वे इस संदेश के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया है ।

**सरदार बूटा सिंह** : जैसा कि मूल प्रश्न के उत्तर में दिया गया है मैंने वहां उसे पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है । कुछ समय पहले माननीय प्रधान मंत्री को सम्बोधित दिनांक 10 जनवरी 19 6 का श्री रंखाल का एक पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था उसमें उसने सुझाव दिया था कि स्वतन्त्र त्रिपुरा की प्रभुसता को मान्यता देने वाला भारत प्रथम देश होना चाहिए और इसके बदले में वे भारत के साथ अच्छे राजनैतिक सम्बन्ध रखेंगे । इस तरह के तत्वों के साथ वे हर प्रकार से अच्छे सम्बन्ध रखना चाहते हैं ।

**श्री वासुदेव आचार्य** : महोदय यह बहुत बुरी बात है । उनके साथ कौन अच्छे सम्बन्ध रखना चाहता है ? आतंकवाद अधिनियम से यह मामला नही सुलझेगा ।

**श्री जी. जी. स्वैल** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं इस तरह की घटनाओं और होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि का उल्लेख कर रहा हूं । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा करने से पत्र देने की नहीं बल्कि संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं ।

**सरदार बूटा सिंह** : मुझे खेद है कि मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया ।

**श्री जी. जी. स्वैल** : उनके द्वारा दिखाए गए दृष्टिकोण और एक ग्रुप द्वारा की गई कार्यवाही से एक संदेश मिलता है और हमें समझना चाहिए कि वह संदेश क्या है और समस्या को हल करने की कोशिश करनी चाहिए । हमें उसको देखना चाहिए ।

**सरदार बूटा सिंह** : हमने देखा है कि यह संदेश लोगों में आतंक फैलाने का है । मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा प्रभावकारी कदम उठायें । यही संदेश है और उस संदेश का उत्तर हम सख्त कार्यवाही करके देना चाहते हैं ।

**श्री वासुदेव आचार्य** : महोदय, त्रिपुरा उपजातीय युवा समिति, त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स की शाखाओं में से एक है । और कांग्रेस (आई) ने उसके साथ चुनाव संबंधी समझौता किया हुआ है । क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हू कि त्रिपुरा उपजातीय समिति के साथ इस तरह का सम्बन्ध क्यों बनाया हुआ है । जब कि यह त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स की शाखाओं में से एक है । क्या मैं माननीय प्रधान मन्त्री से भी यह जान सकता हूं कि क्या बंगलौर में हुई 'दक्षेस' बैठक में चिटागांग की पर्वतीय श्रृंखलाओं में प्रशिक्षित किए जाने के इस गम्भीर मामले को 'दक्षेस' बैठक में उठाया गया था ?

**प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी)** : महोदय, मैं अपने भाग से संबंधित प्रश्न का उत्तर पहले दे सकता हूं, माननीय सदस्य इस बात को पूरी तरह से जानते हैं कि 'दक्षेस' सम्मेलन एक बहु-पक्षीय मच है और इसलिए 'दक्षेस' की बैठक में द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा नहीं होती है और यही कारण हैं कि इस पर चर्चा नहीं हुई थी ।

**सरदार बूटा सिंह** : महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एक वर्ग के विचारों को दूसरों के प्रति उठाने में विशेषज्ञ हो गए हैं । मैं कहता हूं कि हमारे किसी प्रथकतावादी अथवा किसी साम्प्रदायिक संगठन से ऐसे कोई सम्बन्ध नही हैं ।

**नए 20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन**

*228. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई अनुदेश जारी किए गए हैं ; और

(ख) देश में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय सरकार कौन से कदम उठा रही है ?

**कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी)** : (क) राज्यों को, 20-सूत्री कार्यक्रम-1986 के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के लिए कार्य शुरू करने, इन योजनाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित करने, निधि की की व्यवस्था करने और कार्यक्रम का प्रबोधन करने के लिए लिखा है ।

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम-1986 के कार्यान्वयन और प्रबोधन का विस्तृत ब्यौरा संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके इस मन्त्रालय में तैयार किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

**श्री अमर सिंह राठवा** : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने वैसे तो मेरे प्रश्न का शार्ट कट में उत्तर दे दिया है, जितना मैं चाहता था, उतना नहीं मिला है । 20सूत्री कार्यक्रम गरीबों के विकास का एक अंग है । जितना विकसित जवाब इसका होना चाहिए था, मुझे नहीं मिला है । मैं जानना चाहूंगा कि 20-सूत्री कार्यक्रम को आगे चलाने के लिए हमारी तरफ से क्या-क्या सुविधाएं राज्यों को दी हुई हैं, और कौन कौन से राज्य 20-सूत्री कार्यक्रम पर बराबर अमल नहीं कर रहे हैं, उन राज्यों का नाम बतायें ।

[अनुवाद]

**श्री ए०बी०ए० गनी खां चौधरी** : महोदय, इस समय मैं 20 सूत्री कार्यक्रम, 1986 की बात कर रहा हूं । हमने इस मद का उत्तर सभा पटल पर रख दिया है और इससे सम्बन्धित पुस्तिका का वितरण कर दिया है । इसके निर्धारण भाग के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया है । इस लिए राज्यों द्वारा उस पर अमल करने अथवा न करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री अमर सिंह राठवा** : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे मन्त्रालय द्वारा विस्तृत चर्चा के माध्यम से कार्यक्रम बनाया जा रहा है तो वह विस्तृत क्या है, मन्त्री जी जरा बतायेंगे ।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया कि फार्मुलेशन स्टेज में है ।

(अनुवाद)

**श्री ए. बी. ए. गनी खां चौधरी** : राज्य सरकारों से अभी तक परामर्श नहीं किया गया है । जब निर्धारण वाली स्थिति आएगी तो हम राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करेंगे और उस व्यवस्था के बारे में निर्णय लेंगे और यह देखेंगे कि यह किस प्रकार से की जाये ।

**श्री एम. रघुमा रेड्डी :** क्या मैं मन्त्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में उनके मन्त्रालय द्वारा कोई मुल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन कराया गया है; यदि हां, तो कौन से राज्य अच्छा कार्य कर रहे हैं और कौन से राज्य अच्छा कार्य नहीं कर रहें हैं ?

**श्री ए०बी०ए० गनी खां चौधरी :** आप देखें कि यह प्रश्न 20 सूत्री कार्यक्रम, 1986 के सन्दर्भ में पूछा गया है। इस लिए उसकी निगरानी और अन्य बातों का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उसके निर्धारण भाग पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। **(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री उमाकान्त मिश्र :** अध्यक्ष जी, बीस सूत्री कार्यक्रम में कार्यक्रम नं. 5 और कार्यक्रम न. 11 भूमि सुधार और भूमि वितरण से सम्बन्धित है। कार्यक्रम नं० 5 में सीलिंग की भूमि को कायदे से सरकारी नियन्त्रण में लेने का कार्यक्रम है और कार्यक्रम न० 11 में सीलिंग की और ग्राम समाज की भूमि को गांवों के गरीबों को, भूमिहीनों को, आदिवासियों और हरिजनों को बांटने का कार्यक्रम है। 1975 में जब यह कार्यक्रम घोषित हुआ था, तो कार्यक्रम बड़ी तेजी से चला और ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम भूमिहीनों को भूमि मिली। 1982 में फिर यह कार्यक्रम रखा गया और इस बार भी प्रधान मन्त्री जी ने अपने कार्यक्रम में इन कार्यक्रमों को रखा है लेकिन अफसोस है कि भूमि सुधार के कार्यक्रमों को तेजी से लागू नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में क्लोस पोलेराइजेशन हो रहा है और भूमिहीनों में असंतोष है, आदिवासियों और हरिजनों में असंतोष है। अक्सर यह देखा जाता है कि बीस सूत्री कार्यक्रम में जिस कार्यक्रम पर प्रधान मन्त्री जी का जोर ज्यादा होता है, उस कार्यक्रम को राज्य सरकारें लागू कर देती हैं लेकिन जिस कार्यक्रम पर प्रधान मंत्री जी का जोर कम होता है, उस कार्यक्रम को लागू करने में राज्य सरकारें ढिले करती हैं। मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा और मंत्री जी क्या बल्कि मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भूमि सुधार जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के लिए वे राज्य सरकारों पर दबाव डालेंगे या नहीं, शीघ्रतिशीघ्र ? क्योंकि इस प्रश्न को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में अशान्ति पैदा होने की सम्भावना है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सुधार के कार्यक्रम और भूमि वितरण के कार्यक्रम तेजी से नहीं चल रहे हैं और सीलिंग की भूमि बंटती नहीं है।

**[अनुवाद]**

**श्री ए. बी. ए. गनी खां चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, मुझे जो प्रश्न सम्बोधित किया गया है, वह 20 सूत्री कार्यक्रम 1986 के बारे में है। अब माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह पुराने 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में है। **(व्यवधान)**

**श्री नारायण चौबे :** महोदय, क्या यह सच नहीं है कि 20 सूत्री कार्यक्रम से भूमि सुधार कार्यक्रम निकाल दिया गया है ? **(व्यवधान)**

**प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) :** स्पष्टतया माननीय सदस्यों को उनके सम्बन्धित संसदीय दलों के नेताओं द्वारा अवगत नहीं कराया गया है। जब मैं संसदीय दल के नेताओं से मिला,

पिछली बार नहीं क्योंकि पिछली बार उन्होंने मेरे पास आने और मेरे साथ बात करने से इन्कार कर दिया था, लेकिन जब वे मेरे साथ सहमत हुए, तो मैंने संकेत किया था कि मैं कुछ मामलों में सभी दलों को अपने साथ लेना चाहता हूं। मैं समझता हूँ ऐसे मामले पर वास्तव में दलगत राजनीति से उठकर विचार किया जाना चाहिये और यदि हम कोई चीज उपलब्ध करने जा रहे हैं तो हम उनका सहयोग भी चाहेंगे। किन्तु यदि वे मेरे पास आने और मुझे मिलने से इन्कार करते हैं तो इन बातों के बारे में उनके साथ बातचीत कर पाना कठिन है। **(व्यवधान)**

**श्री बसुदेव आचार्य** : यह सही नहीं है ..... **(व्यवधान)**।

**वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण पर नियंत्रण**

*229. **श्री लक्ष्मण मलिक** :

**श्री मूलचंद डागा** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महानगरों में वाहनों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण में अत्यधिक वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाया गया है और प्रदूषण नियन्त्रण नियमों के अन्तर्गत धुआं छोड़ने सम्बन्धी निर्धारित मानकों का पालन करने में जनता, विशेष रूप से वाहनों के मालिकों का सहयोग प्राप्त करने के एक साथ अन्य कौन से सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में नियमों और विनियमों का उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये कोई निगरानी एजेंसी है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की एजेंसी स्थापित किये जाने का विचार है ?

**[हिन्दी]**

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल)** : (क) महानगरों में मोटर गाडियां प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं।

(ख) वाहनों की बढ़ती संख्या, कुछ वाहनों द्वारा अत्यधिक उत्सर्जन, कमजोर रख-रखाव एवं ड्राइविंग इसके कारण हैं। उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) पैट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिये उत्सर्जन मानक निर्धारित किये गये हैं;

(ii) राज्य सरकारों को मोटर वाहन अधिनियम के अधीन मानकों को लागू करने की सलाह दी गयी है ; और

(iii) जन-जागरूकता एवं सहयोग के लिये अभियान आरम्भ किये गये हैं।

(ग) वाहनों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के प्रबोधन और इसके नियंत्रण के लिये सम्बन्धित राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में परिवहन निदेशालय उत्तरदायी अभिकरण है।

(घ) इस प्रयोजन के लिये एक अलग अभिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

**श्री लक्ष्मण मलिक** : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय के उत्तरों पर ध्यान दिया है। महोदय, आप जानते हैं कि भारत में पांच बड़े शहरों में मोटर गाडियों द्वारा किये जाने वाले प्रदूषण में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अब पांच महानगरों में कुल वायु प्रदूषण वाहन यातायात के कारण हैं।

महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि अत्यधिक प्रदूषण वाहनों की बढती हुई संख्या, कुछ वाहनों द्वारा अत्यधिक उत्सर्जन, असन्तोषजनक रख-रखाव और सड़क पर चल रहे पुराने तथा बेकार वाहनों के चलने के कारण है।

महोदय, अधिकांश वाहन भारतीय मानक संस्थान द्वारा वाहनों द्वारा धुआं छोड़ने के लिये निर्धारित सीमा का अतिक्रमण नहीं करते हैं।

क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि प्रदूषण नियमों के अन्तर्गत निर्धारित मानक का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा कोई मामला दर्ज किया गया है ?

[हिन्दी]

**श्री भजन लाल** : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है माननीय सदस्यगण की कि प्रदूषण ज्यादातर वाहनों से होता है। उसके लिये हम ने स्टेट गवर्नमेंट्स को, यानि सब को लिखा है अक्तूबर 1985 में कि स्टेट जो उन का ऐक्ट बना हुआ है ट्रांसपोर्ट का उसमें चेंज करें, उसमें संशोधन करें और इसको रोकने के पूरे उपाय करें, लोगों में जागरूकता भी पैदा करें और सख्ती से इसके ऊपर अमल करें। इसके लिये जो हमने स्टैंडर्ड निर्धारित किये हैं वह बाकायदा निर्धारित करके उनको चिट्ठी भी भेज दी है और ऐक्ट में अमेंडमेंट करने के लिये हमने उनको लिखा है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि प्रदूषण को रोका जाये। बारह महानगर ऐसे हैं जिनमें वाहनों से प्रदूषण है और उनमें प्रदूषण की मात्रा दिल्ली में सबसे ज्यादा है ***(व्यवधान)*** एक सेकेंड जरा सुनने की कृपा करें। पूरे उपाय करने के लिये हमने बाकी स्टेट्स को लिखा है कि इसके ऊपर अमल करें। जो नई कारें बनें उनमें किस मिकदार में धुवें की मात्रा निकलनी चाहिये, कितना सीसा होना चाहिये, कितने तेल की मात्रा होनी चाहिये। ये सारे क्रम निर्धारित किये हैं और स्टेट्स से उस पर अमल करने को कहा है, स्टेट्स उस पर अमल करने जा रहे हैं।

**श्री बी. तुलसी राम** : इस तरीके से जो धुवां निकलता है इस धुवें से तो नुकसान होता ही है लेकिन इससे इतना नुकसान नहीं होता जितना नेता दूसरे ढंग से निकालते हैं। उससे बहुत नुकसान होता है। यह प्रधान मन्त्री के लिये सोचने की बात है।

**अध्यक्ष महोदय** : तुलसी राम जी यह आप क्या कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

**श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या सरकार देश के पर्यावरण में सुधार लाने हेतु केन्द्रीय नियमों को लागू करने में कोई कठिनाई महसूस कर

रही है और क्या सरकार महानगरों में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिये आवश्यक कदम उठाने पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है।

[हिन्दी]

**श्री भजन लाल** : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल्स बतायी है कि स्टेटों को हमने लिखा है और भारत सरकार के सामने कोई प्रोब्लम नहीं है। यह एक्ट भारत सरकार का है। अगर कोई स्टेट इसको इम्पलीमेंट नहीं करेगी तो भारत सरकार इम्पलीमेंट करके इस पर कार्यवाही करायेगी।

**श्री मूलचंद डागा** : भारतवर्ष में जितने महानगर हैं उनमें दिल्ली भी है जहां हमारे मंत्री महोदय आये हैं। यहां पर 350 टन रोज की पोएजन्स गैसिज निकलती है वाहनों से प्रदूषण होता है। वर्ल्ड हेल्थ आरगेनाइजेशन ने यह कह दिया है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण है और यह शहर तीसरे नम्बर पर प्रदूषण के मामले में है। इसके 20 परसेंट लोग रेस्पीरेटरी डिजीजिज से पीड़ित है। मैं नहीं चाहता कि हमारे मेम्बर भी हों, लेकिन हैं। अब मंत्री जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी स्टेण्डर्ड लागू किए गए हैं? इण्डियन स्टेण्डर्ड इंस्टीच्यूशन ने जो स्टेण्डर्ड लागू किए थे, उनको लागू करने के बाद 1981 में एक्ट बन गया था। आज 1986 है। 1981 में एक्ट बनने के बाद स्टेट और यूनियन टेरीटरीज नियम नहीं बना रही हैं। हमारे यहां जितने एमीशन स्टेण्डर्ड हैं वे आज तक हमारे यहां वाहनों पर लागू क्यों नहीं हुए? सवाल यह है कि कानून बनने के बाद अभी तक नियम बने नहीं हैं तो फिर आप एन्फोर्स कैसे करायेंगे और चालान कैसे करेंगे? आज यह हालत है। मैं मानता हूं कि मंत्री जी ने ठीक उत्तर दिया है। लेकिन क्या मंत्री जी संतोषजनक उत्तर देंगे? **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आप कितनी दफा दोहरायेंगे?

**श्री मूलचंद डांगा** : मैं दोहरा नहीं रहा हूं। कानून बनने के बाद नियम नहीं बनते, न रूल्स बनते हैं। इसलिए आपके ये कानून लागू नहीं होते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसको चार दफा सुना है।

**श्री भजन लाल** : अध्यक्ष महोदय, कानून पर अमल करने के लिए हमने स्टेटों को 1985 में लिखा था। मैं महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल की सरकारों को मुबारकवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पर कार्यवाही शुरु की। बाकी आंध्र, केरल, दिल्ली, कर्नाटक इन्होंने इस पर अभी ...।

**एक माननीय सदस्य** : हरियाणा ने ...।

**अध्यक्ष महोदय** : अब हरियाणा की सरकार जाने।

**श्री भजन लाल** : यह हरियाणा का सवाल नहीं है, सारे देश का सवाल है।

जैसा मैंने बताया इन स्टेटों में दिल्ली भी है। ये स्टेटें इसको जल्दी ही अमलीजामा पहनाने जा रही है। इस पर कार्यवाही तकरीबन कम्प्लीट हो चुकी है और जल्दी ही अमल होना शुरु हो जायेगा।

जहां तक एमीशन स्टेण्डर्डस का सवाल है, ये तय करके हमने स्टेटों को भेजे हैं ताकि उन पर ठीक से अमल किया जा सके।

[अनुवाद]

**प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी)** : मैं इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली विश्व का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर नहीं है। यहां सल्फर डाई आक्साइड की मात्रा सीमा के अन्दर है और दिल्ली की स्थिति और औद्योगिक कार्यों की वजह से धूल कुछ ज्यादा है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 आज से लागू हो जायेगा।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : यह तो चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई।

**श्री भजन लाल** . आज इस बारे में स्टेटमेंट भी देना है।

[अनुवाद]

**श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव** : कुछ देशों में वाहनों विशेषकर बसों और ट्रकों से भारी मात्रा में निकलने वाले धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को कम से कम किया गया है। पाइपों के द्वारा इन गैसों को केबिन की ऊंचाई से ऊपर छोड़ा जाता है। हमारे देश में भी, कुछ शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या सरकार राज्य सरकारों को मोटर वाहन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने की सलाह देगी, जैसा कि आपने उत्तर दिया कि इनके विनिर्माताओं के लिए यह बाध्य-कारी कर दिया जाना चाहिए कि वे बसों और ट्रकों के प्रदूषण को कम करने के लिए पाइप से नीचे भूमि की ओर धुआं छोड़ने की मौजूदा पद्धति के बजाए केबिन की ऊंचाई से ऊपर धुआं छोड़ने की पद्धति अपनायें ? मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री से पूरा स्पष्टीकरण चाहता हूं।

[हिन्दी]

**श्री भजन लाल** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी का सुझाव बड़ा अच्छा है और हम इस पर विचार कर रहे हैं। ये जो कारें हैं, जीपें हैं, बसें हैं, ट्रक हैं (**व्यवधान**)।

**अध्यक्ष महोदय** : कार पर नहीं कर पायेंगे।

**श्री भजन लाल** : कार पर थोड़ी दिक्कत आयेगी। फिर भी कुछ हो जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन बाकी जो वाहन हैं, बसें हैं, ट्रक हैं, मिनी बसें हैं, थ्री-व्हीलर्स हैं, अगर उनके ऊपर धुआं निकलने का साइलेन्सर ऊंचा हो जाए तो उससे भी फर्क पड़ेगा। इसके अलावा दिल्ली में हमने इस बात के लिए ट्राइ किया है कि बैटरी से बसें चलाई जायें। जो शहरों के अन्दर छोटे रूट हैं उन पर बैटरी से बसें चलाने का खर्च ज्यादा है और स्पीड आहिस्ता है, बाहर तो नहीं चल सकती। लेकिन महानगरों में खासतौर से दिल्ली में ट्राइ के तौर पर स्टार्ट किया है। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का बैटरी का सिस्टम भी हो और धुएं का साइलेन्सर ऊंचा किया जाए जिससे आम आदमी को या जो दूसरे आने जाने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो और इस बीमारी से उनको बचाया जा सके।

[अनुवाद]

**श्री राजीव गांधी** : यह संभवतः एक अच्छा सुझाव है। वर्ष के कुछ महीनों के दौरान ऐसा किया जा सकता है परन्तु आमतौर पर सर्दियों में जब प्रदूषण बहुत अधिक होता है, तो

तापमान कम होता चला जाता है और यह जरूरी नहीं होता कि गर्म गैसें ऊपर उठें। इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखना है और हमारे जैसे अधिकांश सदस्यों को इससे थोड़ा ही फर्क पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आपको इससे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। (व्यवधान)

**परमाणु विकिरण से सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का आयात**

*230. **श्री बी. तुलसीराम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ में चेरनोबिल में घटी परमाणु विकिरण की दुर्घटना को देखते हुए देश में परमाणु बिजली संयंत्रों से रिसाव से बचाव के लिए सोवियत संघ अथवा अमरीका से किसी प्रौद्योगिकी की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह प्रौद्योगिकी कब लागू की जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो परमाणु विकिरण के रिसाव की स्थिति में कौन से कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. नारायणन) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के डिजाइन में रेडियोधर्मिता के रिसाव को रोकने के लिए अनेक अवरोध हैं। तथापि, रेडियोधर्मिता के अप्रत्याशित रिसाव की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक आपात व्यवस्था विद्यमान है और इसमें अन्य उपायों के अतिरिक्त तत्काल संचार व्यवस्था, लोगों को निकालने के लिए परिवहन व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, आपात आश्रय स्थल, रेडियोधर्मिता से प्रभावित खाद्य पदार्थों का संगरोधन आदि सम्मिलित है।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय :** तुलसीराम जी, आप बोलिए। आप तुलसी के पत्ते खिलाकर हमारी सेहत कायम रखेंगे।

**श्री बी. तुलसीराम :** अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ढीला-ढाला जवाब दिया है। यह तो इनके सेक्रेटरी लोगों ने बैठकर बनाकर दे दिया और मन्त्री जी ने बोल दिया। इससे थोड़े ही कुछ बनेगा। आपको यह पता है कि रशिया इतना डवलप्ड है फिर भी उनके यहां गैस लीक हो गई है। वे वहां पर कुछ नहीं कर पाए हैं तो आप बताइए ऐसा ढीला जवाब देने से थोड़ा ही कुछ होगा। प्रधान मन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं प्रधान मन्त्री जी को बधाई देता हूं। अभी उन्होंने कहा है कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई हमला करे तो हम उसका वाटरलू बना देंगे। मैं प्रधान मन्त्री जी को बधाई देता हूं और इस सदन में प्रधान मन्त्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि अगर वह जवाब दें तो अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी सप्लीमेंटरी भी नहीं पूछूंगा।

**प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी)** : तुलसीराम जी का दूसरे सप्लीमेंटरी का वायदा खाली इसी प्रश्न का है या पूरे सेशन का···।

**श्री वी. तुलसीराम** : इसी प्रश्न का है।

**श्री राजीव गांधी** : अध्यक्ष जी, प्रश्न का जवाब जो दिया गया है वह ठीक दिया गया है, इसमें कोई कमी नहीं। लेकिन तब भी मुझे भी शक है हमारी केपेबेलिटी पर, अगर कोई बड़ी समस्या हमारे ऊपर आ जाए तो हम इस तरह से उसे हैण्डल करेंगे। मैंने केबिनेट सेक्रेटरी को कहा है कि वह डिफेंस मिनिस्टरी और होम मिनिस्टरी के साथ इसको देखें। जैसे ही हमारे पास कोई नोट तैयार होगा हम सदस्यों को बतायेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : पहले भी इस बात का जवाब दिया है।

[अनुवाद]

**डा० वी० वेंकटेश** : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जहां तक परमाणु प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध है इस प्रौद्योगिकी के आयात के कारण इसके अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा इन दिनों बढ़ती जा रही है और मुझे पता चला कि परमाणु अपशिष्ट पदार्थों का ढेर मेरे जिले में लगाया जा रहा है जो कि बहुत ही पिछड़ा जिला है और जहां सिंचाई सुविधायें नहीं है और बरसात नहीं होती है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसी किसी प्रौद्योगिकी का आयात किया है और परमाणु अपशिष्ट पदार्थों के ढेर जो मेरे जिले कोलार में लगाये जा रहे हैं उन्हें निपटाया जा सके। यह एक बहुत गम्भीर मामला है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप ऐसी प्रौद्योगिकी का आयात चाहते हैं जो इसे कहीं और खपा सके ?

**डा. वी. वेंकटेश** : वे इस पदार्थ को अन्यत्र कहीं डाल सकते हैं।

**श्री के. आर. नारायणन** : जहां तक परमाणु अपशिष्ट पदार्थों का ढेर माननीय सदस्य के जिले अथवा अन्य जिले में लगाने का सम्बन्ध है, वस्तुतः हमने परमाणु अपशिष्ट पदार्थों के भंडारण की बड़ी सावधानीपूर्वक व्यवस्था की है। हमारे पास परमाणु अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बहुत कम है और इसके सुरक्षित और सावधानीपूर्वक भण्डारण की हमारे पास क्षमता मौजूद है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात से पूर्णतः निश्चित रहें कि परमाणु अपशिष्ट पदार्थों का ढेर उनके जिले में लगाने का प्रश्न ही नहीं है।

**श्री दिनेश गोस्वामी** : पिछले प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रधानमन्त्री जी ने कहा था कि ऐसी भयावह स्थिति से उत्पन्न समस्या का सामना करने की क्षमता के बारे में मुझे सन्देह है। अतः मैं माननीय प्रधान मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या भयावह स्थिति से उत्पन्न समस्या का पता लगाने और ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए कोई अनुमान लगाया गया है।

**श्री राजीव गांधी** : मैं भयावह स्थिति से उत्पन्न समस्या की बात नहीं कर रहा था। मैं ऐसी स्थिति के समूचे परिणाम की बात कर रहा था और हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं और हमारी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। परमाणु ऊर्जा विभाग की अपनी अलग पद्धतियां हैं। वह अध्ययन कार्य कर रहा है, वह अभ्यास कार्य कर रहा है परन्तु हम

इसकी छानबीन कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी सही क्षमता क्या है और अगर जरूरी हुआ तो अपेक्षित प्रभाव बनाने के लिए इस क्षमता में वृद्धि भी कर सकते हैं।

**सेना कल्याण आवास संगठन के क्रियाकलाप**

*331. **श्री पी. कुलनदईवेलु** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का ध्यान सेना कल्याण आवास संगठन की प्रबन्ध समिति द्वारा लेखाओं की वार्षिकलेखा परीक्षा कराने और उन्हें आम सभा द्वारा स्वीकृत कराए जाने सम्बन्धी सांविधिक उपबंधों का पालन न किए जाने की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन सी सुधारात्मक कार्रवाही की गई है ?

**रक्षा मन्त्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह)** : (क) और (ख) सेना कल्याण आवास संगठन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इस संस्था का प्रबन्ध एडज्युटेंट जनरल की अध्यक्षता में एक प्रबन्ध बोर्ड द्वारा किया जाता है और इस बोर्ड की वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होती है। इसके दिन-प्रतिदिन के कार्य एक कार्यपालक समिति द्वारा किए जाते हैं।

2. रक्षा मन्त्रालय में सेना कल्याण आवास संगठन की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लेकिन इस संगठन ने इस बात की पुष्टि की है कि संगठन के विनियमों और नियमों के अनुसार इसके लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा कराने और उन्हें स्वीकृत कराए जाने के बारे में सांविधिक उपबंधों का लिखित रूप में पालन किया गया है।

**श्री पी. कुलनदईवेलु** : यद्यपि सेना कल्याण आवास संगठन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत संस्था है फिर भी यह सरकार का एक उपक्रम है। सेना कल्याण आवास संगठन का एक पूर्णकालिक चेयरमैन है, उनका नाम जनरल मजूमदार है मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह संगठन सरकार का एक अंग है और दूसरे क्या वर्ष 1981 के बाद इस संगठन के आम सभा की कोई बैठक बुलाई गई है और क्या सरकार को इस संगठन से उनकी शिकायतों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

**श्री अरुण सिंह** : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, यह कोई सरकारी विभाग नहीं है यह एक सोसाइटी है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत है। प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि इसके पूर्णकालिक चेयरमैन और प्रबन्धक बोर्ड के सभी सदस्य पदेन अधिकारी हैं। अतः ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चेयरमैन है। अधिकारियों के तबादले के साथ साथ चेयरमैन भी बदलता रहता है, जहां तक आम सभा की बैठक का संबंध है, इस संस्था का, विशेष रूप से जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत है, में आम सभा नाम की कोई चीज नहीं है, प्रबन्धक बोर्ड इस संस्था का कार्य संचालन करता है। इसमें प्रति वर्ष कम से कम एक बार सदस्यों की नियमित बैठक होती है। और जहां तक शिकायतों का संबंध है, हम उन के काम में सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तथापि, यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो हम उन्हे संस्था के पास भेज देते हैं।

**श्री पी. कुलनदईवेलू :** वर्ष 1981 के बाद आम सभा की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। यदि कोई आम सभा बुलाई गई थी तो, मैं जानना चाहता हूं कि वह किस तारीख को बुलाई गई थी। मैं मंत्री महोदय से साफ तौर पर और स्पष्ट रूप से यह बात जानना चाहता हूं, क्यों कि मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने मुझे बताया है कि वर्ष 1981 के बाद आम सभा की बैठक एक भी बार नहीं बुलाई गई है परन्तु आप कहते हैं आम सभा की बैठक हुई थी, जो गलत है। दूसरी बात यह है कि श्री मजूमदार, जो एडज्युटेंट जनरल हैं, इस संगठन के पूर्णकालिक चेयरमैन हैं। क्या वे सरकार के अंग नहीं हैं। श्री सेन भी पूर्णकालिक प्रबंध-निदेशक के पद पर हैं। इस संगठन ने वर्ष 1983 के बाद 'नोएडा' में कुछ फ्लैटों का निर्माण करवाया है। फ्लैटों को ठीक से नहीं बनाया गया है। ठेकेदारों ने मार्च, 1983 के निर्धारित समय के भीतर अपना काम पूरा नहीं किया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या संगठन के सदस्यों की शिकायतें उनकी संतुष्टि कर दूर कर दी गई हैं।

**श्री अरुण सिंह :** जैसा कि मैंने आरंभ से ही कहा है कि यह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत है जिसके मायने ये हैं कि इसके कुछ उपनियम हैं जिनके आधार पर इसका पंजीयन किया गया है। जहां तक इस विशेष समिति के उप-नियमों का संबंध है, इनमें वार्षिक आम सभा बुलाने का कोई उपबन्ध नहीं है। इनमें कभी भी ऐसा कोई उपबन्ध नहीं था और इसी तरह से यह संस्था पंजीकृत की गई है। इनमें लेखों को आम सभा द्वारा पारित करवाने का भी कोई उपबन्ध नहीं है। इसका प्रबन्धक बोर्ड है। प्रबन्धक बोर्ड लेखों को देखता है। उन के पास आंतरिक और बाह्य लेखा-परीक्षा करवाने की व्यवस्था है। रक्षा मंत्रालय में हम इतना ही सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस संस्था को संचालित करने वाले पंजीकरण संबंधी विनियमों का पालन किया जा रहा है।

**श्री पी. कुलनदईवेलू :** आम सभा की बैठक कब बुलाई गई थी ? महोदय, मैं आप का संरक्षण चाहता हूं। वर्ष 1981 के बाद आम सभा की कोई भी बैठक नहीं बुलाई गई है।

**अध्यक्ष महोदय :** वे कहते हैं कि यह उनके अधिकार के अंतर्गत नहीं है।

**श्री पी. कुलनदईवेलू :** मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। मुझे यह कहते हुए दुख होता है।

**श्री अरुण सिंह :** मैं माननीय सदस्य की ओर से इस मामले को देखूंगा। जहां तक मैं समझता हूं, इसके उप-नियम बहुत ही स्पष्ट हैं जिसके अनुसार इस संस्था का पंजीकरण किया गया है। फिर भी, माननीय सदस्य की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, मैं उनकी शिकायत सोसाइटी के रजिस्ट्रार, दिल्ली के पास भिजवा दूंगा।

**अध्यक्ष महोदय :** वे ही इस पर कार्यवाही करने के सही अधिकारी हैं।

**श्री अजय मुशरान :** सेना कल्याण आवास संगठन में बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों को तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ वर्ष पहले एक बार हड़ताल हुई थी। सोसाइटी के प्रबन्ध मंडल के विरुद्ध यह शिकायत भी थी कि उनका वेतन निर्धारित नहीं किया गया है। उनकी पेंशन की तुलना में उन्हें वेतनमान नहीं दिये गये हैं और अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और पंजीकृत सोसाइटियों जिनमें भूतपूर्व सैनिक काम कर रहे हैं उनके वेतन में

और इस संस्था के वेतन निर्धारण में भी भारी असंगति है, । क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि ये शिकायतें मंत्रालय में भेजी जाती हैं। क्या उनके लिये कुछ किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या किया जा रहा है ?

**श्री अरुण सिंह :** मुझे अपने मूल उत्तर को दोहराना पड़ेगा। यह संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत है। मैं सरकार की तरफ से इसमें हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं हूँ। यदि माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो वे यह मामला सोसाइटी के रजिस्टार, दिल्ली के श्रम आयुक्त अथवा जिस किसी के पास वे चाहें उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-आस्ट्रेलिया सहयोग**

*233. **डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और आस्टेलिया के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए हाल ही में कोई समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

[अनुवाद]

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) :** (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

**विवरण**

(क) भारत और आस्टेलिया की सरकारों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के एक नए करार पर कैनबरा में 15 अक्तूबर, 1986 को हस्ताक्षर किये गये।

(ख) इस करार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(1) सिविल वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना, विशेषकर जो आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित हैं।

(2) इस सहयोग को वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना के आदान-प्रदान और वैज्ञानिकों के एक-दूसरे देश के भ्रमण द्वारा कार्यान्वित करना।

(3) सहयोगात्मक परियोजनाओं का कार्यान्वयन और दोनों सरकारों के बीच परामर्श के बाद ही संयुक्त रूप से किये गये कार्य के परिणामों को विश्व के वैज्ञानिक समुदाय को उपलब्ध करना।

(4) सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना।

[हिन्दी]

**डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी :** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि भारत और आस्ट्रेलिया के बीच में विज्ञान और टैक्नोलोजी के क्षेत्र में एक समझौता हुआ है।

उसमें आपने यह भी कहा है कि दोनों देशों के वैज्ञानिक एक से दूसरे देश में जाएंगे और वे वहां की टैक्नोलोजी और साइंटिफिक डिवेलपमेंट का अध्ययन करेंगे, तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत ने वैज्ञानिकों की कोई ऐसी टीम भेजने का फैसला किया है, यदि हां, तो उस टीम में कितने वैज्ञानिक होंगे, उनके सिलैक्शन का क्या आधार होगा और वह टीम कब तक आस्ट्रेलिया का भ्रमण करने जाएगी ?

[अनुवाद]

**श्री के. आर. नारायणन** : विगत में अनेक वैज्ञानिक शिष्टमण्डल आस्ट्रेलिया गये हैं। तथा भविष्य में और शिष्टमण्डल भेजने का हमारा विचार है। हमने इस समय किसी विशेष शिष्टमण्डल का गठन नहीं किया है।

[हिन्दी]

**डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में भारत में जितनी तरक्की होनी चाहिए थी वह अभी नहीं हुई है। हमारे यहां एक डोना पौला में नेशनल इंस्टीट्यूट रन कर रहा है, लेकिन समुद्र के करेंट से इनर्जी लेने या उसके बाइलौजिकल केमीकल वैल्यूज से देश को लाभान्वित कराने की दिशा में बड़ी अच्छी प्रगति नहीं हुई है। इसलिए क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस समझौते के तहत क्या ओशन और ग्रेविटी के डिवेलपमेंट के लिए कोई विशेष अध्ययन किया जाएगा और उससे देश को लाभान्वित कराने का कोई प्रयत्न किया जाएगा ?

[अनुवाद]

**श्री के. आर. नारायणन** : मैं समझता हूं कि इससे प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि हम गोवा में अपने समुद्र विज्ञान का अध्ययन करने में पर्याप्त प्रगति कर रहे हैं।

**तट रक्षकों को अत्याधुनिक उपकरण और गश्ती नौकाओं से लैस करना**

*234. **श्री बनवारी लाल पुरोहित†** :

**प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार समुद्री मार्ग से घुसपैठियों पर रोक लगाने के लिए कच्छ में तट रक्षकों को अत्याधुनिक उपकरणों और गश्ती-नौकाओं से लैस करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो समुद्री मार्ग पर सुरक्षा प्रबन्ध कब तक कड़े कर दिए जाएंगे; और

(ग) भारत में विदेशियों की गैर-कानूनी घुसपैठ को किस सीमा तक रोके जाने की संभावना है ?

**रक्षा मन्त्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह)** : (क) से (ग) तट रक्षक उपस्कर हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

2. कच्छ के चारों ओर समुद्री मार्गों पर भारतीय तट रक्षक संगठन के जाहजों एवं विमानों द्वारा निगरानी रखी जाती है।

3. निगरानी की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त साज-सामान से लैस अतिरिक्त जहाजों और विमानों को खरीदने की योजना है।

[हिन्दी]

**श्री बनवारी लाल पुरोहित** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने एक में कहा है:-

[अनुवाद]

तट रक्षक उपकरण हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप है।

[हिन्दी]

और तीन में कहा है—

[अनुवाद]

चौकसी में वृद्धि को प्रवर्तित करने के लिए उपयुक्त उपकरणों से युक्त अतिरिक्त पोत और विमान खरीदने की योजना है।

[हिन्दी]

तो अध्यक्ष महोदय, जब आपके कोस्ट गार्ड इक्विपमेंट आपकी जरूरत के लिए कंसिस्टेंट हैं, तो खरीदने की क्या जरूरत है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं—यहां जो प्रश्न पूछा जाय उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए उत्तर की अपेक्षा रहती है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मैं मन्त्री जी से यह कहता हूं कि इसमें इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए नेवी का इन्वाल्वमेंट रहता है, इसमें बी. एस. एफ. का इन्वाल्वमेंट रहता है, कस्टम डिपार्टमेंट का इन्वाल्वमेंट रहता है और स्टेट गवर्नमेंट का इन्वाल्वमेंट रहता है। तो इन चारों एजेंसीज की क्या कोई रेस्पांसिबिलिटी है? यदि हमारे देश में कोई आता है, तो किसकी जवाबदारी है? आज आवश्यकता इस बात की है कि ये चारों एजेंसीज मिलकर काम करें। मन्त्री जी मुझे बतायें कि इसके लिए आपने क्या प्रयत्न किया है? क्या इस तरह की कोई एजेंसी है, उनकी कोई मीटिंग होती हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी है, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं?

**श्री अरुण सिंह** : सर, "ए" और "सी" में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है? न हम टैक्नोलोजी को रोक सकते हैं और न हम रिप्लेशमेंट को रोक सकते हैं। इन हालात में। एट नो पाइन्ट आफ टाइम हम यह भी नहीं कह पायेंगे कि आगे इसमें एड नहीं करेंगे या इक्विपमेंट नहीं बदलेंगे।

जहां तक इन्फिल्ट्रेशन का सवाल है—कोस्ट के इर्द-गिर्द जो हमारा ओशन है वह तीन हिस्सों में बंटा हुआ है—एक तो टैरीटोरियल वाटर है 12 नॉटिकल माइल्स पर उसके बाद कंटिगुअस जोन है 24 नॉटिकल माइल्स पर और उसके बाद एक्सक्लूसिव इकनोमिक जोन है 200 नॉटिकल माइल्स पर 1 इफिल्ट्रेशन का सवाल आता है 12 नौटिकल माइल्स पर जहां टेरीटोरियल वाटर हैं। इसमें दो स्पेशल जोन हैं—एक तो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि अपनी स्टेट के कोस्टल वाटर में निरीक्षण करते हैं और दूसरी एजेंसी है इन्डियन कोस्ट गार्ड। इसके पास पॉवर्स आफ इन्फोर्समेंट है।

**श्री बनवारी लाल पुरोहित** : मेरा दूसरा सवाल यह है, मन्त्री जी ने अभाव किया है कि हम काफी बेसल्ज ऐड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या-क्या वैसल्ज आप ऐड कर रहे हैं, यह बताने की कृपा करें।

**श्री अरुण सिंह** : फोर्स लेवल हम नहीं बता सकेंगे।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

### राज्यों द्वारा अपने स्वयं के कमांडो दस्ते बनाने का प्रस्ताव

*227. **श्री एच. एन. नन्जे गौंडा :**

**श्री जी०एस० बसवराजू** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने आतंकवाद से निबटने के लिए अपने स्वयं के कमांडो दस्ते बनाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

**गृह मन्त्री (सरदार बूटासिंह)** : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

### जनरल स्टोर्स सप्लाइज विभाग का कार्य निष्पादन

*232. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावजि** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जनरल स्टोर्स सप्लाइज विभाग में कथित कुछ कदाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मामलों की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल)**: (क) से (ग) जनरल स्टोर्स सप्लाई नामक कोई विभाग नहीं है लेकिन निरीक्षण महानिदेशालय में एक निरीक्षण निदेशालय (स्टोर्स) है। जनवरी, 1982 से अब तक निरीक्षण निदेशालय (स्टोर्स) के स्टाफ एवं अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार, पक्षपात आदि की लगभग 59 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। निश्चित आरोपों वाली केवल तीन शिकायतों को छोड़कर, जिसकी जांच चल रही है, सभी शिकायतों की जांच कर ली गई है। एक मामले में भारी दण्ड दिया गया है और तीन मामलों में हल्का दण्ड दिया गया है। बाकी मामलों में लगाए गए आरोप बेबुनियाद पाए गए।

**सेवानिवृत्त नौ सेना अधिकारियों की पेंशन बंद करना**

*235. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या सरकार का विचार** उन सेवानिवृत्त नौ सेना अधिकारियों की पेन्सन बन्द किए जाने सम्बन्धी मामलों की पुनरीक्षा करने का है, जो सेवानिवृत्ति के **बाद** राजनीतिक अपराध करने के लिए **दोषी** पाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह)** : (क) ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें नौ सेना के किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को राजनीतिक अपराध करने का दोषी पाया गया हो और उसकी पेन्सन बन्द कर दी गई हो ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

**20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की समीक्षा**

*236. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या सरकार ने** 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विभिन्न राज्यों के कार्य निष्पादन की कोई समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां तो किस अवधि की समीक्षा की गई है ; और

(ग) 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विभिन्न राज्यों के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है ?

**कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए. बी.ए. गनी खान चौधरी)** : (क) जी, हां ।

(ख) **बीस सूत्री कार्यक्रम की** सतत समीक्षा की जा रही है । वर्ष 1982-83, 83-84 84-85, 85-86 **और** सितम्बर, 1986 तक की समीक्षा की जा रही है ।

(ग) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 17 मदों के संबन्ध में उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, जिसके संबन्ध में सूचना एकरूप और मासिक आधार पर उपलब्ध होती है, राज्यों को कार्य-निष्पादन का दर्जा दिया जाता है । वर्ष 1982-83 से 1985-86 तक चार वर्षों और 1986-87 के छः महीनों (सितम्बर, 1986 तक) के दौरान राज्यों द्वारा प्राप्त किए गए दर्जों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है ।

विवरण

राज्यों का वर्ग

| राज्य (अप्रैल-सितम्बर 1986) | 1986-87 | 1985-86 | 1984-85 | 1983-84 | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| पंजाब | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 |
| राजस्थान | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| उत्तर प्रदेश | 8 | 1 | 6 | 10 | 13 |
| तमिलनाड | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| गुजरात | 14 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| हरियाणा | 4 | 5 | 7 | 12 | 11 |
| महाराष्ट्र | 14 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| हिमाचल प्रदेश | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| सिक्किम | 1 | 8 | 17 | 16 | 9 |
| आंध्र प्रदेश | 4 | 10 | 8 | 18 | 4 |
| त्रिपुरा | 20* | 10 | 18 | 22 | 20 |
| कर्नाटक | 8 | 11 | 12 | 15 | 12 |
| मध्य प्रदेश | 4 | 11 | 16 | 4 | 6 |
| मणिपुर | 17 | 14 | 11 | 9 | 15 |
| उड़ीसा | 10 | 14 | 13 | 8 | 7 |
| बिहार | 12 | 16 | 15 | 17 | 17 |
| मेघालय | 22* | 17 | 19 | 21 | 21 |
| पश्चिम बंगाल | 14 | 18 | 20 | 19 | 16 |
| केरल | 19 | 19 | 10 | 14 | 14 |
| नागालैंड | 18 | 20 | 21 | 11 | 19 |
| जम्मू-कश्मीर | 10 | 21 | 22 | 20 | 18 |
| असम | 21 | 22 | 14 | 13 | 22 |

*अगस्त, 1986 तक की सूचना पर आधारित ।

[हिन्दी]

**दिल्ली में नवम्बर, 1984 के दंगों से प्रभावित लोगों को सहायता**

*237. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

**श्री भट्टम श्री राममूर्ति :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नवम्बर, 1984 के दंगों में प्रभावित कितने व्यक्तियों का अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है और अब तक पर्याप्त राहत राशि नहीं दी गयी है; और

(ख) उनका पुनर्वास करने और उन्हें पर्याप्त राहत-राशि प्रदान कराने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

**गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने मृत्यु, जख्मी होने और रिहायशी इकाइयों को नुकसान के मामलों में राहत दी है। लगभग सभी पात्र व्यक्तियों को राहत दी गयी है।

2. नवम्बर, 1984 के दंगापीड़ित व्यक्तियों के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा किए गए कुछ पुनर्वास उपाय निम्न प्रकार है :

(1) मृत्यु के मामलों में, बीस हजार रुपए, जख्मी होने के मामलों में 2,000 रुपए और रिहायशी इकाइयों को हुए नुकशान के मामले में 2,000 रुपए से 10,000 रुपए तक की दर से वित्तीय सहायता दी गयी है। इस प्रायोजन के लिए अब तक 7.46 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(2) दंगों के दौरान प्रभावित व्यवसाय को पुनः आरम्भ करने/पुनः स्थापित करने के लिए 6,745 मामलों के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 33.92 करोड़ रुपए की राशि के ऋण स्वीकृत किए हैं।

(3) जिन व्यक्तियों की बीमाकृत संपत्तियों को नुकशान हुआ है उन्हें 82.62 लाख रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की गई है (दंगों के लिए बीमा की गयी संपत्तियों के अलावा)। इस प्रकार के मामलों में अनुमानित क्षति का 50 प्रतिशत की दर से भुगतान किया गया, जिसकी अधिकतम राशि 50,000 रुपए थी।

(4) 920 विधवाओं और 863 अन्य दंगा पीडितों को टेनामेंटस आवंटित किए गए हैं।

(5) 329 विधवाओं को दुकानें/प्लेटफार्मस् आवंटित किए हैं।

(6) लगभग 370 दंगा पीड़ित विधवाओं या उनके बच्चों को, आयु और शैक्षिक अहर्ताओं में रियायत देकर दिल्ली प्रशासन के विभिन्न सरकारी/अर्धसरकारी संगठनों में नियुक्तियों का आमन्त्रण दिया गया।

[अनुवाद]

## दिल्ली में जाली पासपोर्ट देने वाला कथित गिरोह

**श्री सुभाष यादव :**

*238. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजधानी में जाली पासपोर्ट देने वाला एक गिरोह पकड़ा गया है जैसा कि 22 अक्तूबर 1986 के "स्टेट्समैन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) जी हां; श्रीमान ;

(ख) और (ग) कानून की विभिन्न धाराओं के तहत 2 मामले दर्ज किए गए हैं, तथा इन मामलों में 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । इस प्रकार की गतिविधियों का पता लगाने के लिए आसूचना एकत्र की जाती है तथा जो व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है ।

**"खनन गतिविधियों के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन"**

*239. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने खनन गतिविधियों को बढावा देने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने का उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों के विचार सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल)** : **(क) और (ख)** असम, हिमाचल प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों ने खनिज पदार्थ परामर्शदायी परिषद की 23वीं बैठक में सुझाव दिया था कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत खनिज पट्टा से सम्बन्धित अधिकारों को राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर देना चाहिए । राज्य सरकारों ने इस आधार पर सुझाव दिया था कि भारत सरकार कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावों को अनुमोदित करने में अत्यधिक देरी हो जाती है । भारत सरकार इस सुझाव से सहमत नहीं हो सकी क्योंकि यह अनुभव किया गया कि इस प्रकार अधिकारों का दिया जाना उन उद्देश्य को ही समाप्त कर देना होगा जिसके लिए यह अधिनियम प्रवर्तित किया गया था ।

यदि पूर्ण प्रस्तावों को भेजा जाता है, तो केन्द्र सरकार प्रस्तावों के संबंध में शीघ्र निर्णय ले लेती है । प्रस्तावों के निपटान में अधिकांश मामलों में विलम्ब, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों के अपूर्ण एवं अपर्याप्त ढंग से तैयार करने के कारण ही होता है ।

**कम्प्यूटरीकरण में हुई प्रगति**

*240. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक किन-किन क्षेत्रों में कम्प्यूटरों का प्रयोग आरम्भ किया गया है ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण की उपयोगिता के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) अधिक क्षेत्रों में कम्प्यूटरों का प्रयोग आरम्भ करने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन)** : (क) अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में तथा सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों की लगभग सभी जनोपयोगी सेवाओं में कम्प्यूटरीकरण लागू किया गया है। ये क्षेत्र इस प्रकार हैं : रेलवे (माल-भाड़ा तथा यात्री आरक्षण), डाक, तार, बीमा, सीमाशुल्क, उत्पादन-शुल्क, बैंकिंग, कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, पर्यावरण तथा वन, उद्योग, शिक्षा, ऊर्जा, इस्पात तथा खान, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, संचार, पर्यटन, विधि तथा न्याय, भूतल परिवहन, जल संसाधन, अन्तरिक्ष, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, वस्त्र उद्योग, शहरी विकास, आवास, सूचना तथा प्रसारण, सुरक्षा एवं पुलिस तथा मौसम विज्ञान, कला तथा संस्कृति।

विद्युत, इस्पात तथा औद्योगिक क्षेत्रों में कम्प्यूटर पर आधारित प्रणालियों का प्रयोग आंकड़ा संलेखक (लॉगर)/आंकड़ा अभिग्रहण के लिए तथा निगरानी एवं नियंत्रण से संबंधित अनुप्रयोगों में, प्रक्रिया को अनुकूलतम बनाने में, संयंत्रों के सिमुलेशन (अनुकार) में तथा प्रचालन संबंधी प्रशिक्षण में क्रमशः तेजी से बढ़ रहा है। कम्प्यूटर पर आधारित प्रणालियों का उपयोग प्रति रक्षा के क्षेत्र में रेडार/सोनार प्रणालियों में, शस्त्रास्त्रों के नियंत्रण में, प्रशिक्षण सिमुलेशन में तथा प्रबंध सूचना प्रणालियों में हो रहा है तथा तेल के क्षेत्र में कूप-संलेखन (लॉगिंग) में तथा भूकम्पीय विश्लेषण के लिए किया जाता है और संचार के क्षेत्र में संदेश-स्विचन के लिए, यातायात नियंत्रण/ उसे अनुकूलतम बनाने में भी किया जाता है। माइक्रोप्रोसेसरों (सूक्ष्म संसाधित्रों) के आगमन से कम्प्यूटरों का प्रयोग वस्तुतः सभी प्रकिया नियंत्रण अनुप्रयोगों में जाने लगा है, जिसमें मशीन औजार (टूल) नियंत्रण तथा घरलू उपकरण भी शामिल हैं।

(ख) जी, हां। अधिकांश सरकारी विभागों का प्राथमिक रूप से अध्ययन करने से पता चला है कि विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण के दूरगामी प्रभाव पडे हैं। इससे विश्वसनीय लगातार तथा समय पर सूचना मिलना संभव हो सका है।

(ग) इलेक्ट्रोनिकी विभाग राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र के माध्यम से अपने कम्प्यूटर नेटवर्क का विस्तार प्रथम चरण में राज्य स्थर पर कर रहा है तथा उसके बाद केन्द्र एवं राज्य सरकारों में कम्प्यूटरीकरण के लिए जिला स्तर पर विस्तार कर रहा है। रेलवे, नागर विमानन, पेट्रोलियम पुलिस, मौसम विज्ञान विभाग, बड़े सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के निगमों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में ऑन्-लाइन सेवा की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए ऐसी ही सुविधाओं का विस्तार किया है।

सी. एम. सी. लिमिटेड नामक सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को कम्प्यूटर से संबंधित परामर्श / सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करा रही है। सी. एम. सी. ने भारत की पहली व्यवसायिक कम्प्यूटर नेटवर्क इंडोनेट) नामक परियोजना शुरू की है, जिसके फलस्वरूप वास्तविक प्रयोगकर्ताओं के लिए विश्व भर के कम्प्यूटरों तथा आंकड़ा बैंकों तक पहुंचने का एक सशक्त मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उन्होंने रेलवे यात्री आरक्षण प्रणाली, रेलवे माल-भाड़ा प्रबंध प्रणाली, ऊर्जा प्रबन्ध प्रणाली अंगुलि-छाप पहचान प्रणाली तथा विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन ('क्लास') परियोजना जैसी गौरवशाली परियोजनाओं को भी शुरू किया है।

सरकार सौफ्टवेयर-गृहों को विशिष्ट क्षेत्रों अर्थात् कम्प्यूटर की सहायता से प्रबंध व्यवस्था करने, कम्प्यूटर की सहायता से डिजाइन बनाने, कम्प्यूटर की सहाययता से अनुदेश देने, आदि जैसे क्षेत्रों में भी विशेषता प्राप्त करने के लिए बढ़ावा दे रही है।

देश में कम्प्यूटरीकरण की प्रकिया को तेजी से बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रमुख उपाय के रूप में, सरकार ने नवम्बर, 1984 में एक उदार कम्प्यूटर नीति की घोषणा की है जिसमें अद्यतन प्रौद्योगिकी के आधार पर देश में कम्प्यूटर के विनिर्माण पर जोर दिया गया है।

**कोचीन में नौसैनिक अड्डे का विकास**

*241. **श्री के. मोहनदास :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोचीन में नौसैनिक अड्डे का विकास किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) कोचीन स्थित नौसैनिक बेस में 1200 फीट जेटी, एक स्लिप वे और बेस रिपेयर सुविधाओं की व्यवस्था करके इसकी वर्तमान आधारभूत सुविधाओं में और वृद्धि की जा रही है।

[हिन्दी]

**रंगीन टेलीविजन सेट से निकलने वाली हानिकारक किरणें**

*242. **प्रो. चन्द्रभानु देवी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रंगीन टेलीविजन के स्क्रीन से निकलने वाली किरणें हानिकारक होती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन किरणों से होने वाली हानि को कम से कम करने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) :** (क) और (ख) रंगीन दूरदर्शन रिसीवर की रंगीन पिक्चर ट्यूब (पर्दे) से बाहर आ रही एक्स-रे का विकिरण उपयुक्त सीमा के अंतर्गत होता है। यह कार्य प्रचालन-वोल्टता (वोल्टेज) को सीमित करके तथा समुचित संरचना तथा डिजाइन के ग्लास का प्रयोग करके सम्पन्न किया जाता है।

चूंकि इन ट्यूबों का इस समय आयात किया जा रहा है, अत: विदेशी विनिर्माताओं द्वारा रंगीन पिक्चर ट्यूबों (पर्दे) के एक्स-रे विकिरण का परीक्षण नमूने के तौर पर किया जाता है। फिर भी, सरकार ने नमूने के तौर पर विकिरण का परीक्षण करने के लिए परीक्षण के काम में प्रयुक्त होने वाले उपयुक्त उपस्करों की खरीद करने की भी कार्रवाई की है।

**पर्वतीय क्षेत्र भूमि और जल विकास परियोजना**

*243. **श्री हरीश रावत :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इन्टरनेशनल डेवलपमेंट के सहयोग से उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पर्वतीय क्षेत्र भूमि और जल विकास परियोजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनाओं का विस्तार करने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक योजना है ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल)** : (क) से (ग) यूनाइटेड स्टेट्स के सहयोग से उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए गुरुत्व वाहिका (ग्रेविटी चैनल्स), हाइड्रेम्स, लिफ्ट सिंचाई जैसी अनेक लघु सिंचाई स्कीमें योजना के अन्तर्गत शुरू की गई हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस क्षेत्र में, लघु सिंचाई स्कीमों के लिए 68 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

**विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त धनराशि**

*244. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :** क्या योजना मंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में 23 जुलाई, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 844 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि प्रदान की गई है ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) निष्पादित कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल)** : (क) सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशियों की सातवीं योजना में राज्यवार व्यवस्था नहीं की गई है।

(ख) से (घ) राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण, जलपूर्ति, सड़क और भवन, खादी और ग्रामोद्योग, भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व पुलिस कर्मियों के पुनर्वास, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, पुलिस प्रशासन का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, कार्यान्वयन, मोनिट्रिंग तथा मूल्यांकन और अनुरक्षण से संबंधित स्कीमों का प्रस्ताव किया है। केन्द्रीय सरकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली स्कीमों के स्वरूप पर नये सिरे से विचार कर रही है।

[अनुवाद]

**केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्थान, धनबाद में अत्याधुनिक उपकरण**

2328. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद में एक्स-रे फलूरोसीन स्पेक्ट्रोमीटर, एफ टी न्यूक्लिअर मेगनेटों रिसोनेन्स स्पेक्टोमीटर, डिफरेंसिअल स्केनिंग केलोरिमीटर जैसे कई अत्याधुनिक उपकरण काफी समय से बेकार पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या इनमें से कुछ उपकरणों को अभी खोला तक नहीं गया है अथवा उन्हें अंशत: स्थापित किया गया है किन्तु वे काम में नहीं लाये जा रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ये कितने समय से काम में नहीं लाये जा रहे हैं ;

(घ) क्या इन उपकरणों को प्राप्त करने के लिये और आगे बातचीत चल रही हैं यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) उक्त मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन्)** : (क) और (ख) जी, नहीं, एक्स-रे फ्लूरोसन्स स्पक्ट्रोमीटर (एक्स आर एफ) को छोड़कर समस्त उपकरण स्थापित किए जा चुके हैं और कार्यरत हैं ।

(ग) एक्स आर एफ के संसूचक (डिटकटर) और अन्य प्रमुख घटकों की गिरती हुई दशा का संदेह हुआ और इसे उसके निर्माता के पास सुधारने के लिए भेजा गया है, इसके पश्चात एक्स आर एफ को स्थापित किया जायेगा । एक्स आर एफ के निर्माताओं ने वारंटी अवधि स्थापित करने तक बढ़ा दी है । एक्स आर एफ अप्रैल, 83 में प्राप्त हुआ था ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) आधारभूत संरचना एवं अविलम्ब स्थापित करने की सुविधा के प्रावधान के अतिरिक्त उपस्कर का समय पर शीघ्र निरीक्षण अतिरिक्त अवयवों की आपूर्ति और निर्माता के साथ समयबद्ध आधार पर सेवा अनुबन्ध सुनिश्चितता के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

**"बर्फीले प्रदेश में रहने वाले चीते"**

2329. **श्री विजय एन. पाटिल** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर बर्फीले प्रदेश में रहने वाले चीते पाये जाते हैं ;

(ख) क्या इन चीतों का बड़े पैमाने पर शिकार किये जाने के कारण वे लुप्त-प्राय हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं। उठाने का विचार है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउ रहमान अन्सारी)** : (क) जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और केन्द्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में अधिक ऊंचाइयों पर बर्फीले प्रदेश में रहने वाले चीते पाये जाते हैं। जहां पर्याप्त मात्रा में शिकार होते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**विकलांग बच्चों के लिए कल्याण योजना**

2330. **श्री राधा कान्त डिगाल** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकलांग बच्चों के कल्याण के लिए आरम्भ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उड़ीसा में ऐसी कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरम्भ की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो)** : (क) विकलांग बच्चों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित योजनाएं शुरू की है :

**समेकित शिक्षा**

समेकित शिक्षा के अन्तर्गत, विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत भोजन, आवास, रीडर भत्ता, अभिरक्षक और परिवहन भत्ते के अतिरिक्त, बच्चों को लेखनसामग्री, पुस्तकें, उपकरण विशेष उपकरण और सहायक यंत्र के रूप में प्रोत्साहन दिये जाते हैं। यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें शत प्रतिशत सहायता दी जाती हैं।

**विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूल** :

भारत सरकार, विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल स्थापित करने और विकलांग जनसंख्या के लिए अन्य सेवाओं सहित स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देती हैं।

**छात्रवृत्तियां** :

कक्षा 9 के पश्चात् पढ़ने वाले विकलांग विद्यार्थियों को जिनमें नेत्रहीन, अस्थि विकलांग, बधिर और मूक तथा मानसिक विकलांग शामिल हैं, छात्रवृत्तियां दी जाती है। छः छात्रवृत्ति धनराशि के अतिरिक्त, नेत्रहीनों को रीडर भत्ता, अस्थिविकलांगों को उपकरण के रखरखाव हेतु भत्ता और अस्थि विकलांगों को परिवहन भत्ता दिया जाता है।

**शारीरिक सुधार सेवाएं** :

विकलांग जनसंख्या जिसमें विकलांग बच्चे भी शामिल हैं को कृतिम अंग, पहिये वाली कुर्सिया श्रवण सहायक यंत्र और शिक्षा उपकरण, यदि माता पिता की आय 1250/—रुपये से

कम है तो निशुल्क, और यदि आय 1250/— से अधिक परन्तु 2500/— से कम है तो आधी लागत पर दिये जाते हैं ?

**जिला पुनर्वास योजना :**

इस योजना के अन्तर्गत, जो प्रोद्योगिक आधर पर देश के 6 जिलों में शुरू की गई हैं, विकलांगता का पता लगाने, रोकथाम से लेकर विकलांग व्यक्ति के आर्थिक पुनर्वास तक व्यापक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। लाभ प्राप्त कर्ताओं में विकलांग बच्चे भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) उपरलिखित सभी योजनाएं समेकित शिक्षा की योजना को छोड़कर, केन्द्रीय योजनाएं हैं जो कि एक केंद्रीय प्रयोजित योजना हैं।

सभी केंद्रीय योजनाएं और केंद्रीय प्रयोजित योजनाएं उड़ीसा सरकार में कार्यान्वित की जाती हैं। समेकित शिक्षा योजना राज्य में 1978-79 से कार्यान्वित की जा रही हैं। इस योजना में अब 25 स्कूलों में 450 बच्चे शामिल हैं।

भवनेश्वर में 1982-83 से एक जिला पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं और विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना के लिए उड़ीसा में निम्नलिखित संगठन सहायता प्राप्त कर रहे हैं :—

1. नेत्रहीनों के लिए रेड क्रास स्कूल बेरहमपुर (गंजम)
2. होम और होप (मानसिक विकलांगों के लिए स्कूल) ए-21, स्टील टाऊन, सेक्टर-17, रउरकेला
3. नेहरू सेवा संघ पो भा. बंनपुर जिला पुरी
4. नेत्रहीनों के लिए उड़ीसा संघ, मालगाडऊन रोड़, यूनिट-3, भुवनेश्वर
5. ए. एस. जी. अन्तरराष्ट्रीय भारत उड़ीसा तालचत्राती किरा, पो. आ. सारंदा बाया अटहीरा 768027 जिला सम्बलपुर
6. लुईस वेल वोकेनेशल ट्रेनिंग सेन्टर फार दि साइटलेस बेरहरमपुर (गंजम)।

**रक्षा मंडप से अग्नेयास्त्र के माडल का गायब होना**

2331. **श्री अमिताभ बच्चन :**
**श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेनगन से मिलते जुलते एक आग्नेयास्त्र का मॉडल 1 अक्तूबर 1986 को व्यापार मेला प्राधिकरण मैदान में रक्षा मंत्रालय के मन्डप से कुछ घंटे के लिए गायब हो गया था;

(ख) क्या बाद में यह आग्नेयास्त्र मंडप की छत पर पाया गया ;

(ग) यदि हां तो क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गयी है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है कि रक्षा से संबंन्धित महत्व की मशीनें और माडल राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों से, जहां उन्हें प्रदर्शित किया जाता है गायब न हों ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग मे राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) से (घ) 1 अक्तूबर, 1986 को प्रगति मैदान में रक्षा मंडप में प्रदर्शन के लिए रखी गयी एक वर्गीकृत सब-कारबाइन सो केश मे गायब पाई गई इस घटना की सूचना मिलने के आधे घन्टे के अन्दर ही वह कारबाइन उसी मंडप से बरामद कर ली गयी । इस घटना की जांच की जा रही है ।

प्रगति मैदान परिसर में सुरक्षा की समस्त व्यवस्था के लिए भारतीय व्यापार मेला उत्तर दाई है, जबकि दूसरी सुरक्षा ऐजेन्सी रक्षा मंडप की सुरक्षा का काम देखती है । वर्तमान सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा की गई है और इसे और मजबूत करने की कार्रवाई की जा रही है ।

**"देश में एसियाई सिंह"**

2332. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने एसियाई सिंह हैं और वे कहां कहां पाये जाते हैं ?

(ख) उनके क्षेत्र का विकास कर उनकी संख्या बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(ग) इन सिंहों को उनके प्राकृतिक रूप में देखने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन अभयारण्यों को देखने के लिए प्रति वर्ष कितने पर्यटक आते हैं ?

**पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) 1985 में की गयी पिछली गणना के अनुसार, गिरि वन, जहां आज जंगल में उनकी प्राप्ति का एक मात्र क्षेत्र हैं, में एशियाई सिंहों की संख्या 239 है ।

(ख) उनकी आबादी में वृद्धि करने के लिए उठाए जा रहे कदमो में शामिल हैं-गैर कानूनी रूप से कटाई के विरुद्ध उत्तम सुरक्षा करके वास स्थल का सुधार, आग और चराई पर नियन्त्रण; सिंहों के लिए शिकार वाली प्रजातियों में वृद्धि करना, उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त चोरी-छिपे शिकार करने से सुरक्षा, पशु शिविरों का गिर अभयारण्य के अन्दर तथा इसके बाहर पुनर्वास करना तथा वास स्थल में सुधार करने के उद्देश्य से उन निकटवर्ती वनों की उत्तम सुरक्षा करना जो इस समय गिर/अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है ताकि सिंहों को शरण मिल सके जिससे वे इनमें गिर वन से आ सकें ।

(ग) राज्य सरकार उन दर्शकों को जिन्हे राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के चारों ओर ले जाना होता है, जहां सिंहों और अन्य पशुओं को देखा जा सकता है, को सुविधाएं प्रदान करती है । उनके द्वारा सिंहों को देखने के लिए एक सिंह सफारी उद्यान की भी स्थापना की जा रही है ।

(घ) गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में आने वाले दर्शनार्थियों की औसत संख्या प्रति वर्ष लगभग 12,500 हैं ।

**अल्पसंख्यकों के कल्याण सम्बन्धी 15 सूत्री कार्यक्रम**

2333. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण सम्बन्धी 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई। प्रगति का कोई मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

**कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो)** : (क) और (ख) जी, हां। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में की गई प्रगति की समीक्षा, सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करते हुए और संबंधित केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकों का आयोजन करते हुए, लगातार की जाती है। कल्याण मंत्रालय ने जून, 1986 में इस कार्यक्रम की क्रियान्विति की समीक्षा करने के लिए मुख्य अल्पसंख्यक बाहुल्य राज्यों के संबन्धित राज्य अधिकारियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया था। देश भर में इस कार्यक्रम की क्रियान्विति की 12 सितम्बर 1986 को हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में और आगे समीक्षा की गई थी। यद्यपि विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा भरसक प्रयास किए गए हैं। फिर भी प्रगति संतोषजनक नहीं है। इस प्रकार अल्पसंख्यकों के कुछ वर्ग शिक्षा और सामाजिक की आर्थिक विकास के क्षेत्र में काफी पीछे हैं। केन्द्रीय और राज्य पुलिस बलों राष्ट्रीयकृत बैंकों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा दूसरी सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यकों के कुछ वर्गों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन मे तेजी लाने के लिए लगातार सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

**मदुरै, तमिलनाडु में वायुसेना का अड्डा बनाना**

2334. **श्री सी. के. कुप्पुस्वामी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मदुरै, तमिलनाडु मे वायुसेना का एक नया अड्डा बनाया जाना है ;

(ख) यदि हां तो इस परियोजना पर कितनी अनुमानित लागत आयेगी ; और

(ग) इस प्रस्तावित परियोजना के पूरा होने की अनुमानित अवधि क्या है ?

**रक्षा मन्त्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अफसरों का एक बोर्ड इस परियोजना की सम्भावनाओं का मूल्यांकन कर रहा है। इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। यह परियोजना कब तक पूरी हो जायगी इसका निर्धारण तभी किया जा सकेगा जब इस रिपोर्ट को अन्तिम रुप दे दिया जायगा।

[हिन्दी]

**20 सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को अनुदेश**

2335. **श्री के० एन० प्रधान** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबन्ध मे राज्य सरकारों को विशेष अनुदेश दिए हैं ,

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है .

(ग) किन राज्यों में बीस सूत्री कार्यक्रम समितियां गठित की गई हैं ; और

(घ) किन राज्यों में इस समय बीस सूत्री कार्यक्रम नहीं चल रहा है ?

**कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी)** : (क) और (ख) राज्य सरकारों को बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली योजनओं के लिए कार्य शुरू करने, इन योजनाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित करने निधि की व्यवस्था करने और कार्यक्रम का प्रबोधन करने के लिए लिखा है ।

(ग) बीस-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन अप्रैल 1987 से प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । बीस-सूत्री कार्यक्रम समितियों के गठन पर, यथावश्यक बाद में विचार किया जायेगा ।

(घ) इस समय बीस सूत्री कार्यक्रम समितियां सभी राज्यों में कार्य कर रही हैं ।

[अनुवाद]

**जलवायु में परिवर्तन का प्रभाव**

2336. **प्रो. नारायण चन्द पाराशर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जलवायु में परिवर्तन के कारण मौसम चक्र में अत्यधिक बदलाव और भिन्नता आ जाने की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वनस्पति, पर्यावरण और कृषि पर इन परिवर्तनों के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है और इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए तदुनसार परिवर्तन भी किए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार का कोई विश्लेषण शीघ्र किया जायेगा ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री आर. के. नारायणन)** (क) : अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले सौ सालों में जलवायु में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है । इस अवधि के दौरान वर्षवार जलवायु में जो परिवर्तन देखा गया है वह स्वाभाविक है और ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मौसम-चक्र में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है ।

**(ख) और (ग)** प्रश्न ही नहीं उठते ।

**ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास**

2337. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान बेरोजगारी दूर करने में सरकार की नीति में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य भूमिका निभानी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छोटे किसानों के पक्ष में उड़ीसा जैसे कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में नई कृषि प्रौद्योगिकियों का विस्तार करके कृषि सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाकर रोजगार पैदा करने का है ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** (क) : जी, हां ।

(ख) सातवीं योजना की विकास कार्यनीति का केन्द्रीय मूल तत्व उत्पादक रोजगार सृजन है। कृषि के क्षेत्र में, इस लक्ष्य को, कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों तथा छोटे किसानों तक नई कृषि प्रौद्योगिकियों का विस्तार करके, सिंचाई उपलब्धता सुविधाओं को बढ़ाकर फसल गहनता में संवृद्धि के जरिए प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

सातवीं योजना का लक्ष्य, वर्षा सिंचित खेती तथा शुष्क भूमि खेती में मुख्य फसलों तथा पूर्वी क्षेत्र में चावल की उत्पादकता में वृद्धि के जरिए कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में हरित क्रान्ति लाना है। ऐसी आशा की जाती है कि इन उपायों से उड़ीसा सहित कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में और अधिक वृद्धि होगी। इस नीति के अनुरूप सातवीं योजना में यह परिकल्पना की गई है कि अतिरिक्त उत्पादन का पर्याप्त भाग छोटे और सीमान्त किसानों और वर्षा सिंचित तथा शुष्क भूमि क्षेत्रों से प्राप्त होगा। योजना में यह भी परिकल्पना की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा तथा जारी रखा जाएगा।

सातवीं योजना में रोजगार संभाव्यता में अधिकांश संवृद्धि, कृषि क्षेत्रक में हुई है, और क्षेत्रक के अन्तर्गत फसल उत्पादन को छोड़कर सहायक कार्यकलापों में हुई है। इस क्षेत्रक में रोजगार संभाव्यता की वार्षिक संवृद्धि दर 3.5 प्रतिशत है जो कि ग्रामीण श्रमिक बल की संवृद्धि दर से, जिसके 2 प्रतिशत के आसपास होने की संभावना है, काफी अधिक है। इस प्रकार, सातवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार उपलब्ध होगा।

**"आन्ध्र प्रदेश में सामाजिक वानिकी के अंतर्गत क्षेत्र"**

2338. **श्री मानिक रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत कितना क्षेत्र शामिल है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश में सामाजिक वानिकी के विकास के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) सामान्य रूप से सम्पूर्ण आन्ध्र प्रदेश राज्य को सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत लाया गया है। आन्ध्र प्रदेश सामाजिक वानिकी परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित जिलों को शामिल किया गया है: –

1. आदिलाबाद
2. अनन्तपुर
3. चित्तूर
4. कुड्डप्पा
5. पूर्वी गोदावरी
6. गुन्टूर
7. करीमनगर
8. खम्मान
9. कृष्णा
10. कुरनूल
11. मेंडक
12. नलगोंडा
13. महबूब नगर
14. नैल्लोर
15. निजामाबाद
16. प्रकाशम
17. रंगारेड्डी
18. श्री काकुलम
19. विशाखापत्तनम
20. विजियानगराम
21. वारंगल

(ख) जी, हां।

(ग) ग्रामीण ईंधन की लकड़ी पौधरोपण, तटवर्ती पौधरोपण, निम्नीकृत वनों का पुन: लगाना और फार्म वानिकी जैसी मौजूदा स्कीमों के अलावा, विकेन्द्रीकृत जन नर्सरियों, वृक्ष पट्टे देकर, वृक्ष उगाने वाली सहकारी समितियों स्वैच्छिक संगठनों आदि के माध्यम से एक जन आन्दोलन विकसित करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा तैयार किया कार्यकारी योजना के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। निम्नलिखित विशेष हैं:—

1. वृक्ष उगाने वाली सहकारी समितियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।

2. राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने सीधे वनीकरण को बढावा देने के लिए एक सहायक अनुदान स्कीम तैयार की है।

3. वृक्षा पट्टा मंजूर करने के लिए राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

4. राज्य सरकारों को सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के प्रबोधन और मूल्यांकन के लिए एक मार्गदर्शक जारी किया गया है।

**3. नोडल एजेंसी :**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से विभिन्न अभिकरणों, सरकारी व अन्यों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिए एक समेकित नीति को सुनिश्चित करने हेतु एक एकल नोडल एजेंसी के अभिनिर्धारण के लिए अनुरोध किया गया है।

**4. बीज :**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से किसानों को व्यापारिक आधार पर चारा, घास और फलीदार बीजों की आपूर्ति हेतु विद्यमान राज्य बीज निगमों के क्रियाकलाप की भूमिका में विस्तार करने का अनुरोध किया गया है।

**5. भूमि को पट्टे पर देना :**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से ग्रामीण निर्धनों को वनरोपण हेतु परती भूमि पट्टे पर देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

**6. वन आधारित उद्योग :**

उनके द्वारा अपेक्षित कच्चे माल के उत्पादन हेतु परती भूमि पर वनरोपण के लिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ग्रामीण निर्धनों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें लाभप्रद आधार पर वृक्ष उगाने के योग्य बनाने की दृष्टि से परती भूमि पर वृक्ष आवरण उगाने के लिए उद्योगों को उत्साहित भी किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों से, इस विषय में उद्योगों को परती भूमि पट्टे पर दिए जाने के लिए, मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

**7. शहरी ईंधन की लकड़ी और हरित पट्टियां :**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि शहरी ईंधन की लकड़ी और चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईंधन की लकड़ी और चारे के पौधों की हरित पट्टियां कस्बों और शहरों में लगाई जायें।

विवरण

1. परती भूमि का अभिनिर्धारण :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार से अपने क्षेत्र में परती भूमि के अभिनिर्धारण का अनुरोध किया गया है, चाहे वे वन क्षेत्र, राजस्व/साधान्य भूमि या अवनत कृषि भूमि हो।

2. जनता की भागीदारी :

इसको निम्नलिखित उपायों से सुनिश्चित किया जाएगा :—

(क) विकेन्द्रिकृत नर्सरियां—जनता की नर्सरियां अर्थात किसानों; स्कूलों, महिलाओं, युवा दलों, स्वैच्छिक एजेंसियों इत्यादि को पौधों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ख) फार्म वानिकी—किसानों को उनकी सीमांत भूमि और खेती की मेढ़ों पर वृक्षों की फार्सिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पौधों के वितरण हेतु एक विवेकशील नीति तैयार की जानी चाहिए।

(ग) वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समिति—पौधों को लगाने और वितरण में तथा वृक्ष लगाने के लिए वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समितियों को संगठित किया जाना चाहिए।

(घ) स्वैच्छिक संगठन—व्यापक आधार वाले संगठनों, महिला मण्डलों, युवा दलों को नर्सरी उगाने और पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ङ) पेड़ों के पट्टे—सड़कों, रेल, नहरों इत्यादि और निम्नीकृत भूमि को ग्रामीण निर्धनों को इस जमीन पर उनके द्वारा लगाए गए वृक्षों पर भोगाधिकार सहित दे दिया जाना चाहिए।

8. निम्नीकृत वन क्षेत्र :

राज्यों से, निम्नीकृत वन-भूमि के अभिज्ञान करने और उन्हें वनरोपण करने का अनुरोध किया गया है।

9. वन विकास निगम :

वन विकास निगमों को ईंधन की लड़की और चारे के पौधे लगाने के लिए सरकारों से परती भूमि पट्टे पर लेनी चाहिए।

10. सरकारी विभाग :

सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य निकाय संस्थानों, जिनके पास पर्याप्त अप्रयुक्त भूमि है, ऐसी भूमि को वृक्षारोपण के अन्तर्गत लाना चाहिए।

11. माध्यम एवं संचार :

जनता में जागरूकता लाने के लिए लोक कला और संस्कृति के परम्परागत माध्यम रेडियो, टेलिविजन और अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाना चाहिये।

12. **प्रबोधन एवं मूल्यांकन :**

राज्य/संघ राज्य सरकारों को कार्यक्रम के गुणात्मक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रबोधन और मूल्यांकन तंत्र विकसित करना चाहिए ।

[हिन्दी]

**उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन**

2339. **श्री अंनुल बशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन स्वतंत्रता सेनानियों की जिला-वार संख्या कितनी है, जिनके सम्मान में पेंशन प्रदान किये जाने संबंधी मामले विचारधीन हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जाऐगा ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालल में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्)** (क) आर्य समाज से संबंधित यातनाओं के मामले में पेंशन के लिए (उत्तर प्रदेश से) 136 आवेदन अन्तिम निर्णय के लिए लम्बित हैं । इन मामलों का जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) इन मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए गठित समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने के बाद इनको अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

**(विवरण)**

**सम्मान पेंशन देने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के उन मामलों की जिला-वार संख्या का विवरण जो उत्तर प्रदेश में विचाराधीन है :**

| क्रम सं० | जिले का नाम | मामलों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आगरा | 1 |
| 2. | अलीगढ़ | 10 |
| 3. | इलाहाबाद | 2 |
| 4. | अल्मोड़ा | 1 |
| 5. | बहराइच | 1 |
| 6. | बलिया | 1 |
| 7. | बांदा | 2 |
| 8. | बरेली | 3 |
| 9. | बस्ती | 1 |
| 10. | बिजनौर | 3 |
| 11. | बुलन्दशहर | 1 |
| 12. | देवरिया | 1 |

| क्रम सं० | जिले का नाम | मामलों की संख्या |
|---|---|---|
| 13. | देहरादून | 7 |
| 14. | ऐटा | 2 |
| 15. | इटावा | 2 |
| 16. | फैजाबाद | 2 |
| 17. | गढ़वाल | 1 |
| 18. | गाजियाबाद | 4 |
| 19. | गाजीपुर | 14 |
| 20. | गोंड़ा | 4 |
| 21. | गोरखपुर | 5 |
| 22. | हरदोई | 1 |
| 23. | जालौन | 1 |
| 24. | कानपुर | 3 |
| 25. | लखनऊ | 2 |
| 26. | मैनपुरी | 5 |
| 27. | मथुरा | 2 |
| 28. | मेरठ | 14 |
| 29. | मुरादाबाद | 1 |
| 30. | मुजफ्फरनगर | 10 |
| 31. | नैनीताल | 1 |
| 32. | पौड़ी गढ़वाल | 3 |
| 33. | सहारनपुर | 19 |
| 34. | सीतापुर | 1 |
| 35. | सुल्तानपुर | 2 |
| 36. | वाराणसी | 3 |
| | जोड़ | 136 |

[अनुवाद]

**प्रौद्योगिकी मिशन**

2340. डा० बो० एल० शंलेष : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण निर्धन जनता का जीवन स्तर सुधारने, बीमारियों से बचाव, मौसम की पूर्व सूचना देने वाले केन्द्र स्थापित करने और खेती के लिए मौसम की जानकारी देने वाली सेवाओं के

विकास सम्बन्धी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये उनके मन्त्रालय द्वारा कितने राष्ट्रीय प्रौद्योगिक मिशन आरम्भ करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन मिशनों का ब्यौरा क्या है ;और उनके द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की मोटी रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से पेयजल उपलब्ध कराने, निरक्षरता दूर करने और बड़े पैमाने पर प्रतिरक्षण टीके लगाने और बेहतर संचार के लिये, कई परियोजनायें शुरू की जायेंगी ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय** में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) अभी तक 5 प्रौद्योगिकी मिशनों और 8 "विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परियोजनाओं" को स्वीकृति दी गई है जिन्हें मिशन प्रणाली के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जाना है। आशा की जाती है कि इससे जीवन स्तर में सुधार करने, कुछेक रोगों से बच्चों की ज्यादा अच्छी प्रकार से रक्षा करने, और उन्नत किस्म की मौसम भविष्यवाणी तथा कृषि मौसम विज्ञान सम्बन्धी सेवायें प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

(ख) पांच प्रौद्योगिकी मिशन निम्नलिखित हैं :

(1) जनसंख्या के संवेदनशील वर्गों, विशेषकर बच्चों को टीके लगाना तथा रोगों से उनका प्रतिरक्षण।

(2) खाद्य तेलहन – गहन खेती और तेल का उत्पादन।

(3) बेहतर संचार।

(4) प्रत्येक गांव के लिए पेयजल और जल का प्रबन्ध।

(5) निरक्षरता उन्मूलन।

आठ "विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनायें" निम्न हैं :

(1) रोग प्रतिरक्षा—निदान विज्ञान का विकास।

(2) उर्वरता नियन्त्रण के लिए रोग प्रतिरक्षात्मक उपाय।

(3) मलेरिया, फाइलेरिया तथा वैक्टर से उत्पन्न अन्य बीमारियों का समेकित वैक्टर नियन्त्रण।

(4) उत्तर प्रदेश में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग का नियन्त्रण।

(5) राष्ट्रीय मध्यम परास मौसम पूर्वानुमान केन्द्र की स्थापना करना, तथा कृषि मौसम विज्ञान सम्बन्धी सेवाओं का विकास।

(6) पशुओं और भैंसों में भ्रूण स्थानान्तरण।

(7) अमारफस सिलीकान सौर सैल तथा 1 मैगावाट की क्षमता के मोड्यूलों के लिए प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना ।

(8) राष्ट्रीय प्राकृतिक स्त्रोत प्रबन्ध प्रणाली (एन. एन. आर. एम. एस.) तथा प्राकृतिक स्त्रोत आंकड़ा प्रबन्ध प्रणाली (एन. आर. डी. एम. एस.) का संचालन ।

(ग) और (घ) इन प्रौद्योगिकी मिशनों तथा परियोजनाओं का लाभ देश के सभी भागों तक पहुंचेगा । पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पेयजल के लिए एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ करने की योजना है ।

**जम्मू और काश्मीर में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग**

2341. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों की स्थापना के लिए जम्मू और काश्मीर राज्य उपयुक्त स्थान है ;

(ख) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग बहुत ही कम स्थापित हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों का विकास करने के लिए जम्मू और काश्मीर राज्य के बारे में प्राथमिकता के आधार पर विचार करेगी ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिये स्थापना स्थल के चुनाव के बारे में पर्यावरण सम्बन्धी पहलुओं के अलावा जिन अन्य पहलुओं पर विचार करना चाहिए वे इस प्रकार हैं : बाजारों के आस-पास होना, उपादानों की सहज उपलब्धता, विद्युत की स्थायी आपूर्ति, कुशल कारीगर तथा आवश्यक वैज्ञानिक एवं तकनीकी जन-शक्ति ।

(ख) जी, हां । भारत में हुए कुल इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन में जम्मू तथा काश्मीर राज्य का हिस्सा 0·2 प्रतिशत रहा ।

(ग) जहां तक इलेक्ट्रॉनिकी इकाइयां स्थापित करने और सुविधायें प्रदान करने का संबंध है, सरकार की नीति सभी राज्यों के लिए समान है जिसमें जम्मू तथा काश्मीर भी शामिल है । एक आम नीति के रूप में राज्य सरकारें उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने का प्रयास करती हैं । इलेक्ट्रॉनिकी विभाग जहां कहीं जरूरत होती है, आवश्यक मार्गदर्शन देता है । पर्वतीय जिलों में अधिकाधिक इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह भी निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय पूंजी-निवेश की इमदाद की राशि को श्रेणी 'क' में विशेष जिला क्षेत्र में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के मामले में 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया जाएगा । जम्मू तथा कश्मीर राज्य में जो सुविधाएं स्थापित की गई हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं : इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र (ई.टी.डी.सी.), इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी. ई. डी. टी.), श्री नगर ।

**भारत में विदेशी पति/पत्नी लाने की अनुमति**

2342. **श्री एन. डेनिस** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से बाहर विदेशियों से विवाह करने वाले भारतीयों महिलाओं तथा पुरुषों दोनों को ही अपने पति या पत्नी को अपने साथ इस देश में लाने की अनुमति है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के पतियों/पत्नियों पर निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : (क) भारतीय राष्ट्रिकों के विदेशी पति/पत्नी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विदेश स्थित सम्बन्धित भारतीय मिशन से उचित वीसा प्राप्त करने के बाद भारत में प्रवेश कर सकते हैं ।

(ख) राष्ट्रीय हित में भारत में सभी विदेशियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है ।

**विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश) में एक द्रवगति जांच (हाइड्रो डायनैमिक टैस्ट) सुविधा केन्द्र की स्थापना**

2343. **श्री सी. सम्बु** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश में एक द्रवगति जांच सुविधा केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है ; और

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान नौसेना वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है ?

**रक्षा मन्त्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) नौसैनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम में लगभग 958.3 लाख रुपये की लागत पर अपेक्षित उपस्करों, उपकरणों एवं वर्कशाप की सहायक सुविधाओं से युक्त एक तीव्र गति के कर्षण (टोविंग) टैंक का निर्माण किया जा रहा है ।

(ग) प्रयोगशाला-वार आबंटन को लोकहित में प्रकट नहीं किया जा सकता ।

**अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अड़चनें**

2344. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालायें उन उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रही हैं ; जिनके लिए वे स्थापित की गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस समय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं में भर्ती अथवा पदोन्नति के मूल्यांकन के सम्बन्ध में कोई वैज्ञानिक प्रणाली नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं को अधिक अनुसंधानोन्मुख बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. नारायणन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्तमान में वे अनुसंधानोन्मुख हैं।

**केरल को कल्याण कार्यक्रम हेतु धनराशि का आबंटन**

2345. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को चालू वर्ष के दौरान अपने समाज कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार से कुल कितना अंशदान प्राप्त हुआ है ; और

(ख) इस वर्ष के लिए समाज कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत कौन सी विशेष योजनाएं बनाई गई हैं ?

**कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो)** : (क) और (ख) दो विवरण संलग्न हैं।

**विवरण-I**

**चालू वर्ष (1986-87) के दौरान समाज कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु केरल राज्य को आबंटित धनराशि**

रुपये लाखों में

| समाज कल्याण योजना | स्वीकृत की गई धनराशि | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1. विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्तियां | 12.50 | |
| 2. सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने, लगाने हेतु विकलांग व्यक्तियों को सहायता | 1.00 | नवम्बर 1986 तक स्वीकृत की |
| 3. विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों की सहायता | 2.45 | गई राशि |
| 4. स्वयंसेवी संगठनों को रख-रखाव हेतु अनुदान और समाज कार्य स्कूलों को अनुदान | 0.25 | 31 अक्तूबर, 1986 तक स्वीकृत धनराशि |
| 5. देखभाल और सुरक्षा के जरुरतमन्द बच्चों का कल्याण (बाल गृह) | 1.075 | 14 नवम्बर 1986 तक स्वीकृत धनराशि |

विवरण-II

इस वर्ष (1986-87) के लिए समाज कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमों की की व्यवस्था की गई है :—

1. राष्ट्रीय संस्थानों का विकास
2. विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्तिया और विशेष भत्ते
3. तकनीकी सहायता पर अनुसंधान
4. विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र और उपकरण
5. स्वयंसेवी संगठनों को विकलांगों के कल्याण हेतु सहायता
6. विविध स्कमों-पैट्रोल/डीजल पर रियायत, राष्ट्रीय पुरस्कार आदि
7. जिला पुनर्वास केन्द्र
8. नशीली दवाओं की रोकथाम और निवारण हेतु शिक्षा कार्य
9. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एन. आई. एस. डी.)
10. नवीन कार्य एवं अनुसंधान परियोजनायें
11. समाज कार्य के स्कूलों को रखरखाव अनुदान और अनुदान
12. समाज कल्याण के क्षेत्र में सामान्य अनुदान सहायता
13. सूचना और जन शिक्षा
14. देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु सेवायें
15. विशेष रोजगार केन्द्रों/रोजगार कार्यालयों में विशेष सैलों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देना ।

"सामाजिक वानिकी के सम्बन्ध में विचार-गोष्ठी"

2346. **श्री मुरलीधर माने :** क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बंगलौर में सामाजिक वानिकी के सम्बन्ध में वृक्ष सम्बन्धी एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो विचार गोष्ठी में क्या-क्या सिफारिशें की गई और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) :** (क) 10 से 14 फरवरी, 1986 तक बंगलौर में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के प्रबोधन और मूल्यांकन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी ।

(ख) कार्यशाला में "भारत में सामाजिक वानिकी के प्रबोधन और मूल्यांकन के लिए परिचालन मार्गनिर्देश" के प्रारूप पर और प्रबोधन और मूल्यांकन के प्रोफार्मा तथा पद्धतियों के परिचालन से सम्बन्धित दिए गए अनेक सुझावों पर विचार विमर्श किया गया ।

कई परवर्ती परामर्शों के पश्चात, मार्गनिर्देश को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद इसमें अन्तर्विष्ट आदेशों के कार्यान्वयन के लिए इसकी एक प्रति सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजी गई।

**आन्ध्र प्रदेश में आयुध कारखाना लगाना**

2347. **श्री एस. पलाकोड्डायुडू** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में भाकरापेट में सैन्य वाहन कारखाना/आयुध कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

**रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

**सशस्त्र बलों के लिए एक अलग स्वतन्त्र भर्ती आयोग**

2348. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दकी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अराजपत्रित असैनिक कर्मचारियों तथा बैंक कर्मचारियों के भर्ती बोर्डों की तरह थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना के जवानों को भर्ती के लिए एक अलग स्वतन्त्र भरती आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का इन सेवाओं में निष्पक्षता यथोचित और न्यायसंगत भर्ती के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) तीनों सेनाओं द्वारा सीधी भर्ती किए जाने की वर्तमान प्रणाली निष्पक्ष, यथोचित एवं न्यायसंगत पायी गयी है और इससे सेनाओं की आवश्यकताओं की प्रभावी रूप से पूर्ति होती है । संबंधित नीति और पद्धति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ।

**ब्रिटिश टेलीविजन द्वारा प्रधान मंत्री पर किये गये हमले का प्रसारण किया जाना**

2349. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** :

**डा. गौरी शंकर राजहंस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अक्तूबर, 1986 को ब्रिटिश टेलीविजन ने अपने दोपहर बाद के प्रसारण में प्रधान मंत्री पर किए गए हमले के प्रयास के बारे में एक फिल्म का प्रसारण किया था ;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटिश टेलीविजन ने इस फिल्म का किस प्रकार प्रसारण किया ;

(ग) क्या इस घटना के घटित होने के संबंध में विदेशी एजेंसियों को पहले से जानकारी थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : (क) से (घ) राजघाट पर 2 अक्तूबर, 1986 का समारोह भारतीय और विदेशी दोनों दूरदर्शनों द्वारा प्रसारित किया गया था। यू. के. में अपराह्न के दूरदर्शन में केवल प्रधान मंत्री के फोटो दिखाए गए।

दिनांक 2.10.1986 को दो पाकिस्तानी समाचारपत्रों ने प्रधानमंत्री की हत्या के प्रयास के बारे में 1.10.1986 को पाकिस्तान में फैली अफवाह का उल्लेख किया। उचित स्तर पर कार्रवाई की गई है।

**असम आन्दोलन में शहीद हुये लोगों को अनुग्रह राशि का भुगतान करना**

2350. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने असम-आन्दोलन में मारे गये लोगों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि देने के लिए सहमत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में असम सरकार ने भी कोई प्रस्ताव रखा है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रातय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : (क) से (घ) वर्ष 1983-84 के दौरान असम आन्दोलन में मारे गए लोगों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि देने के लिए असम सरकार को प्रत्येक मामले में 5000 रु. की दर से देने के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई थी। हाल में राज्य सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव पर जिसमें आन्दोलन में "शहीद" हुए प्रत्येक व्यक्ति के निकट संबंधी को 50,000 रु. की दर से अनुग्रह राशि देने के लिए अनुरोध किया गया था, विचार किया गया है तथा केन्द्र सरकार असम आन्दोलन में मारे गए व्यक्तियों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि प्रत्येक मामले में समान रूप से 20,000 रु. तक बढ़ाने के लिए सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो गई है। राज्य सरकार को राशि की तदनुसार अदायगी करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

**वायुसेना के हैलीकोप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना**

2351. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 15 सितम्बर, 1986 को पश्चिमी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुये वायुसेना के हैलीकोप्टर संख्या 660 ए. आई. आर. ओ. पी. के मृत लोगों के नाम क्या हैं और प्रत्येक मृतक के आश्रित को मुआवजा की कितनी राशि अदा की गई ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह)** : 15 सितम्बर 1986 को पश्चिमी क्षेत्र में हुई हैलीकॉप्टर दुर्घटना में निम्नलिखित पायलटों तथा भूमिकर्मीदल के सदस्यों की मृत्यु हुई :—

(1) कैप्टन पी. श्याम सुन्दर — पायलट

(2) कैप्टन आर. एस. सिब्बल — सह पायलट

(3) जूनियर वारन्ट अफसर एम. एस. पराशर
इनसेंट/ (इंसट्रुमेंट) फिटर — (भूमि कर्मी दल)

(4) सार्जेन्ट जी. एस. तिओतिआ
इंजीनियरिंग फिटर — (भूमि कर्मी दल)

(5) कारपोरल डी. पी. शर्मा
रेडियो/फिटर — (भूमि कर्मी दल)

2. मृतक के निकटतम संबंधी सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाले मुआवजे पाने के अतिरिक्त एक लाख रुपए की अनुग्रहपूर्वक राशि, एवं सेवानिवृत्ति उपदान, पारिवारिक उपदान, विशेष परिवार पेंशन और शिशु शिक्षा भत्ता तथा उन पर ग्रेड के अनुसार राहत पाने के हकदार हैं। कैप्टन आर. एस. सिब्बल, जो अविवाहित थे, के अभिभावक आश्रित पेंशन पाने के हकदार हैं बशर्ते उनकी आर्थिक स्थिति इसके लिए उपयुक्त हो। इन राशियों के भुगतान के बारे में अलग-अलग अवस्थाओं में विचार हो रहा है।

[अनुवाद]

**नशे के लिए औषधों के दुरुपयोग के संबंध में नीति**

2352. **डा. जी. विजयरामाराव :**

**डा. चिन्ता मोहन** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में हुई एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में विशेषज्ञों के एक दल द्वारा नशे के लिए औषधों के दुरुपयोग के संबंध में एक समेकित नीति रखी गई थी,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या इन कार्यक्रमों में स्वयं सेवी एवं गैर-सरकारी संगठनों को पूरी तरह शामिल किया जायेगा ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो)** : (क) से (ग) सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विस्तार को रोकने के लिए और नशीली दवाओं के व्यसनियों को उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक समेकित दृष्टिकोण और नीति अपनाई है। स्वयंसेवी और गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे का मुकाबला करने के लिए एक बहु-आयाम और बहु-जनसंचार दृष्टिकोण अपनाया गया है। स्वयंसेवी संगठनों को पूरी तरह से शामिल करते हुए समेकित दृष्टिकोण जैसा कि विशेषज्ञों के समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सरकार की स्वीकृत की गई एक नीति है।

**"वन कटाव के कारण वर्षा में कमी"**

2353. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में जलाच्छदित क्षेत्र में कमी आने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इनमें से एक कारण कम वर्षा का होना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्षा में गिरावट प्राकृतिक कारणों से है अथवा मानव द्वारा वनकटाव के कारण हैं ; और

(घ) वृक्षों के बड़े पैमाने पर कटाव को रोकने के लिये क्या निवारक उपाय करने का विचार है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जब जल स्तर का निरीक्षण किया गया था तो देश में जलाच्छदित क्षेत्रों की कमी नहीं पाई गई ।

(ख) और (ग) वर्षा की कोई अवलोकित अधोगामी प्रवृति नहीं है । वर्षा में विविधता के कारण ज्ञात नहीं हैं ।

(घ) वृक्षों के बड़े पैमाने पर कटने को रोकने के लिए प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं ;

— स्वीकृति दिये जाने से पूर्व वन भूमि के दिक् परिवर्तन में शामिल परियोजनाओं की गहन छानबीन ;

— जैविकीय रूप से घनी क्षेत्रों का राष्ट्रीय पार्कों, अभयारण्यों तथा जीवमंडल रिजर्वों के रूप में संरक्षण ;

— जलाने की लकड़ी को बचा कर रखने के लिए वैकलपिक ऊर्जा स्रोतों पर बल ;

— ईंधन और चारे की मांग की पूर्ति हेतु भारी सामाजिक वानिकी कार्यक्रम ;

— झूम कृषि पर नियंत्रण ; और

— 5 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष परती भूमि पर वनरोपण ।

**समुद्र की लहरों से विद्युत उत्पादन हेतु साधनों और उपकरणों का विकास**

2354. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सोवियत संघ, जापान तथा अनेक अन्य देशों द्वारा विद्युत उत्पादन के श्रोत के रूप में समुद्र की लहरों का उपयोग किये जाने की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या हमारे देश में समुद्र की लहरों से विद्युत उत्पादन हेतु साधनों और उपकरणों के विकास का कार्य आरम्भ किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन)** : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सोवियत संघ और जापान सहित अनेक देशों ने प्रायोगिक आधार पर अपने तटवर्ती और तट के समीप के क्षेत्रों में लहरों का उपयोग करके विद्युत उत्पादन के लिए यथेष्ट प्रयास किए हैं । नार्वे ने दोलायमान जल स्तम्भ तकनीक का उपयोग करके एक प्रोटो टाइप लहर विद्युत उत्पादन संयन्त्र विकसित किया है ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) महासागर विकास विभाग ने लहरों द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास में एक परियोजना प्रायोजित की है । संस्थान में लहरों द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोगशाला परीक्षण पूर्ण कर लिए हैं । एक प्रोटो टाइप लहर विद्युत संयन्त्र विकसित करने के उद्देश्य से समुद्र परीक्षण प्रयोग किया जाएगा । कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की भी पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप पर लहर ऊर्जा के उपयोग की परियोजना है ।

**"आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन" को लाइसेंस**

2355. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम (आन्ध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन) ने रंगीन पिक्चर ट्यूबों का निर्माण करने वाली एक यूनिट की स्थापना के लिये लाइसेंस दिये जाने हेतु आवेदन किया है ।

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के प्रस्ताव को लंबित रख कर अन्य तीन पत्रों को लाइसेंस और अन्य मंजूरियां प्रदान कर दी गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को अपनी परियोजना प्रारम्भ करने हेतु लाइसेंस व अन्य मंजूरियां कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों का राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन)** : (क) आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम (ए. पी. ई. डी. सी.) के पास रंगीन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए एक आशय-पत्र मौजूद है । तत्पश्चात् फरवरी, 1986 में उन्होंने अपनी उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करने तथा विदेशी सहयोग की अनुमति के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

(ख) तीन अन्य पार्टियों को लाइसेंस/अनुमोदन प्रदान किए गए हैं ।

(ग) और (घ) आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई करने में सरकार की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ है । चूंकि इसमें विभिन्न मुद्दे अन्तर्ग्रस्त थे, अतः इनमें कुछ समय अवश्य लगा है । इन मुद्दों का निराकरण होने ही कोई निर्णय लिया जाएगा ।

[हिन्दी]

**"वन विभाग में स्वीकृति हेतु विचाराधीन पड़ी महाराष्ट्र की परियोजनाएं"**

2356. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की उन परियोजनाओं (सिंचाई और अन्य विकास परियोजनाओं) के नाम क्या हैं जो स्वीकृति हेतु वन विभाग के पास रुकी पड़ी हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं के पूरा होने पर महाराष्ट्र के कितने लोगों के लाभान्वित होने और कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ;

(ग) इन्हें किन कारणों से स्वीकृति प्रदान नहीं की गई और इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ; और

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा ऐसे क्या प्रयास किए गए हैं जिनसे ये विचाराधीन सिंचाई परियोजनाएं शीघ्र पूरी हों और इनसे वनों के विकास में मदद मिले ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास चन्द्रपुर जिले में 66 किलोवाट एलापल्ली-इटापल्ली ट्रान्समिशन लाईन बिछाने के लिए वन भूमि के दिक्परिवर्तन का मामला निलम्बित पड़ा हुआ है। तथापि, अन्य 11 मामले जो अनुबंध में दिये गये हैं राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सूचना के न दिये जाने के कारण बन्द समझे गये हैं।

(ख) वान सिंचाई परियोजना नामक एक बन्द मामला जिसमें प्रति वर्ष 52887 मीट्रिक टन कृषि उत्पादन में वृद्धि का अनुमान है, को छोड़कर राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों में ये आंकड़े नहीं दिये गये हैं।

(ग) राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सूचना न दिये जाने के कारण अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका।

(घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वनभूमि के दिक्परिवर्तन के लिए प्रस्तावों के उपयुक्त प्रतिपादन के बारे में बार-बार विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं।

**विवरण**

| क्रम सं० | जिला | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | भण्डारा | 11 किलोवाट सिरपुर-पदमपुर ट्रांसमिशन-लाईन। |
| 2. | भण्डारा | 11 किलोवाट चिपता-पिसिपिरी ट्रांसमिशन-लाईन। |
| 3. | यवतमल | देवगांव तालाव परियोजना। |
| 4. | भण्डारा | 11 किलोवाट बारटोला-तिरखरी ट्रांसमिशन लाईन। |
| 5. | भण्डारा | वंबानथाडी सिंचाई परियोजना। |
| 6. | चन्द्रपुर | लभनसरद नाला परियोजना। |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | यवतमल | 400 किलोवाट चन्द्रपुर पारली ट्रांसमिशन लाईन। |
| 8. | भण्डारा | 11 किलोवाट जेठोहोडा-नैण्डजाब ट्रांसमिशन लाईन। |
| 9. | भण्डारा | कालीसर।र सिंचाई परियोजना। |
| 10. | अकोला बुलदाना और अपरावती | वान सिंचाई परियोजना। |
| 11. | बुलदाना | वन सिंचाई परियोजना। |

[अनुवाद]

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों को विदेशों से मिलने वाली छात्रवृत्ति पर रोक लगाना**

2357. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना बन्द कर दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस वर्ष के लिये अब तक छात्रवृत्ति का विज्ञापन न देने के क्या कारण हैं ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो)** : (क) जी, नहीं।

(ख) विज्ञापन का प्रकाशन यथा समय किया जायेगा।

**इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में गिरावट**

2358. **प्रो. रामकृष्ण मोरे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान देश से इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में वर्ष 1984-85 की तुलना में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां तो वर्ष1985-86 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में कितने प्रतिशत गिरावट आई है और विदेशी मुद्रा आय मे कितनी कमी आई है तथा इनके निर्यात में गिरावट का वर्ष 1985-86 मे उत्पादन से क्या संबंध हैं; और

(ग) इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात मे गिरावट के मुख्य कारण क्या हैं तथा सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु उर्जा इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के. आर नारायणन)** : (क) वर्ष 1984 के दौरान किए गए निर्यात की तुलना मे वर्ष 1985 मे अपेक्षाकृत कम निर्यात हुआ। किन्तु, इससे निर्यात की किसी प्रवृत्ति का अन्दाजा नही लगाना चाहिए।

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी सामान के निर्यात मे 2.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। वर्ष 1985 के दौरान 2660 करोड़ रुपये के उत्पादन की तुलना में, उसी वर्ष 154.50 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया गया।

(ग) वर्ष 1985 के दौरान निर्यात में गिरावट का मुख्य कारण यह था कि सांताक्रुज इलेक्ट्रॉनिकी निर्यात संसाधन क्षेत्र (सीघ) से निर्यात कम मात्रा में हुआ. जिसका इलेक्ट्रॉनिकी सामानों का निर्यात करने में अधिक योगदान होता है। ऐसा एक बड़ी इकाई मे अशांत औद्योगिक सम्बन्धों के कारण हुआ। नीतिविष्यक अनेकों उपाय किए गए हैं ताकि लगभग अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर ही इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं उपलब्ध हो सकें और उन्हें बढ़ावा मिले। यह आशा की जाती है कि कुल उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में भी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, निर्यात करने योग्य महत्वपूर्ण उत्पादों का पता लगाकर उनके निर्यात का उत्तर दायित्व उन कम्पनियों को सौंपने का प्रस्ताव है, जिनसे निर्यात की प्रचुर सम्भावनाएं है। इन कम्पनियों के साथ सतत् रूप से सम्पर्क बनाए रखा जाएगा ताकि उनके समक्ष उपस्थित होने वाली आम एवं विशिष्ट प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिकी सॉफ्टवेयर के निर्यात से संबंधित एक नई नीति भी बना रहा है जिसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर के निर्यात को विशेष रूप से बढ़ावा देना है।

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार**

2359. **श्री एच. बी. पाटिल :**
**श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :** क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष में सितम्बर, 1986 के अन्त तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों सम्बन्धी मामलों के बारे में जानकारी एकत्र की है।

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो)** (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस समस्या को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों से कारगर ढंग से निपटने के लिए समय-समय पर एतिहयाती, निवारक, दन्डात्मक तथा पुनर्वासात्मक उपायों को अन्तर्विष्ट करते हुए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं।

**विवरण**

**1986 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों के मामलों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण**

| क्र०सं० | राज्य केन्द्र शासित प्रदेश का नाम | 1986 में बताए गए मामलों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 97 (जुलाई) | 19 (जून) |
| 2. | असम | उपलब्ध नही | उपलब्ध नहीं |
| 3. | बिहार | 388 (मार्च) | 48 (मार्च) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | गुजरात | 391 (अगस्त) | 106 (अगस्त) |
| 5. | हरियाणा | 64 सितम्बर | शून्य |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 34 (सितम्बर) अगस्त . 86 को नहीं बताया गया) | शून्य (सितम्बर) |
| 7. | जम्मू और काश्मीर | *4 (अगस्त)* | शून्य |
| 8. | कर्नाटक | 126 (जुलाई) | शून्य (जुलाई) |
| 9. | केरल | 205 (जून) | 33 (मई) |
| 10. | मध्य प्रदेश | 2676 (जुलाई) | 1827 (जुलाई) |
| 11. | महाराष्ट्र | 209 (जून) | 118 (जून) |
| 12. | मणिपुर | शून्य | 14 (अगस्त) |
| 13. | मेघालय | शून्य | शून्य (जुलाई) |
| 14. | नागालैंड | शून्य | शून्य (जुलाई) |
| 15. | उड़ीसा | 118 (जुलाई) | 31 (जून) |
| 16. | पंजाब | 10 अगस्त | शून्य |
| 17. | राजस्थान | 1006 (अगस्त) | 282 (सितम्बर) |
| 18. | तमिलनाडु | 516 (अगस्त) | 2 (अगस्त) |
| 19. | त्रिपुरा | शून्य (अगस्त) | शून्य (जुलाई) |
| 20. | उत्तर प्रदेश | 3117 (अगस्त) | शून्य (सितम्बर) |
| 21. | पश्चिम बंगाल | 5 (जुलाई) | 12 (जुलाई) |
| **केन्द्र शासित प्रदेश** | | | |
| 1. | अंडमान और निकोबार | शून्य | शून्य (अगस्त) |
| 2. | अरूणांचल प्रदेश | शून्य | 4 (जुलाई) |
| 3. | दादर और नगर हवेली | शून्य | शून्य (सितम्बर) |
| 4. | गोवा, दमन और दीव | शून्य (सितम्बर) | शून्य (सितम्बर) |
| 5. | दिल्ली | शून्य (अगस्त) | |
| 6. | लक्षद्वीप | शून्य | शून्य (सितम्बर) |
| 7. | मिजोरम | शून्य | 4 (जुलाई) |
| 8. | पांडिचेरी | 4 (सितम्बर) | |
| | | जोड़ 8970 | 2500 |

नोट : कोष्ठक में दर्शाए गए मास उस मास तक प्राप्त आंकड़े दर्शाता है।

**केरल में नदियों का प्रदूषण**

2360. **श्री के. कुन्जम्बु :**

**श्री वी. एस. विजय राघवन** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में किन किन नदियों को प्रदूषण किए जाने का सामना करना पड़ रहा है,

(ख) प्रत्येक नदी में विद्यमान प्रदूषण का स्तर क्या है, और

(ग) इन नदियों से प्रदूषण समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) और (ख) केरल में जिन नदियों में प्रदूषण होता है वे ये हैं :

—मुवातुपुझा,

—चालियर,

—काल्लाडा, और

...चालकुडी

ज़ैवरसायन आक्सीजन मांग के मामले में इन नदियों के फैलाओं में प्रदूषण का स्तर 5 मिलीग्राम प्रति लीटर की निर्धारित सीमा से अधिक है,

(ग) उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं :

(1) नदियों में जल गुणवत्ता के प्रबोधन के लिए प्रबोधन स्टेशन स्थापित किए हैं।

(2) नदियों के पूर्व निर्दिष्ट बेहतर उपयोग के लिए उनका जोनिंग और वर्गीकरण किया गया है,

(3) उद्योगों को प्रदूषण नियन्त्रण उपाय लगाने के लिए निर्देश दिया गया है।

(4) प्रमुख प्रदूषक इकाइयों के लिए बहिस्राव मानक निर्धारित किए गए हैं,

(5) प्रदूषण नियन्त्रण उपाय लगाने पर उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं।

(6) दोषी इकाइयों पर कानूनी कार्यवाही की जाती है।

**पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रॉनिकी एकक**

2361. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पश्चिम बंगाल में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई इलेक्ट्रॉनिकी एकक स्थापित करने का कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्यमन्त्री (श्री के० आर० नारायणन)** (क) से (ग) : इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के लिए अनुमोदित सातवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार, पश्चिम बंगाल में नई इलेक्ट्रॉनिकी इकाई की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार समूचे देश में अनुमति

देने योग्य किसी भी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देती है। राज्य सरकार इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना के लिए उचित वातावरण तैयार करने का प्रयास करती है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग इस सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

**साम्प्रदायिक हिंसा के संबंध में अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट**

2362. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है,

(ख) यदि हां, तो इन आयोग के निष्कर्षों और सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरधर गोमांगो)** : (क) से (ग) केन्द्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 6 वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। पहली चार रिपोर्टें, की गई कार्यवाही ज्ञापन सहित जिनमें तत्संबंधी सिफारिशों और की गई कार्यवाही का उल्लेख किया गया था, पहले ही लोकसभा के पटल पर रखी जा चुकी हैं। अल्पसंख्यक आयोग की पांचवीं और छठी रिपोर्टों पर सरकार जांच कर रही है और जांच पूरी होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

**बंजर भूमि के विकास के संबंध में विचारगोष्ठी**

2363. **कुमारी पुष्पादेवी**
**श्री केलाशचंद यादव :**
**श्री हरिकृष्ण शास्त्री :**
**डा० कृपासिन्धु भोई :**
**श्री पियूष तिरकी** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 से 18 अक्तूबर, 1986 तक बंजर भूमि के विकास के संबंध में दिल्ली में एक विचारगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो विचारगोष्ठी में दिये गये मुख्य सुझाव/की गई सिफारिशें क्या हैं;

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या विचारगोष्ठी में की गई सिफारिशों/सुझावों पर सरकार उपयुक्त कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है ?

**पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जी, हां।

(ख) विचारगोष्ठी में दिये गये मुख्य सुझाव/की गई सिफारिशें ये हैं :—

(1) परती भूमि की परिभाषा, वर्गीकरण और वितरण;

(2) मानचित्रण;

(3) कृषि और वनरोपण के लिए परती भूमि का सुधार;

(4) जल संरक्षण और सिंचाई प्रबन्ध;

(5) पर्यावरणीय सुरक्षा और ऊर्जा;

(6) परती भूमि विकास की अर्थव्यवस्था; और

(7) जनता की सहभागिता और जागरूकता पैदा करना;

(ग) और (घ) इस विषय पर अधिकांश सिफारिशें सरकार के विचारों के अनुरूप हैं और इनमें से अनेकों पर पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

**केरल के स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन के लम्बित मामले**

2364. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन स्वतन्त्रता सेनानियों की जिलेवार संख्या क्या है जिन्हें अभी स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिलनी है;

(ख) इन मामलों में पेंशन मंजूर न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार नामंजूर किए गये सभी मामलों की पुनरीक्षा करेगी और शेष सभी स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर करेगी ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) जुलाई-अगस्त, 1986 के दौरान एक विशेष निपटान अभियान चलाया गया था, जिसके दौरान, समय पर प्राप्त सभी लम्बित पड़े पेंशन के मामलों को, उन मामलों को छोड़कर जिनमें कुछ विशेष मुद्दे अन्तग्रस्त थे, राज्य सरकार से सत्यापन रिपोर्टों की प्रतीक्षा किए बिना आवेदकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर निपटाया गया था। 31 अक्तूबर, 1986 को केरल से प्राप्त 34 मामले अन्तिम निर्णय के लिए लम्बित पड़े थे। इनका जिला-वार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

| जिले का नाम | लम्बित पड़े मामलों की संख्या |
|---|---|
| 1. एरनाकुलम | 3 |
| 2. मालापुरम | 9 |
| 3. कनानोर | 6 |
| 4. अलेपी | 2 |
| 5. त्रिचूर | 2 |
| 6. कोजीकोड़ | 2 |
| 7. क्वीलोन | 5 |
| 8. त्रिवेन्द्रम | 2 |
| 9. पालाघाट | 1 |
| 10. इडुकी | 2 |

(ख) ये मामले, राज्य सरकार/आवेदकों से मांगे गये कुछ स्पष्टीकरणों के प्राप्त न होने के कारण लम्बित पड़े हैं।

(ग) जब कभी आवेदकों से उनकी यातनाओं के बारे में कुछ अतिरिक्त स्वीकार्य साक्ष्य प्राप्त होते हैं, या जब राज्य सरकार विशेष रूप से किसी मामले की सिफारिश करती है तो रद्द किये गये मामलों की पुनरीक्षा की जाती है।

**भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का समय से पहले सेवा निवृत्ति मांगना**

2365. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है,

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा शर्तों को बेहतर बना दिया गया है और पदोन्नति के अवसरों को बढ़ा दिया गया है ऐसी सेवानिवृत्तियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं।

(ग) क्या इन नये सुधारों जिनके कारण सेवा की स्थिति में वास्तविक परिवर्तन आया है, अधिक से अधिक अधिकारी सेवा के बीच में ही सेवानिवृत्ति हो रहे हैं ; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती)** : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियमावली, 1958 के अधीन स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति के संबंध में न तो हाल ही में कोई संशोधन किए गये हैं और न ही समय पूर्व सेवानिवृत्ति मांगने वाले अधिकारियों के लिए सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन किए गये हैं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

**लड़कों और युवा व्यक्तियों को बलात पुंशत्वहीन बनाना**

2366. **श्री श्री हरि राव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 13 अक्तूबर, 1986 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में छपे इस समाचार को पढ़ा है कि हिजड़ा समुदाय का सदस्य बनाने के लिए देश में प्रति वर्ष सैकड़ों लड़कों और युवा व्यक्तियों को बलात पुंशत्वहीन बनाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है; और

(ग) इस प्रकार की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

*गृहमन्त्री (सरदार बूटासिंह)* (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) : *"लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। इन मामलों की* जांच पड़ताल का कार्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिया गया था।

**"केरल और तमिलनाडु में हाथी दांत की तस्करी"**

2367. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान और सितम्बर 1986 के अन्त तक केरल और तमिलनाडु के वनों से हाथी दांत के तस्करी के लिए शिकार-चोरों द्वारा कितने हाथी मारे गए ; और

(ख) हाथी दांत को चोरी छिपे बेचने वाले गिरोहों को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) :** (क) केरल और तमिलनाडु के वनों में शिकार-चोरों द्वारा मारे गए हाथियों की संख्या निम्नलिखित है :

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) केरल | 1985-86 | — | 5 |
| | 1986-87 | — | 5 |
| (2) तमिलनाडु | 1985-86 | — | 21 |
| | 1986-87 | — | 5 |

(ख) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

हाथियों को गैर-कानून तौर पर मारे जाने और गज दन्त की चोरी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के मुख्य वन्यजीव वार्डनों के बीच समन्वय नियमित रूप से बैठकों के आयोजन तथा हाथियों के आवागमन और चोरी-छिपे शिकार की घटनाओं के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करके किया जा रहा है।

(2) ऐसा समन्वय इन राज्यों के मध्य स्तरीय तथा नीचे के स्तर के अधिकारियों के बीच किया जा सकता है।

(3) चोरी-छिपे शिकार करने की समस्या के नियंत्रण के लिए सम्बन्धित राज्यों के पुलिस बलों को सहायता और सहयोग दिया जाता है।

(4) चोरी छिपे शिकार करने वालों की गतिविधियों के विरुद्ध लगे हुए कर्मचारी-वर्ग को मजबूत बनाया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए आदिवासी-खोजियों को लगाया गया।

(5) दूरभाष और बेतार नेटवर्क की सहायता से संचार पद्धति में सुधार की व्यवस्था की गई है।

(6) गश्ती गार्डों को उपयुक्त हथियार दिए जा रहे हैं।

(7) राज्यों को वन्यजीव की चोरी-छिपे शिकार करने और उनके अवैध व्यापार पर नियन्त्रण के लिए उनके प्रयासों में सहायता देने के लिए एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आरम्भ की गई है। स्कीम में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच गैर आवर्ती लागत को बराबर बांटने की परिकल्पना की गई है।

(8) केन्द्रीय वन्यजीव प्रभाग मजबूत बनाया जा रहा है।

(9) वन्य प्राणी (सुरक्षा) संशोधन अधिनियम, 1986 में निर्धारित है कि व्यापार और उत्पादन के लिए आयातित हाथी दांत में व्यापारियों को लाइसेंस की आवश्यकता होगी। भारतीय हाथी दांत के लिए ऐसे कोई लाइसेंस नहीं दिए जायेंगे।

**नवीनतम राडार प्रणाली का निर्माण/आयात**

2368. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा और अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों द्वारा बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों का पता लगाने के लिए हाल में डिजाइन और विकसित की गई नई अत्याधुनिक राडार प्रणाली का निर्माण शुरु हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो निर्माण कब तक शुरु हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या नवीनतम राडार प्रणाली भारतीय वायुसेना, नौसेना तथा थल सेना के उपयोग के लिए पूर्णत: उपयुक्त होगी और उनके निर्माण से सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी अथवा उन्हें इस राडार प्रणाली का अभी भी विदेशों से आयात करना पड़ेगा ;

(घ) क्या नवीनतम राडार प्रणाली प्रक्षेपास्त्रों की प्रहार सीमा का पता लगाने में प्रभावी सिद्ध होगी ; और

(ङ) इसी प्रकार की विदेश में निर्मित राडार प्रणाली का कितना मूल्य है और इसका स्वदेश में निर्माण करने पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

**रक्षा मन्त्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह)** : (क) प्रौद्योगिकी का विकास ऐजेन्सी से उत्पादन ऐजेन्सी को पहले ही स्थानान्तरण किया जा चुका है। उत्पादन ऐजेन्सी द्वारा उत्पादन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) और (घ) प्रणाली की उपयुक्तता के सम्बन्ध में इस प्रश्न का उत्तर देना राष्ट्रीय हित में सम्भव नहीं है।

(ङ) आयातित समकक्ष प्रणाली की लागत के अनुमान बताना कठिन है क्योंकि इन सामरिक प्रणालियों का डिजाइन विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है।

**भारतीय उपग्रहों का छोड़ा जाना**

2369. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले दो वर्षों में और सातवीं योजना की शेष अवधि में और भारतीय उपग्रह छोड़ने का कार्यक्रम है ;

(ख) क्या उपग्रह छोड़ने के केन्द्र भारत में तैयार कराए जा रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय उपग्रहों को छोड़ने के लिए अन्य देशों के साथ क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्यमन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क)**

1. आगामी दो वर्षों अर्थात् 1987 और 1988 के दौरान निम्न उपग्रहों के छोड़े जाने की योजना है :

   (i) संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए. एस. एल. वी. डी-1 और ए. एस. एल. वी. डी-2) की विकासात्मक उड़ानों द्वारा दो विस्तृत रोहिणी उपग्रहों (श्रोस-I और श्रोस -II) का श्री हरिकोटा से प्रमोचन :

   (ii) एक भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई. आर. एस. -I ए.) का एक उपार्जित प्रमोचक द्वारा सोवियत संघ से प्रमोचन ;

   (iii) एक भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-1 सी) का एक उपार्जित प्रमोचक द्वारा प्रमोचन ;

2. शेष सातवीं योजनावधि में निम्नलिखित उपग्रहों के प्रमोचन की योजना बनाई गई है :—

   (i) श्रीहरिकोटा से ए. एस. एल. वी. की दो प्रचालनात्मक उड़ानों द्वारा दो उपग्रह, श्रोस-III और श्रोस-IV का प्रमोचन ;

   (ii) एक उपार्जित प्रमोचक से द्वितीय आई. आर. एस. उपग्रह (आई. आर. एस.-I बी.) का प्रमोचन ;

   (iii) एक इन्सैट उपग्रह (इन्सैट-1 डी.) का विदेश से प्रमोचन ;

(ख) और (ग) श्रीहरिकोटा, आन्ध्र प्रदेश में एक राष्ट्रीय राकेट प्रमोचन रेंज पहले से ही विद्यमान है। ए. एस. एल. वी. राकेटों और श्रोस उपग्रहों के प्रमोचन के लिए प्रमोचन स्थल पहले से ही प्रचालन में है। पी. एस. एल. वी. राकेटों के प्रमोचन के लिए प्रमोचन स्थल के 1989-90 में होने वाली पी. एस. एल. वी. की प्रथम उड़ान से काफी पहले ही दो वर्षों में तैयार होने की सम्भावना है। 1980-90 दशाब्द की अन्तरिक्ष अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों के लिए स्वीकृत सापेक्ष महत्व की योजना में, यदि आवश्यक हो तो, अन्य राष्ट्रीय एजेन्सियों के सहयोग से एक नई उपग्रह प्रमोचन रेंज की स्थापना का कार्य शामिल है। एक अतिरिक्त उपग्रह प्रमोचन रेंज की स्थापना और इसकी तकनीकी विशिष्टताओं के सम्बन्ध में अध्ययन किए जा रहे हैं।

भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह, आई०आर०एस० -I ए. और आई०आर०एस० -I बी. तथा इन्सैट -I सी. और I- डी. उपग्रह ऐसे भारतीय उपग्रह हैं, जिन्हें विदेशों से छोड़ा जाएगा। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई. आर. एस. -I ए.) का प्रमोचन सोवियत प्रमोचन राकेट द्वारा सोवियत संघ में स्थित एक प्रमोचक स्थल से 1987 में किया जाएगा। इन्सैट -I सी. उपग्रह का प्रमोचन एक एरियन प्रमोचक द्वारा 1988 के प्रारम्भ में किया जाएगा। अन्य प्रमोचनों के लिए विकल्पों के सम्बन्ध में अभी अध्ययन किए जा रहे हैं।

**जेलों में क्षमता से अधिक संख्या में कैदियों का रखा जाना**

2370. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिकांश जेलों में कैदियों की संख्या उनकी क्षमता से बहुत अधिक है ;

(ख) क्या इस का कारण यह है कि अपेक्षित सुविधाओं में कैदियों की बढ़ती हुई संख्या के अनुरूप वृद्धि नहीं की गई है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कैदियों की अधिक भीड़भाड होने से अपराधों की ओर प्रेरित करने वाली मनोवैज्ञानिक परिस्थियां पैदा होती हैं ;

(घ) यदि हां, तो भीड़-भाड़ को कम करने और कैदियों के मनोवैज्ञानिक सुधार के उपाय के रूप में दण्डात्मक प्रक्रिया अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ङ) क्या जेलों में मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति किए जाने सहित जेल-सुविधाओं के बारे में केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) से (च) : भारत सरकार कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की जेलों में अधिक भीड़-भाड़ के कारण उत्पन्न असंतोषजनक स्थितियों से अवगत है। चूंकि जेल राज्य सरकार का विषय है, अतः इस संबंध में निवारक कार्रवाई करना राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का कार्य है।

तथापि, जेल प्रशासन में सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता देती रही है। सातवें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार 1979-84 की अवधि के दौरान 48.30 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वित्त आयोग द्वारा चुने गए अग्रताक्षेत्र पोषक-आहार, अच्छे वस्त्र, चिकित्सा सुविधा, जेल सुविधाएं जैसे, जल आपूर्ति, सफाई तथा विद्युतीकरण और अतिरिक्त जेल क्षमता के निर्माण से संबंधित हैं। 1985-89 की अवधि के दौरान आठवें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार उप जेलों के भवन बनाने, युवा अपराधियों, महिला कैदियों, विक्षिप्त कैदियों के लिए संस्थानों तथा जेलों में सुविधाएं, जेल स्टाफ के लिए मकान बनाने के लिए 137.56 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।

**"राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य"**

2371. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1984, 1985 तथा 1986 की स्थिति के अनुसार देश में राष्ट्रीय उद्यानों का अभयारण्यों की संख्या क्या है ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन उद्यानों और अभयारण्यों का विस्तार क्षेत्र क्या था ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) और (ख) 1 जनवरी, 1984, 1985 तथा 1986 को देश में राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों की संख्या और इनमें शामिल क्षेत्र निम्न प्रकार से हैं :—

| | 1984 | 1985 | 1986 |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय उद्यान | 53 | 53 | 54 |
| वन्यजीव अभयारण्य | 247 | 248 | 253 |
| कुल : | 300 | 301 | 307 |
| क्षेत्र : वर्ग कि०मी० में (लगभग) | 1. 13,217 | 1.13,218 | 1.14,276.32 |

"फ्लापी डिस्को" का उत्पादन

2372. **श्री एन० सुन्दराजन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कम्प्यूटरों की मांग में वृद्धि के साथ कम्प्यूटरों के लिए "फ्लापी डिस्को" जैसे सहायक उपकरणों के निर्माण की भी मांग पैदा हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में इन पुर्जों का निर्माण करने के लिए एककों की स्थापना हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन दे रही है ; और

(ग) ऐसे कितने एककों ने औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और कितने एककों को लाइसेंस दिए गए हैं ?

**विज्ञान और प्राद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन)** : (क) : जी, हां ।

(ख) : जी, हां ।

(ग) : फ्लॉपी डिस्केटों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने की दृष्टि से, कुल 30 आवेदन-पत्रों में से 16 पार्टियों को आशय-पत्र जारी किए गए हैं । 3 इकाइयों के मामले में आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित किया गया है । इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिकी संघटक पुर्जों (काम्पोनेंट) उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने के उपरान्त, इस क्षेत्र में 62 इकाइयों को सचिवालय औद्योगिक अनुमोदन पंजीकरण भी प्रदान किए गए हैं ।

फ्लापी डिस्क ड्राइवों का विनिर्माण करने के लिए, 24 इकाइयों को औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र प्रदान किए गए हैं । कैलेण्डर वर्ष (1986) के दौरान, फ्लापी डिस्क ड्राइवों का का विनिर्माण करने के लिए 11 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से 7 को अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

ज्वार-भाटा के बारे में पूर्व-सूचना देना

2373. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय क्षेत्र के रहने वालों को ज्वार-भाटा के बारे में पूर्व सूचना और चेतावनी देने के लिए किसी स्थायी तंत्री की व्यवस्था करने के संबंध में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन्)** : (क) से (ग) इस प्रकार की मशीनरी पहले ही विद्यमान है। हलांकि सामान्य ज्वार-भाटा और उनकी ऊंचाइयों का निरीक्षण भारतीय सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है, परन्तु आ रहे किसी भी चक्रवाती तूफान से उत्पन्न ज्वार-भाटा की संभावित ऊंचाइयों के बारे में पूर्व सूचना भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दी जाती है और देश के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर स्थित चक्रवात चेतावनी केन्द्रों द्वारा सभी संबंधितों को इसकी चेतावनी दी जाती है।

**ग्रामीण विकास के लिए निम्नतम स्तर पर आयोजना**

2374. **डा० के०जी० अदियोडी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में ग्रामीण विकास प्रयासों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नतम स्तर पर आयोजना प्रारम्भ करने के लिए किस सीमा तक संगठनात्मक संस्थागत और अभिरूचि संबंधी परिवर्तन किये गये हैं।

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : सातवीं योजना के लिए जिला योजना से संबंधित कार्यकारी दल द्वारा सुझाए गए सिद्धान्तों पर जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया विकेन्द्रित करने की परिकल्पना की गई है। कार्यकारी दल ने विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्रमिक नीति अपनाने की सिफारिश की है पहले चरण में राज्य से जिला स्तर तक विकेन्द्रीकरण किया जाना है। जिसका अन्ततः खण्ड स्तर तक विस्तार किया जाएगा। योजना आयोग का इनके द्वारा संवर्धनात्मक और मार्गदर्शक भूमिका निभाने का प्रस्ताव है :—

(क) सुदूरगामी तकनीकों का उपयोग करते हुए जिला स्तर पर प्राकृतिक संसाधन सूची-आंकड़ों को अद्यतम बनाना।

(ख) सातवीं योजना अवधि में जिला योजना तंत्र को सुदृढ़ करने की विद्यमान स्कीम को जारी रखना ;

(ग) चयनित संस्थाओं में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जिला योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ; और

(घ) जिला योजना विकेन्द्रित करने के लिए कार्यप्रणालियों और प्रक्रिया में सुधार करने के वास्ते देश के विभिन्न राज्यों में कार्रवाई—आधारित अनुसंधान सहित कुछ प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करना।

कार्यकारी दल की सिफारिशें, राज्य सरकारों और अन्य संबंधितों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

**त्रिपुरा को अतिरिक्त राशि का आबंटन**

2375. **श्री बाजू बन रियान** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 2675 लाख रु० का अतिरिक्त राशि आबंटन करने के लिए 1 अक्तूबर, 1986 को योजना आयोग को एक प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) अगरतला में 1 अक्तूबर, 1986 को हुई बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष को 2135.12 लाख रु० की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव दिया गया था।

(ख) योजना आयोग द्वारा उपयुक्त जांच के लिए त्रिपुरा सरकार से व्यापक प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था।

**पश्चिम बंगाल के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन**

2376. **डा. फुलरेणु गुहा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के स्वतन्त्रता सेनानियों के आवेदन पत्रों पर गृह मन्त्रालय द्वारा सीधे विचार किया जाता है ;

(ख) यदि हां; तो कितने मामलों में स्वीकृति दी गयी है ;

(ग) कितने मामले अस्वीकृत किए गए हैं; और

(घ) कितने मामले विचाराधीन हैं ?

**कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के मामलों पर सामान्यत. व्यक्तियों द्वारा भेजे गये दावों जिनकी राज्य सरकारों द्वारा विधिवत जांच और सिफारिश की जाती है, के आधार पर कार्रवाई की जाती है। अपरिहार्य परिस्थितियों में कुछ मामलों पर सीधे कार्रवाई भी की जाती है पश्चिमी बंगाल सहित विभिन्न राज्य सरकारों से जांच रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण केन्द्र सरकार के पास काफी संख्या में आवेदन निपटाने के लिए लम्बित थे। इसलिए हाल में यह निर्णय लिया गया कि इन मामलों पर व्यक्तियों द्वारा भेजे गए दस्तावेजों के आधार पर सीधी कार्रवाई की जाए और इनको निपटया जाये।

(ख) अब तक 16,196 मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई है।

(ग) अब तक 59.314 मामलों को स्वीकृत किया गया है।

(घ) 60 मामले-लम्बित है।

**हेमलोक सिलिकन प्रौद्योगिकी के लिए सौदा**

2377. **श्री एच. एम. पटेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने अनुसंधान और विकास संगठन परिषद को औद्योगिक अनुसंधान; भाभा परमाणु अनुसंधान और भारतीय साइंस अकादमी के लिए और आगे अनुसंधान करने के लिए हेमलोक सिलिकन प्रौद्योगिकी प्रदान करने की पेशकश की है।

(ख) क्या सरकार ने इस मूलभूत प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने के लिए हेमलोक को पांच करोड़ रुपये का भुगतान किया है ;

(ग) क्या मेट्टार केमिकल्स द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी को पुराना घोषित कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो हेमलॉक प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की क्या आवश्यकता थी ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. नारायणन)** (क) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला दिल्ली, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र बम्बई तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बंगलौर को सूचित कर दिया है कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका के मेसर्स हेमलोक सेमीकण्डक्टर कारपोरेशन से प्राप्त की गई तकनीकी-जानकारी के कुछ दस्तावेज उपलब्ध हैं। ताकि वे मेसर्स हेमलॉक के साथ हुए करार के प्रावधानों के अन्तर्गत सिलिकन के क्षेत्र में अपने अनुसंधान तथा विकास के कार्यकलापों में उनका उपयोग संदर्भ के रूप में कर सकें।

(ख) तकनीकी जानकारी की कुल फीस के रूप में 67 लाख अमरीकी डालर में से सरकार ने अब तक 2,39, 12;500, रु० (2;345.000 अमरीकी डालर के बराबर) की राशि अदा की है। इस धनराशि में रिकार्ड में लिया गया करार तथा प्रक्रिया पैकेज की आपूर्ति शामिल है।

(ग) और (घ) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा गठित समिति ने वर्ष 1983 में मेत्तूर केमिकल्स के विकास-कार्य के प्रयासों की स्थिति का मूल्यांकन किया था और हेमलॉक से प्रौद्योगिकी का आयात करने की सिफारिश की थी क्योंकि प्रकाश वोल्टीय सेलों तथा सेमी कन्डक्टर युक्तियों के लिए बड़े आकार के उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए उपलब्ध स्वदेशी प्रौद्योगिकी उस समय पर्याप्त नहीं थी। तत्पश्चात, फरवरी 1985 में हेमलॉक प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के संबंध में निर्णय लेते समय, मेत्तूर केमिकल्स के विकास-कार्य तथा प्रौद्योगिकी का पुनर्मूल्यांकन किया गया और यह पाया गया कि उस प्रौद्योगिकी को उत्पादन स्तर पर फिर भी स्थापित नहीं किया जा सकता था। इस मामले में सरकार का निर्णय जैसा कि दिनांक 14 मार्च, 1985 को संसद को सूचित किया गया था, नीचे दिए अनुसार है :—

"स्वदेश में विकसित प्रक्रियाओं की तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता तथा किफायती लागत विषयक मुद्दों की वर्तमान स्थिति का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने के बाद ही सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मेसर्स हेमलाक सेमीकण्डक्टर्स कारपोरेशन के साथ सौदा करने का निर्णय किया है। साथ ही साथ, स्वदेशी प्रक्रिया का व्यवसायिक स्तर पर विकास करने के प्रयासों के लिए भी सरकार पूरी सहायता देगी। राष्ट्रीय सिलिकन सुविधा के लिए पूंजी निवेश के संबन्ध में निर्णय मेत्तूर केमिकल्स द्वारा स्थापित किए जा रहे 25 टी.पी.ए. के उत्पादन एकक से प्राप्त होने वाले परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद ही लिया जाएगा.

**लक्षद्वीप में तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करना**

2378. **श्री पी. एम. सईद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लक्षद्वीप में इस समय, विभाग-वार, कितने पदों पर लोगों की तदर्थ आधार पर नियुक्त की गई हैं;

(ख) ये तदर्थ नियुक्तियां कब से तदर्थ चली आ रही हैं; और

(ग) इन नियुक्तियों को नियमित करने के लिए कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं?

**कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री पी. चिदम्बरम्)** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और पटल पर रख दी जायगी।

[हिन्दी]

**"बंजर भूमि विकास कार्यक्रम"**

2379. **श्री बुद्धिचन्द जैन :**

**डा० फूलरेणु गुहा :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के बारे में हुई प्रगति का राज्य वार ब्यौरा क्या है।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है।

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इस कार्यक्रम के सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां; तो क्या इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्यों को कोई विशेष प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड जून, 1985 में सृचित किया गया था। 1985-86 और 1986-87 (30-9-86 तक) में वन रोपण के ब्यौरे संलग्न विवरण-क पर दिए गए हैं।

राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं परती भूमि विकास परिषद द्वारा अनुमोदित कार्यकारी योजना संलग्न-विवरण-ख पर है।

(ख) वन रोपण के लिए उपलब्ध अनुमानित धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-ग पर है। गरीबी उन्मूलन के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत राज्यवार आवंटन साल-दर-साल आधार पर है। वन रोपण के लिए कुछ धनराशियां सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम विकास मृदा संरक्षण कार्यक्रम तथा अन्य ऐसे ही कार्यक्रमों की धनराशियों में भी उपलब्ध हैं।

(ग) कार्यक्रम की इस अवस्था में परिणामों का कोई उद्देश्यपूर्ण अन्तराज्यीय तुलनात्मक मूल्यांकन व्यवहार्य नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

**विवरण क**

**वनरोपण के तहत लक्ष्य और प्राप्तियां**

(लगाए गए बाल पौधे लाखों में)

| क्र०सं० | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम | लक्ष्य 1985-86 | प्राप्तियां 1985-86 | लक्ष्य 1986-87 | प्राप्तियां 1986 तक *सितम्बर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 2600 | 3156 | 3000 | 1653.81 |
| 2. | असम | 400 | 396 | 400 | 588.14 |
| 3. | बिहार | 1500 | 1523 | 2600 | 1825.00 |
| 4. | गुजरात | 2550 | 2497 | 1631 | 1686.00 |
| 5. | हरियाणा | 950 | 937 | 725 | 549.99 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 550 | 672 | 625 | 440.20 |
| 7. | जम्मू एवं कश्मीर | 350 | 467 | 522 | 217.09 |
| 8. | कर्नाटक | 2500 | 2546 | 2500 | 2156.76 |
| 9. | केरल | 600 | 1166 | 1200 | 1362.20 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 3500 | 3501 | 3700 | 3815.00 |
| 11. | महाराष्ट्र | 2000 | 2165 | 2400 | 2113.22 |
| 12. | मणिपुर | 120 | 125 | 160 | 136.11 |
| 13. | मेघालय | 130 | 131 | 150 | 158.00 |
| 14. | नागालैंड | 180 | 269 | 350 | 358.89 |
| 15. | उड़ीसा | 2142 | 1930 | 2400 | 1670.55 |
| 16. | पंजाब | 527 | 590 | 550 | 440.22 |
| 17. | राजस्थान | 820 | 958 | 1100 | 1202.15 |
| 18. | सिक्किम | 82 | 82 | 110 | 94.34 |
| 19. | तमिलनाडु | 1100 | 1215 | 2400 | 520.90 |
| 20. | त्रिपुरा | 150 | 200 | 320 | 255.00 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 3250 | 3548 | 4500 | 3974.00 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 1100 | 1115 | 1400 | 1313.00 |
| 23. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 95 | 95 | 120 | 55.00 |
| 24. | अरूणाचल प्रदेश | 100 | 103 | 125 | 17.55 |
| 25. | चन्डीगढ़ | 2.90 | 1.52 | 3.40 | 3.45 |
| 26. | दिल्ली | 25 | 25 | 50 | 31.66 |
| 27. | दादरा और नगर हवेली | 30 | 31 | 30 | 20.47 |
| 28. | गोवा दामन और दीव | 32 | 45 | 75 | 44.92 |
| 29. | लक्षद्वीप | 0.04 | 0.25 | 0.12 | 0.15 |
| 30. | मिजोरम | 700 | 700 | 1128 | 128.00 |
| 31. | पाण्डिचेरी | 10 | 11 | 10 | 1.39 |
| | कुल | 28095.94 | 30200.77 | 34284.52 | 26840.16 |

*उपलब्धियां कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय की सितम्बर की रिपोर्ट के अनुसार हैं।

**विवरण ख**

**परती भूमि के विकास के लिए कार्यकारी योजना**

**1. परती भूमि का अभिनिर्धारण :**

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से अपने क्षेत्र में परती भूमि के अभिनिर्धारण का अनुरोध किया गया है चाहे वे वन क्षेत्र, राजस्व/सामान्य भूमि या अवनत कृषि भूमि हो।

**2. जनता की भागीदारी :**

इसको निम्नलिखित उपायों से सुनिश्चित किया जाएगा :—

(क) **विकेन्द्रित नर्सरियां** : जनता की नर्सरियां अर्थात किसानों स्कूलों महिलाओं, युवा दलों, स्वैच्छिक ऐजेन्सियों इत्यादि को पौधों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ख) **फार्म वानिकी** : किसानों को उनकी सीमांत भूमि और खेतों की मेंढ़ पर वृक्षों की फार्मिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। पौधों के वितरण हेतु एक विवेकशील नीति तैयार की जानी चाहिए।

(ग) **वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समिति** : पौधों को लगाने और वितरण में तथा वृक्ष लगाने के लिए वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समितियों को संगठित किया जाना चाहिए।

(घ) **स्वैच्छिक संगठन** : व्यापक आधार वाले संगठनों, महिला मण्डलों, युवा दलों को नर्सरी उगाने और पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

(ङ) **पेड़ों के पट्टे** : सड़कों, रेल, नहरों इत्यादि की भूमि पट्टियों और अन्य निम्नकृत भूमि को ग्रामीण निर्धनों को इस जमीन पर उनके द्वारा लगाये गये वृक्षों पर भोगाधिकार सहित, दे दिया जाना चाहिए।

**3. मोडल एजेंसी :**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से विभिन्न अभिकरणों, अधिकारियों तथा अन्यों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिए एक समेकित नीति को सुनिश्चित करने हेतु एक एकल नोडल एजेंसी के अभिनिर्धारण के लिए अनुरोध किया गया है।

**4. बीज :**

राज्य संघ शासित क्षेत्र सरकारों से किसानों को व्यापारिक आधार पर चारा, घास और फलीदार बीजों के उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु विद्यमान राज्य बीज निगमों के क्रिया-कलाप की भूमिका में विस्तार करने का अनुरोध किया गया है।

**5. भूमि को पट्टे पर देना :**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को ग्रामीण निर्धनों को वन रोपण हेतु वन तथा गैर वन परती भूमि पट्टे पर देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने का अधुरोध किया गया है।

6. **वन आधारित उद्योगों** को, उनके द्वारा अपेक्षित कच्चे माल के उत्पादन हेतु परती भूमि पर वन रोपण के लिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । ग्रामीण निर्धनों को रोजगार प्रदान करने के साथ साथ उन्हें लाभप्रद आधार पर वृक्ष उगाने के योग्य बनाने की दृष्टि से परती भूमि पर वृक्ष आवरण उगाने के लिए उद्योगों को उत्साहित भी किया जाना चाहिए । राज्य सरकारों से इस बारे में उद्योगों को परती भूमि को पट्टे पर दिए जाने के लिए , मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने का अनुरोध किया गया है ।

7. **शहरी ईंधन की लकड़ी और हरित पट्टियां :**

राज्य संघ राज्य क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि शहरी ईंधन की लकड़ी और चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईंधन की लकड़ी और चारे की पौधों की हरित पट्टियां कस्बों और शहरों में लगाई जाएं ।

8. **निम्नीकृत वन क्षेत्र :**

राज्यों से निम्नीकृत वन-भूमि का पता लगाने और ईधन की लकड़ी और चारे की प्रजातियों से पुनः वन रोपण करने का अनुरोध किया गया है ।

9. **वन विकास निगम :**

वन विकास निगमों को ईधन की लकड़ी और चारे के पौधे लगाने के लिए सरकारों से परती भूमि पट्टे पर लेनी चाहिए ।

10. **सरकारी विभाग :**

सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य निकाय/संस्थानों जिनके पास पर्याप्त अप्रयुक्त भूमि है, ऐसी भूमि को वृक्षारोपण के अन्तर्गत लाना चाहिए ।

11. **माध्यम एवं संचार :**

जनता में जागरूकता लाने के लिए लोक कला और संस्कृति के परम्परागत माध्यम, रेडियो, टेलिविजन, और अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाना चाहिए ।

12. **प्रबोधन एवं मूल्यांकन :**

राज्य/संघ राज्य सरकारों को कार्यक्रम के गुणात्मक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रबोधन और मूल्यांकन तंत्र विकसित करना चाहिए ।

## विवरण ग

### सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वन रोपण के लिए अनुमानित उपलब्ध राशियां

| क्र०सं० | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों का नाम | राज्य क्षेत्र | | | राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड | | | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत सामाजिक वानिकी के अधीन धनराशियों का आवंटन | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम | | ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम | |
| | | 85-86 | 86-87 | 85-90 | 85-86 | 86-87 | 85--90 | 85-86 | 86-87 | 85-86 | 86-87 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 605 | 997 | 4599 | 113.68 | 130.00 | 540.00 | 908.00 | 1098.50 | 770.00 | 887.25 |
| 2. | असम | 1050 | 1240 | 4900 | 145.77 | 160.00 | 711.00 | 199.20 | 230.50 | 169.00 | 185.25 |
| 3. | बिहार | 490 | 630 | 3150 | 160.88 | 167.00 | 707.00 | 1309.60 | 1617.00 | 1112.60 | 1305.75 |
| 4. | गुजरात | 1499 | 1839 | 9075 | 75.00 | 320.00 | 740.00 | 296.00 | 378.50 | 254.20 | 305.75 |
| 5. | हरियाणा | 801 | 801 | 4690 | 244.38 | 176.00 | 806.00 | 78.40 | 107.00 | 68.60 | 86.50 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 860 | 1260 | 8179 | 256.16 | 310.00 | 1350.00 | 55.20 | 69.00 | 47.00 | 57.75 |
| 7. | जम्मू तथा कश्मीर | 471 | 588 | 2374 | 35.98 | 100.00 | 445.00 | 68.00 | 85.00 | — | 70.00 |
| 8. | कर्नाटक | 853 | 853 | 4340 | 431.91 | 130.00 | 826.50 | 432.00 | 530.00 | 366.80 | 429.25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | केरल | 745 | 885 | 4900 | — | 90.00 | 390.00 | 424.00 | 433.00 | 359.40 | 348.50 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 1470 | 2100 | 5514 | 105.00 | 338.00 | 983.00 | 670.00 | 953.50 | 572.60 | 770.25 |
| 11. | महाराष्ट्र | 1350 | 1960 | 7420 | 52.50 | 64.00 | 281.50 | 730.00 | 917.00 | 617.20 | 739.50 |
| 12. | मणिपुर | 119 | 133 | 1009 | 74.65 | 100.00 | 430.00 | 10.00 | 12.50 | 8.60 | 10.75 |
| 13. | मेघालय | 368 | 397 | 2030 | 118.88 | 140.00 | 544.00 | 13.60 | 17.50 | 11.00 | 13.50 |
| 14. | नागालैण्ड | 153 | 187 | 1260 | 170.46 | 180.00 | 690.00 | 9.60 | 14.00 | 8.00 | 11.50 |
| 15. | उड़ीसा | 630 | 896 | 3150 | 94.62 | 180.00 | 600.00 | 414.40 | 506.50 | 347.60 | 409.75 |
| 16. | पंजाब | 350 | 350 | 2240 | 160.16 | 180.00 | 690.00 | 126.40 | 114.00 | 111.00 | 92.00 |
| 17. | राजस्थान | 420 | 588 | 3489 | 133.70 | 160.00 | 680.00 | 220.00 | 446.00 | 186.20 | 363.50 |
| 18. | सिक्किम | 112 | 119 | 665 | 59.20 | 64.00 | 319.00 | 7.20 | 9.00 | 6.40 | 7.75 |
| 19. | तमिलनाडु | 1126 | 1745 | 4900 | 65.00 | 166.00 | 47.00 | 820.00 | 905.50 | 691.40 | 730.75 |
| 20. | त्रिपुरा | 262 | 280 | 1050 | 67.09 | 96.00 | 411.00 | 30.40 | 38.00 | 25.60 | 31.50 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 1645 | 2276 | 11340 | 285.72 | 334.00 | 1629.00 | 1568.80 | 2027.00 | — | 1636.50 |
| 22. | प० बंगाल | 581 | 700 | 3531 | 106.34 | 110.00 | 550.00 | 709.60 | 866.00 | 602.40 | 699.50 |
| 23. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 122 | 105 | 840 | — | — | — | 7.20 | 9.00 | 6.40 | 8.00 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 325 | 371 | 2100 | 35.00 | 43.00 | 215.00 | 7.20 | 9.00 | 6.40 | 8.00 |
| 25. | चण्डीगढ़ | 25 | 19 | 113 | — | — | — | 2.00 | 2.50 | 1.60 | 1.75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | दादरा और नगर हवेली | 49 | 53 | 300 | — | — | — | 3.60 | 4.50 | 3.20 | 4.00 |
| 27. | दिल्ली | 49 | 38 | 147 | 12.20 | 20.00 | 90.00 | 3.20 | 4.00 | 3.20 | 5.75 |
| 28. | गोवा, दमन और दीव | 77 | 77 | 420 | 12.50 | 20.00 | 90.00 | 8.40 | 10.50 | 8.80 | 12.00 |
| 29. | लक्षद्वीप | — | — | — | — | — | — | 2.00 | 2.50 | 1.60 | 1.75 |
| 30. | मिजोरम | 151 | 280 | 1050 | 204.76 | 210.00 | 875.00 | 7.20 | 9.00 | 6.40 | 8.00 |
| 31. | पाण्डिचेरी | 9 | 14 | 91 | — | — | — | 7.20 | 9.00 | 6.40 | 8.00 |
| | कुल | 16767 | 21981 | 98866 | 3182.92 | 3938.00 | 16064.00 | 9149.20 | 11435.00 | 6380.40 | 9250.00 |

नोट—1. 1985-90 के तहत दर्शाई गई धनराशि में 1985-86 और 1986-87 के लिए विकेन्द्रीकृत जन नर्सरियों के लिए आवंटन शामिल हैं।

नोट—2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए धनराशियां वर्ष-वार आवंटित की गई हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना के केवल 1985-86, 1986-87 के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं।

नोट—3. वर्ष 1986-87 के दौरान राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड को सहायक अनुदान के रूप में विकेन्द्रीकृत नर्सरियों के लिए 200 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है।

नोट—4. बागवानी फार्मों की स्थापना स्कीम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और इसकी बाबत कोई धनराशि शामिल नहीं की गई है।

नोट—5. वन रोपण के लिए राज्य क्षेत्र के तहत अनुमानित आंकड़े राज्य वानिकी क्षेत्र के लिए आवंटित धनराशियों के 70 प्रतिशत हैं।

[अनुवाद]

**जबलपुर छावनी क्षेत्र की सड़कों और पटरियों की मरम्मत**

2380. **श्री अजय मुथरान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जबलपुर छावनी क्षेत्र में सड़कों और पटरियों की हालत बहुत ही खराब है ।

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान छावनी बोर्ड द्वारा मरम्मत के लिए कितनी राशि की मांग की गई थी और इन वर्षों में उसे उक्त कार्यों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई ;

(ग) क्या वर्ष 1986-87 और 1987-88 में इस कार्य के लिए छावनी बोर्ड को कोई विशेष अनुदान देने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह)** : (क) से (घ) जबलपुर छावनी क्षेत्र की अधिकतर सड़कों और पटरियों की हालत संतोषजनक है । बोर्ड ने 1985-86 के दौरान सड़कों की मरम्मत तथा उनके रखरखाव सहित नागरिक सुविधाओं पर सामान्य सहायतानुदान में से 4,07,906/-रु० और सेवा प्रभारों में से 5,43,328/-रु. व्यय किए । चालू वर्ष में भी 31.10.1986 तक सेवा प्रभारों में से 100.000/-रु० व्यय किए जा चुके हैं ।

वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान छावनी बोर्ड ने किसी विशेष सहायतानुदान की मांग नहीं की । वर्ष 1987-88 के लिए भी कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ ।

**उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में प्रति व्यक्ति निवेश की राशि**

2381. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में प्रति व्यक्ति निवेश की राशि राष्ट्रीय औसत से कम थी ;

(ख) यदि हां, तो चालू और गत योजनाओं के दौरान सभी राज्यों में प्रति व्यक्ति निवेश के आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) पूर्वी क्षेत्रों के आंकड़े कम होने के क्या कारण हैं ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) से (ग) : छठी और सातवीं योजना की अवधि के दौरान राज्य योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा और "सभी राज्यों" में प्रति व्यक्ति निवेश के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(रु० में)

| | बिहार | उड़ीसा | उत्तर प्रदेश | सभी राज्य |
|---|---|---|---|---|
| छठी योजना (1980-85) | 404 | 572 | 563 | 688 |
| सातवीं योजना (1985-90) | 642 | 919 | 832 | 1022 |

*संपूर्ण राज्य के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अलग से कोई आंकड़े नहीं हैं ।

राज्य योजनाओं के अन्तर्गत निवेस के लिए वित्त व्यवस्था कुछ तो केन्द्रीय सहायता द्वारा तथा कुछ राज्यों के अपने संसाधनों द्वारा की जाती है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन परिशोधित गाडगिल फार्मूले के अनुसार किया जाता है, जो कि उन राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के पक्ष में है जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। फिर भी, राज्यों के मध्य प्रति व्यक्ति निवेश में असमानताएं राज्यों के स्वयं संसाधन जुटाने, जनसंख्या आदि जैसे विभिन्न उपादानों के कारण उत्पन्न होती हैं।

**आयुद्ध कारखाने**

2382. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के लिए आयुध फैक्टरियों द्वारा कितना उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड हैदराबाद को छोड़कर सरकारी क्षेत्र की रक्षा यूनिटों की सभी डिवीजनों में प्रबंध व्यवस्था में कर्मचारियों के शामिल किये जाने की योजना को कार्यान्वित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल)** : (क) सभी आयुद्ध निर्माणियों के लिए वर्ष 1986-87 में कुल 1425 करोड़ रुपए मूल्य के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) और (ग) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लि० मिश्र धातु निगम और गोवा शिपयार्ड लि० में मजदूरों की मैनेजमेंट में भागीदारी की योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा चुका है भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड की गाजियाबाद यूनिट में पांच शाप काउंसिल स्थापित की जा चुकी हैं और यूनियनों की कारपोरेशनों से सहयोग प्राप्त करके अन्य यूनिटों में इस योजना को कार्यान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड में पहले से आरम्भ की गई योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए यूनियन का सक्रिय एवं पूरा सहयोग लिया जा रहा है। भाझगाव डाक लिमिटेड में अभी तक यह योजना कार्यान्वित नहीं की गई है और यूनियनों की कारपोरेशनों का सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में, केवल हैदराबाद डिवीजन को छोड़कर, इसकी सभी डिवीजनों में इस योजना को कार्यान्वित किया गया है। हैदराबाद डिवीजन में कर्मचारियों की यूनियनों ने इस योजना को कार्यान्वित करने के समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

[हिन्दी]

**"वन्यजीवों की जातियों का संरक्षण"**

2383. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर केजर्वेसन ऑफ नेचर एण्ड नेचुरल रिसोर्सेज और स्पीसीज सरवाइवल कमीशन के अनुसार देश में वन्य जीवों की कौन-कौन सी जातियां लुप्त प्रायः हो गई हैं और उन्हें बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) :** विवरण I और II संलग्न हैं।

**विवरण I**

प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघ (आई०यू०सी०एन०) द्वारा आई०यू०सी०एन० की स्वीडिश सरवाइवल कमीशन की सहायता और सलाह से प्रकाशित रेड डाटा बुक के अनुसार भारत में निम्नलिखित प्रजातियों के लोप होने का खतरा है :—

**संकटापन्न स्तनधारी**

1. लायन-टेल्ड मैकाक — (लघु पुच्छ वानर)
2. मालाबार लार्ज —स्पाटेड सिवेट (बिलाव-कस्तूरी)
3. एसियाटिक सिंह
4. बाघ
5. हिम चीता
6. भारतीय वन्य गधे
7. महान भारतीय गैंडा
8. स्वाम्य डीयर
9. मणिपुर ब्रो-एन्टलर्ड डीयर
10. हंगुल
11. वाइल्ड याक
12. पिग्मी हॉग

**संकटापन्न पक्षी**

1. चीर फीजेन्ट
2. महान भारतीय सोहन चिड़िया

**संकटापन्न सरी-सृप**

1. रिवर टैरापाइन
2. ग्रीन टर्टल
3. इस्ट्राइन क्रोकोडायल
4. लेदर बैक टर्टल
5. ह्वाक्सबिल टर्टल
6. घडियाल
7. ओलिव रिडले

**संकटापन्न पौधे**

1. डेण्ड्रोबियम पॉसीफ्लोरम
2. डिप्लोमेरिस हिरसुता
3. हुब्बारडिया हेप्टा-निपोरोन
4. पाफियो पेडिलम ड्यूरची
5. उल्मस वालिचियाना

## विवरण II

### भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए उठाए गए मुख्य कदम

भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए हाल के वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं महत्व पूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :-

(क) देश में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए एक समान कानून प्रदान करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 नामक एक व्यापक कानून बनाया गया है तथापि यह अधिनियम, जम्मू व कश्मीर में लागू नहीं होगा जिसका जम्मू और कश्मीर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1978 नामक एक ऐसा ही अपना अधिनियम है।

(ख) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के वेतरतीव दिक्परिवर्तन को रोकता है जो देश में वन्यजीवों के मुख्य वास स्थल है।

(ग) देश के कुल भूमि के 3 प्रतिशत और वन क्षेत्र के 12 प्रतिशत क्षेत्र में 58 से राष्ट्रीय पार्क और 256 अभयारण्यों को शामिल करके देश में सुरक्षित क्षेत्र का एक खासा जाल फैलाया गया है।

(घ) संकटापन्न प्रजातियों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और मगरमच्छ परियोजना जैसी विशेष परियोजनाएं शुरू की है और ये सफल सिद्ध हुई है।

(ङ) वन्य पशुओं पक्षियों पौधों तथा उनके व्युत्पादितों के व्यापार और वाणिज्य तथा आयात और निर्यात् पर कड़ा नियंत्रण है।

(च) संरक्षण जागरूकता, बन्दी प्रजनन और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पार्कों, अभयारण्यों (बाघ बाड़ों सहित) और चिड़ियाघरों के विकास को सहायता देने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें शुरु की गई हैं। वन्य पशुओं के चोरीछिपे शिकार को रोकने तथा संकटापन्न प्रजातियों के बन्दी प्रजनन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में नई स्कीमें शुरु की गई हैं।

(छ) वन्यजीव प्रबन्ध, वन्यजीव शिक्षा और अनुसंधान में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान नामक एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान स्थापित किया गया है।

(ज) भारत पांच महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय समझौतों का सदस्य है। वे हैं। वन्य प्राणिजातों की वनस्पति जातों संकटापन्न प्रजातियों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी समझौता (साइटस), नम भूमि हवेलिंग, आप्रवासी प्रजातियां और यू. एस. एस. आर. के साथ पक्षियों की आप्रवासी प्रजातियों के बारे में समझौता।

(झ) राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यकारी योजना अपनाई गई है जिसमें भविष्य में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नीतियों का ढांचा और कार्यक्रम तथा परियोजनाओं की व्यवस्था है। इसके मुख्य घटक इस प्रकार है :—

— सुरक्षित क्षेत्रों के एक प्रतिनिधि नेटवर्क की स्थापना।

— सुरक्षित क्षेत्रों का प्रबन्ध और प्राकृतवासों की बहाली।

— बहु-उपयोग क्षेत्रों में वन्यजीवों की सुरक्षा।

— संकटापन्न और भयाकुल प्रजातियों का पुनर्वास।

— बन्दी प्रजनन कार्यक्रम ।

— वन्यजीव शिक्षा और प्रख्यापन ।

— अनुसंधान और प्रबोधन ।

— स्वदेशी कानून और अन्तरराष्ट्रीय समझौते ।

— राष्ट्रीय संरक्षण नीति ।

— स्वयंसेवी निकायों/गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग ।

जबकि कार्यकारी योजना के अधिकांश घटकों पर कार्यवाही शुरु कर दी गई है, फिर भी उठाए गए मुख्य कदम नीचे दिए गए हैं :—

— देश में सुरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क को मजबूत बनाने और उसका विस्तार करने की दृष्टि से सभी राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों तथा सुरक्षित रखे जाने योग्य अन्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है । वन्यजीव रिजर्वों के प्रबन्ध योजनायें तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं और उनको सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को परिचालित किया गया है ।

— वन्यजीव संरक्षण के लिए जन-सहयोग हासिल करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को विकसित किया गया है । इनको भी सभी राज्यों और केन्द्रीशासित प्रदेशों को परिचालित कर दिया गया है ।

— वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बातों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति की समीक्षा और उसमें संशोधन का कार्य शुरु किया गया है ।

— वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में और आगे संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है ।

— बन्दी प्रजनन और पुनर्वास कार्यक्रम शुरु किए गए हैं ।

— कुछ राष्ट्रीय पार्कों और प्राणी उद्यानों में आदर्श प्रस्थापन सुविधायें स्थापित की जा रही हैं ।

— भारतीय वन्यजीव संस्थान ने वन्यजीव क्षेत्र में वन्यजीव प्रशिक्षण एवं अनुसंधान गतिविधियां शुरु की हैं ।

[अनुवाद]

**अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के सम्बन्ध में राज्यों के लिए कार्यक्रम**

2384. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्य हेतु प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(ग) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन विशेष कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन-किन राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों को लिया जाएगा ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) से (घ) सातवीं योजना में सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के रूप में एक नया कार्यक्रम शुरु किया गया है। इस कार्यक्रम को राजस्थान, गुजरात और हाल ही में पंजाब के पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों तक सीमित रखने का निर्णय किया गया है। सातवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष के लिए स्कीमों पर गृह मन्त्रालय द्वारा विचार किया गया है और उन्होंने चालू वर्ष में राजस्थान के लिए 12 करोड़ रु० तथा गुजरात के लिए 11 करोड़ रु० का आवंटन अनुमोदित किया है।

**भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का आधुनिकीकरण**

2385. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां तो भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के आधुनिकीकरण कार्यक्रम की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) आधुकिीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाये गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया एक लगातार चलने वाली कारवाई है जिसके लिए कम्पनी बोर्ड को एक निश्चित स्तर तक पूंजी लगाने की शक्ति प्राप्त है। सरकार समय-समय पर समीक्षा करके प्रगति तथा आधुनिकीकरण के इन कार्यक्रमों पर नजर रखती है।

(ख) 1985-86 के दौरान इन परियोजनाओं के अधुनिकीरण का पूंजीगत व्यय लगभग 110 मिलियन रुपए था। 1986-87 के दौरान इसके 140 मिलियन रुपये होने की संभावना है।

(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रम में मोटे तौर पर निम्नलिखित कार्यकलाप आते हैं :-

(1) कम्प्यूटर न्यूमेरीकल कन्ट्रोल (सी. एन. सी.) मशीनों को शुरु करना ;

(2) स्वचालित परीक्षण उपस्कर प्रणालियां ;

(3) मल्टीलेयर प्रीटिड सरकिट बोर्ड (पी. सी. बी.) की सुविधायें ;

(4) कम्प्यूटर-एडिड डिजाइन सुविधाएं ;

(5) डिस्ट्रीब्यूटिड डाटा प्रोसेसिंग ;

(6) प्लाटों में कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी सुविधाओं का आधुनिकीकरण ;

(7) मछलीपट्टनम यूनिट में आप्टीकल निर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण।

**स्वतन्त्रता सेनानियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें**

2386. **श्री दिनेश गोस्वामी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों और उनके परिवार के सदस्यों को देश भर में सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी ; और

(ख) यह निर्णय कब तक कार्यान्वित किया जाएगा और उन्हें किस किस्म की चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ने सूचित किया है कि उसने, केन्द्र सरकार के ग्रुप-क के अधिकारियों और उनके आश्रितों को केन्द्र सरकार के अस्पतालों में प्राप्त चिकित्सा सुविधा के समान ही स्वतन्त्रता सेनानियों को मुफ्त अन्तरंग और बाह्य रोगी चिकित्सा सुविधायें देने का निर्णय किया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने, सम्बन्धित प्राधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए पहले ही निदेश जारी कर दिए हैं।

**राष्ट्रीय-सागर विज्ञान संस्थान में कम्प्यूटर विज्ञान कम्प्लेक्स की स्थापना**

2387. **श्री शांता राम नायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सागर-विज्ञान संस्थान, गोवा में एक कम्प्यूटर विज्ञान कम्प्लेक्स स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोआ के आंकड़े तैयार करने सम्बन्धी आवश्यकताओं और अनुसंधान तथा विकास को पूरा करने के लिए एक अन्तः कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना की गई है।

**मद्रास परमाणु बिजली केन्द्र का कार्यकरण**

2388. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास परमाणु बिजली केन्द्र-दो को किस तारीख से चालू किया था ;

(ख) चालू करने के पश्चात इसने कितने दिन कार्य किया है ;

(ग) इस अवधि के दौरान इसकी औसत उपयोग क्षमता दर क्या रही है ; और

(घ) तमिलनाडु में विद्युत उत्पादन के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की तुलना में मद्रास परमाणु बिजली केन्द्र एक और दो की उत्पादन लागत कितनी है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) मद्रास परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट 12 अगस्त, 1985 को क्रांतिक हुआ था और इसने वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन 20 मार्च, 1986 से शुरु किया है।

(ख) वाणिज्यिक स्तर पर काम शुरु करने से लेकर अक्तूबर, 1986 के अन्त तक, यूनिट ने 114 दिन काम किया है।

(ग) इस अवधि में क्षमता का उपयोग (क्षमता गुणांक) 42 प्रतिशत तक किया गया।

(घ) मद्रास परमाणु बिजलीघर में उत्पादित बिजली पर वर्तमान शुल्क 43.03 पैसे प्रति किलोवाट है। वर्ष 1983-84 में तमिलनाडु में बिजली के उत्पादन पर आने वाली औसत लागत तमिलनाडु बिजली बोर्ड के पन बिजली यूनिटों के मामले में 15.09 पैसे प्रति किलोवाट और तापीय यूनिटों के लिए 70.55 पैसे प्रति किलोवाट पाई गई है।

**सेवानिवृत्त सैनिकों को पेंशन की मंजूरी**

2389. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री सेवानिवृत्त सैनिकों को पेंशन की मंजूरी के बारे में 30 जुलाई, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1801 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों के उन दस मामलों का ब्यौरा क्या है जो रक्षा लेखा नियंत्रक इलाहाबाद (पेंशन) के कार्यालय में लम्बित पड़े हैं; और

(ख) इस समय एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित सभी मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह)** : (क) दस मामलों में से 4 मामलों को पहले ही निपटा दिया गया है। बाकी में से तीन मामले वेतन आयोग से पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त होने और तीन मामले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी नियुक्ति की शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने के कारण लम्बित पड़े हैं।

(ख) तीनों सेनाओं से पेंशन योग्य अफसरों में से इस समय सेवानिवृत्ति अफसरों और कार्मिकों के 35 मामले एक वर्ष से लम्बित पड़े हैं। यह बताना संभव नहीं है कि ये मामले कब तक निपटा दिए जायेंगे। फिर भी, उन्हें शीघ्र निपटाने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

**भूतपूर्व सैनिकों की संख्या**

2390. **प्रो० नरायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के सही आंकड़े न तो राज्य सैनिक बोर्डों और न ही राज्य सरकारों के पास उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में भूतपूर्व सैनिकों की सही संख्या मालूम करने के लिए इनकी गणना करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रक्षा मन्त्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह)** : (क) यह सच है कि भूतपूर्व सैनिकों के सही आंकड़े न तो राज्यों के पास उपलब्ध हैं और न ही सैनिक बोर्ड संगठन के पास। फिर भी राज्य सैनिक बोर्डों ने राज्य राजस्व एवं अन्य संबंधित

विभागों के साथ विचार विमर्श करके भूतपूर्व सैनिकों की अनुमानित संख्या का पता लगाया था, जिसे 1984-85 के दौरान पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा केन्द्रीय रूप से संकलित किया गया।

(ख) और (ग) भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के संबंध में गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल को 1991 में होने वाली जनगणना के लिए भूतपूर्व सैनिकों को एक अलग श्रेणी के रूप में शामिल करने के लिए कहा गया है और आशा है कि यह प्रस्ताव मान लिया जायेगा।

**स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन संबंधी मामलों का निपटान करना**

2391. **प्रो० नरायण चन्द पाराशर** : क्या गृह मंत्री हिमाचल प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानियों के लम्बित मामलों के बारे में 9-4-86 के अतारांकित प्रश्न सं० 5891 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के उन 60 स्वतंत्रता सेनानियो के जिलावार नाम क्या हैं जिनके मामलों में मंजूरी प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श किया जा रहा है;

(ख) क्या उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित 60 मामलों की इस सूची में से किसी स्वतंत्रता सेनानी का कोई मामला निपटाया गया है; और

(ग) स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) से (ग) लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5891 के उत्तर में उल्लिखित (हिमाचल प्रदेश से) स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के सभी लम्बित मामलों पर निर्णय ले लिया गया है।

**"पर्यावरण अधिनियम की अपर्याप्तता"**

2392. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह शिकायत है कि पर्यावरण संबंधी वर्तमान विधान अपर्याप्त है;

(ख) क्या एक राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए दुर्घटना दावे न्यायाधिकरण की तरह के न्यायाधिकरण स्थापित किए जायेंगे; और

(घ) क्या शोर से उत्पन्न प्रदूषण को स्वास्थ्य के लिए खतरा समझा जायेगा ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जी नहीं।

(ख) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3 में एक प्राधिकरण अथवा प्राधिकरणों के गठन की व्यवस्था है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां।

आन्ध्र प्रदेश को समाज कल्याण योजनाओं के लिए दिए गए अनुदान

2393. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और

(ख) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को दिए गये अनुदानों का ब्यौरा क्या है ?

**कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो)** : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

**1984-85 और 1985-86 के दौरान विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को दिए गए अनुदान का नियतन**

(रुपए लाखों में)

| क्र. सं. | समाज कल्याण योजनाएं | वर्ष और अनुदान का नियतन | | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|
| | | 1984-85 | 1985-86 | |
| 1. | विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्तियां | 20.00 | 10.00 | |
| 2. | जिला पुनर्वास केन्द्र | — | 15.60 | (जनवरी, 1986 में विजयवाड़ा में जिला पुनर्वास केन्द्र की प्रायोगिक परियोजना स्वीकृत की गई) |
| 3. | विशेष रोजगार कार्यालयों और विशेष सैलों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार पर लगाना | — | 0.74 | (कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था) |
| 4. | सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों का कल्याण | 11.72 | 25.63 | |
| 5. | समाज कार्य शिक्षा और प्रशिक्षण | 16.72 | 48.73 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. समेकित बाल विकास सेवा योजना | 169.92 | 451.54 | |
| 7. स्कूल पूर्व बच्चों तथा गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पूरक पोषाहार | — | 10.92 | (योजना 1985-86 में शुरू की गई थी) |
| 8. संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए महिला प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान स्थापित करने के लिए सहायता (निराश्रित महिलाओं व बच्चों का कल्याण) | 0.33 | 0.37 | |

**मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा डेरिक बार्ज सं० 2 का निर्माण कार्य स्थगित करना**

2394. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मझगांव डाक लिमिटेड, बम्बई ने डेरिक बराज सं० 2 के निर्माण कार्य पर लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद अब इस परियोजना का कार्य स्थगित कर दिया है और इसे पूरी तरह से रोक देने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब इस डेरिक बराज का निपटारा किस प्रकार करने का विचार है ?

**रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) :** (क) और (ख) मझगांव डाक लि० ने इस परियोजना के समय पहले ही बन्द करने का निर्णय मुख्यतः साधन उपलब्ध न होने, भारी अपतटीय ढांचों को लगाने तथा उनके परिवहन के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की घटती हुई मांग और अपतटीय तेल उद्योग के क्षेत्र में विश्वव्यापी मंदी को देखते हुए लिया है। 30 सितम्बर 1986 तक इस परियोजना के लिए कुल लगभग 40.30 करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था की गई थी।

(ग) इस परियोजना को पहले ही बन्द करने के बारे में सरकार ने अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

**ब्राडबैंडिंग लाइसेंसिंग का विस्तार**

2395. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्राडबैंडिंग लाइसेंसिंग योजना को दूरसंचार के क्षेत्र में लागू करने के सरकार के प्रयासों में बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) दूरसंचार में एक ही लाइसैंस के अन्तर्गत कई वस्तुओं के निर्माण की अनुमति देने के प्रश्न पर अभी विचार क्षेत्र किया जाना है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

**भूतपूर्व सैनिकों द्वारा नई दिल्ली में भूख हड़ताल**

2396. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

**(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सैनिकों ने 1 अक्तूबर, 1986 को नई दिल्ली में हजारों की संख्या में सामूहिक भूख हड़ताल की थी ;**

(ख) यदि हां, तो भूतपूर्व सैनिकों की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) इन मांगों पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

**रक्षा मन्त्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह)** : (क) 1 अक्तूबर, 1987 को कई भूतपूर्व सैनिकों ने बोट क्लब पर सांकेतिक भूख हड़ताल की।

(ख) और (ग) भूतपूर्व सैनिकों की मुख्य मांगें ये हैं :—

रक्षा सेनाओं से सेवामुक्त होने के पश्चात रोजगार, पुनः रोजगार के लिए अवसर, पेंशन में असंगति दूर करने, कम्यूटेशन की अवधि के पश्चात् कम्यूट की हुई पेंशन की बहाली, उन सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कार्मिकों की भूमि और मकानों को खाली करना जिन्हें लीज पर दिया गया था, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें, कैन्टीन सुविधायें आदि को सुनिश्चित करना।

सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कार्मिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार के विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण की एक नीति पहले से ही लागू है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के बारे में सरकार के आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी मन्त्रालयों/विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि में सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राज्य सरकारें भी अपनी सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग-अलग मात्रा में आरक्षण रख रही है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए इको टास्क फोर्स एवं शांति स्थापना के लिए विशेष बलों, परा मिलिटरी संगठनों एवं रक्षा सुरक्षा कोर जैसे नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने रोजगार पर फिर से लगे पेंशनरों और छंटनी किए गए कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के बारे में जुलाई 1986 में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। वित्त मन्त्रालय (बैंकिंग डिवीजन) ने भी बैंकों में फिर से रोजगार पर लगे भूतपूर्व सैनिकों के वेतन-निर्धारण करने के सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं।

भूतपूर्व सैनिकों को प्लाटों, शैडों, फर्टीलाइजर एजेन्सियों, दूध के बूथों आदि का आरक्षण/आवंटन करके अपने ही रोजगार शुरु करने में सहायता दी जाती है। उन्हें लघु उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने लिए बैंकों से लिए गए ऋणों पर ब्याज में राहत भी दी जाती है। रक्षा मन्त्रालय को सप्लाई किए जाने वाली मदों पर भूतपूर्व सैनिकों को कीमत में 10 प्रतिशत राहत दी जाती है।

पेंशन के मामलों में वर्तमान पेंशनरों के पेंशन सम्बन्धी मामलों को चतुर्थ वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में शामिल करने के लिए उन्हें पहले ही संशोधित कर दिया गया है।

सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कार्मिकों की भूमि/मकानों को उन्हें वापस बहाली उपलब्ध कराने का मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है। कई राज्य सरकारों ने अपने विधान में इसके लिए आवश्यक प्रावधान कर दिए हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए कैन्टीन एवं चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

**"भरतपुर पक्षी अभयारण्य, राजस्थान का संरक्षण और रख-रखाव"**

2397. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राजस्थान में भरतपुर पक्षी अभयारण्य (कोलदेव राष्ट्रीय उद्यान) के संरक्षण और रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ;

(ख) भरतपुर अभयारण्य में कितने प्रकार के पक्षी हैं ; और

(ग) क्या कुछ नस्ल विलीन हो गई हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके विनाश के क्या कारण हैं ?

**पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) राजस्थान में केवलदेव राष्ट्रीय पार्क के संरक्षण और रखरखाव के लिए केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(1) केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व सम्पदा के रूप में यूनेस्कों के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है।

(2) केवलदेव राष्ट्रीय पार्क के संरक्षण और विकास हेतु केन्द्रीय सहायता के तौर पर अब तक 53.621 लाख रुपये की राशि दी गई है।

(3) केन्द्र सरकार का केन्द्रीय प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए सहायता" के तहत चालु वर्ष से आगे अभिनिर्धारित गैर-आवर्ती कार्य की मदों पर 100 प्रतिशत और अभिनिर्धारित आवर्ती कार्य की मदों पर 50 प्रतिशत सहायता देने का प्रस्ताव है।

(4) केन्द्र सरकार ने अनुसंधान कार्य को अनुमति और प्रोत्साहन दे दिया है जो केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण और प्रबन्ध में मदद देगी।

(ख) केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में पक्षियों की 353 प्रजातियों के होने की सूचना है।

(ग) जी नहीं।

**पाकिस्तान द्वारा राजस्थान सीमा के साथ नहर का निर्माण**

2398. **डॉ० बी० एल० शैलेश :**

**श्री बाला साहिब विखे** पाटिल : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने राजस्थान में गंगानगर के पास अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अपने राज्य क्षेत्र में एक नहर का निर्माण किया है ;

(ख) क्या यह 'नहर' पाकिस्तान के लिए सिंचाई परियोजना की तुलना में रक्षा व्यवस्था के रूप में अधिक उपयोगी समझी जाती है ;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने इस 'नहर', जिसका सीमा के साथ और विस्तार किया जा सकता है, के सामरिक पहलू के बारे में केन्द्रीय सरकार की कोई रिपोर्ट भेजी है ; और

(घ) यदि हां, तो भारत की सुरक्षा को पाकिस्तान से इस नए खतरे के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रक्षा मन्त्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) :** (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने राजस्थान के साथ लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने क्षेत्र में एक नहर का निर्माण किया है। इस नहर और इसके पश्चिमी बन्द का प्रयोग पाकिस्तान की सीमा रक्षा प्रणाली के रूप में किया जा सकता है।

(ग) सरकार को राजस्थान सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ) सरकार उन सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखती है जिनका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो और पूर्ण रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करती है।

**"सफेदे के पेड़ लगाना"**

2399. **श्री राधाकान्त डिगाल :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी एजेंसियों को देश के विभिन्न भागों में सफेदे के पेड़ लगाने का कार्य सौंपा गया है ;

(ख) यदि हां तो किन-किन राज्यों में पेड़ लगाने का कार्य आरम्भ किया गया है ;

(ग) किन-किन गैर-सरकारी एजेंसियों, व्यक्तियों को सफेदे के पेड़ लगाने का ठेका दिया गया है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) :** (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

## ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग लोगों के लिए रोजगार

2400. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में काफी संख्या में विकलांग लोगों के पुनर्वास के लिए सुविधाएं बहुत अपर्याप्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग लोगों को और अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो)** : (क) जी, हां । विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सुविधाएं शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कम है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

### विवरण

भारत सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के रोजगार और स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित सुविधायें प्रदान करती हैं :—

**विकलांग व्यक्तियों को रोजगार**

1. नेत्रहीनों, अस्थि विकलांगों तथा बधिर एवं मूक व्यक्तियों के लिए समूह ग और घ पदों में 3 प्रतिशत आरक्षण ।
2. सरकारी सेवा में प्रवेश करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को 10 वर्ष तक की आयु सीमा में छूट ।
3. सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए चिकित्सा स्तर में छूट ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में नियुक्ति के लिए इसी प्रकार की रियायतें उपलब्ध हैं ।

**स्वरोजगार**

1. दुकानों, बिक्री-स्टालों और कियोस्कों के आबंटन में आरक्षण ।
2. विकलांग व्यक्तियों के लिए एल. पी. जी. डीलरशिप और पैट्रोल पम्प की एजेंसियों में 7½ प्रतिशत का आरक्षण ।
3. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 4 प्रतिशत ब्याज पर 6500/- रुपये तक ऋण दिया जाता है ।
4. शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए उद्योग मन्त्रालय की योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को ऋण दिए जाते हैं । इस योजना के अन्तर्गत स्वतः रोजगार कार्य शुरु करने के लिए 35 हजार रुपये तक ऋण दिया जाता है जिसमें से एक चौथाई ऋण सहायता के रूप में दिया जाता है ।
5. संचार मन्त्रालय द्वारा स्व-रोजगार के लिए टेलीफून बूथों का आवंटन ।

6. डाक एजेंटों के रूप में नियुक्ति हेतु नोटिफिकेशन जारी करने में विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

**दूसरे उपाय**

1. केन्द्रीय सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण और प्रशिक्षण एवं उत्पादन कार्यशालायें तथा शैल्टर्ड कार्यशालाएं स्थापित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

2. केन्द्रीय सरकार, विकलांग व्यक्तियों को लघु उद्योग एवं ग्रामीण कृषि औद्योगिक एककों में प्रशिक्षुओं के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देती है।

3. केन्द्रीय सरकार विकलांग व्यक्तियों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन देती है।

**वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन**

2401. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिक कर्मचारियों ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का कार्मिक सम्बन्धी नीतियो का पुर्णमूल्यांकन करने के लिए समीक्षा समिति को विशिष्ट सुझाव दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) जी, हां।

(ख) सी. एस. आई. आर. साइंटिफिक वर्कर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने पुनरीक्षण समिति को एक ज्ञापन दिया था। उसमें दिए गए कुछ सुझाव इस प्रकार है :—

1. वेतनमानों की संख्या कम करना।

2. बिना प्रतिशत प्रतिबंधों के पांचासला समान पदोन्नति नीति।

3. प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए युक्तिसंगत कार्मिक नीति प्रारम्भ करना।

4. गोपनीय रिपोर्ट प्रणाली के स्थान पर खुली स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट।

5. अनुभव को शैक्षणिक योग्यता के समतुल्य माना जाए।

पुनरीक्षा समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

**"आन्ध्र प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्य का विकास"**

2402. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्यों का विकास करने के कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से चालू वर्ष के दौरान वन्यजीव अभयारण्यों के विकास के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

| | अभयारण्य का नाम | (रुपये लाख में) मांगी गई धनराशि |
|---|---|---|
| 1. | पोचरम अभयारण्य | 2.00 |
| 2. | नेलापाटू अभयारण्य | 3.00 |
| 3. | पुलीकट अभयारण्य | 2.00 |
| 4. | कवल अभयारण्य | 3.00 |
| 5. | एतुरनगरम अभयारण्य | 5.00 |
| 6. | शिवाराम अभयारण्य | 1.720 |
| 7. | कौरिंगा अभयारण्य | 1.00 |
| 8. | पपीकोंडा अभयारण्य | 1.00 |
| 9. | मंजीरा अभयारण्य | 0.825 |
| 10. | श्रीवेंकटेश्वर अभयारण्य | 4.425 |
| 11. | कोल्लेरू अभयारण्य | 3.850 |
| 12. | बाघ परियोजना | 14.00 |

**राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 का उल्लंघन**

2403. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले दो वर्ष के दौरान राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां; तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

**गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) जी नहीं; श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**केन्द्र द्वारा शीघ्र निर्णय लिए जाने हेतु राज्य सरकारों से परामर्श**

2404. **श्री सी० माधवरेड्डी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्य सरकारों से परामर्श की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जिससे संबंधित राज्यों के आर्थिक हित की परियोजनाओं को स्वीकृति और वित्तीय सहायता देने के उनके अनुरोध पर केन्द्र द्वारा शीघ्र निर्णय किया जा सके; और

(ख) यदि हां तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रायोजन हेतु योजना आयोग के दलों का किन किन राज्यों का दौरा करने की सम्भावना है ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) ऐसा कोई निर्णय योजना आयोग के रिकार्ड में नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कल्याण**

2405. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है ।

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना अवधि के दौरान जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास को उच्च प्राथमिकता दी है;

(ग) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में विशेषकर आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन से कदम उठाए गए हैं ?

**कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो)** : (क) भारत सरकार ने सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए निम्न लिखित प्रावधान किया है :

(रुपये करोड़ो में)

| | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
|---|---|---|
| (1) विशेष केन्द्रीय सहायता | 930.00 | 756.00 |
| (2) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम | 240.00 | |

इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए राज्य योजनाओं से धनराशि का विमोचन भी आदिवासी उपयोजना और विशेष कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह प्रस्ताव है कि आर्थिक रूप से कमजोर चालीस लाख अनुसूचित जनजाति परि-वारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए । नीति के ब्यौरे सातवीं योजना दस्तावेज के अध्याय 15 में दिए गए हैं ।

(घ) अनुसूचित जनजातियों के लिए विकासात्मक कार्यक्रम भी 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1986, के अन्तर्गत शुरू किए जाएंगे ।

**"चेरनोबिल परमाणु विकिरण से प्रभावित पक्षी"**

2406. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **पर्यावरण** और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइबेरिया आदि से सोवियत संघ होकर भारत आने वाले बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों के सोवियत संघ में कीव में चेरनोबिल से रिसने वाले परमाणु विकिरण से प्रभावित होने का पता लगा है;

(ख) यदि हां; तो इन पक्षियों ने देश में किन-किन पक्षी बिहारों में बसेरा किया है और भारतीय पक्षियों पर परमाणु विकिरण का क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) देश में पक्षियों पर परमाणु विकिरण के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या उपाय किए गए है। और परमाणु विकिरण के परिणामस्वरूप कितने पक्षी मारे गये/मरे हैं ?

**पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जी नहीं

(ख) प्रवासी पक्षियां साइबेरिया तथा अन्य स्थानों से भी भारत में आती हैं और पक्षियां आजकल प्रवास कर रही हैं। ये पक्षियां अभयारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों तथा अन्य स्थानों में भी शरण लेती हैं। सामान्यतः भारत में उनका प्रजनन नहीं होता।

(ग) बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो इस प्रकार की प्रवासी पक्षियों के प्रवास मार्गों और पद्धतियों का पता लगाने के लिए पक्षियों की पहचान के लिए उनके पैरों में छल्ले पहनाने का कार्य करता रहा है, ने विचार व्यक्त किया है कि हमें सोवियत रूस के जिस क्षेत्र के नजदीक चेरनोबिल पावर स्टेशन स्थित है वहां से आने वाला कोई प्रवासी पक्षी प्राप्त नहीं होता। भरपूर चौकसी के एक उपाय के रूप में हम भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र बम्बई से इस प्रयोजन के लिए यादृच्छिक रूप से पकड़े गए कुछ प्रवासी पक्षियों पर विकिरण प्रभाव की जांच करने के लिए कह रहे हैं। देश में विकिरण प्रभाव से किसी पक्षी के मरने की खबर नहीं है।

**न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के लिए आन्ध्र प्रदेश को धनराशि**

2407. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण और आदिवासी लोगों, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग भी शामिल हैं, के जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है;

(ग) क्या यह धनराशि उन विशिष्ट प्रावोजनों के लिए पूरी-पूरी खर्च की गई जिसके लिए वह आवंटित की गई थी; यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ आंध्र प्रदेश को और अधिक धनराशि आवंटित करने के बारे में विचार कर रही है; यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) और (ग) आंध्र प्रदेश की पाँचवी, छठी तथा वार्षिक योजना 1985-86 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के विभिन्न संगठकों के लिए उपलब्ध कराए गए परिव्यय तथा उससे संबंधित व्यय संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं । कमी का मुख्य कारण पोषाहार क्षेत्रक में कम निष्पादन है ।

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों सहित ग्रामीण जनता के जीवन के स्तर में सुधार करने वाले न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के विभिन्न संगठकों के अन्तर्गत उपलब्धियां विवरण II में दी गई हैं ।

(घ) जी; नहीं ।

**विवरण I**

**न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय निष्पादन - आन्ध्र प्रदेश**

(लाख रुपये)

| मद | पांचवीं योजना (1974-79) | | छठी योजना (1980-85) | |
|---|---|---|---|---|
| | परिव्यय@ | व्यय | परिव्यय@ | व्यय |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. प्राथमिक शिक्षा | 1110 | 842 | 5735 | 3767 |
| | | | (उ०न०) | +381 |
| 2. प्रौढ़ शिक्षा | 40 | 11 | 370 | 220 |
| | | | (उ०न०) | +662 |
| 3. ग्रामीण स्वास्थ्य | 644 | 523 | 2934 | 1660 |
| | +156 | +146 | +615 | +533 |
| 4. ग्रामीण जल आपूर्ति | 1395 | 1965 | 9773 | 8777 |
| | | +503 | +1891 | +3350 |
| 5. ग्रामीण सड़कें | 275 | 412 | 2518 | 1687 |
| 6. ग्रामीण विद्युतीकरण | 775 | 209 | 507 | 645 |
| 7. ग्रामीण आवास | 1095 | 1117 | 16300 | 16714 |
| 8. गंदी बस्तियों का सुधार | 318 | 475 | 2068 | 2380 |
| | | | (उ०न०) | +250 |
| 9. पोषाहारा | 742 | 540 | 13040 | 7200 |
| 10. ग्रामीण ऊर्जा | | | | |
| (क) उन्नत चूल्हा | — | — | — | — |
| | | | +48 | +26 |
| (ख) ग्रामीण ईंधन लकड़ी | — | — | — | — |
| | | | +313 | (उ०न०) |
| जोड़ | 6394 | 6094 | 53245 | 43050 |
| | +156 | +649 | +2867 | +5202 |

| मद | सातवीं योजना (1985-90) | 1985-86 | 1986-87 |
|---|---|---|---|
| | परिव्यय | परिव्यय | प्रत्याशित व्यय | परिव्यय |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. प्राथमिक शिक्षा | 9600 | 1200 | 842 | 2336 |
| | (उ०न०) | (उ०न०) | +278 | (उ०न०) |
| 2. प्रौढ़ शिक्षा | 2050 | 215 | 211 | 400 |
| | (उ०न०) | (उ०न०) | +293 | (उ०न०) |
| 3. ग्रामीण स्वास्थ्य | 6739 | 1000 | 662 | 810 |
| | (उ०न०) | +40 | +38 | +6 |
| 4. ग्रामीण जल आपूर्ति | 14000 | 1504 | 2100 | 1700 |
| | (उ०न०) | +1581 | +1587 | +1760 |
| 5. ग्रामीण सड़कें | 2400 | 450 | 450 | 450 |
| 6. ग्रमीण विद्युतीकरण | — | — | — | — |
| 7. ग्रामीण आवास | 21500 | 4600 | 5250 | 4800 |
| 8. गन्दी बस्तियों का सुधार | 3000 | 450 | 844 | 550 |
| 9. पोषाहार | 5360 | 372 | 80 | 198 |
| 10. ग्रामीण ऊर्जा | | | | |
| (क) उन्नत चूल्हा | — | — | —£ | — |
| | (उ०न०) | +70 | +101 | +33 |
| (ख) ग्रामीण ईंधन लकड़ी | — | — | — | — |
| लकड़ी | +649 | +204 | +114* | +120 |
| जोड़ | 64649 | 9791 | 10439 | 11244 |
| | +649 | +1895 | +2411 | +1919 |

@—वार्षिक योजना परिव्ययों के आधार पर परिव्यय प्राप्त किया गया है।

+—आंकड़ों से न्यूनतम् आवश्यता कार्यक्रम के केन्द्रीय संघटक पर परिव्यय/व्यय का पता चलता है।

£—आंसिक रूप में बताये गए हैं।

*—1984-85 के लिए प्रतिपूर्ति के कारण 21 लाख रुपये शामिल हैं।

उ०न०—उपलब्ध नहीं।

विवरण II

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम क्षेत्रकों में वास्तविक निष्पादन-आन्ध्र प्रदेश

| क्र०सं० | मद | कोष्ठक में दर्शाए वर्ष में पहुंचा स्तर | |
|---|---|---|---|
| 1. | साक्षरता | 24.6%(1971) | 29.9%(1981) |
| 2. | प्रतिहजार शिशु मृत्यु दर | 111(1974) | 86(1981) |
| 3. | प्रति हजार मृत्यु दर | 14.6%(1971) | 11.1%(1981) |
| 4. | भूमिहीन श्रमिकों को आवंटित आवास स्थल | 8.52 लाख (31-12-79) | 15.50 लाख (1984-85) |
| 5. | i) स्वास्थ्य उप-केन्द्र | 3994(1979-80) | 6129(1984-85) |
| | ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 420(1979-80) | 555(1984-85) |
| | iii) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | 7(1979-80) | 27(1984-85) |
| 6. | शहरी तंगबस्तियों के विकास के अन्तर्गत समाविष्ट जनसंख्या | उपलब्ध नहीं | 15.62 लाख (1984-85) |
| 7. | पोषाहर कार्यक्रमों के अन्तर्गत समाविष्ट बच्चों/माताओं की संख्या | 0.45 लाख (1979-80) | 8.00 लाख (1984-85) |
| 8. | गरीबी के स्तर से नीचे के लोगों की प्रतिशतता : | | |
| | ग्रामीण | 45.4%(1977-78) | 38.7%(1983-84) |
| | शहरी | 37.2%(1977-78) | 29.5%(1983-84) |
| 9. | ग्रामीण जलपूर्ति के अन्तर्गत समाविष्ट गांव | 4063(1979-80) | 12157(1984-85) |
| 10. | जलपूर्ति के अन्तर्गत ग्रामीण जनसंख्या | 167.4 लाख(1981) | 307.95 लाख(1985) |
| 11. | विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या जिसमें से न्यूनतम् आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकृत गावों की संख्या | 164.25(1979-80) 746(1979-80) | 22854(1984-85) 1548(1984-85) |
| | (ख) ऊर्जा चालित पंप सेटों की कुल संख्या जिसमें से न्यूनतम् आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊर्जा चालित पंपसेटों की संख्या | 405127(1979-80) 797(1979-80) | 646945(1984-85) 2139(1984-85) |
| 12. | सड़कों से जुड़े गांव (जिनकी जनसंख्या 1000 तथा उससे अधिक हो) | 5373 (1980) | 5733 (1985) |

[हिन्दी]

**कमजोर वर्गों के कल्याण कार्यक्रम**

2408. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई भावणि** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न कल्याण कार्यक्रम शुरू किए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) संघ राज्य क्षेत्रों सहित गुजरात और अन्य राज्यों में इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है;

(घ) क्या सरकार का इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990 तक अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए एक करोड़ मकान बनाने का विचार है, और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये कौन-से कदम उठाये गये हैं ?

**कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो)** : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों के विकास के लिए छठी योजना के दौरान एक व्यापक नीति तैयार करके कार्यान्वित की गई जिसमें 3 कम्पोनेंट हैं, अर्थात राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए विशेष कम्पोनेंट प्लान, विशेष केन्द्रीय सहायता और अनुसूचित जाति विकास निगम आदि । इस योजना को 7वीं योजना के दौरान चालू रखा जा रहा है । इसी तरह अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी उपयोजना की ओर विशेष केन्द्रीय सहायता की व्यापक नीति को जारी रखा जा रहा है । "अन्य पिछड़े वर्गों" के लिए अलग योजनाएं केवल राज्य सरकारों द्वारा ही तैयार करके कार्यान्वित की जाती हैं और उनकी देखरेख की जाती है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) और (ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त हुये बन्धुआ मजदूरों के लिए मकानों के निर्माण हेतु 10 लाख मकानों का निर्माण करने का प्रस्ताव है । योजना आर एल ई जी पी के भाग के रूप में शुरू की गई है और इस योजना के लिए नियतन वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर किया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 और 1986-87 के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 225 करोड़ रुपये की कुल धनराशि आवंटित की गई है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक 306.38 करोड़ रुपये की लागत की 3.14 लाख मकानों हेतु आवास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं ।

विवरण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या जिन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने योग्य बनाने के लिए छठी योजना (1980-85) और 1985-86 के दौरान दी गई सहायता

| | | सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | छठी योजना (1980-85) | 1985-86 |
| गुजरात | अनुसूचित जाति | 3,51,864 | 51,550 |
| | अनुसूचित जनजाति | 4,05,095 | 66,995 |
| अखिल भारतीय | अनुसूचित जाति | 1,03,23,710 | 22,72,930 |
| | अनुसूचित जन जाति | 39,66,609 | 8,72,857 |

(अनुवाद)

भारत को विदेशों से खतरा

2409. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
**श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :**
**श्री उमाकांत मिश्र :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 अक्तूबर, 1986 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "इण्डिया फेसिंग फोरेन थ्रेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विभिन्न साम्प्रदायिक वर्गों को विदेशों से सहायता मिल रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :** (क) से (ग) सरकार को जानकारी है कि कुल संस्थान सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यों आदि के लिए विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे हैं। संबंधित एजेंसियां सतर्क हैं और जब कभी विदेशी धन के दुरुपयोग के कोई विशिष्ट मामले ध्यान में आते हैं तो कानून के अन्तर्गत उचित कार्रवाई करती है।

दिल्ली में पुलिस ज्यादतियों के मामलो की जांच

2410. **श्री सुभाष यादव :**
**श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
**श्री मोहम्मद महफूज अली खां :**
**श्री सरफराज अहमद :**
**श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले दो वर्षों के दौरान प्रकाश में आये ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें प्रथम दृष्टया प्रमाण से पुलिस द्वारा या तो जेल में या पूछताछ के दौरान की गई ज्यादतियों का पता चलता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में सुधारात्मक कदम उठाने के बारे में निर्णय लेने के लिए इन सभी मामलों की पूरी जांच कराने का है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) और (ख) ऐसे मामलों के ब्यौरे और इनमें की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है ।

**विवरण**

1. भा०दं०सं० की धारा 354/342/323/506/377/34 के तहत मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 848 दिनांक 19.7.85 थाना कालकाजी ।

19.7.1985 को अम्बेडकर नगर की एक महिला श्रीमती मधु द्वारा थाने में अवैध नजरबन्दी के लिए की गई शिकायत पर उक्त मामला दर्ज किया गया था जिसमें एक उप-निरीक्षक और एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया तथा निलम्बित भी किया गया था । मामला न्यायालय में विचारण के लिए लंबित है ।

2. भा०दं०सं० की धारा 452/323/426/427 के तहत मामला प्र०सू०रि० सं० 192 दिनांक 15.4.86 थाना लाजपत नगर, नई दिल्ली ।

यह शिकायत की गई थी कि थाना लाजपत नगर के कुछ पुलिस अधिकारी लाजपत नगर के मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति गृह के परिसर में घुसे और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और इस गृह में रखे गये व्यक्तियों को पीटा । दक्षिणी जिला की सतर्कता शाखा द्वारा शिकायत की जांच पड़ताल की गई लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ ।

3. भा०द०सं० की धारा 304/330/218/201 के तहत मामला प्र०सू०रि० सं० 176 दिनांक 20.5.86 थाना ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली ।

दिल्ली उच्च न्यायालय को, भा०द०सं० की धारा 309 के अधीन एक मामला जिसमें भारत भूषण नामक एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई थी, की जांच पड़ताल में कुछ असामान्य तथ्य मालूम हुए । संबंधित उप-निरीक्षक तथा हैडकांस्टेबल के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया और इसकी जांच पड़ताल दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा की जा रही है ।

4. भा०दं०सं० की धारा 302/343/330/34 के तहत मामला प्र०सू०रि० सं० 301 दिनांक 25.10.86 थाना गांधीनगर, दिल्ली ।

एक व्यक्ति सूरज सिंह को 12.8.85 को गिरफ्तार किया गया था उसी रात उसे मृत पाया गया । कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा मरणोपरान्त जांच की गई जिसमें निष्कर्ष निकाला कि थाना शकरपुर और गांधीदगर के पुलिस अधिकारी मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे । 6 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है ।

5. मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 336 दिनांक 24.8.86 थाना पटेल नगर, दिल्ली ।

आरोप लगाया गया था कि पुलिस कार्मिकों द्वारा एक व्यक्ति को मार दिया गया है। 3 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

**कर्नाटक द्वारा रबड़ की गोलियों के लिए मांग**

2411. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान रबड़ की कितनी गोलियों के लिए मांग पत्र भेजा;

(ख) मांग की गई मात्रा में से कितनी गोलियों की अब तक सप्लाई की गई है; और

(ग) रबड़ की शेष गोलियों की कब तक सप्लाई किए जाने की सम्भावना है ?

**कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम्)** (क) से (ग) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने, प्रायोगात्मक आधार पर सीमित संख्या में 38 एम० एम० रबड़ की गोलियों (120 ग्राम) का उत्पादन किया है। इन गोलियों की परीक्षण प्रयोजनों के लिए कुछ एक चुने गए राज्यों को वितरित किया गया था। अच्छे परिणामों से प्रोत्साहित होकर सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से कहा गया था कि वे रबड़ की गोलियों की अपनी आवश्यकता बताएं। यह मालूम हो गयी हैं और तदनुसार ही आयुद्ध कारखाने को उनका उत्पादन करने के आदेश दे दिए गए हैं। जब रबड़ की गोलियां देने के लिए उपलब्ध हो जाएंगी तो कर्नाटक सहित, सभी मांग करने वालों की आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी।

**वनों का कटाव**

2412. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में भारी अनुपात में वनों को काटा गया है;

(ख) क्या वनों के विनाश और भूमि कटाव ने गरीबों की पूर्व समस्या को और गम्भीर बना दिया है;

(ग) यदि हां तो जनजातीय क्षेत्रों में वनों के और कटाव पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** (क) कुछ आदिवासी क्षेत्रों के अतिरिक्त कुछ पहाड़ी और पर्वतीय प्रदेशों में भारी अनुपात में वनों को काटा गया है।

(ख) यद्यपि गरीबी को वनों की कटाई और मृदा क्षरण के साथ सहसंबंधित करने के लिए कोई योजनाबद्ध अध्ययन नहीं किया गया है; पर सूचनाएं हैं कि वनों की कटाई और मृदा क्षरण ने जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

(ग) और (घ) किए गए उपाय अथवा किए जाने के लिए प्रस्तावित उपाय ये हैं :-

(1) उन्नत भूमि उपयोग पद्धतियां

(2) हरित कवर के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वनरोपण

(3) परती भूमि विकास

(4) समन्वित नदी घाटी और पारिविकास परियोजनाएं.

(5) महत्वपूर्ण जलसंभरों में मृदा संरक्षण

(6) वन्यजीव वास-स्थल और प्राकृतिक संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा एवं बेहतर प्रबन्ध

(7) जलाने की लकड़ी के निष्कर्षण के कारण वनों पर दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग पर बढ़ावा।

(8) सुरक्षित वन क्षेत्रों में चराई को रोकना

(9) वन सुरक्षा बलों को मजबूत बनाना

(10) उन्नत अग्नि-शामक पद्धतियों का प्रारम्भ

(11) उद्योगों और रेलवे में लकड़ी के प्रतिस्थापन के लिए वस्तुओं की पहचान।

(12) लकड़ी और मुलम्मा की मिलों के कार्य पर कड़ाई से नियन्त्रण

(13) झूम कृषि पर नियन्त्रण।

(14) वन (संरक्षण) अधिनियम; 1980 का कड़ाई से कार्यान्वयन।

**त्रिवेन्द्रम अंतरिक्ष केन्द्र में अंतरिक्ष अनुसंधान**

2413. **श्री के. मोहनदास :**

**प्रो. पी. जे. कुरियन :**

**श्री. वी. एस. विजयराघवन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्रिवेन्द्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्यों के क्षेत्र का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के०आर० नारायणन) :** (क) जी, हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र और त्रिवेन्द्रम के निकट वलियामाला में स्थित द्रव नोदन प्रणाली यूनिट में एक प्रमुख प्रमोचक राकेट विकास परियोजना अर्थात ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी०एस०एल०वी०) तथा अन्य विविध अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए लगभग 460 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक अधिक शक्तिशाली भू-तुल्यकालिक प्रमोचक राकेट (जी०एस०एल०वी०) के विकास के लिए लगभग सौ करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। जिसमें 1993-94 को कालावधि तक द्वितीय पीढ़ी के इन्सैट-II श्रेणी के भू तुल्यकालिक उपग्रहों के प्रमोचन के लिए स्वदेशी प्रमोचन क्षमता के विकास की परिकल्पना की गई है।

**कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए कार्यप्रणाली**

2414. **प्रो० सैफुद्दीन सोज़** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन के बारे में अपनाई गई कार्यप्रणाली की समीक्षा करने की आवश्यकता है;

(ख) उनके मन्त्रालय द्वारा इस समय क्या कार्यप्रणाली अपनाई गई है; और

(ग) तैयार की जा रही नई कार्यप्रणाली की मुख्य बातें क्या हैं ?

**कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी)** : (क) और (ख) आधारी संरचना क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन और 20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन तथा 20 करोड़ और उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय परियोजनाओं का प्रबोधन, अवधि/वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों और सम्बन्धित अधिकारियों की जानकारी में आई/बताई गई असफलता/अधिकता के सन्दर्भ में किया जाता है।

(ग) प्रबोधन प्रणाली में यथासंभव सुधार करने के सतत प्रयास किये जाते हैं।

**लघु उद्योगों द्वारा इलेक्ट्रानिकी सामान का उत्पादन**

2415. **श्री मोहन भाई पटेल** :

**श्री चिन्तामणि जेना** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान के क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योगों को सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) लघु उद्योगों द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक सामान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लघु उद्योग एककों द्वारा निर्माण के लिए आवंटित मदों का बड़े उद्योगों द्वारा निर्माण नहीं किया जायेगा; और

(ङ) देश में लघु क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक उद्योग का विकास करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन)** : (क) जी, हाँ।

(ख) चूंकि लघु क्षेत्र के उद्योगों का विकास राज्यों का विषय है, अतः राज्य सरकार लघु उद्योग क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं को आवश्यक मूल संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

राज्य स्तरीय वित्तीय निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु क्षेत्र की ऐसी इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के विकास के लिए सामान्य सुविधाएं केन्द्रीय सरकार उपलब्ध कराती है।

इलेक्ट्रानिकी उद्योग को, और खासकर लघु तथा मझौले आकार के उद्योगों को, देश के विभिन्न भागों में स्थापित इलेक्ट्रानिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण एवं विकास केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से अंशांकन, परीक्षण तथा विकास संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत दूरदर्शन, टेप रिकार्डर, रेडियो आदि जैसे उद्योग मिनी/माइक्रो कम्प्यूटर जैसे व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग, औद्योगिक प्रक्रिया नियन्त्रण युक्तियां, परिमापन उपकरण आदि तथा एन्टीना, लाउडस्पीकर माइक्रो मोटर, टी० वी० ट्यूनर आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जा उद्योग शामिल हैं।

(घ) कुछ वस्तुएं लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित हैं और इन वस्तुओं के विनिर्माण के लिए संगठित क्षेत्र के उद्योगों को अनुमति नहीं दी जाती है।

(ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में "उद्योग प्राधिकरणों" के पक्ष में विकेन्द्रीकरण करने के लिए सरकार द्वारा 130 इलेक्ट्रॉनिक अन्त्य-उत्पादों की सूची तैयार की गई है, ताकि उनमें और आगे विकास करने का कार्य केन्द्रीय सरकार को पूछे बिना सीधे किया जा सके। इस सूची में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के पक्ष में उत्पादन शुल्क की स्तरित रियायतें भी दी गई हैं जिसमें कुछ ऐसे उत्पादों को छोड़कर जो वित्त मन्त्रालय की विशेष उत्पादन शुल्क नीति के अंतर्गत आते हैं, अन्य इलेक्ट्रानिक उत्पाद शामिल हैं। विभिन्न लघु उद्योग सेवा संस्थानों, उनकी शाखाओं तथा विस्तार केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए विकास आयुक्त (लघु उद्योग क्षेत्र) के कार्यालय द्वारा देश-भर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अभिप्रेरक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं।

**(हिन्दी)**

**"सामाजिक वानिकी परियोजनाएं"**

2416. **प्रो० चन्द्रभान देवी** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार में अब तक किन-किन क्षेत्रों में वनरोपण किया गया है?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजनलाल)** : सामाजिक वानिकी सामान्यतः पूरे बिहार को कवर करती है। स्वीडन से सहायता प्राप्त बिहार सामाजिक वानिकी परियोजना में निम्नलिखित जिले शामिल हैं :

1. साहबगंज (संथाल परगना)
2. दुमका
3. गोड्डा
4. देवघर
5. पलमऊ
6. हजारीबाग
7. गिरिडीह
8. धनबाद
9. सिंहभूम
10. रांची
11. गुमला
12. लोहारडागा

केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण जलाने की लकड़ी की पौधरोपण की योजना में शामिल जिलों के नाम निम्नलिखित हैं :

1. संथाल परगना
2. भागलपुर
3. गिरिडीह
4. धनबाद
5. हजारीबाग
6. गया
7. औरंगाबाद
8. नालन्दा
9. मुंगेर
10. रोहतास
11. नवादा

**रंगीन टेलीविजन सेट का अधिकतम मूल्य**

2417. **प्रो० चन्द्रभानु देवी** : प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रंगीन टेलीविजन सेट का कोई अधिकतम मूल्य निर्धारित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो रंगीन टेलीविजन के मूल्य को एक उचित स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) वाजिब कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में दूरदर्शन सेट उपलब्ध हो सके, इस बात का सुनिश्चय करने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) उत्पादन क्षमताओं पर बगैर किसी ऊपरी सीमा के औद्योगिक अनुमोदन उदारतापूर्वक जारी करना ताकि आर्थिक व्यावहार्यता के स्तर पर उत्पादन किया जा सके तथा प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा मिल सके;

(ii) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त दूरदर्शन समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिसमें भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ (आई टी एम ए) तथा इलेक्ट्रॉनिकी संघटक-पुर्जा उद्योग संघ के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसका उद्देश्य दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करना तथा उस पर निगरानी रखना है;

(iii) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन नामक सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम अपने "सामग्री प्रौद्योगिकी एवं ब्रांड नाम" (एम टी बी) कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योग को आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के साथ-साथ थोक मात्रा में बढ़िया सामग्री खरीदकर तथा उसकी आपुर्ति करके सहायता प्रदान कर रहा है ताकि वाजिब लागत पर गुणवत्ता (क्वालिटी) युक्त उत्पादों का उत्पादन संभव हो; और

(vi) दिनांक 16 जून, 1986 को हाल ही में सरकार द्वारा घोषित एकमुश्त वित्तीय रियायतों के जरिए, समूचे इलेक्ट्रॉनिक्स संघटक-पुर्जा उद्योग द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली खपत योग्य वस्तुओं तथा कच्ची सामग्री और उनके अलग-अलग कल-पुर्जों के व्यापक रेंज के लिए, आयात शुल्क के ढांचे को तर्क-संगत बना दिया गया था। इस उपाय के फलस्वरूप, रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के लिए वाजिब कीमतों पर स्वदेशी संघटक-पुर्जे उपलब्ध कराने में काफी सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

**"मोरिंगा वृक्ष का उपयोग"**

2418. **डा० जी० विजय रामाराव :**

**श्री मानिक रेड्डी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोरिंगा एक भारतीय वृक्ष है किन्तु उपेक्षित है और भारत के बाहर औषध देने वाले, जल शुद्ध करने वाले, तेल मसाला कीट नाशकों आदि के स्त्रोत के रूप में इसके उपयोगों में वृद्धि हो रही है;

(ख) देश में इस वृक्ष को लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या इस प्रगति के संबंध में कोई अध्ययन/विकास कार्य किया गया है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी** : (क) मोरिंगा एक भारतीय वृक्ष है और हमारे देश में इसकी खेती व्यापक रूप से की जाती है। अन्य देशों में भी विभिन्न उपयोगों के लिए इसकी खेती आरम्भ करने की सूचना है।

(ख) और (ग) लोगों द्वारा इस प्रजाति की व्यापक रूप से खेती की जाती है और इसकी पुनर्जनन तकनीक सुप्रसिद्ध है। इसके प्रसारण पर तत्काल अध्ययन करना जरूरी नहीं है।

**भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां**

2419. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986 में अखिल भारतीय सेवा (अनुशासनात्मक और अपील) नियम 1955 के अन्तर्गत अब तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है;

(ख) उनमें से कितने अधिकारी कर्नाटक राज्य संवर्ग से सम्बन्धित हैं;

(ग) 1986 में कर्नाटक के भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई; और

(घ) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वीरेन सिंह एँगती)** : (क) और (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के 83 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाइयां विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के अधीन लम्बित पड़ी हैं। उक्त अधिकारियों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्नाटक संवर्ग के 7 अधिकारी शामिल हैं।

(ग) और (घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्नाटक संवर्ग के तीन अधिकारियों के विरुद्ध छः शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से तीन शिकायतें समुचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दी गई थीं और तीन फाइल कर दी गई थीं क्योंकि इन शिकायतों की जांच करने पर आगे कोई कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया था ।

[हिन्दी]

**हिल इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन की स्थापना**

2420. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इलैक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास के लिए, कुछ कार्य पाचन पूंजी के साथ एक हिल इलैक्ट्रॉनिक कारपोरेशन की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस निगम की स्थापना कब की गई थी और इसकी आरम्भिक पूंजी कितनी थी;

(ग) क्या इस निगम को इन उद्योगों की स्थापना के लिए कुछ आशय पत्र प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक के प्राप्त होने की तारीख सहित उनकी संख्या कितनी है तथा वह किस उद्योग से सम्बन्धित है;

(ङ) क्या निगम ने इन उद्योगों की स्थापना के लिये स्थानों का चयन किया है; और

(च) यदि हां, तो यह कहां पर स्थापित किये जाएंगे तथा ऐसे प्रत्येक उद्योग के संबंध में निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

**उत्तर प्रदेश में आदिवासियों का विकास**

2421. **श्री हरीश रावत** : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में आदिवासी उपयोजनाओं के अन्तर्गत शामिल किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उप योजनावार कितनी धन-राशि नियत की गई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक सम्पूर्ण धन-राशि की व्यवस्था करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के हिस्से से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

**कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो)** : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश की आदिवासी उप योजना में खेड़ी और गोन्डा दो जिलों के क्षेत्र शामिल हैं। खेड़ी जिले के परियोजना क्षेत्र में निघासन तहसील के 41 गांव हैं जबकि गोन्डा जिले के परियोजना क्षेत्र में

बलराम तहसील के 46 गांव हैं। राज्य सरकार ने सातवीं योजना अवधि के लिए राज्य प्लान निधियों में से खेड़ी परियोजना के लिए 479.53 लाख रुपये और गोन्डा माडा पाकेट के लिए 444.20 लाख रुपये देने का अनुमान लगाया है। इसी अवधि के दौरान केन्द्र सरकार, कल्याण मन्त्रालय आई. टी. डी. पी. खेड़ी के लिए 70.00 लाख रुपये की अनुमानित धनराशि और माडगोन्डा के लिए 20.00 लाख रुपये की धनराशि विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त सातवीं योजना अवधि के दौरान राज्य को प्राचीन जनजातियों के विकास के लिए लगभग 50.00 लाख रुपये दिए जायेंगे।

[अनुवाद]

**वैज्ञानिकों में बेरोजगारी**

2422. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच वर्ष पहले वैज्ञानिकों के पूल में पंजीकृत कोई वैज्ञानिक अब भी बेरोजगार है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या हमारे मध्यम और बड़े उद्यमों में अन्तरंग प्रयोगशालाओं की स्थापना से बेरोजगार वैज्ञानिकों को रोजगार मिल जाएगा ;

(घ) क्या विदेशों से प्रौद्योगिकी और उत्पादों का आयात देश में वैज्ञानिकों के बेरोजगार रहने का एक कारण है ; और

(ङ) यदि हां तो स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विरुद्ध अन्तर्निहित इस पक्षपात को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) और (ख) वैज्ञानिक पूल के लिए कोई पंजीकरण नहीं होता। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी. एस. आई. आर.) द्वारा कुछ उच्च योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों, जिनके पास रोजगार नहीं है, को पूल अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है। आमतौर पर यह नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिए होती है। वैज्ञानिक पूल छोड़ने के पश्चात् कितने बेरोजगार शेष हैं, की सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, लगभग 80 प्रतिशत को उनके पूल अधिकारी काल में ही रोजगार प्राप्त करने में सफलता मिली है।

(ग) जी, हां। देश में इस समय लगभग 900 से अधिक अनुसंधान और विकास (आर. एण्ड डी.) की अन्तः प्रयोगशालायें स्थापित हैं, जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग से मान्यता प्राप्त हैं। वर्ष 1975-76 में इन अनुसंधान और विकास यूनिटों में लगभग 13000 कार्मिक रोजगार में थे, जबकि वर्ष 1985-86 में इन कार्मिकों की संख्या बढ़कर लगभग 47000 तक पहुंच गई है। इन अनुसंधान और विकास कार्मिकों में से कुछ वैज्ञानिक जनशक्ति के होंगे।

(घ) जी, नहीं। आयातित प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों में भी आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए वैज्ञानिक जनशक्ति की आवश्यकता पड़ती है। विदेशी सहयोग का प्रस्ताव

करने वाले उद्योग जिनमें रुपये दो करोड़ से अधिक का भुगतान शामिल है, को अनुसंधान और विकास के माध्यम से प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए एक योजना प्रस्तुत करनी पड़ती है। इस योजना का निष्पादन (कार्यान्वयन) करने के लिए वैज्ञानिक जनशक्ति को रोजगार देने की आवश्यकता पड़ती है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**रक्षा उपकरण सप्लाई करने वाली विदेशी कम्पनियों का समर्थक गुट (लाबी)**

2423. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में रक्षा उपकरण सप्लाई करने वाली विदेशी कम्पनियों का एक संगठित समर्थक गुट है ;

(ख) क्या कोई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे कि रक्षा मन्त्रालय में किसी भी स्तर तक इस गुट की पहुंच न हो सके ; और

(ग) क्या सरकार ने रक्षा सामग्री सप्लाई करने वाली विदेशी कम्पनियों को सूचित कर दिया है कि वे सरकार से सीधे बातचीत करें न कि स्थानीय एजेंटों के जरिए ?

**रक्षा मन्त्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह)** : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रेस की रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) विदेशी सप्लायरों के साथ समझौते करने से पूर्व उन्हें सूचित किया जाता है कि सरकार भारतीय एजेंटों को कोई मान्यता नहीं देती है और समझौते सीधे सरकार के साथ किए जाने चाहिए।

**"अभयारण्यों/राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों (नेशनल पार्क) में जानवर"**

2424. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक अभयारण्य राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में विभिन्न जातियों के जानवरों की संख्या क्या है ; और

(ख) लुप्तप्राय जातियों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास करने का प्रस्ताव है ?

**पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) देश के प्रत्येक नेशनल पार्क और अभयारण्य में प्रत्येक पशु प्रजाति की एक पूर्ण सारणी तैयार नहीं की गई है ; केवल मुख्य पशु, पक्षी और सरीसृप प्रजातियों की सारणी तैयार की गई है।

(ख) खतरे में पड़ी प्रजातियों को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयास निम्नलिखित हैं :—

1. वन्यप्राणी संरक्षण पर केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए छठी योजना में रखे गए 1046.89 लाख रुपये के परिव्यय को सातवीं योजना में बढ़ाकर 3500.00 लाख रुपये कर दिया गया है। परिव्यय में और वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन है।

2. खतरे में पड़ी हुई कुछ प्रजातियों और विशेषकर जंगलों में उनकी उत्तरजीविता और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जा रहे संरक्षण उपायों के बारे में विशेष स्थिति सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।

3. चिड़ियाघरों के वैज्ञानिक प्रबन्ध और खतरे में पड़ी प्रजातियों के बन्दी अवस्था में प्रजनन पर बल दिया जा रहा है।

4. "खतरे में पड़ी प्रजातियों को बन्दी अवस्था में प्रजनन और पुनर्वास के लिए सहायता" नामक एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम हाल ही में शुरु की गई है जिसमें कि अभिज्ञात गैर-आवर्ती व्यय की मदों के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबर की भागीदारी रहेगी।

5. वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और गैर कानूनी व्यापार के नियन्त्रण के लिए हाल ही में एक अन्य नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरु की गई है जिसमें कि अभिज्ञात गैर आवर्ती व्यय की मदों के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों की बराबर की भागीदारी रहेगी।

6. सातवीं योजना के लिए 500.00 लाख रुपयों के परिव्यय सहित 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करने के लिए असम में गैण्डों के संरक्षण हेतु एक विशेष स्कीम स्वीकृत की गई है।

7. वन्यप्राणी और उनके उत्पादों के लिए आयात-निर्यात नीति को और कठोर बनाया जा रहा है।

8. विद्यमान संरक्षित क्षेत्रों और साथ-साथ जहां आवश्यक हो नये संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए विद्यमान राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों तथा खतरे में पड़ी हुई प्रजातियों के वास स्थलों, जिनको कि अभी तक उपरोक्त संरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं किया गया, के सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।

9. वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन किया जा रहा है।

10. भारतीय वन्यप्राणी संस्थान, जिसे हाल ही में स्वायत्त स्तर पर प्रदान किया गया है, वन्यप्राणी प्रबन्धकों को प्रशिक्षण देगा और वन्यप्राणियों पर अनुसंधान करेगा।

[हिन्दी]

**"मध्य प्रदेश में सड़कों के लिए भूमि का हस्तांतरण"**

2425. **श्री महेन्द्र सिंह :**

**श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में वन विभाग द्वारा वन क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली सड़कों के लिए भूमि का हस्तान्तरण न किए जाने के कारण ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत डाकू-प्रभावित और आदिवासी क्षेत्रों में स्वीकृत की जा चुकी सड़कों के निर्माण में बाधा पड़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इन सड़कों का निर्माण कार्य तेज करने के उद्देश्य से स्वीकृत की जा चुकी सड़कों के लिए राज्य स्तर पर भूमि का अन्तरण करने के लिए मध्य प्रदेश वन विभाग को अनुमति दे रही है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस समस्या को हल करने के लिए कोई नीति बनाई जा रही है ; और

(घ) इसे कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

**केरल के आदिवासियों के पुनर्वास के कार्य में हुई प्रगति**

2426. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अट्टापड्डी और इडुक्की आदिवासी क्षेत्रों की प्रधान मन्त्री की यात्रा के पश्चात् आदिवासियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में यदि कोई प्रगति हुई है तो क्या उस पर अनुवर्ती रिपोर्ट मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो वहां हुए सुधार का ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

**कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो)** : (क) जी, हां।

(ख) टी० बी० और रेडियो सैटों से सम्बद्ध सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना, धुआं रहित चूल्हों की सप्लाई, पेन्यार टाइगर परियोजना के कारण आदिवासी परिवारों का पुनर्वास, कार्मिक मन्त्रालय की देखरेख में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालन जैसी अनेक लघु योजनाओं के अतिरिक्त, अट्टापड्डी में आदिवासियों के लिए एक स्वास्थ्य परियोजना स्कीम 1.70 लाख रु० की कुल लागत से स्वीकृत की गई है और इस स्कीम में प्रगति हो रही है।

आदिवासी उप योजना कार्यक्रमों के कार्य को भी सरल बनाया जा रहा है।

[हिन्दी]

**कम्प्यूटर किटों का आयात**

2427. **प्रो० चन्द्रभानु देवी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर की तैयार किटों का आयात किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन किटों के आयात में कमी करने और देश के भीतर ही उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठाना है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) प्रक्रिया नियन्त्रण के लिए कुछ विशिष्ट किस्म के कम्प्यूटरों एवं मेनफ्रेम सुपर मिनी रेंज के कम्प्यूटरों के लिए चरण-बद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पी. एम. पी.) के एक भाग के रूप में कुछ किटों का आयात किया जाता है। किन्तु, मिनी-कम्प्यूटरों/माइक्रो-कम्प्यूटरों पर आधारित प्रणालियों का विनिर्माण करने के लिए चरण बद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पी. एम. पी.) के अन्तर्गत दिए गए अनुमोदनों में बने बनाए (रेडीमेड) किटों का आयात शामिल नहीं है।

(ख) और (ग) जी, हां। विनिर्माण कार्यक्रम पर चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पी.एम.पी.) के अन्तर्गत ही अमल किया जाता है। जिसकी नीति आर्थिक व्यवहार्यता को मद्देनजर रखते हुए क्रमशः स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना है। जैसे-जैसे मिनी-कम्प्यूटरों की मांग बढ़ेगी, वैसे-वैसे यह आशा की जाती है कि स्वदेशी संघटक-पुर्जे (कॉम्पानेंट्स) की उपलब्धता में भी वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

**"सातवीं पंचवर्षीय योजना में वन रोपण लक्ष्य"**

2428. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं योजना में वनरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सातवीं योजना में राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है ; और

(घ) क्या सातवीं योजना में जम्मू और कश्मीर, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे सीमावर्ती राज्यों को इस वनरोपण कार्यक्रम में कोई प्राथमिकता दी गई है ?

**पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी)** : (क) जी, हां।

(ख) 1985-86 से 1989-90 तक की अवधि के लिए वनरोपण हेतु संदर्श योजना नीचे दी गई है :—

| वर्ष | लक्ष्य (मिलियन हेक्टेयर में) | संचयन |
|---|---|---|
| 1985-86 | 1.5 (प्राप्त) | 1.5 |
| 1986-87 | 1.7 | 3.2 |
| 1987-88 | 2.3 | 5.5 |
| 1988-89 | 3.0 | 8.5 |
| 1989-90 | 4.0 | 12.5 |

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए वानिकी क्षेत्र के तहत परिव्यय और सामाजिक वानिकी सहित वनरोपण के लिए अनुमानित परिव्यय का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) प्राथमिकता निम्नलिखित के वनरोपण के लिए है :

(1) देश का पारि-संवेदनशील हिमालयी प्रदेश।

(2) सूखा-प्रवण क्षेत्र एवं रेगिस्थान प्रदेश।

(3) समुद्रतटीय क्षेत्र।

(4) जलाने की लकड़ी और ऐसी ही वस्तुओं की आपूर्ति में अपूर्ण क्षेत्र।

सीमावर्ती राज्यों के लिए कोई अन्य प्राथमिकता नहीं है।

**विवरण**

**सातवीं योजना के तहत वनरोपण हेतु, पूर्वानुमानित परिव्यय**

(लाख रु० में)

| क्र० सं० | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय वानिकी सेक्टर | सातवीं योजना हेतु सामाजिक वानिकी सहित वनरोपण के लिए अनुमानित परिव्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 6570 | 4599 |
| 2. | असम | 7000 | 4900 |
| 3. | बिहार | 4500 | 3150 |
| 4. | गुजरात | 12964 | 9075 |
| 5. | हरियाणा | 6700 | 4690 |
| 6. | हिमाचल | 11684 | 8179 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 3392 | 2374 |
| 8. | कर्नाटक | 6200 | 4340 |
| 9. | केरल | 7000 | 4900 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 7877 | 5514 |
| 11. | महाराष्ट्र | 10600 | 7420 |
| 12. | मणिपुर | 1441 | 1009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 13. | मेघालय | 2900 | 2030 |
| 14. | नागालैण्ड | 1800 | 1260 |
| 15. | उड़ीसा | 4500 | 3150 |
| 16. | पंजाब | 3200 | 2240 |
| 17. | राजस्थान | 4986 | 3489 |
| 18. | सिक्किम | 950 | 665 |
| 19. | तमिलनाडु | 7000 | 4900 |
| 20. | त्रिपुरा | 1500 | 1050 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 16200 | 11340 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 5045 | 3531 |
| | कुल राज्य | 134008 | 93805 |
| 23. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1200 | 840 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 3000 | 2100 |
| 25. | चंडीगढ़ | 162 | 113 |
| 26. | दादर और नगर हवेली | 429 | 300 |
| 27. | दिल्ली | 210 | 147 |
| 28. | गोआ, दमन और द्वीप | 600 | 420 |
| 29. | लक्ष्यद्वीप | — | — |
| 30. | मिजोरम | 1500 | 1050 |
| 31. | पाण्डिचेरी | 130 | 91 |
| | योग : केन्द्र शासित प्रदेश | 7231 | 5061 |
| | कुल योग | 141239 | 98866 |

**उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी के वृक्षों का रोपण**

2429. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण ईंधन लकड़ी वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में वृक्ष रोपण का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देश तटीय आश्रय पट्टी (कोस्टल शेल्टर बेल्ट) कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता दे रहे हैं;

(ग) यदि हां तो गत तीन वर्षों के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों और केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा के समुद्र तट क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कितनी धनराशि दी है; और

(घ) उन क्षेत्रों में आरम्भ किए गए वृक्षारोपण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे इकट्ठे किए जाएंगे और सदन के पटल पर रखे जाएंगे।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के समुद्रतटीय क्षेत्रों में पौधरोपण कार्यक्रम हेतु ग्रामीण जलाने की लकड़ी की पौधरोपण सहित केन्द्र द्वारा प्रायोजित सामाजिक वानिकी के तहत केन्द्रीय सरकार ने 114.45 लाख रुपये की राशि का अनुदान दिया। ई.ई.सी. द्वारा दिए गए निधि का ब्यौरा इकट्ठा किया जायेगा और सभा पटल पर रखा जाएगा।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के समुद्रतटीय जिलों में ग्रामीण जलाने की लकड़ी की पौधरोपण की योजना के तहत बढ़ाये गये पौधरोपण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

| जिलों का नाम | बढ़ाई गई पौधरोपण (हेक्टेयर में) | | |
|---|---|---|---|
| | 1983—84 | 1984—85 | 1985—86 |
| बालासोर | 1983.00 | 1190.00 | 666.00 |
| कटक | 2478.68 | 712.50 | 500.00 |
| पुरी | 2641.82 | 1820.00 | 1422.00 |
| गंजाम | — | — | 200.00 |

**हाथियों द्वारा पार न की जा सकने वाली खाइयां बनाने हेतु केन्द्रीय सहायता**

2430. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में चन्दका हाथी अभयारण्य में हाथियों द्वारा पार न की जा सकने वाली खाइयां बनाने तथा अन्य गतिविधियों के लिए केन्द्रीय सरकार से कितनी धनराशि की सहायता मांगी थी;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) उड़ीसा राज्य को गत तीन वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है।

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** (क) और (ख) अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत अनिवार्य

अभिनिर्धारित मदों पर वर्ष 1984-85 के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा मांगे गए 49.60 लाख रुपयों के मुकाबले 16 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। वर्ष 1984-85 के दौरान चन्दका हाथी अभयारण्य के विकास के लिए राज्य सरकार को 8.00 रुपये की राशि दी गई थी। इस राशि के पूर्ण उपयोग का प्रमाणपत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान क्रमशः 51.50 लाख रुपये और 70.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की गई थी। धनराशि का आगे बंटन पूर्ण रूप से कार्य की प्रगति पहले दी गई निधियों का उपयोग और जिस मद के लिए धनराशि की मांग की गई है उसके वास्तविक संरक्षण उद्देश्य पर निर्भर करेगा।

(ग) चन्दका हाथी अभयारण्य की सुरक्षा और विकास के लिए वर्ष 1984-85 के दौरान उड़ीसा सरकार को जिन मदों पर केन्द्रीय सहायता दी गई थी; उन्हें नीचे दिया जा रहा है :-

1. 60 किलोमीटर पर विद्युत बाढ़ लगाना।
2. प्राकृतिक वासस्थलों का सुधार।
3. जल की सुविधायें देने के लिए 6 तालाब खोदना।
4. सड़कों का निर्माण।
5. ट्रेलर सहित डीजल चालित जीप की खरीद।
6. ट्राली सहित ट्रैक्टर की खरीद
7. क्षेत्र और प्रयोगशाला उपकरणों (इक्विपमेंट) की खरीद
8. भूमि अधिग्रहण

**जनरल स्टोर्स सप्लाइज में कर्मचारियों की संख्या और सप्लाई प्राप्त करने के लिए मार्गनिर्देश**

2431. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनरल स्टोर्स सप्लाइज के विभाग में कर्मचारियों की संख्या 31 दिसम्बर; 1984 को कितनी थी; और इस समय कितनी है;

(ख) मान्यता प्राप्त ठेकेदारों और ओ. सी. एम. को आर्डर देने संबंधी नियम; मिनियम; प्रक्रिया और मार्गनिर्देश क्या हैं;

(ग) क्या मान्यता प्राप्त ठेकेदारों में कोई असंतोष है; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे है ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) जनरल स्टोर्स सप्लाई नाम का कोई विभाग नहीं है। लेकिन निरीक्षण महानिदेशालय में एक निरीक्षण (स्टोर्स) निदेशालय और एक तकनीकी समिति (स्टोर्स) भी हैं; ये दोनो स्थापनाएं रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में आते हैं। इस तकनीकी समिति के

अध्यक्ष निरीक्षण (स्टोर्स) निदेशक होता है। 31-22-1984 को निरीक्षण (स्टोर्स) निदेशालय एवं तकनीकी समिति (स्टोर्स) के स्टाफ की प्राधिकृत संख्या क्रमश: 4605 एवं 8 थी और इस समय 4250 और 8 है।

(ख) सरकार की खरीद संबंधी निर्धारित पद्धतियों का पालन करके मान्यता प्राप्त ठेकेदारों को आर्डर दिए जाते हैं। तकनीकी समिति (स्टोर्स) या रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग के सप्लाई डिवीजन ने अभी तक ओ० सी० एम० को कोई आर्डर नही दिया है।

(ग) इस संबंध में इस विभाग को कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**वर्षा में कमी का रुख**

2432. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि हाल ही के वर्षों में विभिन्न राज्यों में वर्षा निरन्तर कम होती जा रही है

(ख) यदि हां; तो वर्षा में कमी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या ठोस उपाय करने का विचार है।

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन)** : (क) भारत के किसी भी क्षेत्र में वर्षा के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया है। जो परिवर्तन देखे गए हैं वे आकस्मिक हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

**ब्लैक कैट कमांडो यूनिफार्म**

2433. **श्री सुभाष यादव** :
**श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
**श्री०एम० रघुमा रेड्डी** :
**श्री नित्या नन्द मिश्र** :
**श्री सनत कुमार मंडल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि कमांडो ब्लैक कैट यूनीफार्म, जिनकी संख्या 100 होगी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गायब हो गई है;

(ख) यदि हां; तो क्या इस घटना की कोई जांच की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) से (ग) इस प्रकार के ब्लैक कैट कमांडो नहीं हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कर्मिकों के प्रयोग के लिए काली डांगरियों के 29 बंडल, 1 अगस्त 1986 को ग्वालियर से नई दिल्ली के लिए रेलवे में बुक कराए गए थे। 9 अगस्त 1986 को नई दिल्ली

रेलवे स्टेशन पर डिलीवरी के समय दो बडल, जिनमें 92 डांगरिया थी, कम पाई गई । रेलवे पुलिस में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है । और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है ।

"शोर से उत्पन्न प्रदूषण पर नियन्त्रण"

2434. **श्री सभाव यादव :**
**श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
**श्री एम० रामा रेड्डी :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेष रूप से महानगरों में, शोर से उत्पन्न प्रदूषण में बहुत वृद्धि हुई है

(ख) यदि हां, तो शोर से उत्पन्न प्रदूषण को निम्नतम स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ध्वनि प्रदूषण की प्रवृत्ति को अभिनिश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है । यद्यपि महानगरों में पायलट सर्वेक्षण के अनुसार, कुछ स्थानों में ध्वनि स्तर यातायात के चरम समय के दौरान 85 डेसिबल से अधिक है । स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सिविल कानून के तहत उठाए गए कदमों में निम्नलिखित हैं : सड़क और यातायात में सुधार, शोर उत्पन्न करने वाले हार्न के प्रयोग पर प्रतिबन्ध, भारी वाहनों का नियन्त्रित आवागमन और प्रचार अभियान ।

पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 में ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण उपाय लागू करने का प्रावधान शामिल है ।

(ग) जी नहीं ।

**पूरी की जा चुकी केन्द्रीय परियोजनायें**

2435. **डॉ० सुधीर राय :** क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय औद्योगिक, बिजली रेलवे, सिंचाई और अन्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनकी प्रधान मन्त्री ने वर्ष 1980 से 1985 तक की अवधि के दौरान आधारशिला रखी थी ; और

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिन्हें पूरा कर लिया गया है, जिन्हें अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है और उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी पूरा किया जाना है ?

**कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएंगी ।

**पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम**

2436. **श्री गदाधर साहा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल के लिए शामिल की गई केन्द्रीय प्रायोजित औद्योगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनायें क्या हैं ; और

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्रक के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में एक गहन रेशम उत्पादन विकास परियोजना शामिल है। इस केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना की पांच वर्ष की अवधि में अनुमानित लागत 9.66 करोड़ रु० है। हथकरघा क्षेत्र के अन्तर्गत तीन नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् बचत निधि स्कीम हथकरघा और बुनकरों के लिए वर्कशैड तथा मकान, और सांख्यिकी एकत्र करने से प्राप्त होने वाले लाभ अन्य राज्यों के साथ बंगाल राज्य को भी मिलेंगे। केन्द्रीय क्षेत्रक में बड़े और मझौले उद्योगों में कोई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें नहीं हैं। तथापि सातवीं योजना के परिव्ययों सहित पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं/स्कीमों की सूची संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) और (ग) राज्य क्षेत्रक के लिए सातवीं योजना में शामिल करने के वास्ते, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित स्कीमों की सूची सातवीं योजना के परिव्ययों सहित संलग्न विवरण II में दी गई है।

**विवरण I**

**पश्चिम बंगाल राज्य के लिए केन्द्रीय औद्योगिक तथा खनिज परियोजनों के लिए सातवीं योजना परिव्यय**

(करोड़ रु० में)

| क्रम सं० | उद्यम/यूनिट/स्कीम का नाम | सातवीं योजना (1985-90) परिव्यय |
|---|---|---|
| 1. | **दुर्गापुर इस्पात संयंत्र** | 688.03 |
| | (क) कैप्टिव पावर प्लांट | 28.03 |
| | (ख) परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन, नवीकरण शहरीकरण इत्यादि | 200.00 |
| | (ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रम (नई स्कीम) | 460.00 |

(करोड़ रु० में)

| क्रम सं० | उद्यम/यूनिट स्कीम का नाम | आठवीं योजना (1985-90) परिव्यय |
|---|---|---|
| 2. | **मिश्रधातु इस्पात संयंत्र** | 94.23 |
| | (क) विस्तार स्तर I तथा 2 | 66.23 |
| | (ख) परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन, नवीकरण, शहरीकरण आदि | 28.00 |
| 3. | **इन्डियन आयरन व स्टील कम्प० लि०** | 151.65 |
| | (क) नम्बर 10 कोक ओवन बैटरी कम्पलैक्स | 1.77 |
| | (ख) नम्बर 5, कोक ओवन बैटरी कम्पलैक्स | 57.88 |
| | (ग) परिवर्धन, संशोधन, शहरीकरण आदि | 87.00 |
| | (घ) नई स्कीमें (आधुनिकीकरण आदि) | 25.00 |
| 4 | **बाइको लॉरी एण्ड कम्प० लि०** | 0.10 |
| 5. | **ब्रिज रूफ एण्ड कम्प० लि०** | 15.00 |
| 6. | **बालमेर लॉरी खण्ड कम्प० लि०** | 3.61 |
| 7. | **हिन्दुस्तान उर्वरक कम्प० दुर्गापुर तथा हल्दिया** | 73.68 |
| | (क) केप्टिव पावर प्लांट दुर्गापुर | 2.14 |
| | (ख) हल्दिया परियोजना | 41.98 |
| | (ग) अमोनिया स्टोरेज सुविधा | 1.52 |
| | (घ) केप्टिव पावर प्लांट हल्दिया | 2.64 |
| | (ङ) रेवम्पिंग, दुर्गापुर | 20.00 |
| | (च) परिवर्तन, नवीकरण, दुर्गापुर | 5.40 |
| | (छ) उर्वरक डिवीजन प्रोग. के लिए एच. एफ. सी. से अनुदान | 9.00 |
| | (ज) इंडो-ईईसी फर्टिलाइजर डिवीजन प्रो. के अधीन अनुदान | 3.00 |
| 8. | **बंगाल कैमिकल्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्ज लि०** | 3.00 |
| 9. | **बंगाल इम्यूनिटी लि०** | 5.00 |
| 10. | **स्मिथ स्टैंस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्ज लि०** | 3.00 |
| | **इंजीनियरिंग यूनिट (सार्वजनिक उद्यम)** | 179.52 |

(करोड़ रु० में)

| क्रम सं० | उद्यम/यूनिट/स्कीम का नाम | सातवीं योजना (1985-90) परिव्यय |
|---|---|---|
| 11. | भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वज लि० | 3.50 |
| 12. | ब्रैथवेटी एण्ड कम्पनी लि० | 23.00 |
| 13. | बर्न स्टैन्डर्ड कम्प० लि० | 39.22 |
| 14 | जेसॉप एण्ड कम्पनी लि० कलकत्ता | 11.00 |
| 15. | माइनिंग एण्ड स्लाइड मशीनरी कार्पो० | 8.00 |
| 16. | भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजी० लि० | 14.00 |
| 17 | लेखन जूट मशीनरी कम्पनी लि० | 4.00 |
| 18. | हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजी० लि० | 7.00 |
| 19. | टायर कार्पो० ऑफ इंडिया, कल्याणी | 30.00 |
| 20. | भारत आप्थलमिक ग्लास कम्पनी | 14.00 |
| 21. | सीमेंट.कार्पो० ऑफ इंडिया-जूट बैग्ज | 2.00 |
| 22. | हिन्दुस्तान केबिल्स | 6.00 |
| 23. | नेशनल इंस्ट्रूमैंट्स लि० | 5.00 |
| 24. | साइकिल कार्पो० ऑफ इंडिया | 7.00 |
| 25. | एन्ड्रू यूले एण्ड कम्पनी | 25.00 |
| | जहाज निर्माण तथा मरम्मत | 21.00 |
| 26. | कलकत्ता पोर्ट पर आधुनिक जहाज मरम्मत सुविधा | 3.75 |
| 27. | कलकत्ता पोर्ट पर जहाज मरम्मत तथा [illegible] सुविधा (नई स्कीमें) | 17.25 |
| 28. | भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता | 5.44 |
| 29. | हिन्दुस्तान वनस्पति तेल कार्पो० लि० | 3.50 |
| 30. | चाय ट्रेडिंग कार्पो० कलकत्ता | 1.00 |
| 31. | एक्सपोर्ट प्रोमोशन जोन (फाल्टा) | 4.79 |
| 32. | एक्सपोर्ट प्रोमोशन जोन (विस्तार) | 2.60 |
| 33. | नेशनल जूट कार्पो० (आधुनिकीकरण, अम शक्तिकरण) | 8.00 |
| 34. | पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय परीक्षण घर, कलकत्ता | 0.75 |
| | जोड़ | 1231.90 |

## विवरण-II

राज्य : पश्चिम बंगाल

### सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)

बड़े तथा मझोले उद्योग, खनन और ग्राम तथा लघु उद्योग क्षेत्रकों के लिए परिव्यय

करोड़ रु०

| क्रम सं० | स्कीम/इकाई/उपक्रम का नाम | सातवीं योजना परिव्यय | |
|---|---|---|---|
| | | राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित | सहमत परिव्यय |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| क. | **बड़े तथा मझौले उद्योग** | | |
| | 1. बैंकिंग कम्पनी<br>2. पश्चिम बंगाल वित्तीय निगम में निवेश<br>3. पश्चिम बंगाल वित्तीय निगम को ऋण<br>4. पश्चिम बंगाल वित्तीय निगम के लिए उद्गम सहायता सैल को चलाने के लिए अनुदान | 950.00 | 900.00 |
| | 5. पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम | 7370.00 | 5000.00 |
| | 6. पश्चिम बंगाल इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग विकास निगम | 5000.00 | 5000.00 |
| | 7. पश्चिम बंगाल फारमेसटिकल तथा तकनीकी विकास निगम | 500.00 | 400.00 |
| | 8. पश्चिम बंगाल चीनी उद्योग विकास निगम | 200.00 | 170.00 |
| | 9. पश्चिम बंगाल चाय विकास निगम | 300.00 | 275.00 |
| | 10. पश्चिम बंगाल औद्योगिक आधार संरचनात्मक विकास निगम | 1500.00 | 1000.00 |
| | 11. हल्दिया पैट्रो रसायन | 100.00 | 100.00 |
| | 12. फाल्टा निर्यात प्रक्रिया जोन | 1760.00 | 1500.00 |
| | 13. प्रदर्शनी केन्द्र | 50.00 | 40.00 |
| | 14. सिनोवोन महानिदेशालय | 400.00 | 300.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | 15. ओरियन्टल गैस कम्पनी | 2520.00 | 250.00 |
| | 16. अन्य परियोजनायें | | 1050.00 |
| | 17. सार्वजनिक उद्गम | 3919.00 | 3415.00 |
| | 18. औद्योगिम पुनर्निर्माण | 2500.00 | 2200.00 |
| | जोड़ (बड़े तथा मझौले उद्योग) | 27069.00 | 21600.00 |
| ख. | खनन और खनिज | 1097.00 | 800.00 |
| ग. | ग्राम और लघु उद्योग | | |
| | 1. औद्योगिक सम्पदा सहित लघु स्तर उद्योग | 52.75 | 27.75 |
| | 2. खादी तथा ग्राम उद्योग | 5.50 | 3.00 |
| | 3. खादी तथा ग्राम उद्योग | 50.00 | 32.00 |
| | 4. रेशम कीट पालन | 35.00 | 24.00 |
| | 5. हस्तशिल्प | 5.85 | 3.00 |
| | 6. नारियल जटा | 0.55 | 0.25 |
| | जोड़ (ग्राम तथा लघु उद्योग) | 149.65 | 90.00 |
| | कुल जोड़ (क+ख+ग) | 28315.65 | 22490.00 |

**नई दिल्ली व्यापार कर्मचारी संघ द्वारा अभ्यावेदन**

2437. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली व्यापार कर्मचारी संघ ने अपनी सेवा मामलों से संबंधित कठिनाइयों और परेशानियों का समाधान करने का अनुरोध करते हुए कई अभ्यावेदन दिए हैं;

(ख) क्या ये सभी अथवा इनमें से कुछ समस्यायें श्रम अधिनियम की सीमा के अन्तर्गत आती हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी समस्याओं का ब्यौरा क्या है और सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**राज्यों में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए "बुलेट प्रूफ" जैकटों की आवश्यकता**

2438. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेटों की अपनी आवश्यकता हेतु मांग पत्र भेजने को कहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने इसके लिए कोई मांग पत्र भेजा है;

(ख) किन-किन राज्यों ने मांग पत्र भेजे हैं;

(घ) कुल कितनी बुलेट प्रूफ जैकेट आयात की जायेंगी; और

(ङ) प्रत्येक बुलेट प्रूफ जैकेट का मूल्य कितना है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) से (ङ) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से, अत्यन्त खतरनाक ड्यूटियों पर तैनात उनके पुलिस कार्मिकों के लिए बुलेट-प्रूफ वास्कटों की न्यूनतम आवश्यकता का बताने के लिए कहा गया था। सरकार के समक्ष अब तक रखी गई मांग (कर्नाटक से प्राप्त मांग सहित) के आधार पर बुलेट प्रूफ वास्कटों का आयात करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक वास्कट की कीमत, इसके आकार, किस्म और अन्य विशिष्टताओं के अनुसार अलग-अलग होगी। आयात की जाने वाली वास्कटों की संख्या बताना जनहित में नहीं होगा।

ये वास्कटें अति विशिष्ट व्यक्तियों के प्रयोग के लिए नहीं हैं।

**21 अक्तूबर, 1986 को वरिष्ठ अधिकारियों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गए छापे**

2439. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :**
**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
**श्री बुद्धिचन्द्र जैन :**
**श्रीमती गीता मुखर्जी :**
**श्री मोहम्मद महफूज अली खां**
**श्री सुभाष यादव :**
**श्री एम० रघुमा रेड्डी :**
**श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 21 अक्तूबर, 1986 को पूरे देश में केन्द्रीय सरकार और सरकारी उपक्रमों के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के परिसरों की तलाशी ली थी और उन पर छापे मारे थे; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या क्या है और उनके संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाही की गई है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती)** (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज 27 मामलों के अनुसरण में 21-10-1986 को विभिन्न शहरों में छापे मारे हैं। इन अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निष्कर्षों के आधार पर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

**स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी में शीघ्रता**

2440. **श्री टी० बशीर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी के बहुत से मामले अभी भी सरकार के पास लम्बित पड़े हैं,

(ख) यदि हां, तो 31 अक्टूबर, 1986 को कितने आवेदन, राज्यवार, सरकार के पास निर्णय के लिए लम्बित थे;

(ग) क्या दावेदारों की वृद्धावस्था को देखते हुए जिनके इस पेंशन की मंजूरी के बाद उसका लाभ पाने हेतु अधिक समय तक जीवित रहने की संभावना नहीं है, इन सभी मामलों के निपटाने के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति की 40वीं वर्षगांठ अर्थात 15 अगस्त, 1987 को निर्धारित तिथि के रूप में नियत किया जायेगा, और

(घ) पेंशन के मामलों को शीघ्रता से मंजूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : (क) से (घ)31-10-86 को लम्बित पड़े हुए आवेदनों की सं० 5727 है जिसमें से 1535 मामले सामान्य श्रेणी के हैं, 2927 उन व्यक्तियों के हैं जिन्होंने दावा किया है कि वे हैदराबाद के भूतपूर्व निजाम के विरुद्ध संघर्ष में शामिल हुए थे जिनकी केन्द्रीय स्तर पर गठित गैर सरकारी जांच समिति द्वारा संवीक्षा की जानी है तथा 1265 आवेदन मई तथा जून, 1986 में आर्य समाज आन्दोलन के उन भागीदारों से प्राप्त हुए थे जिसे हाल ही में सम्मान पेंशन के प्रयोजन के लिए मान्यता दी गई है। आर्य समाज के मामलों पर पृथक गैर सरकारी समिति द्वारा भी निर्णय लिया जायेगा जिसका गठन केन्द्रीय स्तर पर किया गया है।

ज्योंही सम्बन्धित समितियों की सिफारिशें उपलब्ध होंगी समिति के मामलों को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। सभी मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए गहन प्रयास किये जा रहे हैं। 31-10-1986 को लम्बित आवेदनों (राज्यवार) का एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

| क्रम सं० | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | लम्बित आवेदनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 195 |
| 2. | असम | 53 |
| 3. | बिहार | 730 |
| 4. | कर्नाटक | 2 |
| 5. | केरल | 56 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 242 |
| 7. | महाराष्ट्र | 68 |
| 8. | मेघालय | 5 |
| 9. | नागालैण्ड | 4 |
| 10. | उड़ीसा | 19 |
| 11. | तमिलनाडु | 4 |
| 12. | त्रिपुरा | 8 |

| क्रम सं० | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | लम्बित आवेदनों की संख्या |
|---|---|---|
| 13. | पश्चिम बंगाल | 60 |
| 14. | चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र) | 2 |
| 15. | दिल्ली | 19 |
| 16. | गोवा | 65 |
| 17. | पाण्डिचेरी | 3 |
| | | 1535 |
| **हैदराबाद समिति मामले** | | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 350 |
| 2. | महाराष्ट्र | 2276 |
| 3. | कर्नाटक | 301 |
| | | 2927 |
| **आर्य समाज समिति मामले** | | |
| | (सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र) | |
| **लम्बित आवेदनों का कुल जोड़** | | 1265 |
| 1. सामान्य श्रेणी के मामले | | 1535 |
| 2. हैदराबाद समिति के मामले | | 2927 |
| 3. आर्य समाज समिति के मामले | | 1265 |
| | कुल योग | 5727 |

**जम्मू और कश्मीर में संगठनों के लिए विदेशों से धन प्राप्त होना**

2441. **श्री पी० नामग्याल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में अनेक राजनैतिक सामाजिक और अन्य रूढ़ीवादी तथा भारत विरोधी संगठन विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं, वे किन-किन देशों से धन प्राप्त कर रहे हैं तथा उन्हें गत पांच वर्षों के दौरान कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)**: (क) विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रमों वाले संगठन स्वयं का विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के अधीन पंजीकरण करवाने के बाद अथवा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से विदेशी अंशदान स्वीकार कर सकते हैं ।

(ख) जम्मू तथा कश्मीर में पिछले पांच वर्षों अर्थात् 1980 से 1984 तक के दौरान इन संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के अधीन प्राप्त किये विदेशी अंशदान की कुल राशि जिसकी सूचना दी गई है, इस प्रकार है :—

| वर्ष | प्राप्त किए गए विदेशी अभिदान की राशि रुपयों में |
|---|---|
| 1980 | 24, 10, 857 |
| 1981 | 20, 21, 114 |
| 1982 | 30. 37, 531 |
| 1983 | 20, 92, 895 |
| 1984 | 98, 25, 546 |

संगठनों के नामों और उन देशों के नामों, जिनसे वे धन प्राप्त कर रहे हैं, से संबंधित सूचना इतनी विस्तृत है कि इसको सभा पटल पर रखना व्यवहारिक नहीं है ।

**राजस्थान में बंगला देश के नागरिकों की गिरफ्तारी**

2442. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में हाल ही में बंगला देश के अनेक नागरिकों को, जब वे दिल्ली से रेलगाड़ी से पहुंचे, गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो ये लोग हमारे देश में किस प्रकार प्रवेश कर गए और उन्हें राजस्थान में हनुमानगढ़ पहुंचने तक में नहीं पकड़े जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) गैर-कानूनी प्रवेश और तस्करी को रोकने के लिए अपनी सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** (क) से (ग) इस आशय की कोई सूचना नहीं है कि राजस्थान में हाल में काफी संख्या में बंगला देशी राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया गया है । राजस्थान में, अवैध रूप से घुसने वाले बंगलादेशी राष्ट्रिकों का पता लगने पर समय-समय पर गिरफ्तार किया जाता है । कानून के अधीन घुस-पैठियों को रोकने, उनका पता लगाने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों के पास स्थाई अनुदेश हैं ।

**सभी राज्यों में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण**

2443. **श्री वी० एस० विजय राघवन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों के पीठ देश में सभी क्षेत्रों राज्यों में स्थापित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री, : (श्री बीरेन सिंह एंगती) :** (क) और (ख) जी, हां । केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 1-11-85 को की गई

थी, इसकी प्रधान न्यायपीठ नई दिल्ली में तथा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा इलाहाबाद में न्यायपीठें हैं। 3-3-86 से बंगलौर, चण्डीगढ़ तथा गोहाटी में तीन और न्यायपीठें और बाद में 30-6-86 से अहमदाबाद, कटक, जोधपुर, जबलपुर, हैदराबाद तथा पटना में छः और न्यायपीठें स्थापित की गई थी।

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार**

2444. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**
**श्री सैयद मसुदल हुसैन :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को जनवरी, 1986 से अब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर किये गये अत्याचारों की जानकारी है, और

(ख) प्रत्येक बड़े मामले में कितने लोग मारे गये और कितनी संपत्ति का नुकसान होने का अनुमान है ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो)** (क) और (ख) : राज्य सरकारों केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों से अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की हत्याओं के मामलों की संख्या क्रमशः 336 और 92 है। केन्द्रीय सरकार इन मामलों में सम्पत्ति आदि की हानि के बारे में कोई सूचना नहीं रखती।

**केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती में आरक्षण**

2446. **श्री जेनुल बशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1984 से सितम्बर, 1986 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सभी श्रेणियों में, श्रेणीवार, कितने लोगों की भर्ती की गई; और

(ख) इनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) और (ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के बारे में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

| | अप्रैल, 1984 से सितम्बर 1986 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए व्यक्तियों की कुल सं० | अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों की कुल संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | अनु. जाति | अनु० जनजाति |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| पुलिस उप अधीक्षक | 76 | 13 | 7 |
| उप निरीक्षक | 207 | 29 | 13 |
| हेड कांस्टेबल | 292 | 41 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| नायक | 49 | 7 | 4 |
| कांस्टेबल | 18,253 | 2.352 | 1.147 |
| इनरोल्ड फोलोवर्स | 1.432 | 222 | 87 |
| उप निरीक्षक/स्टैनो ग्रेड-III | 36 | — | — |
| सहायक उप निरीक्षक (एम) | 566 | 83 | 18 |
| समूह "घ" लिपिक वर्गीय स्टाफ | 44 | 12 | 2 |
| प्रयोगशाला तकनिशियन | 1 | — | — |
| एफ. एस. नर्स | 10 | 1 | 1 |
| फारमैसिस्ट | 9 | 1 | — |
| नर्सिग सहायक | 2 | — | — |
| वार्ड ब्वौय | 1 | — | — |
| कहार | 2 | — | — |
| सिस्टर मैस के लिए स्टाफ | 1 | 1 | — |
| एस/के | 2 | 2 | — |

**"धुएं द्वारा स्वास्थ्य को खतरा"**

2447. **डॉ० बी० एल० शैलेष** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जलाने की लकड़ी, कोयला, गोबर और कृषि अवशिष्टों के जलाये जाने से उत्पन्न होने वाले धुएं से स्वास्थ्य को होने वाले खतरे के बारे में कोई रिपोर्ट तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में किसी एजेंसी के माध्यम से कोई वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया है ; और

(घ) कौन से आवश्यक रोग निरोधी उपाय किए गए हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में जैव समूह के दहन से घर के अन्दर वायु प्रदूषण की मात्रा और प्रकृति से सम्बन्धित है । वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की घटना पर विश्लेषण को भी रिपोर्ट में दिया गया है ।

(ग) उत्सर्जन और दहन की कार्य क्षमता के सम्बन्ध में कोक-स्टोवों की कार्यकुशलता पर टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टी. ई. आर. आई.) के जरिए एक अध्ययन किया गया ।

(घ) किये गये उपायों में ये सम्मिलित हैं :

उन्नत चूल्हे, बायोगैस संयंत्र और सौर साधनों का प्रयोग ।

**टैलीमेटिक्स परियोजना विकास केन्द्र**

2448. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टैलीमेटिक्स विकास केन्द्र परियोजना के लिए अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) अब तक वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ग) टैलीमेटिक्स विकास केन्द्र परियोजना में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं ; और

(घ) क्या अब तक प्राप्त परिणाम आशाओं के अनुरूप हैं ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्यमन्त्री (श्री के०आर० नारायणन)** : (क) निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार टैलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) को धन-राशि उपलब्ध कराई गई है :

| | |
|---|---|
| 1984-85 | 6.05 करोड़ रुपये |
| 1985-86 | 12.02 करोड़ रुपये |
| 1986-87 | 5.00 करोड़ रुपये |

कुल धन राशि 23.07 करोड़ रुपये

(ख) अगस्त, 1984 से अक्तूबर, 1986 की अवधि के दौरान टैलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) ने वास्तविक रूप से 19.60 करोड़ रुपये खर्च किए हैं ।

(ग) आज तक की स्थिति के अनुसार टैलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) ने अपनी परियोजना के लिए विभिन्न वर्गों के 425 व्यक्तियों को नियोजित किया है । इनमें से अधिकांश कार्मिक तकनीकी हैं तथा उन्हें अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किया गया है ।

(घ) प्रगति बहुत सन्तोषजनक हुई है, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुई है ।

**केरल में भारतीय प्रशासनिक सेवा के परीक्षा केन्द्र**

2449. **श्री वक्करम पुरुषोत्तमन** :: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान केरल में सिविल सेवा परीक्षा के लिए कुल कितने परीक्षा केन्द्र थे ;

(ख) वर्ष 1985 के दौरान उपर्युक्त परीक्षा में केरल से कितने प्रत्याशी बैठे थे ; और

(ग) वर्ष 1985 के दौरान केरल से कितने प्रत्याशी चुने गए ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती)** : (क) सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 1985 के लिए दो केन्द्र (कोचीन तथा त्रिवेन्द्रम) और सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 1985 के लिए एक केन्द्र (त्रिवेन्द्रम) खोला गया ।

(ख) सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 1985 में 1,953 उम्मीदवार और सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 1985 में 157 उम्मीदवार बैठे थे।

(ग) त्रिवेन्द्रम से प्रविष्ट हुए 10 उम्मीदवारों ने सिविल सेवा परीक्षा, 1985 में अर्हता प्राप्त की।

**असम के कतिपय भागों को आदिवासी क्षेत्र घोषित करना**

2450. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम के कुछ आदिवासी लोगों की ओर से अलग राज्य अथवा संघराज्य क्षेत्र की स्थापना किए जाने और/अथवा उनके क्षेत्र को अधिक से अधिक स्वायत्तता दिए जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) ऐसा अभ्यावेदन देने वाले आदिवासियों और उनके द्वारा मांगे गए भूभाग का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है तथा उनकी मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) किसी जिले, अथवा उसके भाग को आदिवासी क्षेत्र घोषित किए जाने का आधार क्या है ; और

(घ) इस समय विभिन्न राज्यों में किन-किन क्षेत्रों को आदिवासी क्षेत्रों के रूप में मान्यता प्राप्त है ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो)** : (क) जी, हां।

(ख) "प्लेनस ट्राइबल्स काउन्सिल आफ आसाम;" "दी यूनाईटिड ट्राइबल नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट" तथा "आटोनोयस हिल्स स्टेट डिमान्ड कमेटी" ने ऐसे अभ्यावेदन दिए हैं जिसमें लगभग 19 हजार स्कवेयर कि० मी० क्षेत्र की मांग की गई है। सरकार असम के और आगे पुनर्गठन करने के पक्ष में नहीं है। फिर भी, असम सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह क्षेत्र की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखे।

(ग) और (घ) सरकार किसी जिले और उसके किसी भाग को आदिवासी क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं करती। फिर भी आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत आदिवासी विकास कार्यक्रमों के लिए 17 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में घनी आबादी वाले आदिवासी क्षेत्रों का पता लगाया गया है। आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में सामान्यता वे सभी अनुसूचित क्षेत्र और तहसील/ब्लाक शामिल हैं, जहां आदिवासियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक होती है। जिन राज्यों में आदिवासियों की जनसंख्या अधिक प्रकीर्ण अवस्था में हैं वहां आदिवासियों की समुचित जनसंख्या के लाभ के लिए मानदंडों में रियायत की गई थी। इस समय 184 नमेकित आदिवासी विकास परियोजनाएं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए 271 परियोजनायें और 73 परियोजनायें आदिम आदिवासी समूहों के लिए हैं।

**"औषधीय जड़ी-बूटियां लगाना"**

2451. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को औषधीय जड़ी-बूटियां लगाने का काम शुरु करने की सलाह दी है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने इस सम्बन्ध में कदम उठाये हैं ;

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ?

**पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) असम, मध्य प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा से योजनाओं की संक्षिप्त रूप-रेखायें प्राप्त हो गई हैं। वे रेवोल्फिया, मिराबेलान्स, चालमौग्रा, एकोनिटम, डिजिटालिक, डाई-स्कोरिया और वायला की नर्सरियां बढ़ाने और पौधरोपण करने से सम्बन्धित हैं।

(घ) जी नहीं ;

**अधिक फूल वाले गुलाबों के पौधे लगाना**

2452. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुलाब का तेल निकालने के लिए अच्छी किस्म के गुलाबों के पौधे लगाने के लिए भारत में किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ख) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का गुलाब का तेल तैयार करने के लिए प्रयोग किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो गुलाब का तेल निकालने के लिए अपनाई गई नवीनतम प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु, ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री के० आर० नारायणन)** : (क) गुलाब का तेल निकालने के लिए अच्छी किस्म के गुलाब लगाने हेतु वर्तमान में जिन स्थानों का चयन किया गया है, वे इस प्रकार हैं : (i) कश्मीर घाटी (ii) उत्तर प्रदेश की पहाड़ियां और हिमाचल प्रदेश।

(ख) जी, हां।

(ग) आसवन प्रक्रम का उपयोग कर बोनेरा (जम्मू ओर कश्मीर) में आरम्भिक यूनिटें लगाई गई हैं। बोनेरा स्थित यह संयत्र प्रति बैच 125 कि०ग्रा० गुलाब संसाधित कर सकता है। उच्च स्तर का वाष्प आसवन, ऊर्जा बचत, संक्षारण रोकने के लिए और गुलाब तेल को खराब होने से रोकने के लिए धात्विक नालिकाओं का उपयोग इस संयत्र की कुछ विशेषताओं में से है। परम्परागत विधियों द्वारा गुलाब से प्राप्त लगभग 0.01 प्रतिशत गुलाब तेल की तुलना में यह संयत्र 0.32 प्रतिशत गुलाब तेल प्रदान करता है। यह बढ़ा हुआ उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त उत्पादों के समतुल्य है।

"औद्योगिक एककों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण"

2453. श्रीमती प्रभावती गुप्त : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक एककों द्वारा विशेषकर रिहायशी क्षेत्रों में उत्पन्न शोर-प्रदूषण को रोकने के बारे में कोई कानून है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 6(2)ख के अनुसार केन्द्र सरकार को विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न पर्यावरणीय प्रदूषकों (शोर को मिलाकर) के संकेन्द्रण की अधिकतम स्वीकार्य सीमाओं के लिए नियम बनाने का अधिकार हैं।

आन्ध्र प्रदेश में विलम्ब से चल रही परियोजनाएं

2454. श्री बी० तुलसीराम : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पहले से मंजूर की गई परियोजनाओं में केन्द्रीय सरकार द्वारा विलम्ब किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनमें विलम्ब किया गया है और ऐसे प्रत्येक मामले में लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) इन परियोजनाओं के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है और इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

महिला अधिकारियों की वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति

2455. श्री सोमनाथ रथ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं कि अधिक महिलाओं को भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा में वरिष्ठ पदों पर पदोन्नत किया जाए; और

(ख) इस संबंध में यदि हाल में कोई मार्गनिर्देश दिए गये हैं, तो वे क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती : (क) पदोन्नति के प्रयोजन से अन्य अधिकारियों के साथ-साथ महिला अधिकारियों पर भी सामान्य अनुदेशों के अनुसार विचार किया जाता है।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती के अधिकारियों के कैरियर विकास के लिए समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गये हैं। हाल ही के मार्गदर्शी सिद्धान्त महिला अधिकारियों के ऐसे स्थान पर बल देते हैं जहां उन्हें उच्चतर जिम्मेदारियों वाले पदों पर कार्य करने के लिये सक्षम बनाया जा सके। यह सलाह दी गई है कि उन्हें क्षेत्रीय स्तर के महत्वपूर्ण पदों पर तथा प्रशासन के विविध क्षेत्रों में कार्य करने के लिए पर्याप्त सुविधायें दी जाएं।

[हिन्दी]

**राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में भाग लेने वालों के नाम**

2456. **प्रो० चन्द्रभानु देवो** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : राष्ट्रीय एकता परिषद की हाल ही में हुई बैठक में भाग लेने वाले नेताओं के नाम क्या हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

12 सितम्बर, 1986 को नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची।

| | |
|---|---|
| प्रधानमंत्री | अध्यक्ष |
| केन्द्रीय गृह मन्त्री | सदस्य |
| केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री | ,, |
| श्री पी० के० महन्ता, मुख्यमंत्री, असम | ,, |
| श्री अमरसिंह चौधरी, मुख्यमंत्री, गुजरात | ,, |
| श्री बंसीलाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा | ,, |
| श्री वीरभद्र सिंह, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश | ,, |
| श्री जगमोहन, जम्मू तथा कश्मीर के राज्यपाल | ,, |
| श्री रामकृष्ण हेगड़े, मुख्यमंत्री, कर्नाटक | ,, |
| श्री मोतीलाल वोरा, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश | ,, |
| श्री एस० बी० चह्वाण, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र | ,, |
| श्री रिशंग केशिंग, मुख्यमंत्री, मणिपुर | ,, |
| श्री एस० सी० जमीर, मुख्यमंत्री, नागालैण्ड | ,, |
| श्री सुरजीत सिंह बरनाला, मुख्यमंत्री, पंजाब | ,, |
| श्री हरिदेव जोशी, मुख्यमंत्री, राजस्थान | ,, |
| श्री नरबहादुर भंडारी, मुख्यमंत्री, सिक्किम | ,, |
| श्री वीर बहादुर सिंह, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश | ,, |
| श्री गेंगोंग अपांग, मुख्यमंत्री, अरूणाचल प्रदेश | ,, |
| श्री लालडेंगा, मुख्यमंत्री, मिजोरम | ,, |

| | |
|---|---|
| श्री प्रतापसिंह रावजी राणे, मुख्यमंत्री, गोवा, दमन, दीव | सदस्य |
| श्री एम० ओ० एच० फारूक, मुख्यमंत्री, पांडिचेरी | ,, |
| श्री अर्जुन सिंह, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) | ,, |
| श्री उमाशंकर दीक्षित | ,, |
| श्री ई०एम०एस० नम्बुदरीपाद, महामंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | ,, |
| श्री सी० राजेश्वर राव, महामंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | ,, |
| श्री एल० के० अडवाणी, अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी | ,, |
| श्री शरद पवार, अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस (एस) | ,, |
| श्री बी० बी० अब्दुल्ला कोया, महामंत्री, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग | ,, |
| श्री चित्त बसु, महामंत्री, आल इण्डिया फार्वर्ड ब्लाक | ,, |
| डा० फारूक अब्दुल्ला, अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस (एफ) | ,, |
| श्री पी० जे० जोसफ, अध्यक्ष, केरल कांग्रेस | ,, |
| श्री त्रिदिब चौधरी, महामंत्री, रिवोलुशनरी सोसलिस्ट पार्टी | ,, |
| श्री डी० बी० पाटिल, महामंत्री, पिजेंटस एंड वर्कर्स पार्टी आफ इंडिया | ,, |
| श्री मोलाना अब्दुल हक, कार्यकारी अध्यक्ष, युनाइटेड मानारिटीज फ्रंट | ,, |
| बाबा आम्टे, सचिव, महारोगी सेवा समिति | ,, |
| श्री फ्रैंक अंथोनी | ,, |
| श्री पी०एन० हकसर | ,, |
| श्री श्याम बैनेगल | ,, |
| श्री आर० पी० गोयनका, अध्यक्ष, एफ०आई०सी०सी०आई० | ,, |
| श्री वी० आर० मुले, अध्यक्ष एसोचम | ,, |
| न्यायमूर्ति एच० एम० बेग, अध्यक्ष, अल्प संख्यक आयोग | ,, |
| प्रीफेसर यशपाल, अध्यक्ष, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग | ,, |
| श्री भीखाभाई, अध्यक्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग | ,, |
| श्री प्रेम भाटिया | ,, |
| श्री नरेन्द्र मोहन, संपादक, दैनिक जागरण | ,, |
| श्री निखिल चक्रवर्ती, संपादक, मेनस्ट्रीट | ,, |
| श्री के० एल० नन्दन, संपादक, (फीचर्स) | ,, |
| बेगम आबिदा अहमद | ,, |
| श्रीमती अमृता प्रीतम | ,, |
| श्रीमती एला भट्ट, महामंत्री सेल्फ एम्प्लायमेंट वुमेन एसोसिएशन (एम० ई० डब्ल्यू० ए०) | |
| डा० राजेन्द्र कुमारी, कल्याण राज्य मंत्री | विशेष आमंत्रित |
| श्री बी० जी० देशमुख, मंत्रिमंडल सचिव | वही |
| श्री एच० वाई० शारदा प्रसाद, प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार | ,, |

[अनुवाद]

**कारवाड़ नौसैनिक अड्डे के कारण विस्थापित परिवारों का पुनर्वास**

2457. **श्री वी०एस० कृष्णा अय्यर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारवाड़ नौसैनिक अड्डों के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या कितनी है ;

(ख) कारवाड़ तालुक और अंकोला तालुक के कितने गांव इस परियोजना के क्षेत्र में पड़ते हैं ;

(ग) विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गई है ;

(घ) क्या सरकार प्रभावित व्यक्तियों को भारतीय नौसेना में रोजगार देने पर विचार कर रही है ;

(ङ) क्या विस्थापित व्यक्तियों को राष्ट्र की रक्षा के दौरान पीड़ित व्यक्तियों के बराबर मानने तथा नारियल और अन्य बागानों की प्रति एकड़ भूमि के लिए 2 लाख रुपये देने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(च) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह)** : (क) राज्य सरकार के रिकार्डों के अनुसार इससे निजी भूमि वाले 29 परिवारों और 21 ऐसे अन्य परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना है जो राज्य वन भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा किए हुए हैं ।

(ख) कारवाड़ और अंकोला तालुकों में से प्रत्येक में सात-सात गांव हैं ।

(ग) राज्य सरकार के प्रस्ताव पर मुआवजे के रूप में और पुनर्वास के लिए दी गई रकम इस प्रकार है :-

| | |
|---|---|
| (1) मुआवजा | 18.97 करोड़ रुपए |
| (2) पुनर्वास | 7.356 करोड़ रुपए |

(घ) उचित ध्यान दिया जाएगा बशर्ते कि वे भर्ती की वर्तमान प्रणाली के अनुसार निर्धारित अर्हताएं पूरी करते हों । राज्य सरकार के अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे व्यवसायों में स्थानीय युवकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं आरम्भ करें जो उनके लिए नौसेना में रोजगार प्राप्त करने में उपयोगी होंगी ।

(ङ) और (च) जी, हां । केन्द्रीय सरकार ने मुआवजे और पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए मानदण्डों को स्वीकार कर लिया है । राज्य सरकार ने पुनर्वास योजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए भी एक समिति भी नियुक्ति की है ।

**नागरिक और राजनीतिक अधिकारों संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय**

2458. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**

**डा० ए०के० पटेल :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया है और उसके उपबंधों में जानकारी प्राप्त करने की स्वतंत्रता के संबंध में क्या व्यवस्था है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :** सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**कुछ संगठनों को विदेशी धन**

2459. **श्री आनन्द पाठक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित संगठनों ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के अधीन वर्ष 1981 से 1984 के दौरान विदेशों से धन प्राप्त किया है- (1) सेंटर फॉर ट्राइबल कानसेन-टाइजेशन, पुणे, (2) लोक शिक्षा परिषद्, नरेन्द्रपुर, पश्चिम बंगाल (3) "केरिटास", नई दिल्ली (4) मैत्रेयी ट्रस्ट, बम्बई,

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में, वर्ष-वार, कितनी राशि प्राप्त की गई ; और

(ग) यह धनराशि किन देशों से आई है और प्रत्येक मामले में, धन देने वाले संगठनों के नाम क्या हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :** (क) चार संगठनों में से लोक शिक्षा परिषद, नरेन्द्रपुर, पश्चिम बंगाल के अलावा सभी संगठनों ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत धन प्राप्त करने की सूचना दी है।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1981, 1982, 1983 और 1984 के दौरान जिन संगठनों द्वारा विदेशों से धन प्राप्त करने की सूचना दी गई है उनके नाम और राशि

राशि रु० में

| क्र०सं० | संगठन का नाम | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | दानकर्ता संगठन और देशों के नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | सेंटर फार ट्राईबल कानसेन-टाइजेशन | 50.000.00 | 1.12.740.12 | 62,999,80 | 1.37,805,30 | कॅम्यूनिटी एड अब्राड आस्ट्रेलिया, आक्सफाम इंडिया ट्रेड, फार दि वर्ल्ड पश्चिम जर्मनी, नोविब, हालैंड |
| 2. | केरिटास. नई दिल्ली | 2.72.64.035.16 | 1.93.76.363.24 | 2.45.52,473,79 | 1.52,85,000,00 | केरिटास, फ्रांस<br>केरिटास आस्ट्रेलिया<br>केरिटास-बलजिका<br>केरिटास-स्विटजरलैंड<br>केरिटास-प० जर्मनी<br>केरिटास-रोम<br>केरिटास-नीदरलैंड |
| 3. | मैत्रेयी, इम्बालिका मकरन्द सोसायटी, वीर सवारकर मार्ग महीम, बम्बई-400 016 | सूचित नहीं किए गए | सूचित नहीं किए गए | 87,912,73 | 84,301,42 | इन्सिटीट्यूट आफ सोसल स्टडी 251, बधूसिवी पो. बाक्स 90733 द हेग, नीदरलैंड । |

दिल्ली के लिए नई प्रशासनिक व्यवस्था

2460. **श्री के०एस० राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए नई प्रशासनिक व्यवस्था का प्रश्न काफी समय से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के लिए नई प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत किए जाने वाले परिवर्तनों का विस्तृत ब्यौरा क्या है और इन परिवर्तनों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) और (ख) : दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में फिलहाल कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है ।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का मौके पर अध्ययन

2461. **श्री जैनुल बशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकार की एजेंसियों तथा बैंकों द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का मौके पर अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर मौके पर अध्ययन किया गया और किस कार्यक्रम के संबंध में अध्ययन किया गया ; और

(ग) प्रत्येक स्थान पर किए गए कार्यान्वयन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) और (ख) जी, हां । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ही एक ऐसा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जो राज्य सरकार की एजेंसियों तथा बैंकों के प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध करके कार्यान्वित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम का 16 राज्यों के 33 जिलों के 66 ब्लॉकों में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा मूल्यांकन किया गया था (ब्यौरे संलग्न विवरण में है) इसके अलावा, अक्तूबर, 1985 में शुरू किए गए समवर्ती मूल्यांकन द्वारा देश के 36 जिलों के 72 ब्लाकों में मासिक आधार पर इस कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जा रहा है ।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की कार्यनीति तैयार करते समय, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के मूल्यांकन निष्कर्षों को ध्यान में रखा गया है । समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट के निष्कर्ष सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नियमित रूप से राज्य सरकारों के ध्यान में लाए जाते हैं ।

## विवरण

**कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा शुरू किए गए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए चुने गए राज्य, जिले और ब्लॉक**

| | राज्य | जिला | खण्ड |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1. गुंटूर | 1. मचेरला |
| | | | 2. अमरुआबू |
| | | 2. विजियानाग्राम | 1. गजापन्नीनगरम |
| | | | 2. भद्रागिरि |
| 2. | बिहार | 1. समस्तीपुर | 1. सिंहिया |
| | | 2. पालामऊ | 2. पूसा |
| 3. | गुजरात | 1. खेड़ा | 1. बोरसाड |
| | | | 2. महमदाबाद |
| | | 2. राजकोट | 1. गोंडल |
| | | | 2. धोरफी |
| 4. | हरियाणा | 1. करनाल | 1. नरवाना |
| | | | 2. पानीपत |
| | | 2. जींद | 1. नरवाना |
| | | | 2. जींद |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 1. ऊना | 1. ऊना |
| | | | 2. अम्ब |
| | | 2. कुल्लू | 1. नागर |
| | | | 2. बांजर |
| 6. | जम्मू और कश्मीर | 1. जम्मू | 1. बिशनाह |
| | | | 2. पुरमण्डल |
| | | 2. अनन्तनाग | 1. काजीगुंड |
| | | | 2. कुलगाम |
| 7. | कर्नाटक | 1. उत्तरकन्नड़ | 1. अनकोला |
| | | | 2. सिरसी |
| | | 2. मैसूर | 1. पेरियापपन |
| | | | 2. के०आर० नगर |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 8. केरल | 1. कन्नानोर | 1. कनहनगढ़ |
| | | 2. कन्नानोर |
| | 2. क्यूलोन | 1. सस्तमकोटा |
| | | 2. अनच्लममोडू |
| 9. मध्य प्रदेश | 1. झबुआ | 1. झबुआ |
| | | 2. मेघनगर |
| | 2. बस्तर | 1. जगदलपुर |
| | | 2. दर्बा |
| | 3. दमोह | 1. बतियागढ़ |
| | | 2. दमोह |
| | 4. बेतुल | 1. शाहपुर |
| | | 2. मुल्तई |
| 10. महाराष्ट्र | 1. उसमानाबाद | 1. उमेर्गा |
| | | 2. परन्दा |
| | 2. थाणे | 1. बसई |
| | | 2. जगतियार |
| 11. उड़ीसा | 1. कोरापुट | 1. लक्ष्मीपुर |
| | | 2. रायगडा |
| | 2. सुन्दरगढ़ | 1. बोनई |
| | | 2. सुबडेगा |
| 12. पंजाब | 1. फिरोजपुर | 1. खुयीन-सरबतअबांर |
| | | 2. छाल खुर्द |
| | 2. संगरूर | 1. सुगाम |
| | | 2. धूरी |
| 13. राजस्थान | 1. बीकानेर | 1. कोलायत् |
| | | 2. लंकरणसर |
| | 2. जोधपुर | 1. ओसियन |
| | | 2. मनदौर |
| 14. तमिलनाडु | 1. कन्याकुमारी | 1. थोवेलई |
| | | 2. कुरायौन-कोड |
| | 2. मदुरै | 1. अथूर |
| | | 2. थेनी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 15. उत्तर प्रदेश | 1. सुल्तानपुर | 1. प्रतापपुर-कमेचा |
| | | 2. दोस्तपुर |
| | 2. मिरजापुर | 1. धोरावाल |
| | | 2. जमालपुर |
| 16. पश्चिम बंगाल | 1. दार्जलिंग | 1. जोरबंगला - सुखियापोखरी |
| | | 2. कलिमपोंग |

[हिन्दी]

"राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वित्तीय सहायता"

2462. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ताकि वे अधिनियम के प्रभावी कार्यकरण के लिए आवश्यक उपकरण खरीद सकें;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय सहायता कब तक दिए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जी, हां।

(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अपेक्षित सहायता के लिए प्रस्ताव भेजने पड़ते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

**इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों को औद्योगिक लाइसेंस**

2463. **श्री एच० एन० नन्जे गोंडा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक इकाई को स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृति दिए जाने के एक वर्ष के भीतर कार्यान्वित न किए जाने की स्थिति में रद्द कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या टेलिफोन उपस्करों का निर्माण करने वाली ऐसी पन्द्रह कम्पनियों के लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के कहने पर रद्द कर दिए थे;

(ग) क्या लाइसेंस रद्द किए जाने से 105 लाख उपस्करों की अनुमानित प्रतिष्ठापित क्षमता में कमी हो जाएगी;

(घ) क्या किसी विकल्प पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) क्या और लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) आशय-पत्र एक वर्ष के लिए वैध होते हैं। यदि आशय-पत्र की वैधता अवधि के दौरान इकाइयां संतोषजनक रूप से प्रगति नहीं कर पाती हैं, तो उनके आशय-पत्रों के रद्द करने पर विचार किया जाता है, बशर्ते कि उन्हें रद्द करने से मांग और पूर्ति की प्रगति पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

(ख) चूंकि संतोषजनक रूप से कोई प्रगति नहीं हो पाई थी अतः उपभोक्ता टर्मिनल उपस्करों का विनिर्माण करने के लिए लाइसेंस शुदा कुछ कम्पनियों के आशय-पत्र रद्द कर दिए गए थे।

(ग) लाइसेंसों को रद्द करने से प्रष्ठिापित उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। लेकिन, चूंकि आशय-पत्र उदारता पूर्वक, जारी किए गए थे और उसके अन्तर्गत अनुमानित मांग से अधिक उत्पादन-क्षमता को गुंजाइश रखी गयी थी, अतः लाइसेंसों को इस प्रकार रद्द करने से उपस्करों की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) और तथा (ङ) : जहां कहीं उपस्करों की उपलब्धता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अन्य विकल्पों पर विचार किया जाता है।

**अप्रत्युक्त इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस**

2464. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस हैं;

(ख) यदि हां तो ऐसे कितने लाइसेंस हैं और वे किन-किन क्षेत्रों में उद्योगों के लिए हैं; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्यमन्त्री (श्री के० आर० नारायणन)** (क) : जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए 307 औद्योगिक लाइसेंसों में से, 134 औद्योगिक लाइसेंसों पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। इनके अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिकी के लगभग सभी क्षेत्र आ जाते हैं।

(ग) लाइसेंस दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है। इस अवधि के दौरान, संबंधित इकाई से यह आशा कि जाती है कि वह अपना उत्पादन आरंभ कर दें। कुछ इकाइयां इन्हें कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठा रही है तथा तदनुसार उनकी वैधता की अवधि बढ़ा दी जाती है। लाइसेंस के कार्यान्वयन की स्थिति की आवधिक समीक्षा की जाती है तथा जहां कोई प्रगति नहीं होती है वहां लाइसेंस रद्द कर दिए जाते हैं।

**1986 में पूरा करने के लिए आरम्भ की गई परियोजनाएं**

2465. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1986 में पूरा करने के लिए कुल कितनी परियोजना आरम्भ की गई;

(ख) क्या कार्यान्वयन के लिए आरम्भ की गई परियोजनाएं निर्धारित तिथियों के बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हुई; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी)** (क) वर्ष 1986 में पूरा करने के लिये अभिज्ञात परियोजनाओं की कुल संख्या 27 है।

(ख) भाग (क) में दी गई परियोजनाओं में से एक परियोजना अब पूरी हो चुकी है; और

(ग) परियोजनाओं में विलम्ब के लिये कारणों में, भूमि अभिग्रहण, वितरकों द्वारा सप्लाई किये गये विवेचित उपस्कर एवं सामग्री (आयातित और स्वदेशी) विस्तृत अभियंत्रिकीय रूपरेखा को अंतिम रूप देना, मूलभूत सुविधाओं और सेवाओं की कमी, कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी, विक्रेताओं और वितरकों की बेमेल प्रगति, विषय क्षेत्र में परिवर्तन, निधि का अपर्याप्त आवंटन, ठेकेदारों का अक्षम कार्यचालन, श्रम समस्या आदि समस्याएं शामिल हैं।

**पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों का पुनर्वास**

2466. **श्री हन्नान मोल्लाह : : क्या गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने 22 फरवरी, 1986 को दिल्ली में हुई पुनर्वास मंत्रियों की बैठक में शरणार्थियों के पुनर्वास के संबंध में कुछ मुद्दे उठाए थे;

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी बंगाल के पुनर्वास मंत्री द्वारा क्या-क्या मुख्य मुद्दे उठाये गये,

(ग) क्या सरकार ने उन मुद्दों पर विचार किया है और उसके क्या परिणाम हैं, और

(घ) उन मुद्दों को हल करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाएंगे ?

**गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** (क) से (घ) : पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सम्मेलन में उठाए गए मुद्दों तथा इन प्रत्येक मुद्दों पर भारत सरकार द्वारा की गयी टिप्पणियां क्रमवार नीचे दी गई हैं :

(i) **भूतपूर्व पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के बीच भेदभाव ।**

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों पर प्रति व्यक्ति व्यय की राशि 1529 रु. है जबकि भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों पर प्रति व्यक्ति व्यय की राशि 847 रु. है। इस प्रकार इसमें कोई भेदभाव नहीं है।

(ii) **भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे की अदायगी ।**

नेहरु लियाकत अली समझौते के तहत भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों ने अपना संपत्ति अधिकार बनाए रखा इसलिए उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। इन संपत्तियों को शत्रु की संपत्ति के रुप में लेने के बाद संपत्ति के निर्धारित मूल्य का 25% अनुग्रह पूर्वक अनुदान देने की योजना शुरु की गई। इसका संचालन वाणिज्य मंत्रालय कर रहा है।

(iii) शहरी क्षेत्रों में भूमि का पट्टे के आधार पर स्वामित्व

नीति की हाल ही में समीक्षा की गई है।

(iv) अवशिष्ट प्रकार का कार्य।

कई वर्षों के बाद तथा 31-3-1986 तक लगभग 708.27 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद पुनर्वास का शेष कार्य अविशिष्ट प्रकार का है।

(v) समर मुखर्जी समिति की रिपोर्ट

प्रत्येक सिफारिश के बारे में स्थिति का एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा स्थापित की गई समर मुखर्जी समिति द्वारा पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नवास के लिए 750 करोड़ रुपये की सहायता की सिफारिश की गई थी और यही राज्य सरकार द्वारा मांगी गई थी। सिफारिश की गई सहायता के मदवार ब्यौरे तथा वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :

| क्रम सं० | सिफारिश | राशि (रु० करोड़ों में) | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|
| 1. | विस्थापित व्यक्तियों के आर्थिक पुर्नवास के लिए योजनाएं | 450.00 | विस्थापित व्यक्तियों को आर्थिक लाभ सामान्य योजना क्रिया-कलापों से मिलना चाहिए। |
| 2. | विस्थापित व्यक्ति कालोनियों का विकास और अधिकतम कीमत की सीमा में बढ़ोत्तरी | 119.47 | यह मामला शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित है जिनको प्रतिवेदन के संबंधित उद्धरण पहले ही भेजे जा चुके हैं। |
| 3. | लगभग 632 और आबादकार कालोनियों का नियमन जो 30-12-1950 के बाद बनी थी। | 93.97 | 25.3.1971 तक स्थापित कालोनियों को नियमित करने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमति दे दी गई है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने ऐसी 613 कालोनियों की सूची दी हैं। इस संबंध में अगली कार्रवाई राज्य सरकार के परामर्श से की जा रही है |
| 4. | बगैर शिविर के परिवारों को सहायता | 66.39 | नीति के अनुसार, बगैर शिविर के विस्थापित व्यक्ति परिवार किसी पुनर्वास सहायता के लिए पात्र नहीं हैं और इस स्थिति में उनके मामले पुनः नहीं चलाए जा सकते क्योंकि इसके विस्तृत प्रभाव होंगे। |
| 5. | सालनपुर में खाली अधिग्रहृत भूमि पर विस्थापित व्यक्ति परिवारों का पुनर्वास | 8.83 | राज्य सरकार के पास लगभग 800 एकड़ भूमि उपलब्ध है और राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भूमि का उपयोग किया जा रहा है लेकिन उन्होंने योजनाओं के नामों की सूचना नहीं दी। किसी भी स्थिति में हमारे पास ऐसे कोई परिवार नहीं है जो पुर्नवास की प्रतीक्षा कर रहे हों। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | पुर्नवास योग्य पी. एल. परिवारों का पुर्नस्थापन | 3.74 | यह मामला कल्याण मन्त्रालय से संबंधित है जिन्होंने सूचना दी है कि ये मद छठे वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार को स्थानान्तरित कर दिया गया है। |
| 7. | शिविर ग्राह्य स्थल परिवारों को मकान निर्माण ऋण की सीमा में बढ़ोत्तरी। | 1.84 | सीमा को बढ़ाकर शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार 6.500/रु० और ग्रामीण क्षेत्रों में 4,200 रु० कर दिया गया है। योजना कार्यान्वित की जा रही है। |
| 8. | विस्थापित मुसलमानों का पुर्नवास | 1.00 | यह समस्या राज्य सरकार द्वारा न तो 1967 से स्थापित की गई समीक्षा समिति के सामने और न ही 1975 में स्थापित किए गए कार्यदल के सामने पेश की गई थी। इसके अतिरिक्त समर मुखर्जी समिति ने समस्या का उचित मूल्यांकन नहीं किया। हमने राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट कर दी है। |
| 9. | विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नस्थापन के लिए हरोभंगा योजना-II को पुनः चालू करना। | 2.89 | समर मुखर्जी समिति ने इस योजना में 900 कृषक परिवारों के पुर्नस्थापन की सिफारिश की थी। यह योजना दण्डकारण्य परियोजना के शुरू होने के बाद समाप्त कर दी गई थी। चूंकि हमारे पास पुर्नस्थापन के लिए कोई परिवार नहीं है इसलिए योजना के पुनः चालू करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। |

**पश्चिम बंगाल में बसे विस्थापितों को भूमि का फ्री होल्ड अधिकार देना**

2467. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में बसे विस्थापितों को भूमि के फ्री होल्ड अधिकार देने के लिए अपनी नीति में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में कितने विस्थापितों को इससे लाभ होगा और इस तरह की यदि कोई नीति है, तो उसको कब कार्यान्वित किया जायेगा, और

(ग) पश्चिम बंगाल से आए विस्थापितों को दी गई भूमि में किस प्रकार का अधिकार दिया गया और क्या उनको फ्री होल्ड अधिकार दिए गए थे, तो ये अधिकार उन्हें कब से दिए गये ?

**गृह मन्त्री (सरदार बूटासिंह)** : (क) 1974 में लिए गए निर्णय के अनुसार पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वासित भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों को भूमि का स्वतन्त्र अधिकार पहले ही दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में विस्थापित व्यक्तियों को 99 वर्ष के लिए पट्टे के आधार पर अधिकार दिए जा रहे थे। इस स्थिति पर पुनर्विचार किया गया और अब यह निर्णय किया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार को संबंधित शहरी क्षेत्रों में भूमि आवंटन करने के बारे में उनकी नीति के अनुसार पट्टे पर आधार पर या स्वतन्त्र अधिकार के आधार विस्थापित व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में भूमि आवंटित करने की अनुमति दी जाय।

(ख) वे सभी शरणार्थी जिन्हें पश्चिम बंगाल के शहरी क्षेत्रों में भूमि आवंटित की गई है/की जाएगी लाभान्वित होंगे।

(ग) भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियो को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतन्त्र स्वामित्व के आधार पर भूमि आवंटित की गई। शहरी क्षेत्रों के बारे में भूमि का आवंटन की शर्त भूमि की किस्म के अनुसार थी। पट्टे के आधार पर या स्वतन्त्र स्वामित्व के वर्गीकरण पर भूमि का आवंटन स्थानीय नगर पालिका कानून, नियमों और विनियमों पर निर्भर करता है। नई दिल्ली क्षेत्र में भूमि पट्टे के आधार पर आवंटित की गई थी।

**असम में जनगणना**

2468. **श्री सुदर्शन दास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने असम सरकार से राज्य में जनगणना करवाने के लिए कहा है जो 1981 में अखिल असम छात्र संघ के आन्दोलन के कारण नहीं हो पाया था;

(ख) क्या असम सरकार अब जनगणना कराने को सहमत हो गई है; और

(ग) यदि नहीं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मन्त्री (सरदार बूटासिंह)** : (क) जी नहीं; श्रीमान्। चूंकि जनगणना केन्द्रीय विषय है और भारत की जनगणना; जनगणना अधिनियम 1984 के प्राधिकार के तहत की जाती है अतः केन्द्र सरकार द्वारा असम सरकार को 1981 की जनगणना के बदले में जनगणना करने के लिए नहीं कहा गया था क्योंकि 1981 की जनगणना वहां उस समय विक्षुब्ध परिस्थितियों के कारण नहीं की जा सकी थी।

यद्यपि, जनगणना केन्द्र का विषय है परन्तु गणना करने वाली एजेन्सी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। असम में जनगणना करने के प्रश्न पर असम राज्य सरकार से परामर्श करके विचार किया गया। इस समय असम सरकार असम समझौते को कार्यान्वित करने में व्यस्त है तथा जनगणना करने के लिए गणना एजेन्सी को उपलब्ध कराने में असमर्थ है। अतः इस स्थिति में असम में जनगणना करना सम्भव नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

**पेंशन भोगियों को सुविधायें**

2469. **श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

**(क) क्या सरकार का प्रस्ताव सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को यात्रा-रियायत की सुविधायें प्रदान करने का है;**

**(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव 10 वर्ष की अवधि के पश्चात, जिसे पेंशन गणना के लिए हिसाब में लिया जाता है, पूरी पेंशन देने का है;**

**(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;**

**(घ) क्या सरकार का विचार सेवा निवृत्त कर्मचारियों को कार्यरत कर्मचारियों के समान स्तर पर महंगाई भत्ता देने का है; और**

**(ङ) क्या सरकार का विचार सभी विभागों को यह कठोर आदेश जारी करने का है कि पेंशन संबंधी मामलों को सेवानिवृत्ति से काफी समय पहले निपटा लिया जाये ?**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती)** : (क) और (घ) जी. नहीं। पेंशन का ढांचा तथा अन्य संबंधित मामले इस समय चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग के विचाराधीन हैं तथा आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, कुछ पेंशन भोगी संगठनों ने, 1983 में, पेंशन के संराशिकृत मूल्य की वहाली के लिए उच्चतम् न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की। सरकार ने अब न्यायालय में एक न्यायोचित सूत्र प्रस्तुत कर दिया है। मामला अभी भी न्यायाधीन है।

(ङ) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 में पेंशन मामलों को अंतिम रूप दिए जाने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है ताकि पेंशन भुगतान आदेश संबंधित सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से एक महीना पूर्व जारी हो सके। ऐसे मामलों में, जहां सेवा निवृत्ति के समय अंतिम पेंशन मंजूर नहीं की जा सकती है वहां नियमों में 6 महीने तक की अवधि के लिए अनंतिम पेंशन के भुगतान की भी व्यवस्था है ताकि संबंधित व्यक्तियों को कठिनाई न हो। इन उपबंधों को अलग से भी सभी मंत्रालयों/विभागों की जानकारी में ला दिया गया है।

**सियाचिन ग्लेशियर के बारे में भारत-पाक विवाद का निपटारा**

2470. **डा० गौरीशंकर राजहंस : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेसियर क्षेत्र से संबंधित विवाद के निपटारे में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह)** : (क) और (ख) इस संबंध में भारत और पाकिस्तान के रक्षा सचिवों के बीच वार्ता के दो दौर हुए हैं और दोनों पक्ष, शिमला समझौते के अनुसार, मामले को आपसी बातचीत के आधार पर निपटाने के लिए सहमत हो गए हैं। बातचीत के अन्तिम दौर में यह सहमति भी हुई कि इस संबंध में बात चीत के लिए फिर से बैठक की जाय।

[हिन्दी]

**भारत में विदेशी विस्थापित**

2471. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस समय देश में भारी संख्या में रह रहे विदेशी विस्थापितों के बारे में जानकारी है ;

(ख) क्या इन विस्थापितों की वजह से देश में सामाजिक और आर्थिक तनाव बढ़ता रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इन लोगों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अपनाये गए दृष्टिकोण का ब्यौरा क्या है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

**मुद्रास्फीति के कारण पेंशन भोगियों को परेशानी**

2472. **श्री सुभाष यादव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पेंशन भोगियों की पेंशन पर मुद्रास्फीति के असर की वजह से उन्हें हो रही परेशानी के बारे में जानकारी है और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार को क्या उपाय करने का विचार है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती)** : जी, हां। सरकार ने चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में इसलिए संशोधन कर दिया था ताकि वर्तमान और भावी - दोनों ही प्रकार के पेंशनभोगियों के लिए एक उपयुक्त पेंशन नीति तैयार करने के उद्देश्य से पेंशन के ढांचे की गहराई से जांच की जा सके। आयोग की पेंशन आदि से सम्बन्धित रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। इसी बीच, सरकार ने क्रमशः 1-6-1986 तथा 1-7-1986 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक स्तर 624 और 632 पर देय मंहगाई राहत की दो किस्तें मंजूर कर दी हैं।

**अन्तरिक्ष कार्यक्रम**

2473. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने आगामी दस वर्षों के लिए कोई अन्तरिक्ष कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का स्वरूप क्या है और उस पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस कार्यक्रम से क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) सरकार ने 1980-90 दशाब्द के लिए अन्तरिक्ष प्रोफाइल को पहले ही मंजूरी दे दी है और इसकी एक प्रति अगस्त 19, 1981 को लोक सभा पटल पर रखी गई थी। इस प्रलेख की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। 1900-2000 दशाब्द के लिए अन्तरिक्ष प्रोफाइल को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) इस कार्यक्रम में भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई. आई. एस.) प्रथम प्रचालनात्मक सुदूर संवेदन उपग्रह का डिजाइन, संविरचन और प्रमोचन, इन्सैट-1 सी और 1 डी, संचार उपग्रहों का अनुसरण करना, द्वितीय पीढ़ी के इन्सैट उपग्रहों का विकास, संवर्धित एस. एल. वी. (ए. एस. एल. वी.) प्रमोचक राकेट और सहायक श्रोस उपग्रहों का विकास तथा उपग्रहों की भावी आई. आर. एस. श्रृंखला के 1000 कि० ग्रा० भार के नीतभारों की उड़ान में सक्षम ध्रुवीय प्रमोचक राकेट का विकास शामिल है। इस कार्यक्रम में द्वितीय पीढ़ी के इन्सैट उपग्रहों के प्रमोचन में सक्षम भू-तुल्यकालिक प्रमोचक राकेटों के विकास के लिए आवश्यक निम्नतापी विकास भी शामिल है। इस कार्यक्रम पर वर्तमान योजनावधि में 1475 करोड़ रुपये की धनराशि के खर्च करने का प्रस्ताव है।

(ग) अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी से राष्ट्र को संचार, मौसमविज्ञान, टी. वी. प्रसारण, रेडियो संचारजाल और अन्य समान सेवाओं के माध्यम से पहले ही लाभ हो रहा है। सुदूर संवेदन उपयोग, जो प्रचालनात्मक हो चुका है अथवा प्रचालनात्मकता की प्रक्रिया में है, में वन सर्वेक्षण, भूमि जल का पता लगाना, हिम मानचित्रण, परती भूमि संरेखण का कार्य शामिल है। योजनावधि के दौरान देश के कृषि और खनिज संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए अन्तरिक्ष सुदूर संवेदन का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में परियोजनाओं का कार्यान्वयन**

2474. **श्री विजय एन० पाटिल : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में परियोजना कार्यान्वयन में देरी के कारणों का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में परियोजनाओं के देरी और उनके असंतोषजनक कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में विद्यमान रिपोर्टिंग प्रणाली की अनुपयुक्तता की जांच की है ; और

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में कुशलता लाने और उत्तरदायिता निश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी)** : (क) जी, हां।

(ख) परियोजनाओं के विलम्ब के लिए जिम्मेवार कारणों में, भूमि-अभिग्रहण, वितरकों द्वारा सप्लाई किए गए विवेचित उपस्कर और सामग्री (आयातित और स्वदेशी), विस्तृत अभियांत्रिकी रूपरेखा को अन्तिम रूप देना, मूलभूत सुविधाओं और सेवाओं की कमी, कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी, विक्रेताओं/वितरकों की बेमेल प्रगति, विषय-क्षेत्र में परिवर्तन, निधि का अपर्याप्त आवंटन, ठेकेदारों का अक्षम कार्यचालन, श्रम समस्या आदि से सम्बन्धित समस्यायें शामिल हैं।

(ग) सरकारी उद्यम कार्यालय ने मार्च 1975 में सरकार को सरकारी उद्यमों द्वारा बताई गई प्रबन्ध सूचना प्रणाली के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए थे। सरकारी उद्यम कार्यालय ने सितम्बर, 1984 में, आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग के अभिमतों पर सरकारी उद्यमों से सम्बन्धित सभी मन्त्रालयों से उनकी सूचना प्रणाली की पूरी समीक्षा करने का पुनः अनुरोध किया था ताकि आने वाली रिपोर्टों और विवरणियों की संख्या कम हो सके और ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विविध एजेंसियों की मांग, प्रपत्र के एककीकृत सैट के माध्यम से पूरी हो जाए।

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यचालन में दक्षता और जिम्मेवारी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों द्वारा कार्य निष्पादन का सन्निकट प्रबोधन और यथावश्यक उपयुक्त कार्यवाही करना ;

(2) पूंजीगत व्यय करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बोर्डों की शक्तियां बढ़ाना ;

(3) निवेश प्रस्ताव की दोस्तरीय निकासी लागू करना ;

(4) कार्य शुरु करने के लिए बोर्ड स्तर के कार्यकारियों की 5 वर्षीय अवधि मंजूर करना;

(5) सरकारी उद्यम के बोर्डों में सरकारी निदेशकों की संख्या कम करना ;

(6) अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों आदि में कार्य-भार ग्रहण करने वाले सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकीय कार्मिकों को ग्रहणाधिकार (लीयन) सुविधा देना।

**पेंशनभोगियों के बारे में चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट**

2475. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग ने पेंशनभोगियों के बारे में अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) रिपोर्ट के कब तक सरकार को प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती)** : (क) से (ग) जी, नहीं। आयोग, अपने कार्य के अन्तिम चरण में है और पेंशन से सम्बन्धित कार्य को यथासंभव शीघ्र पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहा है।

**सातवीं योजना में मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए प्रस्तावित परिव्यय**

2476. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितने करोड़ रुपये की राशि के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है ;

(ख) इसमें कितनी कटौती की गई है ;

(ग) इस परिव्यय को किस आधार पर कम किया गया है ; और

(घ) क्या मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए परिव्यय में कटौती की गई है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग द्वारा शामिल करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में बड़े, मझौले तथा लघु उद्योगों के लिए कुल 215.71 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया था।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्रक के लिए 154.84 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर, योजना आयोग में उनके प्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रमों के स्वरूप और स्तर, विभिन्न क्षेत्रकों की पारस्परिक प्राथमिकताओं, संसाधनों की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श किया गया। प्रत्येक क्षेत्रक के लिए उपयुक्त परिव्ययों को पारस्परिक रूप में सहमति दी गई।

(घ) बड़े तथा मझौले उद्योगों के मामले में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 96.15 करोड़ रु० के परिव्यय के मुकाबले अनुमोदित परिव्यय 46.15 करोड़ रु० है।

---

**12.00 मध्याह्न**

[अनुवाद]

**श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा)** : महोदय, नेशनल हैराल्ड का प्रकाशन.....(व्यवधान)।

**श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर)** : आप जो कर रहे हैं इस पर जरा गौर कीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : यह क्या है ?

**(व्यवधान)**

**श्री बसुदेव आचार्य** : व्यापार मेले में एक मार्गदर्शक मानचित्र परिचालित किया जा रहा है। वे जम्मू-कश्मीर का एक विवादास्पद भूभाग दर्शा कर इस मानचित्र का वितरण कर रहे हैं।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : देखिए मैंने तो देखा नहीं, अगर आप मुझे कुछ दे देते तो मैं पता करवा लेता।

**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**श्री बसुदेव आचार्य** : हमने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

**श्री अमल दत्त** : हमने सूचना दी है।

**श्री बसुदेव आचार्य** : हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : शोर करने से क्या फायदा ?

[अनुवाद]

आप सभा का समय बरबाद क्यों कर रहे हैं ? मैं इसकी जांच करूंगा, कोई समस्या नहीं। आप इस सम्बन्ध में मुझे बता सकते थे और मैंने इसकी जांच करली होती। कोई समस्या नहीं।

**(व्यवधान)**

**श्री अमल दत्त** : महोदय, यह गम्भीर मामला है। कार्यवाही न किया जाना, हमारी सरकार की ओर से एक चूक है। .....**(व्यवधान)**।

**श्री बसुदेव आचार्य** : यह दिल्ली में किया जा रहा है, व्यापार मेले में।

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। मैंने किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी है।

**(व्यवधान)****

**श्री बसुदेव आचार्य** : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। .....**(व्यवधान)****।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : प्लीज, क्या कर रहे हैं आप लोग ?

[अनुवाद]

मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : श्री आचार्य, मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है। आप नियम 377 के के अन्तर्गत यह मामला उठा सकते हैं।

**(व्यवधान)**

**श्री बसुदेव आचार्य** : न केवल जम्मू-कश्मीर को ही, बल्कि पंजाब को भी विवादास्पद भू-भाग दर्शाया गया है। **(व्यवधान)** यह बहुत गम्भीर मामला है। यह व्यापार मेले में परिचालित किया जा रहा है। सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : आपने यह सूचना मुझे आज दी है। मैं इसकी शीघ्र ही जांच करूंगा और पता लगाऊंगा कि वास्तविकता क्या है ?

---

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री बसुदेव आचार्य** : हमने सूचना पहले ही दे दी है ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप पहले ही दे चुके हैं, लेकिन मेरे पास तो यह अभी आई है । मैं कम्प्यूटर नहीं हूं ताकि मैं उसी की तरह कार्य कर सकूं । मुझे पता लगाना है और मैं लगाऊंगा । कल आप कार्यवाही देखेंगे । मैं यही करता हूं । आप व्यर्थ ही सभा का समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं ?

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आप को बता दिया है, इस तरह खड़े होने में कोई अच्छाई नहीं है । हर दिन, बार-बार मैं आप से यही अनुरोध करता हूं । यदि कोई महत्वपूर्ण बात है, तो आप बता सकते हैं और उसे हल करने के तरीकों के बारे में चर्चा कर सकते हैं ।

**श्री अमल दत्त** : यह बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

**अध्यक्ष महोदय** : तब हम इस पर चर्चा करायेंगे ।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री नायक, आप भी भाग ले सकते हैं । अन्य माननीय सदस्य भी भाग ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ।

**(व्यवधान)**

**प्रो० सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला)** : महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण सूचना दी है । मेरी ध्यानाकर्षण सूचना के बारे में क्या हुआ ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप मेरे पास आइए । मैंने आपको बताया है·····

**(व्यवधान)**

**श्री बसुदेव आचार्य** : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसको स्वीकृति नहीं दी है ।

**श्री बसुदेव आचार्य** : मुझे एक अनुरोध करने दीजिए । ·····**(व्यवधान)**

**श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी)** : असम समझौते को कार्यान्वित न किए जाने के बारे में····**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : महोदय, आप आ सकते हैं । आप इस पर मुझसे चर्चा कर सकते है ।

**श्री दिनेश गोस्वामी** : मैंने सूचना दे दी है । गृह मन्त्री महोदय यहां उपस्थित हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार नहीं । अनुमति नहीं दी गई है । अब, सभा पटल पर रखे गए पत्र । श्री अरुण सिंह ।

**(व्यवधान)****

---

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

12.05 म० प०

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

### छावनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और उन्हें सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाले विवरण

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल प रखता हूं :

(1) छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 284 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केम्पटी छावनी चुंगी उपविधि, 1986, जो 14 जून, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 12/1/सी-एल० एण्ड सी०/83 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) बबीना छावनी (रिक्शा चालन और अनुज्ञापन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन उपविधि, 1982, जो 6 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० सी० आर०/उपविधि में प्रकाशित हुई थी।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—3241/86]

### दिल्ली पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना और अण्डमान और निकोबार प्रशासन की वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक सामान्य प्रशासन प्रतिवेदन

**गृह मन्त्री (सरदार बूटासिंह)** : महोदय, मैं श्री चिन्तामणि पाणिग्रही की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिल्ली की सड़कों और मार्गों पर वाहनीय और अन्य यातायात नियन्त्रण (संशोधन) विनियम, 1986, जो 6 अगस्त 1986 को दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या 881/विशेष कक्ष/पी० एच० क्यू० में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3242/86]

(2) अण्डमान और निकोबार प्रशासन का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक सामान्य प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3243/86]

———

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जो कुछ भी कह रहे हैं, वह कार्यवाही का भाग नहीं है।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : अमल दत्त जी, मैंने आपको 100 दफे कहा है, अगर आपको कोई ऐतराज हो तो·····

(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : मैं किसी प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं, और मैं आप से हमेशा अनुरोध करता हूं·····

**श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर)** : महोदय, यह राशन की दुकानों को सप्लाई किया गया गेहूं है। (**व्यवधान**)। नागरिक पूर्ति मन्त्री यहां उपस्थित हैं·····

**श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा)** : कृपया उन्हें इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए।

**श्री अमल दत्त** : कृपया मुझे अनुमति दीजिए·····

(व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य** : नागरिक पूर्ति मन्त्री यहां उपस्थित हैं ·····(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे आपको अनेक बार बताना पड़ेगा। यदि यह इतना महत्वपूर्ण मामला है, तो मुझे मालूम कर लेने दीजिए और हम वास्तविकता का पता लगायेंगे।

**श्री अमल दत्त** : इसीलिए मैं इसे सभा में प्रस्तुत कर रहा हूं ·····(**व्यवधान**)।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप वकील नहीं हैं ?

(व्यवधान)

**श्री अमल दत्त** : गरीब लोगों को इस प्रकार धोखा दिया जा रहा है·····(**व्यवधान**)।

**अध्यक्ष महोदय** : जब आप नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आप ऐसे लगते हैं·····मुझे क्या कहना चाहिए ? मैं यह नहीं कहूंगा, किन्तु आप नियमों का उल्लंघन करते हैं। आपने नियम बनाए हैं। क्या मैंने नियम बनाए हैं।?

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : अमल दत्त जी, क्या आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर देंगे ? क्या मैंने नियम बनाए हैं अथवा क्या आपने नियम बनाए हैं ?

**श्री अमल दत्त** : नियम सदन द्वारा बनाये गये हैं।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय :** आप उनका अनुकरण क्यों नहीं करते ? जब मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूं । तो आप इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं ? मैं इसे करूंगा, किन्तु सही ढंग से करूंगा, इस प्रकार नहीं । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

**श्री अमल दत्त :** ऐसा पता लगा है । एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को इस प्रकार का गेहूं मिलता है.....(**व्यवधान**)**

[**हिन्दी**]

**अध्यक्ष महोदय :** आपको शर्म नहीं आती है । इसकी अनुमति नहीं है । यह व्यक्ति गैर-जिम्मेदार है ।

[**अनुवाद**]

**श्री अमल दत्त :** बिल्कुल गैर-जिम्मेदार नहीं । कौन गैर-जिम्मेदार है ? वे गैर-जिम्मेदार हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** अगर आप उन्हें यह महसूस कराना चाहते हैं, कि वे गैर-जिम्मेदार हैं, तो आप सही ढंग से पेश आयें और मैं इसे करूंगा, किन्तु इस तरह से नहीं करूंगा ।

**श्री अमल दत्त :** तौर-तरीका क्या है ?

**अध्यक्ष महोदय :** आप नियमों को जानते हैं । आप एक सुशिक्षित व्यक्ति हैं । आप हमेशा इस प्रकार की बात करते हैं । यह सब क्या है ? आप जो बात कर रहे हैं, वह गैर कानूनी है ।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसे सही तरीके से करूंगा, इस प्रकार नहीं ।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** यह व्यक्ति नितान्त गैर-जिम्मेदार है । इसे मैं सही तरीके से करूंगा, इस प्रकार नहीं ।

**श्री अमल दत्त :** आप मन्त्री महोदय को जांच करने के लिए कहें ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं उनसे कहूंगा, लेकिन सही तरीके से, इस प्रकार नहीं ।

**श्री अमल दत्त :** इसमें क्या गलती है ? इस गेहूं की सप्लाई सरकार द्वारा की गई है ।

**अध्यक्ष महोदय :** यह व्यक्ति अत्यधिक गैर-जिम्मेदार है; यह सुधरने योग्य नहीं है ।

श्री जनार्दन पुजारी ।

---

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

12.06 म०प०

## सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

[अनुवाद]

### सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

**वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी०के० गढ़वी)** : मैं श्री जनार्दन पुजारी की ओर से सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 33 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 934, जो नवम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो किसी मृतक व्यक्ति की ऐसी सम्पत्ति को, जो केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1953 और केरल निजी वन (निहित करना और समनुदेशन) अधिनियम, 1971 के आधार पर केरल राज्य सरकार में निहित है, सम्पदा शुल्क के संदाय से छूट के बारे में है, की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं० एल०टी-3244/86]

### भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद का वर्ष 1985-86 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा के बारे में विवरण

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्यमन्त्री (श्री के०आर० नारायणन्)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 1985-86 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या-एल०टी०-3245/86]

[हिन्दी]

### केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 1985-86 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन

**पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री भजन लाल)** : मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित पत्र सभपटल पर रखता हूं :—

(1) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (6) के अन्तर्गत केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(3) केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थायय में रखे गये। देखिये संख्या-एल०टी० 3246/86]

---

12.07 म०प०

## लोक लेखा समिति

[अनुवाद]

### सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

**श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल)** : मैं निम्नलिखित विवरणों के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण सभापटल पर रखता हूं :—

(1) व्हील सैटों के आयात के बारे में 23वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा उक्त प्रतिवेदन के अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अंतिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

(2) विमान के विकास और विनिर्माण और गोला-बारूद के लिए कारतूसों के खराब खोलों के विनिर्माण में विलम्ब होने के बारे में 117वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा उक्त प्रतिवेदन के अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अंतिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

(3) निगम-कर, आय-कर और धन-कर के बारे में 193वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा उक्त प्रतिवेदन के अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अंतिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

---

12.07½ म०प०

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

### छब्बीसवां प्रतिवेदन

**श्री आर०पी० सुमन (अकबरपुर)** : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

**श्री एन०वी०एन० सोमू (मद्रास उत्तर)** : महोदय, मैंने हिन्दी थोपे जाने के विरुद्ध स्थगन-प्रस्ताव दिया है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : शोर न करें। यह ऐसा नहीं है।

**श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी** : महोदय, हमने ध्यानाकर्षण हेतु एवं अन्य सूचनाएं दी हैं। गृह मन्त्री महोदय यहीं पर हैं। (व्यवधान)

**श्री एन०बी०एन० सोमू** : मैंने ध्यानाकर्षण की सूचना दी है।.....(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : कोई प्रश्न नहीं। कोई आरोपण नहीं शोर न करें। कोई अनुमति नहीं। (व्यवधान)**

**श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा)** : हमने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : श्री आचार्य, मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है। मैंने आपको बता दिया है।

**श्री बसुदेव आचार्य** : क्यों ?

**अध्यक्ष महोदय** : क्योंकि स्थगन प्रस्ताव के लिए यह उपयुक्त विषय नहीं है। आप आ सकते हैं.....

**श्री बसुदेव आचार्य** : उपयुक्त विषय क्यों नहीं है ? इन दो समाचार पत्रों.....

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसका कारण नहीं बताऊंगा।

**श्री बसुदेव आचार्य** : क्यों नहीं बताएंगे ? एक कामगार की मौत हुई है।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप चाहें, तो आप इसे नियम 377 के अधीन ला सकते हैं। किन्तु स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न ही नहीं है।

**श्री एन०बी०एन० सोमू** : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : शोर न करें। शोर न करें।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप सदन से बाहर चले जायें।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : श्री आचार्य, यदि आप भी इसी तरह अड़े रहे, तो मैं आपको भी बाहर जाने के लिए कहूंगा।

**श्री बसुदेव आचार्य** : क्या इन दो समाचार-पत्रों के बारे में यह माम्ला महत्वपूर्ण नहीं है ?

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप चाहें, तो आप इस पर दूसरे तरीके से चर्चा कर सकते हैं। किन्तु स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं है।

**श्री बसुदेव आचार्य** : किस तरीके से ? पिछले तीन सत्रों से हम इसे उठाते आ रहे हैं।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा)** : क्या हमारी कोई सरकार है अथवा अब नहीं है ? (व्यवधान)

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे अथवा मैं आपसे सदन से बाहर जाने का अनुरोध करूं ?

**श्री बसुदेव आचार्य** : क्यों ।

**श्री अमल दत्त (डायमंड हॉर्बर)** : हम सभी सदन से बाहर चले जायेंगे । आप यही चाहते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है । चले जाइये ।

**श्री बसुदेव आचार्य** : क्यों ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप अत्यधिक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ।

**श्री बसुदेव आचार्य** : 400 कामगार प्रभावित हुए हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य, क्या आप सदन से बाहर जायेंगे ?

**श्री अमल दत्त** : आप इस पर चर्चा करने की अनुमति दें ।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य, यदि आप इसी प्रकार करते रहे, तो क्या आप सदन से बाहर जायेंगे ? आप शिष्टाचार की सभी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं ।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : कृपा बैठ जाइए । मैं आपकी बात उचित ढंग से सुनूंगा, इस तरह नहीं । मुझे इस तरह परेशान नहीं किया जा सकता है ।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसे अपने तरीके से करूंगा । आप यह जान लें कि मुझ पर दबाव डालकर ऐसा नहीं कराया जा सकता है ।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अब बैठ जायें ।

**(व्यवधान)**

**श्री एन०बी०एन० सोमू** : मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा कुछ भी नहीं होगा ।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप सदन से जायेंगे ?

**श्री एन०बी०एन० सोमू** : नहीं । मैं सदन का बहिष्कार कर रहा हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है ।

(तत्पश्चात् श्री एन०वी०एन० सोमू सदन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

**प्रो० सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला)** : अध्यक्ष महोदय, 100 से ज्यादा आदमी नेशनल हाईवे पर श्रीनगर और कारगिल के बीच मर गए.....

**अध्यक्ष महोदय** : देखूंगा।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज़** : मैं चाहूंगा.....

**अध्यक्ष महोदय** : देखूंगा। मैं बताऊंगा, आप मेरे पास आ जाना।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : देखेंगे। बैठ जाइए आप।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज़** : सौ से ज्यादा लोग मर गए...

**अध्यक्ष महोदय** : बोल तो दिया देखूंगा। और कुछ नहीं कह सकता।

[अनुवाद]

मैं इस पर विचार करूंगा।

---

**12.11 म० प०**

## पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रवर्तन के बारे में वक्तव्य

[हिन्दी]

**पर्यावरण और वनमंत्री (श्री भजन लाल)** : हमारे देश में अब पर्यावरण की सुरक्षा की जरुरत और पर्यावरणीय प्रदूषण से उत्पन्न खतरे के बारे में बहुत जागरुकता पैदा हो गई है। यह चेतना हमें हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी से वसीयत के रूप में मिली है जिन्होंने 1972 में स्टाकहोम सम्मेलन में और उससे पहले भी पर्यावरण के साथ विकास के समन्वय की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया था।

हमारे देश में जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, उनसे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की अखण्डता को खतरा पैदा हो गया है। बेकार चीजों को अनियमित रूप से फेंक देने और जहरीले रसायनों के अनुपयुक्त प्रयोग के कारण जो पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा होता है उससे हमारी जनता के कल्याण के मार्ग में गम्भीर उलझनें आ रही हैं। भोपाल गैस त्रासदी से मानव सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है जो औद्योगिक दुर्घटनाओं से भी उत्पन्न हो सकता है।

इस संदर्भ में पर्यावरण सुरक्षा विधेयक को संसद में पेश किया गया था जिसमें पर्यावरणीय मामलों और इस सम्बन्ध में किए जाने वाले आवश्यक उपायों के सम्बन्ध में व्यापक व्यवस्था की गई है। यह सम्भवत: विश्व में अपने किस्म का पहला एकीकृत कानून है। संसद ने विधेयक को पारित कर दिया था और मई, 1986 में राष्ट्रपति जी ने इसको स्वीकृति प्रदान कर दी थी। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, इस अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय गतिविधि का हर एक क्षेत्र

आता है और इसके कार्यान्वयन के लिए सशक्त वैज्ञानिक सहयोग की जरुरत है। सरकार ने पिछले कुछ महीनों में. इस संबंध में विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की हैं और इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियम तैयार कर लिए हैं।

इन नियमों में सात उद्योगों के सम्बन्ध में मानक, निर्देश जारी करते समय केन्द्र सरकार द्वारा अपनाए जाने वाली प्रक्रियाएं, उद्योगों के स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में रोक और प्रतिबन्ध लगाने के लिए प्रक्रियाएं, विभिन्न क्षेत्रों में प्रक्रिया अथवा संचालन, पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के कार्य, सरकारी विश्लेषकों की योग्यताएं और नमूने लेने की प्रणालियां, नमूनों और प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करना. शामिल हैं।

जैसा कि आप लोगों को पता है इस अधिनियम में सम्भवतः पहली बार यह प्रावधान रखा गया है कि न्यायालय ऐसे अपराधों की सुनवाई कर सकते हैं जिनकी अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 60 दिनों का नोटिस देकर किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई हो। नोटिस देने का तरीका बनाए गए नियमों में निर्धारित किया गया है।

और अधिक उद्योगों के लिए मानकों, खतरनाक पदार्थों, राज्यों तथा अन्य विनियामक एजेंसियों आदि को अधिकारों के प्रत्यायोजन के बारे में अधिनियम के अन्तर्गत अन्य आवश्यक नियम बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। पर्याप्त रूप से सज्जित वर्तमान प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता दी जाएगी और जहां आवश्यक हो नई प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

पर्यावरण के सभी पहलुओं की सुरक्षा करके दीर्घकालिक विकास के आधार सुनिश्चित करने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा हमारे सामने रखे गए और हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा स्वीकृत किए गए लक्ष्यों का कार्यान्वयन करने के लिए सरकार कृत संकल्प है। हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए पर्यावरण से बेहतर पर्यावरण अपनी अगली-पीढ़ी को विरासत के रूप में देने के राष्ट्रीय संकल्प की सही अभिव्यक्ति पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन से होगी।

अतः सरकार ने इस अधिनियम और नियमों को श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्मृति में श्रद्धांजलि के रूप में 19-11-1986 से लागू करने का निर्णय लिया है जो सम्पूर्ण विश्व में पर्यावरणीय मामलों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी।

[हिन्दी]

**श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर)** अध्यक्ष महोदय, एक प्रार्थना है छोटी सी। आप के द्वारा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस और जन्म दिवस को राजपत्रित छुट्टी मानी जाय।

---

12.15 म० प०

## नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

**(एक) मध्य प्रदेश के ग्वालियर से कलकत्ता और अहमदाबाद के लिए सुपर फास्ट रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता**

**श्री कम्मोदीलाल जाटव (मुरैना)** : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश से कलकत्ता व अहमदाबाद जाने के लिए रेल द्वारा कोई व्यवस्था रेल विभाग ने नहीं की है। मध्य प्रदेश की जनता को इन

स्थानों के लिए आने-जाने के लिए दिल्ली, अलीगढ़, टूंडला व आगरा जाना पड़ता है। इससे धन की हानि होती है व जनता परेशान होती रहती है। मध्य प्रदेश की जनता ने तथा संसद सदस्यों ने कई बार इस बारे में मांग की है लेकिन अभी तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा रेल-मन्त्री तथा सरकार से निवेदन है कि जनता की सुविधा के लिए ग्वालियर से सुपर-फास्ट गाड़ियां कलकत्ता तथा अहमदाबाद को तत्काल चलाई जायें तो अति कृपा होगी।

[अनुवाद]

**(दो) गुरुवायुर मन्दिर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए केरल में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 47 और 17 को जोड़ने हेतु एक सम्पर्क राजमार्ग का निर्माण करने की आवश्यकता**

**श्री पी० ए० एन्टनी (त्रिचूर)** : केरल में त्रिचूर केरल राज्य का सांस्कृतिक केन्द्र है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 त्रिचूर से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 केरल के तटवर्ती क्षेत्र से होकर गुजरता है। परन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 और 17 को जोड़ने वाला कोई संपर्क राजमार्ग नहीं है।

गुरुवायूर मंदिर दक्षिण भारत का सबसे अधिक तीर्थ केन्द्र है। भारत के सभी भागों से रोजाना हजारों तीर्थ यात्री गुरूवायूर मंदिर के दर्शन करने आते हैं। त्रिचूर अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के बीच गुरुवायूर होते हुए एक सम्पर्क राजमार्ग से तीर्थयात्रियों को गुरुवायूर मंदिर आने और इस क्षेत्र में यातायात की सुगमता को भी कम करने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग 47 और राष्ट्रीय राजमार्ग 17 को गुरुवायूर होकर जोड़े जाने का प्रस्ताव है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मामले को शीघ्र निपटाया जाये।

**(तीन) देश में लगभग 40,000 नाविकों की शिकायतों की जांच करने की आवश्यकता**

**श्री आई० रामाराय (कासरगौड)** : यह अनुमान है कि देश में लगभग 40,000 लोग नाविकों के रूप में नियुक्त हैं। इनमें लगभग 10,000 लोग केवल केरल के हैं। इन नाविकों को ठेका मजदूरों के रूप में रखा जाता है और वर्ष भर उन्हें स्थायी रोजगार की कोई गारन्टी नहीं दी जाती है और कभी-कभी उन्हें समुद्र जाने का अन्य अवसर प्राप्त करने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। ऐसे भी अवसर आये हैं जब उन्हें 2 वर्ष अथवा इससे भी अधिक समय तक कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। सेवावधि के दौरान उन्हें बहुत कठिन कार्य करना पड़ता है और सामान्यतः सेवानिवृत्ति से पूर्व उन्हें अपने स्वास्थ्य की हानि भी उठानी पड़ती है। इन नाविकों को सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त विभिन्न सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता है।

सेवारत इन नाविकों की दयनीय कार्य स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नन्दा आयोग नियुक्त किया जिसका कार्य नाविकों की सेवा स्थितियों और उनको होने वाली विभिन्न कठिनाइयों के अन्य पहलुओं की जांच करना था। हालांकि आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, आयोग द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना शेष है।

मैं जल-भूतल मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि बड़ी संख्या में उन नाविकों की जिनकी सेवाओं द्वारा देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, विभिन्न शिकायतों की जांच करे।

[हिन्दी]

(चार) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के उपउन्धों को कड़ाई से लागू करने की मांग

श्री मूलचंद डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय जीव जन्तुओं की रक्षा करने के उपायों का सबसे बड़ा रिकार्ड हमें भारत में मिलता है।

महान सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी पूर्व जीव जन्तुओं का शिकार करने पर पाबन्दी लगा दी थी। उस पाबन्दी को लागू करने के लिए सम्राट ने उन पक्षियों, पशुओं और मछलियों की सूची स्तम्भों में खुदवाई थी। जिनका कठोरता से पालन करवाया गया। जंगल के प्राणी हमारे गूंगे दोस्त हैं। उन्हें इन्सान से दया सहानुभूति और प्रेम मिलना चाहिए। उनके प्रति ऐसे कोमल भाव पैदा करने के लिए हमें भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड के माध्यम से जन-साधारण के मानव को जागृत करना होगा। सरकार ने "प्रिवेंशन आफ क्रुयलिटी टु एनीमल एक्ट, 1960" बनाया और उसके अन्तर्गत ऐसे प्रावधान रखे, जिसका उद्देश्य है कि प्राणियों को अपना मित्र समझा जाए और उनके साथ क्रूरता का व्यवहार न किया जाए और न ही मानव पशुओं को अपने मनोविनोद का साधन बनाकर उन्हें किसी प्रकार की यातना पहुचाएं। यह दुर्भाग्य है कि राज्य सरकारें व केन्द्र शासित राज्य इस कानून को गंभीरता से नहीं ले रही हैं। कानून केवल अलमारियों में बंद होकर रह गया है। राज्य सरकारें व केन्द्र शासित राज्य पशु और पक्षियों के साथ दिनोंदिन बढ़ते हुए क्रूरता के व्यवहार को रोक पाने में असफल रही है। जो सहयोग नगर-पालिकाओं, नगर-परिषदों और लोकतांत्रिक इकाइयों को इस कानून को लागू कराने में देना चाहिए, वे सहयोग नहीं दे पा रही हैं।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार, केन्द्र शासित राज्यों व लोकतांत्रिक इकाइयों से अनुरोध करता हूं कि वे "प्रिवेंशन आफ क्रूयलिटी टू एनीमल एक्ट, 1960" को लागू करें और इसे लागू करने में पशु कल्याण बोर्ड को पूरा योगदान दें।

[अनुवाद]

(पांच) अंतर्राज्यीय विद्युत परियोजनाओं से राजस्थान को विद्युत आपूर्ति का अनुपातिक हिस्सा देने की आवश्यकता

श्री बुद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : महोदय, राजस्थान राज्य में विद्युत सप्लाई की स्थिति राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना, कोटा की यूनिट संख्या 1 के दीर्घकाल से एवं निरन्तर बेकार पड़े रहने के कारण संतोषजनक नहीं है। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की यूनिट संख्या 2 भी अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। राजस्थान को सिंगरौली में उच्च ताप विद्युत संयंत्र और मध्य प्रदेश में ताप विद्युत संयंत्र में उत्पादित विद्युत में से अनुपातिक भाग प्राप्त नहीं हो रहा है।

पालाना लिग्नाइट और रामगढ़ में गैस पर आधारित संयंत्रों की योजनाएं भी अधर में पड़ी है। विद्युत की कमी के कारण किसानों और उद्योगपतियों पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

निवेदन है कि अन्तर्राज्यीय विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान के विद्युत सप्लाई के अनुपातिक अंश को नियमित किया जाये और पालाना लिग्नाइट और रामगढ़ के गैस पर आधारित संयंत्र के लिए केन्द्र द्वारा अधिकाधिक सहायता प्रदान की जाये।

**12.22 म० प०**

(छह) कागजनगर और सिकन्दराबाद के बीच एक शटल गाड़ी चलाने की आवश्यकता

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री जी० भूपति (पेद्दापल्ली) : श्रीपुर कागजनगर, तेलांगना क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र है और यह सिकन्दराबाद से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन दो स्थानों के मध्य कई कोयला खदानें और रामागुंडम, गोदावरिकानी, मंचिरियाल, मंडामैरी, रामकृष्णपुर, बेल्लुमपल्ली जैसे रेलवे स्टेशनों और अन्य गांवों में अन्य उद्योग स्थित हैं। कागजनगर और सिकन्दराबाद के बीच के गांवों में रहने वाले एक लाख से अधिक मजदूर अत्याधिक परेशानी का सामना कर रहे हैं क्योंकि औद्योगिक स्थानों तक जाने के लिए वहां कोई स्थानीय रेलगाड़ी नहीं है। अत: कागजनगर और सिकन्दराबाद के बीच तुरन्त एक स्थानीय रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता है ताकि मजदूर फैक्ट्रियों तक पहुंच सकें। इसलिए, निवेदन है कि सरकार कागजनगर और सिकन्दराबाद के बीच एक स्थानीय गाड़ी चलाने के लिए तुरन्त कदम उठाये।

(सात) गत अक्टूबर में रद्द की गई त्रिवेन्द्रम मेल रेलगाड़ी पुन: चलाने की आवश्यकता

डा० एस० जगतरक्षकन चेंगलपट्टू : महोदय, । अक्टूबर से त्रिवेन्द्रम मेल को अकस्मात रद्द कर दिए जाने के कारण यात्रियों को भारी कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस गाड़ी को जिससे तमिलनाडु और केरल के बड़ी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं तुरन्त पुन: चलाये जाने की आवश्यकता है।

(आठ) देश को पारिस्थितिकीय विनाश से बचाने के लिए वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए उपाय करने की मांग

डा० पी० वल्लल पेरुमल (चिदम्बरम्) : महोदय, कुछ प्रसिद्ध पर्यावरणविदों और विश्वस्त रिपोर्टों के अनुसार भी यह चेतावनी दी गई है कि यदि तुरन्त आवश्यक सुधारात्मक उपाय नहीं किए गये तो इस शताब्दि के अन्त तक भारत को पर्यावरणीय खतरे का सामना करना पड़ सकता है।

यह कहा गया है कि हमारे देश में प्रति वर्ष लगभग 15 लाख हेक्टेयर वन सम्पत्ति की हानि हो रही है। लगभग 45 प्रतिशत वन भूमि क्षेत्र कम हो गया है और लगभग 12,000 मिलियन टन उपजाऊ जमीन बाढ़ के कारण बह गई। गर्मियों के महीनों में आधे से अधिक देश को पेयजल की भारी कमी का सामना करना पड़ता है और प्रतिवर्ष यह स्थिति बिगड़ती ही चली जा रही है।

इसके अतिरिक्त, यह कहा गया है कि इस दयनीय स्थिति के मुख्य कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होना, भूमि का दोषपूर्ण उपयोग और भ्रष्ट पद्धतियां, अक्षम जल प्रबन्ध और प्राकृतिक संसाधनों का अव्यवहारिक उपयोग आदि हैं जिनसे अंत में पर्यावरणीय स्थितियों में गिरावट आती है।

अत: मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस विस्फोटक स्थिति पर तुरंत काबू करें और इस प्रयोजनार्थ विभिन्न आवश्यक उपाय करके वन क्षेत्र में वृद्धि करें।

———

12.25 म० प०

## अनुपूरक अनुदानों की मांगें—(सामान्य), 1986-87*

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा 1986-87 के बजट (सामान्य) से सम्बन्धित अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान करेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :—

मांग संख्या : 2, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 56-क, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 104 और 107

**लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1986-87 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) की सूची**

| मांग संख्या | मांग का नाम | सदन की स्वीकृति के लिए पेश की गई अनुदान की मांग की राशि | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | राजस्व रुपए | पूंजी रुपए |
| | **कृषि मंत्रालय** | | |
| 2. | कृषि | 1,000 | |
| 8. | ग्रामीण विकास विभाग | 128,00,01,000 | ... |
| 9. | उर्वरक विभाग | 36,00,00,000 | 1,01,00,000 |
| | **वाणिज्य मंत्रालय** | | |
| 10. | वाणिज्य मंत्रालय | 4,00,000 | ... |
| 11. | विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन | 125,00,00,000 | |
| 12. | पूर्ति और निपटान | 86,00,000 | ... |

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | **संचार मंत्रालय** | | |
| 16. | दूर संचार सेवाएं | | 3,000 |
| | **रक्षा मंत्रालय** | | |
| 17. | रक्षा मंत्रालय | 7,40,00,000 | |
| 19. | रक्षा सेवाएं-थल सेना | 642,98,00,000 | |
| 20. | रक्षा सेवाएं-नौ सेना | 25,00,00,000 | |
| 21. | रक्षा सेवाएं-वायु सेना | 136,00,00,000 | ... |
| 22. | रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय | | 121,00,00,000 |
| | **पर्यावरण और वन मंत्रालय** | | |
| 26. | पर्यावरण और वन मंत्रालय | 13,50,000 | |
| 27. | पर्यावरण | 79,62,000 | |
| 28. | वन और वन्य जीवन | 40,80,000 | |
| | **विदेश मंत्रालय** | | |
| 29. | विदेश मंत्रालय | 16,00,00,000 | |
| | **वित्त मंत्रालय** | | |
| 30. | वित्त मंत्रालय | 1,15,00,000 | |
| 31. | सीमा शुल्क | 3,30,00,000 | |
| 32. | संघ उत्पाद-शुल्क | 11,00,00,000 | |
| 33. | आय पर कर, सम्पदा शुल्क धन कर और दान कर | 13,56,00,000 | |
| 34. | स्टाम्प | 3,72,15,000 | ... |
| 36. | करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल | 11,65,86,000 | 1,06,000 |
| 40. | वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय | 4,000 | 18,30,00,000 |
| | **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय** | | |
| 42. | खाद्य विभाग | 258,80,00,000 | 600,00,00,000 |
| 43. | नागरिक पूर्ति विभाग | 86,00,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** | | |
| 44. | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | 17,00,000 | ... |
| 45. | चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य | 10,00,02,000 | ... |
| | **गृह मंत्रालय** | | |
| 48. | मंत्रिमंडल | 1,00,00,000 | ... |
| 56-क. | चंडीगढ़ | 54,18,01,000 | 19,20,34,000 |
| | **मानव संसाधन विकास मंत्रालय** | | |
| 57. | मानव संसाधन विकास मंत्रालय | 49,76,000 | ... |
| 59. | युवा कार्य और खेल | ... | 62,05,00,000 |
| 61. | कला और संस्कृति | 6,80,00,000 | ... |
| 62. | पुरातत्व | 1,22,56,000 | ... |
| | **उद्योग मंत्रालय** | | |
| 63. | उद्योग मंत्रालय | 72,00,000 | ... |
| 64. | उद्योग | 1,12,000 | ... |
| | **सूचना और प्रसारण मंत्रालय** | | |
| 66. | सूचना और प्रसारण मंत्रालय | 23,66,000 | ... |
| 67. | सूचना और प्रचार | | 8,60,00,000 |
| | **श्रम मंत्रालय** | | |
| 69. | श्रम मंत्रालय | 18,00,000 | ... |
| | **संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्रालय** | | |
| 73. | संसदीय कार्य विभाग | 3,80,000 | ... |
| 74. | पर्यटन विभाग | 2,68,00,000 | ... |
| | **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय** | | |
| 76. | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय | 20,75,00,000 | 467,00,00,000 |
| | **योजना मंत्रालय** | | |
| 78. | सांख्यिकी | 1,56,00,000 | ... |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | **कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** | | |
| 79. | कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | 15,00,000 | |
| | **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय** | | |
| 80. | विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | 46,28,000 | ... |
| 81. | भारतीय सर्वेक्षण | 7,98,45,000 | |
| 82. | मौसम विज्ञान | 46,00,000 | |
| 83. | वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग | 2,00,000 | ... |
| | **इस्पात और खान मंत्रालय** | | |
| 84. | इस्पात विभाग | ... | 79,10,00,000 |
| 85. | खान विभाग | 5,47,50,000 | 2,000 |
| | **वस्त्रोद्योग मंत्रालय** | | |
| 86. | वस्त्रोद्योग मंत्रालय | 12,32,00,000 | |
| | **परिवहन मंत्रालय** | | |
| 87. | परिवहन मंत्रालय (रेलवे को छोड़कर) | 1,66,00,000 | |
| 88. | सड़कें | ... | 8,05,33,000 |
| 89. | पत्तन, द्वीपस्तंभ और नौवहन | 70,00,000 | 22,00,000 |
| 90. | सड़क और अंतर्देशीय जल परिवहन | 2,00,000 | 23,45,00,000 |
| | **शहरी विकास मंत्रालय** | | |
| 92. | शहरी विकास मंत्रालय | 37,00,000 | ... |
| 93. | लोक निर्माण | 6,88,43,000 | 1,000 |
| 95. | आवास और शहरी विकास | 5,51,90,000 | 10,20,03,000 |
| 96. | लेखन-सामग्री और मुद्रण | 5,08,96,000 | ... |
| | **जल संसाधन मंत्रालय** | | |
| 97. | जल संसाधन मंत्रालय | 2,79,00,000 | |
| | **परमाणु ऊर्जा विभाग** | | |
| 100. | परमाणु ऊर्जा अनुसंधान विकास और औद्योगिक परियोजनाएं | | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | **अंतरिक्ष विभाग** | | |
| 104. | अंतरिक्ष विभाग | 15,77,66,000 | 27,72,19,000 |
| | **संसद, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग** | | |
| 107. | उप-राष्ट्रपति का सचिवालय | 1,00,000 | ... |

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री आनन्द गजपति राजू चर्चा आरम्भ करें।

**श्री आनंद गजपति राजू (बोब्बिली)** : उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थिति में जबकि बजट पहले से ही पास कर दिया गया है, ऐसे समय में भारत की संचित निधि से किया जा रहा विनियोग बहुत ही अशोभनीय है कि इस निधि में से अनेक बार धनराशि मांगी गई है तथा प्राक्कलन भी सही प्रकार से तैयार नहीं किए गए हैं। जहां तक धनराशि के खर्च करने का सम्बन्ध है संसद को विश्वास में नहीं लिया गया है।

यही नहीं, व्यय के सम्बन्ध में बजट अनुमान पहले से तैयार कर लिए जाते हैं तथा इस प्रकार उनसे वसूल किया जाने वाला राजस्व उचित समय पर ही लगाया जाना चाहिए। विनियोग की जाने वाली धनराशि लगभग 3000 करोड़ रुपये और इससे भी अधिक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उचित बजट व्यवस्था के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट है क्योंकि यह धनराशि गैर-योजना व्यय के लिए उपयोग किए जाने के लिए मांगी जा रही है। पहले सरकार ने यह कहा था कि सरकार अनुमानों से अधिक 1000 करोड़ रु० राजस्व प्राप्त करने जा रही है। अब सरकार पूरक मांगें ला रही है, गैर-योजना व्यय को पूरा करने के लिए निधि के विनियोग की मांग कर रही है। जो अत्यधिक अशोभनीय तथा वित्तीय रूप से भी उचित नहीं है।

पृष्ठाधार जानकारी के सम्बन्ध में और कुछ मुद्दों का उल्लेख करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने यह नीति बनाई है कि निर्यात के सम्बन्ध में सरकार अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी मूल्यों पर कच्चा माल उपलब्ध करायेगी और 100 प्रतिशत तक ऋण भी उपलब्ध कराएगी। लेकिन आप यह देखते हैं कि कच्चा माल अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए निर्धारित किए गए कच्चे माल के बिल्कुल ही अनुरूप नहीं है और यदि सरकार इस प्रकार का कच्चा माल उपलब्ध भी करना चाहे तो भी सरकार को अत्यधिक आर्थिक सहायता देनी होगी और इतनी आर्थिक सहायता देना वर्तमान संतुलनों में, जो इस समय देश के सामने है, 8000 करोड़ रुपये के घाटे को ध्यान में रखते हुए इस सरकार के लिए सम्भव नहीं होगा। अतः इस प्रकार की योजनाओं की घोषणा किए जाने से पहले उनकी वित्त विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, और विदेश मन्त्रालय की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए क्योंकि इसके लिए कुछ स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है।

इस समय इस देश की मांग की स्थिति और विशेष रूप से कुछ औद्योगिक राज्यों में आप यह देखेंगे कि कहां मांग घटी है। अन्य वस्तुएं बेची नहीं जा रही है। ऋण सम्बन्धी मांगों में कमी की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक 300 करोड़ और इससे अधिक रुपये की कुछ जब्त की गई धनराशि को देकर ऋण सम्बन्धी मांगों को बढ़ाना चाहता है। ऐसा करना ही पर्याप्त नहीं होगा

क्योंकि इससे देश की नियत आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकेंगी। अत: जब आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को देखते हैं तब आप यह देखते हैं कि मूल्यों में जितनी वृद्धि हुई है उतनी सूचकांकों में वृद्धि नहीं हुई है। आप यह देखते हैं कि मूल्यों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केवल थोक मूल्य को ही बताते हैं और वे आज की देश की सही स्थिति के बारे में नहीं जानते हैं।

इस समय मांग में कमी हो रही है। आप यह देखते हैं कि एक ओर मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है और दूसरी ओर आप यह देखते हैं कि गरीब व्यक्ति और गरीब हो रहा है। इसका कारण यह है कि उन्हें अच्छी मजदूरी नहीं मिल रही है और उन्हें इसकी वे सुविधायें प्राप्त नहीं है, जो उन्हें मिलनी चाहिए।

अत: मैं कुछ और मुद्दों पर बोलूंगा और केवल प्राकृतिक विपदाओं के बारे में ही उल्लेख करूंगा। हाल ही में कुछ समय पहले राज्यसभा में सरकार ने यह स्वीकार किया था कि आंध्र प्रदेश में सूखे और बाढ़ की स्थिति को एक भयंकर विनाश को असाधारण संकट के रूप में माना जाएगा। लेकिन, आप यह देखते हैं कि अब सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि यह धनराशि को 31 मार्च, 1987 तक खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन, आप यह देखते हैं कि तालाबों की मरम्मत, सिंचाई पद्धति में सुधार का काम मन्दी के समय में ही किया जा सकता है। मन्दी का मौसम मार्च के पश्चात् शुरू होता है। अत: मैं केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि केन्द्रीय सरकार इस धनराशि के खर्च करने के लिए तीन या चार महीने का समय और बढ़ायें जिससे इस पूरी धनराशि को प्रभावी रूप से खर्च किया जा सके।

रक्षा व्यय के सम्बन्ध में यह है कि दक्षेस (सार्क) और अन्य एसोसिएशनों के बनने के पश्चात् भी आप यह देखते हैं कि रक्षा व्यय में वृद्धि हो रही है। हमारे बजट का एक तिहाई भाग रक्षा व्यय के लिए रखा जा रहा है। अत: यदि हम रक्षा व्यय को कम नहीं कर सकते और उन्हें इस देश के विकास सम्बन्धी प्रयासों के अनुरूप नहीं कर सकते तो इन सम्मेलनों का क्या महत्व है। हम यह देखते हैं कि विकास सम्बन्धी प्रयास ठीक प्रकार से नहीं किए जा रहे हैं। केवल वित्तीय लक्ष्यों को ही पूरा करने के लिए कहा जा रहा है जबकि वास्तविक लक्ष्यों को अनदेखा किया जा रहा है। अत: वित्तीय साधनों में सुधार किया जाना चाहिए। इस समय हम यह देखते हैं कि सरकारी संस्थान अथवा अर्ध-सरकारी संस्थान केवल संस्थानों को धनराशि उपलब्ध करने के लिए आगे आ रहे हैं। यह देखने के लिए बाजार का विस्तार किया जाना चाहिए कि जनता से अधिक धनराशि प्राप्त की जा सके। मैं सरकार से यह भी निवेदन करता हूं कि पूंजीगत लेखा से गैर-योजना व्यय के लिए धन नहीं दिया जाना चाहिए। हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऋण पर 13,000 करोड़ रुपये ब्याज दे रहे हैं। अत: इन प्रवृत्तियों पर रोक लगाने तथा कुशल प्रबन्ध करने की आवश्यकता है ताकि दलित और कमजोर वर्गों का ठीक प्रकार से उत्थान किया जा सके। जबकि अन्य क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है, निर्धन व्यक्तियों तथा निर्बल वर्गों की ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है जबकि सरकार ने उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि जब पूरक अनुदान लाये जायें तब गरीबों की गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के लिए परिव्यय में वृद्धि की जानी चाहिए और देश के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

**श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर)** : उपाध्यक्ष महोदय, 3038, 54 करोड़ रुपये की पूरक मांगें हैं। यह बड़ा आश्चर्यजनक है कि पूरक मांगें दूसरी बार सदन में प्रस्तुत हुई हैं। जब हम बजट प्रस्तुत करते हैं तो बजट प्रस्तुत करने के समय हमें यह पता नहीं चलता कि क्या क्या कन्टीनजेन्सीज होंगी। उन कन्टीनजेन्सीज का अनुमान लगाने के लिए हम तैयार नहीं रहते हैं और इस प्रकार से सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड्स हम प्रस्तुत करते हैं।

फिर भी जो ये पूरक मांगें प्रस्तुत की गयी हैं ये स्वागत योग्य हैं। इनमें 136, 40 करोड़ रुपये स्टेट्स को ट्रांस्फर किये जाने की बात है। यह जो गाडगिल फार्मूले के बेसिस पर स्टेट गवर्नमेंट को राशि ट्रांस्फर की जाती है उससे हमारे राज्य के साथ न्याय नहीं हो पाता। यह जो गाडगिल फार्मूला है यह पापुलेशन के बेसिस पर है। जनसंख्या के आधार पर यह फार्मूला होने के कारण जिन राज्यों में जनसंख्या अधिक है, वे इसका अधिक लाभ उठाते हैं। जिनकी जनसंख्या कम है वे इसका लाभ नहीं उठा पाते। वे नुकसान में रहते हैं।

हमारी राजस्थान सरकार ने इस प्रश्न को नेशनल डवलपमेंट कौंसिल में उठाया। मैंने भी इस प्रश्न को कंमलटेटिव कमेंटी में प्रस्तुत किया था कि यह जो गाडगिल फार्मूला है इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह भी देखना चाहिए कि किसी राज्य का क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल का कंसीडरेशन भी होना चाहिए। हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। आज अगर कोई भी योजना हम लें जिस पर कि मान लो सौ करोड़ रुपये खर्च करना है तो उसमें से हमको बहुत ज्यादा धन ऐसी चीजों पर खर्च करना पड़ता है जैसे कि सड़क है। हमको बहुत लम्बी सड़कें बनानी पड़ती हैं। डवलपमेंट के लिए हरेक मामले पर अधिक राशि खर्च करनी पड़ती है। मगर गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत क्षेत्रफल को कंसीडरेशन में नहीं लिया जाता।

मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताता हूं। मैं जिस पार्लियामेंटरी कांस्टीच्युएंसी से आता हूं उसका क्षेत्रफल पंजाब राज्य के बराबर है और हरियाणा राज्य से ड्योढ़ा है। केरल प्रान्त से भी दुगुनी है। अब प्रश्न यह है कि जो डवलपमेंट का प्रोग्राम है उसके लिए हमने सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मदद मांगी। तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत मदद दी। वार्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत भी मदद दी गई। आज ही मेरा सप्लीमेंटरी प्रश्न था, लेकिन वह नहीं आया। वार्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में राज्यों को राशि का विभाजन नहीं किया है कि किस राज्य को कितनी मदद मिलेगी। हमने प्रोग्राम राज्य का प्रस्तुत कर दिया है। प्रोग्राम प्रस्तुत करने पर भी जब तक केन्द्र सरकार क्लीअर न करे तब तक हमें मदद नहीं मिल सकती। केन्द्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं जिसमें शत-प्रतिशत मदद देते हैं, उन स्कीमों को क्लीअर करने के लिए छह-सात महीने ले लेते हैं। डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम हमारा है, छह महीने के बाद क्लीअर किया गया है। जो वार्डर एरिया डवडपमेंट प्रोग्राम है, उसको अभी तक क्लीअर नहीं किया गया है। अब नवम्बर का महीना आ गया है। दिसम्बर में क्लीअर करेंगे तो फिर तीन महीने में किस प्रकार राशि को खर्च कर सकते हैं। जब राशि को खर्च ही नहीं कर सकते तो हमारी प्रगति और विकास नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रगति और विकास में बाधा पहुंचती है। हमारी सबसे महत्वपूर्ण नहर इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी,

वह 1968 में शुरु हुई थी और गोविन्द वल्लभ पंत जी ने उसका शिलान्यास किया था। अब 1986 में गुजर रहे हैं और उसकी योजना की राशि दिन पर दिन बढ़ रही है। हम यह चाहते हैं कि हमारी जो योजना राजस्थान सरकार ने प्रस्तुत की, उसको हमने केन्द्र सरकार से क्लीयरेंस करने के लिए कहा तो सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक साल ले लिया। अब प्लानिंग कमीशन क्लीअर करने के लिए समय ले रही है। कहने का मतलब यह है कि अगर केन्द्र सरकार इतना समय लेती है तो बड़ा भारी विलम्ब हो जाता है और योजनाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो विशियस सर्कल बन जाता है। एक हजार तीन सौ करोड़ की इंदिरा गांधी नहर की योजना प्रस्तुत की। राजस्थान सरकार ने दो सौ करोड़ प्लान में रखे। जब उसके अन्दर हम खर्च करते हैं तो एक तो केन्द्र सरकार के कारण विलम्ब हो जाता है और दूसरा दो सौ करोड़ रुपए अगर खर्च करें और यदि चालीस-चालीस करोड़ सालाना भी खर्च करें तो यह स्थिति पैदा होती है कि कीमतें बढ़ जाती हैं। सेवन्थ फाइव इअर प्लान के बाद में स्थिति पैदा होती है तो 1300 करोड़ की और योजना बनानी पड़ेगी। इंदिरा गांधी नहर हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र के भाग्य का फैसला करने वाली है। इसलिए हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार हमको विशेष सहायता दे। केन्द्र सरकार ने पहले भी छठी पंचवर्षीय योजना में चालीस करोड़ की विशेष सहायता दी है। श्री एस० बी० चव्हाण हमारे क्षेत्र में आए थे। उन्होंने इस बात को महसूस किया और महसूस करके हमारी विशेष सहायता की। अभी भी इस योजना के बारे में तय करना है जिससे आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह कम्पलीट हो जाए। अगर केन्द्र सरकार विशेष सहायता नहीं देगी तो यही स्थिति पैदा होगी कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी इंदिरा गांधी नहर कम्पलीट नहीं हो सकती और जब कम्पलीट नहीं हो सकती तो इसका लाभ नहीं उठा सकते। हमारे रेगिस्तानी क्षेत्रों की जो अकाल के कारण भयंकर स्थिति है वह और भयंकर हो जायेगी। अकाल के बारे में मेमोरेन्डम प्रस्तुत कर दिया है। उसके बाद भी केन्द्र सरकार बहुत टाइम लेती है। दो-दो महीने लग जाते हैं लेकिन मदद नहीं मिलती, ऐसी स्थिति है। इस प्रकार की मदद दें जिससे हम अकाल का मुकाबला कर सकें। एडहाक और मार्जिन मनी राजस्थान सरकार के पास खत्म हो गई है। उस अकाल का मुकाबला करने के लिए आप दो-ढाई महीने के बाद मदद देते हैं। जो मदद दी गई थी, केन्द्र सरकार की ओर से वह अकाल की स्थिति के कारण पहले ही व्यय कर दी।

हमारी आज स्थिति यह है कि पहले साल अकाल में करीब 20 करोड़ का कर्ज है जो हमें उन किसानों और मजदूरों को चुकाना है जिन्होंने इस दौरान अकाल राहत कार्यों में काम किया था। हमारे यहां इस शताब्दी का भयंकर अकाल है, हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार हमें मदद दे और समय पर मदद दे ताकि हम अपने राज्य में अकाल राहत कार्य ज्यादा से ज्यादा खोल सकें। एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. के अन्तर्गत आपने राशि ग्रांट की है, अगर आप हमें एन. आर. ई. पी. की राशि इस वर्ष समय पर दे देते तो हम अकाल में लोगों की मदद कर सकते थे। लेकिन वह राशि क्लियर नहीं की गई और आर. एल. ई. जी. पी. की राशि भी क्लियर नहीं की गई, केन्द्र सरकार इसको क्लियर करने में काफी समय लगाती है। पीने के पानी की योजना के बारे में केन्द्र सरकार ने एन. आर. ई. पी. में ए. आर. डब्ल्यू. एस. पी. के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना में बहुत अच्छी मदद की और इसी कारण राजस्थान को इसमें प्रथम स्थान मिला। परन्तु अब जो आपके अधिकारी आये हैं उन्होंने जो फार्मूला बनाया है उसमें योजना आयोग और एन. डी. सी. की कोई राय नहीं ली है। उन्होंने जो फार्मूला बनाया है 50 प्रतिशत आबादी का, बैकवर्ड एरिया 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत रिमेनिंग विलेज का, 20 प्रतिशत

गरीबी का इसमें यह शर्त रखी कि जितनी राजस्थान सरकार राशि मिनीमम् नीड्स प्रोग्राम में लगायेगी उससे ज्यादा नहीं देंगे। यह योजना आयोग की गाइड लाइन्स के विरुद्ध है। जबकि यह स्पष्ट कहा गया है कि हरियाणा, राजस्थान को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन आप सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के निर्देशों की अवहेलना करके ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं। इससे हमारा नम्बर पांचवे स्थान पर आता है वित्त विभाग को भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में पीने के पानी का राजस्थान में जो योजना है उसका पालन होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सप्लीमेंटरी ग्रांट का समर्थन करता हूं।

12.44 म० प०

**[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]**

[अनुवाद]

**श्री सोमनाथ रथ (आसंका)** : महोदय मैं अनुदानों की पूरक मांगों का समर्थन करता हूं। खुली बजट प्रणाली का भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़े हैं। मोडवाट योजना बहुत अच्छी तरह चल रही है इसलिए कराधान की सीमान्त दर में भी कमी हुई है।

इसी प्रकार कम आय वर्ग के लोग इस समय उत्पीड़न से मुक्त हैं और कालेधन और लेखा वाह्य सम्पत्ति का पता लगाने के लिए औद्योगिक घरानों पर छापों और उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने से जो विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, कर वसूली में वृद्धि हुई है।

राजस्व वसूल करने में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और उन लोगों को भी आगे आने और और करों का भुगतान करने का मौका दिया गया है जिन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के नियमों का उलंघन किया है जिससे उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही न की जा सके।

लेकिन महोदय इसकी फिर पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि पहले भी लोगों से काले धन की घोषणा करने तथा अपराधिक जिम्मेदारियों से बचने के लिए करों का भुगतान करने के लिए कहा गया था लेकिन इसे उस समय तक नियम नहीं बनाया जाना चाहिए जब तक कि इससे कोई अनैतिक स्थिति पैदा न हो।

आर्थिक नीति को उदार बनाया गया है उन बड़े व्यवसायिक घरानों को जो विदेशी मुद्रा के रूप में भारी लाभ कमाते हैं उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए इससे राष्ट्र को लाभ होना चाहिए। राष्ट्र के हित में निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों से अधिक निर्यात किया जाना चाहिए।

आगामी तीन वर्ष भारत के लिए व्यापारिक अन्तर भुगतान संतुलन की स्थिति के कारण कठिनाई के वर्ष होंगे क्योंकि अगले वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गये ऋण का भुगतान करना होगा। इन परिस्थितियों में वित्त मंत्री को वर्तमान स्थिति पर विचार करना चाहिए 8616.36 करोड़ रुपये का व्यापारिक घाटा है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में कुल 49.902 करोड़ रुपये के ऋण की राशि बकाया है।

सहकारी क्षेत्र के संबंध में यह कहना है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने मेरे राज्य उड़ीसा को इस क्षेत्र के लिए धनराशि देने से मना कर दिया है क्यों कि उड़ीसा में सहकारी आन्दोलन में ऋण संबन्धी कार्य असफल हो गया है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण के समेकित इस्पात संयंत्र में अप्रैल से अक्तूबर 1986 की अवधि के दौरान उनके लक्ष्यों की तुलना में 9.56,000 टन उत्पादन कम हुआ है. यह बताया गया है कि बिजली की कमी के कारण 4.76,000 टन उत्पादन कम हुआ है।

यह भी बताया गया है कि मुद्रा स्फीति यद्यपि नियमाधीन है फिर भी यह दस प्वाइन्ट तक पहुंचने में कुछ कम है। पाकिस्तान को अमरीका से आधुनिक और आधुनिकतम हथियारों की सप्लाई और चीन के पास अणु बम होने और हमारी बांगलादेश और श्रीलंका के साथ समस्याओं पर विचार करते हुए हमें निश्चित रूप में रक्षा पर अधिक खर्च करना पड़ेगा।

भारत तथा इसकी जनता देश की अखण्डता और स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिए अपनी कुरबानी देने को तैयार है। इन परिस्थितियों में वित्त व्यवस्था पर बहुत दबाव पड़ेगा। हम इससे बच नही सकते हैं क्योंकि विश्व की कुछ शक्तियां यह चाहती हैं कि अपने हित में भारत की अर्थ व्यवस्था को खराब किया जाये। इसी कारण से वे भारत सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। वे हमारे पड़ौसी देशों को धन तथा आधुनिकतम हथियार दे रहे हैं।

इन परिस्थितयों में हमें विकास क्षेत्र से हटाकर रक्षा क्षेत्र में लगाना पड़ेगा हमें इस बात से संतोष है कि हमारा देश खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर है। और हमारे पास खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार है। जिसका उपयोग गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए कर सकते हैं। अत: इन परिस्थितियों में हमें चीनी का आयात घटाना चाहिए। यह देखने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि हम गन्ने का अधिक उत्पादन करें। देश में चीनी तिलहन और रेडपाम के उत्पादन को महत्व देना चाहिए। जब तक हमारी एक ऐसी फसल पद्धति नहीं होती है जिसमें देश की परिस्थितियों के अनुकूल समय-समय पर परिवर्तन किया जा सके तब तक चीनी का आयात कम करके इसमें अपने को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हैं। इस दिशा में तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए। ताकि हम चीनी और खाद्य तेलों का आयात बन्द कर सके। दूसरी ओर कृषि क्षेत्र को समृद्ध किया जाना चाहिए और हमें देश में चीनी का अधिक उत्पादन और तिलहनों के उत्पादनों को अधिक महत्व देना चाहिए।

हमें अनावश्यक वस्तुओं पर खर्चे को कम करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र में प्रबन्ध व्यवस्था की असक्षमता के कारण उत्पादन घट रहा है लेकिन विभिन्न राज्यों में इसके अन्य पहलू भी हैं। जहां भी सरकारी क्षेत्र हैं वहां पर अपनेपन की कोई भावना नहीं है।

उदाहरण के लिए कुछ राज्य 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदते हैं और उसे दूसरे ओर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से बेच देते हैं, इस लिए सार्वजनिक क्षेत्र को किसी राज्य विशेष का घाटा पूरा करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। सरकार ने रुग्ण उद्योग का प्रबन्ध अपने हाथ में न लेने हेतु सही कदम उठाया है रुग्ण उद्योग में जो पैसा लगाया जाता है उसे नए उद्योग लगाने में खर्च करके उसका सदुपयोग किया किया जा सकता है।

रोजगार की एक ऐसी समस्या है जिसके समाधान के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। प्रत्यक्ष करों के लिए राष्ट्रीय न्यायालय होने चाहिए। आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा

सकता है, विदेश व्यापार मजबूत किया जाना चाहिए और प्रशासन को कारगर बनाया जाना चाहिए, इन परिस्थितियों के अन्तर्गत उत्पादित सामान की गुणवत्ता और मात्रा पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

**श्री बी०एन० रेड्डी (मिरयालगुडा)** : मैं इस मौके का उपयोग आन्ध्र प्रदेश में भयंकर अकाल की स्थितियों और भारी बाढ़ संकट के प्रभावों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की ओर दिला कर करना चाहता हूं। आन्ध्र प्रदेश में निरन्तर भयंकर सूखा पड़ने और हाल ही की बाढ़ के परिणामों के बारे में सभा में और सभा से बाहर कई बार इस बात पर ध्यान दिया गया, अतः यहां मेरा मुख्य तात्पर्य इस बात पर बल देना है कि वहां एक गम्भीर स्थिति आ गई है और केन्द्रीय सरकार को आन्ध्र प्रदेश राज्य, जो भयंकर सूखे से ग्रस्त है, को इस संकट से बचाने के लिए अवश्य ही हस्तक्षेप करना चाहिए। वहां पर सूखे की स्थिति बहुत लम्बे समय से अर्थात पिछले सात सालों से चल रही है। विशेष रूप से पिछले तीन साल बहुत संकटमय रहे और आन्ध्र प्रदेश का बड़ा भाग इसकी चपेट में है। वहां भूख के कारण मौतें भी हुई हैं और विशेष रूप से महबूबनगर जिले में संक्षेप में- 3.5 लाख हेक्टेयर शुष्क भूमि बेकार हुई जिससे खरीफ की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा और इससे उत्पादन में 7.14 लाख टन की हानि का अनुमान लगाया गया। इससे 14.20 करोड़ रुपए की हानि का अनुमान लगाया गया। जहां तक शुष्क भूमि का संबंध है दस लाख हेक्टेयर शेष बंजरभूमि क्षतिग्रस्त हुई 1038 लाख एकड़ क्षेत्र में खड़ी फसलें क्षतिग्रस्त हुई। जिसकी कुल हानि लगभग 207.60 करोड़ रुपये आंकी गई है, यह कुल हानि जो बची भूमि खेती के प्रयोग में नहीं लाई गई है, के कारण है और उसके परिणामस्वरूप उत्पादन में हानि हुई तथा अन्ततः फसलों को क्षति पहुंची आर्द्र तथा शुष्क दोनों प्रकार की भूमि के अन्तर्गत फसलों की पैदावार में आई कमी को 496.80 करोड़ रुपये आंका गया है। राज्य में हाल की भारी बाढ़ के कारण 7 जिले प्रभावित हुए हैं जिनमें 4,433 गावों के लगभग 75 लाख लोग प्रभावित हुए और 308 लोग मरे तथा 29 लोग घायल हुए तथा 17,383 पशु भी मारे गए इसमें 4,41,000 अथवा 5 लाख ग्रामवासी पूरी तरह से उजड़ गए और 8,262 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 380.97 करोड़ रुपये की लागत की खड़ी फसलें नष्ट हुई। मकानों फसलों और जनता के उपयोग की सेवाओं का जो कुल नुकसान हुआ है, वह 1,598.36 ककोड़ रुपए आंका गया है।

ऊपर उल्लिखित तथ्यों और आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि यह कोई स्थानीय आपदा नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय आपदा है जिसका सामना राज्य को करना है। राज्य सरकार ने इस सूखे की स्थिति के बारे में तीन ज्ञापन भेजे जिनमें राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए सहायता का अनुरोध किया है। बाढ़ की स्थिति के बारे में भी सहायता हेतु केन्द्र को एक विस्तृत ज्ञापन भेजा गया है जहां राज्य में कई करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है, वहां केवल कुछेक करोड़ की सहायता कर रहा है, इससे समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है।

दो केन्द्रीय दल सूखा प्रभावित क्षेत्र का पहले ही दौरा कर चुके हैं। मेरा एक मात्र अनुरोध यह है कि केन्द्र को इसे राष्ट्रीय आपदा के रूप में मानना चाहिए न कि स्थानीय आपदा के रूप में केन्द्र का दृष्टिकोण अत्यधिक नकारात्मक है और केन्द्र को तत्काल ही राज्य सरकार का दुःख दर्द महसूस करना चाहिए इन विनाशकारी बाढ़ों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से छः करोड़ आन्ध्र वासी प्रभावित हुए हैं।

अन्त में मेरा अनुरोध है कि सिचाई कार्यों की तत्काल मरम्मत करने तथा इस समय हाथ में ली गई कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए तत्काल 1,000 करोड़ रुपये की सहायता दी जाये खास तौर पर पोलावरम परियोजना श्री रामपाडा सागर फेज-II, श्री सैलम लेफ्ट कनाल प्रोजेक्ट तेलुगु गंगा परियोजना, तुंग भद्रा हाईलेवल प्रोजेक्ट और वैमनाथरा प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाये। इन सभी परियोजनाओं को तत्काल पूरा किया जाना चाहिए और उनके लिए धनराशि दी जानी चाहिए। केन्द्र को हाल ही में हुए नुकसान की पुनरावृत्ति रोकने हेतु इन परियोजनाओं के निर्माण की जिम्मेदारी अपने पर लेनी चाहिए।

**1.00 म०प०**

[हिन्दी]

**श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर)** : सभापति महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : आप कृपया मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रखें।

**1.01 म०प०**

**तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई।**

---

**2.07 म०प०**

**मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.07 म०प० पर पुनः समवेत हुई।**

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

## अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1986-87—जारी

[हिन्दी]

**श्री राम पूजन पटेल**—जारी : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वित्तीय वर्ष 1986-87 के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। माननीय वित्त मन्त्री जी ने देश की आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए जो दूरगामी कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय हैं जिसके लिए माननीय वित्त मन्त्री जी बधायी के पात्र हैं क्योंकि आज माननीय वित्त मन्त्री जी देश में समाजवाद की नींव को सुदृढ़ करने में भरसक प्रयत्नशील हैं और इस दिशा में वे सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश के कृषि वैज्ञानिकों की दूरदर्शिता और किसानों के अथक परिश्रम के कारण आज देश की खाद्यान्न समस्या हल हुई है। जहां हम पहले विदेशों से खाद्य सामग्री आयात करते थे, आज हम खाद्यान्न के मामले में इतने मजबूत हो गए हैं कि हमको किसी भी देश का मुंह देखना नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे एक बात का जरूर खेद है कि अपने देश में किसान जो गल्ला पैदा करता है उसको दूसरी जगह ले जाकर बेचने में कई प्रकार की कानूनी अड़चनों का सामना

करना पड़ता है जिसकी ओर तुरन्त सरकार का ध्यान जाना चाहिए क्योंकि इसके कारण किसानों को बड़ी हानि उठानी पड़ती है। गल्ला दूसरी जगह न भेजे जाने के कारण किसान को अपना गल्ला कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जहां कुछ वर्ष पहले हमारा देश चीनी का निर्यात करता था, आज हमारे देश में चीनी आयात की जा रही है। इस बात की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हमारे गन्ना उत्पादकों को सही समय पर सही दाम नहीं दिये जाते हैं। बरसों तक उनका पैसा बकाया पड़ा रहता है। चीनी मिल मालिक गन्ना उत्पादकों का शोषण करते हैं। इसी कारण अब किसान गन्ना कम बोने लगे हैं जिसका नतीजा यह हुआ है कि हमारे देश को चीनी विदेशों से आयात करनी पड़ रही है। विदेशों से जो चीनी आयात की जाती है उसकी क्वालिटी भी बहुत घटिया होती है और देश को बहुमूल्य विदेशी-मुद्रा की हानि भी उठानी पड़ रही है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि गन्ना उत्पादन की ओर सरकार को विशेष ध्यान देकर किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि इस पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया तो देश को बहुत अधिक विदेशी मुद्रा विदेशों को देनी पड़ेगी। साथ ही साथ अच्छी खेती के लिए अच्छे बीज और सिंचाई के साधन, उर्वरक और कीट-नाशक दवाइयां उपलब्ध कराना सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन, मान्यवर, हमारे सरकारी तन्त्र के कारण जो व्यवस्था खराब हो रही है, उससे किसानों को सही रूप में सहायता नहीं मिल पाती है, चाहे नहरों से सिंचाई हो या किसी और दूसरे साधन से सिंचाई हो। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां के किसानों की खेती में खारी भरा हुआ है, जिसकी वजह से भूमि क्षारीय हो जाती है। क्षारीय होने के कारण खेती बेकार हो जाती है और पैदावार कम हो जाती है। खेत बेकार हो जाते हैं। इसलिए जल भराव की निकासी के लिए सरकार को एक बृहद् योजना बनानी चाहिए, जिससे खेती लायक भूमि अच्छी हो सके और देश का खाद्यान्न के मामले में उत्पादन बढ़ सके।

इसी संदर्भ में मैं उत्तर प्रदेश की शारदा-सहायक योजना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की अधिकतर भूमि शारदा नहर से सिंचित होती है। इस नहर की वजह से वहां की खेती को बहुत नुकसान होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जल-भराव जल-निकास को दूर करने के लिए आपको एक बृहद् योजना बनानी चाहिए। यदि यह योजना नहीं बनेगी, तो जो सहायता हम किसानों की करना चाहते हैं, वह नहीं कर सकेंगे। मेरे संसदीय क्षेत्र की हालत यह है कि जब मैं वहां जाता हूं, तो वे इसकी शिकायत करते हैं। और कहते हैं कि पानी पीने योग्य नहीं है। मान्यवर, दूसरा माध्यम सिंचाई का सरकारी ट्यूबवैल है। ट्यूबवैल चाहे सरकारी हो या निजी, दोनों में विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। सच्चाई यह है कि विद्युत के मामले में सरकारी आंकड़े कुछ होते हैं और वास्तविक स्थिति कुछ होती है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है कि सूखे के समय 14 घण्टे बिजली दी गई, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि बिजली मुश्किल से पांच-छः घण्टे ही आया करती थी। मान्यवर, सरकारी तन्त्र द्वारा जो झूठे आंकड़े दिए जाते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि सरकार को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि कम से कम किसानों को 12 घण्टे बिजली मिलनी चाहिए।

आज देश में विद्युत की बहुत बड़ी कमी है। इसके लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि सौर-ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना सरकार को करनी चाहिए। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि यदि किसी समय सूखा पड़ता है, तो हाइडल से जो बिजली मिलती है, वह कम हो जाती है। कभी आप का कोयला खराब हो जाता है, इसकी वजह से आपके थर्मल पावर हाउस में जो बिजली पैदा करने की क्षमता है, वह नहीं हो पाती है और किसानों का इस तरह से शोषण होता है, चाहे वह विद्युत के माध्यम से ही क्यों न हो। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बारे में सरकार को एक बृहद योजना बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए।

अब मैं आपका ध्यान उर्वरक की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। खेती में उर्वरक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी उर्वरक हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। हमारी कुछ कमजोरियां भी हैं और हमारी दिक्कतें भी हैं। यह तो आप भी समझते होंगे, लेकिन हमारी सरकार की नीति है कि अगर उर्वरक का अधिक से अधिक उपयोग किसान करेंगे तो खाद्यान्न का उत्पादन देश से अधिक बढ़ेगा। इसलिए उर्वरक के आयात को रोकना बहुत ही जरूरी है। हमें अपने देश में उर्वरक के कारखाने स्थापित करने चाहिए। इसी उद्देश्य से फूलपुर इलाहाबाद में इफको द्वारा एक कारखाना स्थापित किया गया और 11 नवम्बर, 1981 को इफको की एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, जिसमें हमारे देश की भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी और वहां पर कृषि मंत्री जी ने घोषणा की थी कि यहां पर सोड़ा-एश का कारखाना और एक चीनी मिल लगेगी। लेकिन पांच साल हो गए, न वहां पर सोडा एश का कारखाना लगा और न चीनी मिल लगी। वहां की जनता के अन्दर एक भावना पैदा होती जा रही है कि हमारे देश के महत्वपूर्ण नेता लोग भी जो घोषणा करते हैं, उसका पालन हमारे शासन तन्त्र के लोग नहीं करते हैं। इससे बड़े दुःख की बात और क्या हो सकती है। इस बारे में मैंने कई बार लिखा, तो जवाब मिला कि मैं इसको देख रहा हूं। मान्यवर, फिर कृषि मंत्री जी ने कहा कि सोडा एश के कारखाने के स्थान पर अमोनिया प्लान्ट देंगे, क्योंकि यह क्षेत्र स्व० जवाहर लाल जी का क्षेत्र है। उसकी एक परियोजना बनाने की बात है। महाप्रबन्धक जी ने लिया था यहां कारखाना स्थापित करेंगे, उस को दोगुना करेंगे उसमें केवल 275 करोड़ रुपये लगेगा। तीन साल में हम काम प्रारम्भ कर देंगे और दूसरे स्थान से जो प्रस्ताव आए हैं, उस में 450 करोड़ रुपये खर्च होगा और पांच साल में जा कर वह स्थापित होगा। बार-बार यह कहा जाता है कि इस मामले को देखेंगे लेकिन अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

मैं आप का ध्यान एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। किसान धान पैदा कर सकता है परन्तु उस की कुटनाई नहीं कर सकता। इस संबंध में जो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उस की तरफ ध्यान देना चाहिए।

सबसे अहम मसला यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने काले धन को पकड़ने का काम आरम्भ किया है। इस में और तेजी लानी चाहिए क्योंकि इस से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है और देश का आर्थिक शोषण करने वाले धन को छिपा कर रख लेते हैं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति किसी भी समय चरमरा कर खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि काला धन कमाने वालों पर अंकुश लगाया जाए। मैं समझता हूं कि इन सारे बिन्दुओं पर विचार कर देश को अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने में आप प्रयत्नशील रहेंगे।

इन शब्दों के साथ में समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री पी० नामग्याल (लद्दाख)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1986-87 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) का समर्थन करता हूं। मैं सभा में प्रस्तुत किए गए अनुपूरक मांगों के अन्तर्गत 60 अनुदानों और 3038.53 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय के लेखों के विनियोग के अन्तर्गत होने वाले व्यय के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

महोदय, अधिकांश अनुदान चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि से सम्बन्धित हैं। सरकार ने चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें अधिकांशत: स्वीकार कर ली हैं। किन्तु कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारियों के किसी विशेष समूह के साथ अन्याय हुआ है। उदाहरणार्थ, लद्दाख में नियुक्त केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के साथ कठोर व्यवहार किया गया है। मैं माननीय वित्त राज्य मन्त्री का ध्यान चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों की तालिका 11.17 और अध्याय 17-11 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनमें लद्दाख क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है जो काफी सुगम है और जहां जीवनयापन लागत काफी सस्ती है। चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट का सबसे अधिक रुचिकर भाग यह है कि लद्दाख में नियुक्त केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को पहले स्वीकृत लेखन भत्ता अब समाप्त कर दिया गया है। यह केवल उन्हीं क्षेत्रों में दिया जाता है जहां पर्वतीय क्षेत्र प्रतिकर भत्ता दिया जाता है। उदाहरण के लिए यह कश्मीर में, श्रीनगर में और शिमला जैसे स्थानों में दिया जाता है जहां शीतऋतु भत्ता (विंटर एलाउंस) भी दिया जाता है। लेह, जो कि बहुत दुर्गम, अत्यधिक ऊंचाई वाला और अत्यधिक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वहां यह भत्ता नहीं दिया जाता है। वर्ष 1972 में जब आकाशवाणी का लेह केन्द्र आरम्भ हुआ था तो सरकार ने प्रत्येक कर्मचारी को उसके आवास पर तापन के प्रयोजन हेतु 1½ क्विंटल हार्ड कोक स्वीकृत किया था। यह प्रत्येक कर्मचारी को उसके आवास के तापन के प्रयोजनार्थ 6 माह की अवधि तक दिया जाता था। उस समय 1 क्विंटल हार्ड कोक की कीमत 60/- रुपए थी। वर्ष 1975 के बाद कर्मचारियों को लेह में उस समय हार्ड कोक की विद्यमान बाजार दर पर उसकी ढुलाई के बाद की लागत की दर के अनुसार 1½ क्विंटल हार्ड कोक की लागत के बराबर की नकद राशि ईंधन प्रतिपूर्ति भत्ता के रूप में दी जाती थी। तब से हार्ड कोक की लागत दर में तेजी से वृद्धि हो रही है और इस समय लेह में एक क्विंटल हार्ड कोक का मूल्य 305/- रुपए है। इसका तात्पर्य यह है कि हार्ड कोक का मूल्य प्रति किलोग्राम 3.5 रुपए है। चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के साथ लद्दाख में नियुक्त केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को प्रतिमाह 300-500 रुपए की हानि उठानी पड़ेगी जिसके परिणामस्वरूप वे कर्मचारी, जो उन क्षेत्रों में नियुक्त हैं, वहां जाने और ठहरने के इच्छुक नहीं हैं। वे लेह में अपना पद ग्रहण करने से इन्कार करते हैं। विभिन्न सरकारी वेतनमानों अथवा परियोजनाओं और सरकारी कार्य के कार्यान्वयन के कारण सम्बन्धित विभाग को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जिन कर्मचारियों को वहां नियुक्त किया गया है, उन्होंने ऐसा वैसा बहाना जैसे जाली प्रमाणपत्र आदि का बहाना करके वापिस जाने की सदैव कोशिश करते रहते हैं।

मैं माननीय वित्त मन्त्री से अपील करता हूं कि वे कृपया इस पर विचार करें। यह बात केवल लद्दाख की ही नहीं है। मैं यह बता रहा हूं कि यह कई अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी है न कि केवल लद्दाख में। कृपया इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। इसी तरह डिफेंस साइंटिफिक वर्क्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने हाल में एक ज्ञापन के माध्यम से यह शिकायत की है कि चतुर्थ

वेतन आयोग की सिफारिशों को मान लेने से उनके वेतनमानों को और घटा दिया गया है और सरकारी कर्मचारियों के दूसरे संगठनों द्वारा भी इसी तरह की प्रतिक्रियायें व्यक्त की जा रही हैं।

वित्त मन्त्री महोदय इन सब शिकायतों पर गौर करने की कृपा करें।

दूसरे, मैं संक्षिप्त रूप से रक्षा मन्त्रालय और विशेष रूप से सीमा सड़क संगठन के अनुदान के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहता हूं।

हाल ही में श्रीनगर और कारगिल के मध्य जोजिला में एक दुर्घटना घटी थी। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और समाचार पत्रों के अनुसार इसमें कम से कम 100 जानें गई और यह दुर्घटना जोजिला पर एक पेट्रोल टैंकर के उलट जाने के फलस्वरूप हुई। इससे दो यात्री बसों सहित 50 से अधिक वाहन फंस गए। वहां कार्यरत सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों ने अवरुद्ध मार्ग खोलने व फंसे हुए इन वाहनों और यात्रियों को निकालने के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई हालांकि उनके पास सभी सुविधायें यथा बुलडोजर, बर्फ हटाने की मशीन आदि मौजूद होती हैं। सीमा सड़क संगठन पिछले तीन वर्षों से जोजिला में दूसरी वैकल्पिक सड़क का निर्माण कार्य कर रहा है। उनकी इस सड़क का निर्माण अगले 4 वर्षों के भीतर पूरा कर लेने की योजना है। इन सड़कों का काम पूरा होने में चार वर्ष और लगेंगे। मेरे विचार से धीमी गति से काम हो रहा है। इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए उन पर जोर डालना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें न घटने पायें। मैं रक्षा मन्त्री से जो यहां पर उपस्थित हैं, से अनुरोध करता हूं कि वे जोजिला के निर्माण कार्य में और लेह हवाई अड्डे पर सड़क पर फिर से डामर करने के काम में तेजी लाने पर ध्यान दें। सड़क पर फिर से डामर करने के इस काम को भी सीमा सड़क संगठन ने अपने हाथ में ले रखा है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे इस काम को शीघ्र पूरा करने की व्यवस्था करें ताकि सड़क का काम शीघ्र पूरा हो।

जैसा कि मैं आपसे पहले कह चुका हूं, यह काम बहुत धीमी गति से हो रहा है। इसमें तेजी लाने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं वर्ष 1986 की अनुदान की पूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री एच० एम० पटेल। मैं आपके लिए 10 मिनट का समय नियत कर रहा हूं।

**श्री एच० एम० पटेल (साबरकंठा)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1986-87 की पूरक मांगों की दूसरी किस्त-अनुदानों की पूरक मांगों का विरोध करता हूं। महोदय, जब वित्त मन्त्री जी ने चालू वर्ष का बजट प्रस्तुत किया था तो यह कहा था कि "मैं पहले यह जिक्र कर चुका हूं कि मौजूदा कर-दरों पर बजट घाटा 4095 करोड़ रुपए है। कर-राहत सहित प्रस्तावित करों से 445 करोड़ रुपए का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इससे, पूरा न होने वाले घाटे की राशि 3650 करोड़ रुपए रह जाएगी। हमारी अर्थव्यवस्था के आकार और पूंजी के स्टाक को देखते हुए यह घाटा सुसंगत है और इससे मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी। मैं मुद्रास्फीति-रोधी शब्द पर जोर देना चाहता हूं।" बजट पेश करते समय यह 3000 करोड़ रुपए थी। इसके बाद पूरक मांगें रखी गई – ये भी इतनी ही राशि की थी। अब पुनः रखा गया अनुमानतः 3058 करोड़ रुपए के कर लगाए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीतिकारी में वृद्धि होगी। मेरे विचार से यह धारणा अब गलत सिद्ध हो चुकी है कि इससे मंहगाई बढ़ेगी। बजट पेश होने के

बाद वस्तुओं की कीमतों में बहुत वृद्धि हो चुकी है। इन पूरक मांगों को रखे जाने से स्थिति निश्चित रूप से और बदतर होगी। कुछ अन्य कारणों से भी स्थिति खराब होगी। कई राज्य सूखे की चपेट में हैं, उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान करनी पड़ेगी। मेरे राज्य गुजरात में दूसरे वर्ष सूखे की स्थिति चल रही है। अतः जहां तक जल की उपलब्धता का प्रश्न है परेशानी बढ़ती जाएगी, स्थिति बदतर होती जाएगी। मैं पेयजल की बात नहीं कर रहा क्योंकि हालत बहुत खराब है। बहुत बड़े क्षेत्र में जल का अभाव है। कई हजार गांव इससे पहले से पीड़ित हैं; कुछ समय बाद कई और गांव इसकी लपेट में आ जायेंगे। कई अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है। केवल गुजरात में ही ऐसी स्थिति नहीं है। इससे कई अन्य राज्य भी प्रभावित हैं। कई अन्य राज्यों में बाढ़ आई है जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। इन सब राज्यों के बारे में विचार करना होगा और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। साथ ही जैसा कि आप महसूस करेंगे कि एक नई स्थिति पैदा हो गई है; यह स्थिति संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा स्वयं पाकिस्तान ने पाकिस्तान को विशेष हथियारों से सज्जित करने के कारण उत्पन्न हुई है। पता चला है कि परमाणु विकास की दिशा में बड़ी भारी प्रगति की है। हमें इस स्थिति पर गम्भीरता से सोचना होगा अर्थात् अपनी रक्षा नीति में आमूल परिवर्तन करना होगा। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता परन्तु वित्त मन्त्री के संसाधनों पर इसका भारी बोझ पड़ेगा, यह तो निश्चित ही है।

मुझे लगता है कि हम मंहगाई के चिन्ताजनक दौर से गुजर रहे हैं। वित्त मन्त्रालय ने इस स्थिति का सामना करने के लिए जो भी योजनायें बनाई हैं, मुझे उनकी जानकारी नहीं है क्योंकि उन्होंने इस सम्बन्ध में हमें अपने विश्वास में लेकर कुछ नहीं बताया है। वित्त मन्त्री समय-समय पर यह कहते रहे हैं कि राजस्व प्राप्तियों में भारी बढ़ोतरी हुई है। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में स्थिति बड़ी सन्तोषजनक है; निःसन्देह इसमें वृद्धि हुई है परन्तु यह वृद्धि व्यय में हो रही वृद्धि की तुलना में बहुत कम है। क्या वित्त मन्त्री ने सरकारी व्यय को कम करने के लिए कदम उठाने पर विचार किया है? इस व्यय में भारी वृद्धि हो रही है। व्यय में कितनी अधिक वृद्धि होती है इसका पता हमें शीघ्र ही अगला बजट पेश होने पर चलेगा। यह भी न भूलें कि अनुदानों की पूरक मांगें एक बार और रखी जायेंगी। कुल मिलाकर हम बड़ी गम्भीर स्थिति से गुजर रहे हैं जिसके फलस्वरूप कीमतें बढ़ेंगी और जहां तक आम नागरिक का सवाल है उसे किसी किस्म की राहत नहीं मिल रही है। सरकारी कर्मचारी की तरह अथवा उद्योगों या औद्योगिक मजदूरों की तरह उसे राहत देने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। बढ़ती कीमतों का बोझ आम नागरिक को स्वयं भुगतना पड़ रहा है।

कृषकों को पर्याप्त सहायता देनी पड़ेगी। कृषकों को जिस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है उसका जिक्र मुझसे पहले बोलने वाले सदस्य कर ही चुके हैं। अपने उत्पादों की उन्हें जो कीमत दी जाती है उसके सम्बन्ध में उनकी शिकायतें ज्यों की त्यों है और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि बजट भाषण में और कुछ घोषणाओं द्वारा स्वयं प्रधानमन्त्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि इस पर विचार किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है। मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी।

मैं पूरक मांगों की विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं। वे आवश्यक हैं। अन्यथा वे

इन्हें पेश नहीं करते। और उन्हें पारित कर दिया जाएगा। लेकिन मैं इसके प्रभाव के बारे में चिन्तित हूं जो बहुत गम्भीर होंगे।

मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

**श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली)** : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट से सम्बन्धित अनुपूरक अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कुल डिमाण्डस 3,038 करोड़ रु० की इस सदन के सामने वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत की हैं, और मैं उनका समर्थन करता हूं। चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को मानने के बाद, सरकारी कर्मचारियों को कुछ राहत देना आवश्यक था और इसीलिए ये अनुपूरक अनुदान की मांगें सदन के सामने पेश की गई हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान दिल्ली देहातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

पिछले दिनों दिल्ली में बड़ी संख्या में पुलों, पार्कों और सड़कों का निर्माण हुआ और दिल्ली की छवि को साफ सुथरा बनाया गया। परन्तु जब हम गांव की ओर देखते हैं तो एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए पुख्ता पक्की सड़कें भी नहीं हैं। मैं यहां शहरों के खिलाफ नहीं हूं और मुझे कोई शिकायत नहीं है कि शहरों के विकास पर इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है परन्तु शहरों के साथ-साथ आपको दिल्ली के देहातों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में आये दिन बाहर से डिगनीटरीज आते रहते हैं और गांवों की तरफ जाते हैं। हमें दिल्ली के गांवों को आदर्श गांव बनाना चाहिए ताकि दूसरे देशों से आने वाले लोग उनको देखकर समझ सकें कि दिल्ली के देहात बहुत अच्छे साफ सुथरे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों गांव का दौरा किया था और वे गरीब लोगों के बीच में भी गए। उन्होंने वहां का वातावरण देखा। यह बात सही है कि भारत में गरीब लोग रहते हैं, गांवों में सड़कों के साधन नहीं हैं, दूसरे साधन भी बहुत सीमित हैं और इसी उद्देश्य से सरकार ने बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। इस सब के बावजूद गांव के गरीब लोगों के पास अभी तक उचित साधन नहीं पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा कि सारे भारत के देहातों की ओर भी हमारे वित्त मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए।

अब मैं दिल्ली के देहातों की कुछ और बात करना चाहता हूं। यहां जब भी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन या भारत सरकार गांवों में जमीन एक्वायर करते हैं तो उसके बदले गांव के लोगों को पूरा मुआवजा नहीं मिलता। इससे गांव वालों में गहरा क्षोभ व्याप्त है। यदि वे अपने केस को आगे ले जाते हैं तो भी उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पाता, परेशानी अलग होती है। मैं चाहूंगा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सरकार द्वारा जमीनों का मुआवजा दिया जाता है, यहां भी कम से कम उतना मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। मैं समझता हूं कि दिल्ली की जमीनें तो यू पी और हरियाणा की जमीनों से महंगी हैं, कीमती हैं। यदि आप ज्यादा नहीं दे सकते तो उनके बराबर तो अवश्य दीजिए मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। कुछ समय पहले हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, ने एक किसान रैली का आयोजन किया था जिसमें देश भर के लाखों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। उस रैली में इन्दिरा जी ने घोषणा की थी कि दिल्ली में किसानों को जो कम मुआवजा मिल रहा है, उनको ठीक मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद इतना तो जरूर हुआ कि जहां पहले 15 परसेंट की

दर से मुआवजा मिलता था, अब 30 परसेंट के हिसाब से मिलने लगा, सरकार ने ग्रान्ट बढ़ा दी और सूद भी दुगना कर दिया गया, लेकिन सही मायनों में अब भी यह मुआवजा बहुत कम है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यहां जिन किसानों की जमीनें एक्वायर की जाएं उनको अच्छा कम्पेन्सेशन मिलना चाहिए। यदि इस तरह कुछ लोगों बेरोजगार हो जाते हैं तो उनके परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। गांव में भूमिहीन लोग भी हैं, हरिजन भी हैं। उनकी क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए, नौकरी मिलनी चाहिए ताकि वे अपने परिवार का गुजारा ठीक से कर सकें। मेरी जानकारी के अनुसार अब तक उनको 400 गज का प्लॉट दिया जाता रहा है परन्तु अब सरकार ने उसको भी कम करके 250 गज का प्लाट देना शुरू कर दिया है। मैं चाहता हूं कि उनको फिर से 400 गज का प्लाट मिलना चाहिए ताकि वे उस पर कोई अपनी फैक्टरी या दूसरा रोजगार धंधा शुरू कर सकें और अपना गुजारा कर सकें।

हमारे किसानों और गरीबों की जमीनें लेकर डी. डी. ए. ने बहुत सी कालोनियां डैवलप की हैं जहां अच्छी सड़कें हैं, सीवरेज सिस्टम का प्रावधान है, खुले पार्क हैं, यातायात की सुविधायें हैं और खुला वातावरण है परन्तु जिन गांवों की जमीनें एक्वायर करके उन कालोनियों को डैवलप किया गया है, उनमें न तो किसी तरह की सुविधा है, न वहां सड़कें हैं, न पानी है, न बिजली है और न कोई अच्छे इंतजाम हैं। गांव गन्दे हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जिन गांवों की जमीनें एक्वायर की जाएं, पहले उन गांवों की सड़कों की दशा सुधारी जाए, वहां पीने के पानी का इंतजाम हो, नाले बनाये जाएं, सीवरेज डाला जाए, बिजली दी जाए, पार्क बनाए जाएं और कम्युनिटी हाल का प्रावधान भी किया जाए। मैं अपने प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने पिछले दिनों दिल्ली में बिल्ट-अप एरियाज को छोड़ने के आदेश दिए। दिल्ली की पहले की आबादी मुसलमान बादशाहों के समय की बसी हुई है और उन लोगों ने अपने कुछ मकान आदि बनाए हुए हैं। सरकार उनको एक्वायर कर रही थी, लेकिन बाद में हम पी. एम. साहब ने इंटरवीन करके, उचित निर्णय लिया और बिल्ट-अप एरियाज को छुड़वाया। इसलिए मेरी मांग है कि शहरीकृत गांवों में हर तरह की सहूलियतें उपलब्ध कराने की ओर सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिए तभी हमारे गांव आदर्श गांव बन सकेंगे।

अब मैं शिक्षा की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वैसे तो हमारे कुछ देहातों में हायर सैकेण्डरी स्कूल हैं, लेकिन हमारे गावों के बच्चे शहर के कालेजों में, कैम नम्बर आने की वजह से, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, दाखिल नहीं हो पाते। इसलिए शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के साथ साथ, दिल्ली के देहातों में, जहां-जहां जरूरत है, जैसे नजफगढ़, कंझावाला आदि में, कालेज खोले जाने की ओर सरकार को उचित ध्यान देना चाहिए हम चाहते हैं कि वहां एक कालेज अगर हो जाएगा तो हमारे देहात वाले बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पायेंगे।

पुनर्वास कालोनी 1975 में बसाई गई थी, उसमें काफी काम हुआ 1980 से 1984 तक लेकिन जितने सीवर पड़े, पानी के पाइप पड़े, वह ज्यों के त्यों हैं। हर तरह से वहां सहूलियत नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि जितनी पुनर्वास कालोनी देहात में बसाई गई थीं, 17 कालोनी मेरे इलाके में हैं, उनके गरीब लोगों की तरफ भी ध्यान दिया जाये। 20-सूत्री प्रोग्राम में लोगों को पानी, रोटी, कपड़ा और शिक्षा मिलेगी लेकिन उन लोगों के लिये आज सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं। सीवर, पानी, कम्युनिटी सैंटर की जरूरत है। पानी उपलब्ध नहीं है, स्कूलों में बच्चे

टैंटों में पढ़ते हैं। एक टैंट में 100.100 बच्चे पढ़ते हैं. एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा सकता है ? वहां टीचर पूरे किए जायें। सीवर. पानी और बिजली का ठीक से इंतजाम किया जाये जिससे गरीब अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा सकें।

अभी आपने देखा होगा कि वह सारे गरीब लोग यहां बड़ी मुसीबत से आते हैं। उनके डी०टी०सी० के पास नहीं बनते। मंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना होगा और डी०टी०सी० को ग्रान्ट देनी होगी जिससे वह इन लोगों के राशन-कार्ड देखकर पास बना सके और लोगों को आने में सहूलियत मिले।

आउटर दिल्ली के देहातों में पढ़े-लिखे लड़के बहुत हैं। अगर एम्पलायमेंट एक्सचेंज में आप जायेंगे तो लाइनें लगी मिलेंगी, उनको नौकरी नहीं मिलती। गवर्नमेंट को चाहिये कि उनको लोन देकर 20-सूत्री प्रोग्राम के मुताबिक उन्हें काम करवाये जिससे वह हर तरह से अपने पैरों पर खड़े हो जायें।

आज किसान को उसकी फसल का पूरा मुआवजा नहीं मिलता है। मेरे इलाके में जो पीछे गढ़े और ओले पड़े, उससे किसान की पूरी फसल तबाह हो गई, किसान रोने लगे, वह हाथ धरे बैठे हैं। मेरा कहना यह है कि किसान को उनकी फसल का पूरा मुआवजा दिया जाये किसान आगे हर तरीके से काम कर सके।

आज नरेले में किसान की चावल की, धान की फसल आई है, लेकिन वह 3 दिन तक पड़ी रहती है, उसे उसका पूरा मूल्य नहीं मिलता, उसके माल की बिक्री नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द उसका भी इंतजाम किया जाये और हर तरीके से कोशिश करके उनको पूरी कीमत दी जाये।

[अनुवाद]

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़)** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस सदन में पेश दूसरी पूरक मांगों के संबंध में मुझे अपने विचार रखने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं वर्ष 1986-87 की केन्द्रीय सरकार की व्यय संबंधी अनुदानों की पूरक मांगों का समर्थन करता हूं। चालू वित्तीय वर्ष में अनुदानों की पूरक मांगे दूसरी बार पेश की गई हैं। इनमें छियासठ अनुदान मांगें और एक विनियोग पेश किया गया है और इसमें 3038 करोड़ रुपये का कुल अतिरिक्त व्यय अन्तर्ग्रस्त है।

महोदय, पिछली बार संसद के मानसून सत्र में पहली पूरक मांगें रखी गई थी और अब इस शीतकालीन सत्र में दूसरी पूरक मांगें रखी गई हैं। संभव है कि आगामी बजट सत्र में हमें तीसरी बार अनुपूरक मांगें रखी जायें। जब अनपेक्षित खर्चे हो रहे हैं, तो अनुपूरक मागें रखने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है।

अनुपूरक मांगों की लगभग 3,000 करोड़ रुपये की राशि में से आप देखेंगे कि चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने पर 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अन्य 800 करोड़ रुपये का भुगतान भारतीय खाद्य निगम को बकाया राशि के रूप में और वफर स्टाक को आगे ले जाने और के लिये किया जायेगा। इस संबंध में मैं वित्त मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि इस बात का पता पहले ही था कि वेतन आयोग ऐसा कर रहा था और अपना

प्रतिवेदन देने वाला था तथा इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये भारी धनराशि आवश्यक है. जो कुछ भी हो, यद्यपि सही धनराशि का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था, पर वार्षिक बजट में नाममात्र की धनराशि का प्रावधान किया जा सकता था।

मैं वित्त मंत्री और उनके मंत्रालय को राजस्व वसूली के क्षेत्र में उनके बढ़िया कार्य के लिये बधाई देना चाहता हूं। राजस्व की वसूली उत्तरोत्तर रूप से अधिक सन्तोषजनक रूप से चल रही है, विशेषकर छापे मारने, काले धन आदि का पता लगाने के लिये वित्त मंत्रालय, विशेषकर वित्त मंत्री श्री वी०पी० सिंह के प्रयास वास्तव में सराहनीय हैं। इन प्रयासों को अधिक कारगर ढंग से जारी रखा जाना चाहिये।

परंतु, दूसरी तरफ, जबकि राजस्व की आमदनी बढ़ रही है, हमारा खर्च भी बढ़ रहा है, वह भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। 3000 करोड़ रुपये की राशि, जो घाटे की राशि में शामिल नहीं है, में और वृद्धि हो रही है और यह बात स्वाभाविक है कि इस पर सावधानी से कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां रोकी जा सके और घाटे की मात्रा को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। वर्ष 1985-86 की तुलना में वर्ष 1986-87 में काफी अच्छे संकेत दीख पड़ते हैं, वर्ष 1985-86 में व्यापार घाटा अन्य वर्षों की तुलना में सब से अधिक था। निर्यात और आयात के बीच भारी अन्तर था। वर्ष 1986-87 की पहली तिमाही के दौरान इस स्थिति में निश्चित रूप से कुछ सुधार हुआ है। घाटे में उत्तरोतर रूप से कमी लाई जा रही है आयात कम हो रहा है और निर्यात बढ़ रहा है। यह स्थिति जारी रहनी चाहिये। परंतु अब क्योंकि मांगें अतिरिक्त अनुपूरक मांगें रखी जा रही हैं, इस में वृद्धि हो सकती है। अतः भुगतान संतुलन और मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों के संबंध में सावधानी बरती जानी चाहिये।

अब मैं भारतीत रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा करूंगा। इसमें उल्लेख किया गया है कि पहले के दो वर्षों की तुलना में वर्ष 1986-87 में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर है। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि कृषि और उद्योग में तेजी से होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, ऐसी आशा रखना उचित ही है कि वर्ष 1986-87 में वास्तविक राष्ट्रीय आय में विकास की दर में कम से कम पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से विचार व्यक्त किये गये हैं।

न केवल भारतीय रिजर्व बैंक ने, अपितु पृथक पृथक रूप से अनेक व्यक्तियों और अर्थ-शास्त्रियों ने एक विचार गोष्ठी में हमारी इस वर्ष की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत अच्छी आशा व्यक्त की है।

> "डा० मैल्कम आदिशेषैया द्वारा तैयार की गई अर्थव्यवस्था की अर्ध-वार्षिक समीक्षा से पता चलता है कि वर्ष 1986-87 कुल मिलाकर अच्छा वर्ष रहेगा, पर इस वर्ष के दौरान रोजगार उपलब्ध कराने और गरीबी दूर करने में कितनी सफलता मिलेगी, वह संरचनात्मक परिवर्तनों और खाद्यान्नों के भारी भण्डार के उपयोग पर निर्भर करता है।

अतः इस प्रकार सारा काम संतोषजनक रूप से चल रहा है। वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के साथ-साथ हमें विभिन्न राज्यों को बाढ़, सूखे आदि के कारण होने वाली हानि को पूरा करने के लिये अनुदान भी देना होगा। इसके अतिरिक्त एक के बाद दूसरे अनेक वेतन मानों में संशोधन होने वाला है, केन्द्रीय सरकार इसे कार्यान्वित कर रही है। राज्य सरकारों

पर भी इस के लिये दबाव डाला जा रहा है। कुछ राज्य पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वे अपने वेतनमान केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों के बराबर रखेंगे और इसलिये यह बात स्वाभाविक है कि शेष राज्यों के सरकारी कर्मचारी भी वेतनमानों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के बराबर रहने के लिये आन्दोलन शुरू कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में वेतन संबंधी बातचीत चल रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों और राज्य सरकारी उपक्रमों के बीच और स्वयं केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के बीच वेतनमानों में कुछ समानता रहनी चाहिये। इनमें काफी अन्तर है। अतः इस पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखते हुए कि कुछ समानता होनी चाहिये। कोई व्यापक नीति निर्धारित की जानी चाहिये।

उत्पादकता बढ़ाना समय की मांग है। और उद्योग के क्षेत्र में कार्य व्यय को कम करना समय की मांग है। यह कैसे किया जा सकता है। हमारे सरकारी उपक्रमों को सातवीं योजना के दौरान अपनी आवश्यकताओं का 70 प्रतिशत पैदा करने की आवश्यकता है। आज के निराशाजनक कार्य निष्पादन के बीच इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता? अतः एक नई कार्य संस्कृति की आवश्यकता है। सभी तरह के व्यय और गरीबी दूर करने के संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर केन्द्र द्वारा सख्त निगरानी रखी जानी चाहिये ताकि सही ढंग से व्यय हो और व्यर्थ का व्यय रोका जाये।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमें बिजली के उत्पादन पर अधिक जोर देना चाहिए। बिजली उत्पादन का क्या होगा? प्रायः सभी राज्यों में बिजली की कमी है। हम अपने उद्योगों को बिजली की समस्या के कारण पूरी क्षमता से नहीं चला पा रहे हैं। अतः हमें अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन करना चाहिये। अतः नये बिजली केन्द्रों, विशेषकर उड़ीसा में 'इब' घाटी ताप बिजली संयंत्र, तालचेर बिजली संयंत्र का समुचित वित पोषण किया जाना चाहिये। वित्त मंत्रालय को उड़ीसा में इन दो बिजली संयंत्रों को लगाने में प्रोत्साहन देना चाहिये।

महोदय, रेलवे के क्षेत्र में रेल मंत्री सफाई देते हैं कि धन की कमी के कारण वे हमारी मांगें पूरी नहीं कर सकते, चाहे वह कितनी ही वास्तविक और उचित क्यों न हो। मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह संबलपुर-तालचेर नई रेलवे लाइन और संबलपुर में बनाये गये नये रेलवे डिवीजन के लिये धन देते समय उदार दृष्टिकोण अपनाये।

इन शब्दों के साथ में इन अनुपूरक मांगों को अपना हार्दिक समर्थन देता हूं और काले धन को कम करने के लिये वित्त मंत्रालय द्वारा किये गये कार्य के लिये उनकी सराहना करता हूं।

**श्री एन० सुन्दरराजन (शिवकाशी)** : उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान (सामान्य) के लिये इन अनुपूरक मांगों के संबंध में मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिये, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, अनुदान (सामान्य) के लिये अनुपूरक मांगों की कुल राशि 3,038.54 करोड़ रुपये नियत की गई है जिसमें से वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये 600.07 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। अन्य 600 करोड़ रुपये भारतीय खाद्य निगम को 10 मिलियन टन खाद्यान्नों को भण्डार में रखने की राष्ट्रीय नीति को कायम करने के लिये

[श्री सुन्दरराजन—जारी]

आवंटित किये गये हैं। इस क्षण मैं अपने भारतीय किसानों को बधाई देता हूं जिन्होंने खाद्यान्नों के मामले में देश को आत्म निर्भर बनाया है। कल हमारे वित्त मंत्री श्री वी०पी० सिंह ने सरकार के इस रवैये पर पुनः जोर दिया है कि किसानों को जो राजसहायता दी जाती है, उसका समुचित उपयोग होता है और उन्हें सही लाभ मिल रहे हैं। अतः मैं वित्त मंत्री से भारतीय किसानों को अधिक से अधिक राजसहायता देने का अनुरोध करूंगा ताकि वे खाद्यान्नों और कपास के अतिरिक्त, जिनमें वे देश को पहले ही आत्मनिर्भर बना चुके हैं, तिलहनों भी भविष्य में हमें आत्म-निर्भरता दिला सकें।

केन्द्रीय सरकार ने खाद्यानों के यथार्थ मूल्य और सरकार द्वारा निर्धारित निर्णय मूल्य के बीच के अंतर को पूरा करने के लिये भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता के रूप में 250 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। इसी एक बात से स्पष्ट होता है कि हमारे देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो किफायती मूल्य पर भी खाद्यान्नों की खरीद करने में समर्थ नहीं हैं। यही कारण है कि हम राजसहायता दे रहे हैं और उपभोक्ताओं को राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न दे रहे हैं।

**प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर)** : सभी राज्यों में नहीं है, पर केवल आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही है।

**श्री एन० सुन्दरराजन्** : गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी और कम रोजगारी है। अतः बेरोजगारी और कम-रोजगारी दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और गरीबी दूर करने से संबंधित अन्य कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिन्हें हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय इन्दिरा गांधी ने शुरू किया था जो विश्व के गिने चुने नेताओं में एक थीं। गरीबी मुख्य कारण है जिसके कारण लोगों को काम करना पड़ता है। हालांकि वे काम करते हैं लेकिन उनके काम से उनको उचित लाभ नहीं मिल रहा है। भारत में बाल श्रमिकों के पाए जाने के कारणों में यह भी एक कारण है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उनके निर्वाचन क्षेत्र में यह आम बात है। उनका निर्वाचन क्षेत्र शिवकाशी है।

**श्री एन० सुन्दरराजन** : भारत में, बाल श्रमिकों की संख्या एशिया में सबसे अधिक है। तमिलनाडु में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए, हमारे नेता डा० एम जी० रामचन्द्रन ने पौष्टिक आहार कार्य-क्रम शुरु किया है जिसके माध्यम से हम 8 लाख, बच्चों को मुफ्त पौष्टिक आहार दे रहे हैं। केवल इतना ही नहीं है। हम लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। उनमें से 20,000 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों से संबंधित है। मेरे विचार में 25,000 से अधिक विधवाएं और विधुर हैं। इससे राजकोष पर लगभग 200 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। हालांकि राज्य सरकार के लिए यह असहनीय बोझ है जिसके कि अपने सीमित संसाधन होते हैं। डा० एम० जी० राम चन्द्रन राजनीतिक कारणों की वजह से नहीं बल्कि बच्चों की सहायता करने की वजह से इस योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन कर रहे हैं।

**3.00 म० प०**

हम बाल श्रम और गरीबी के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे विचार से कुछ ही दिनों में हम बाल श्रमिक विधेयक ला रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे बाल श्रमिक

की मौजूदगी के पीछे जो कारण हैं उनको समझें। जबकि भारत में करोड़ों लोगों की आय इतनी कम है कि यहां तक कि वे खाद्यान्न भी नहीं खरीद सकते उनमें हम अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराने की किस प्रकार आशा कर सकते हैं। इसलिए भविष्य में बाल श्रम को रोकने के लिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे पौष्टिक आहार कार्यक्रम को योजना परिव्यय में शामिल करें। हमारे मुख्य मंत्री जी जब भी दिल्ली आए उन्होंने प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों को इस योजना को योजना परिव्यय में शामिल करने के लिए मनाया। मेरी समझ में नहीं आता कि भारत सरकार ऐसा करने में और इस योजना को योजना परिव्यय में शामिल करने में क्यों हिचकिचा रही है।

हाल ही में बंगलौर में हुए 'दक्षेस' सम्मेलन के बारे में 'दी हिन्दू' समाचार पत्र में एक समाचार आया है। इसमें कहा गया है कि :

> "राज्याध्यक्षों अथवा राष्ट्राध्यक्षों ने यह स्वीकार किया कि सभी बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करना मानव संसाधन विकास का मुख्य साधन है। इसलिए राष्ट्रीय विकास योजना योजना में बच्चों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।"

उक्त समाचार में यह भी कहा गया था :

> "उनका यह भी विश्वास था कि इस शताब्दी के अन्त तक यह सुनिश्चित करना संभव होना चाहिए कि परिवार में गरीबी के कारणों से किसी बच्चे की मौत न हो अथवा उसका विकास नहीं रुकना चाहिए।"

मैं प्रधान मंत्री को 'दक्षेस' बैठक में अध्यक्ष चुने जाने पर उनको बधाई देता हूं। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह सम्मेलन में नेताओं द्वारा ली गई शपथ को देखते हुए जिसमें हम भी एक सदस्य थे, योजना परिव्यय में पौष्टिक आहार कार्यक्रम को शामिल करें।

इतना ही नहीं, तमिलनाडु में हम निर्धन परिवारों पर बोझ कम करने की दृष्टि से स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त कपड़े और पाठ्य-पुस्तकें दे रहे हैं और इस योजना को शुरू करके हम व्यवहारिक रूप से यह देख रहे हैं कि स्कूलों को छोड़ जाने वाले बच्चों की संख्या सबसे कम स्तर तक रह गई है। स्कूलों में आने वाले बच्चों की संख्या भी काफी बढ़ गयी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों द्वारा जोकि गरीबी को समाप्त करने के उपाय हैं। हम केवल रोजगार ही नहीं दे रहे हैं बल्कि हम गांवों में स्कूल और अस्पताल भवन, नई सड़कों का निर्माण और ऐसी ही कुछ अन्य स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन भी कर रहे हैं। यह वास्तव में एक ग्रामीणोन्मुख योजना है, जिसमें ग्रामवासियों को लाभ होगा। अपने ग्रामवासियों के लिए सुविधाएं जुटाने के लिए जिनके बारे में अब तक उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी ये चीजें की जा रही है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों जैसे गरीबी समाप्त करने वाले इन कार्यक्रमों के लिए अधिक से अधिक धन आवंटित किया जाए। धन्यवाद।

3.03 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

**डा० फूलरेणु गुहा (कन्टाई)** : मैं अनुदानों की पूरक मांगों का तहदिल से समर्थन करता हूं। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन मुझे कुछ सुझाव देने हैं मैं मंत्री जी से भी अनुरोध करता हूं कि मेरे सुझावों पर विचार किया जाए। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मंत्रालय को विभिन्न सदस्यों द्वारा दिए गए सभी सुझावों को देखना चाहिए और उनको बहुत ही गंभीरता से लिया जाए और जहां तक संभव हो उन पर कार्यवाही करने की कोशिश की जाए।

विधेयक में, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की कोई मांग मुझे दिखाई नहीं दी है। भारत वास्तव में गावों का देश है। जब तक गावों की दशा में कोई सुधार नहीं होता है, तब तक भारत उन्नति नहीं कर सकता। हमारे अभी भी ऐसे गांव हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, वहां सड़कें नहीं है और लोगों का खेतों में पैदल जाना पड़ता है। वहां कार, जीप अथवा रिक्शा चलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यहां तक कि बैलगाड़ियों का उपयोग भी नहीं किया जा सकता। **(व्यवधान)** वहां अस्पतालों की तो बात ही नहीं। यहां तक कि वहां औषधालय भी नहीं है **(व्यवधान)**।

**श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम)** : वित्त मंत्री यहां उपस्थित नहीं है।

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित)** : मैं वित्त मंत्री के स्थान पर कार्य कर रही हूं।

**श्री एच० ए० डोरा** : सदन में कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं है। **(व्यवधान)**

**श्रीमती शीला दीक्षित** : यहां मंत्री उपस्थित हैं। यहां संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित हैं। मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं। मैं वित्त मंत्री के स्थान पर कार्य कर रही हूं।

[हिन्दी]

**श्री बाल कवि बैरागी (मंदसौर)** : महोदय, दिक्कत यह है कि ये जनरल बजट को पार्लियामेंट्री एफेयर्स नहीं मानते हैं। इनकी परेशानी यह है।

[अनुवाद]

**डा० फूलरेणु गुहा** : यहां तक कि बहुत से गावों में प्राथमिक विद्यालयों के भवन तक नहीं हैं। अधिकतर गावों में अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन कोई सिंचाई सुविधाएं नहीं है, कोई गहरे ट्यूबवैल नहीं है और उर्वरक तथा बीज भी सीजन समाप्त होने के बाद उपलब्ध होते हैं।

यह कोई नई बात नहीं है, ऐसा प्रायः होता है। इनमें कोई सन्देह नहीं कि भारत में कुछ गावों की स्थिति काफी बेहतर है लेकिन बहुत से गावों की दशा वास्तव में दयनीय है। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक बजट और अनुपूरक बजट में, भारत सरकार को सभी राज्यों से कुछ गांवों को अपने हाथ में लेना चाहिए और उनमें पीने का पानी उपलब्ध कराए। वहां औषधालय, प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराएं, सम्पर्क सड़कों का निर्माण करें, सिंचाई का अथवा और गहरे ट्यूबवैलों का वहां प्रबन्ध करे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सरकार को गावों के जीवन और गावों

की अर्थ व्यवस्था के सुधार करने के कार्य को अपने हाथ में लेना चाहिए। विशाल देश में। जब तक कि हर वर्ष हम कुछ गावों को अपने हाथ में नहीं लेते, तब तक गांवों की दशा को सुधारना कठिन होगा। मैं जानता हूं कि प्रश्न किया जाएगा कि यह राज्य सरकार का काम है। लेकिन मेरी यह मांग है कि एक योजना बनाई जाए। मैं योजना आयोग को यह सुझाव दे रहा हूं कि और मुझे यकीन है कि यदि इसके लिए धन की व्यवस्था की जाती है तो सभी राज्य सरकारें उसके लिए आगे आएगी और इस कार्य को शुरु करेंगी। विभिन्न कार्यों के लिए युवा लड़कों और लड़कियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरु करना होगा। लड़कियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी लोग पूर्वाग्रह रखते हैं और अपनी लड़कियों को कहीं भी किसी स्थान पर भेजना पसन्द नहीं करते। जहां तक कुछ स्थानों पर लड़कियों का सम्बन्ध है विशेष प्रबन्ध करने होंगे।

बहुत से गांवों में, ऐसे लोग हैं जिनकी विभिन्न दस्तकारियों, गीतों, कार्यताओं आदि में प्रतिभा है। उनके पास परम्परागत कहानियों का भण्डार है, लेकिन इन प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे पास कोई योजनाएं नहीं है। उनकी प्रतिभाओं का विकास करने के लिए एक निश्चित योजना होनी चाहिए। उनकी प्रतिभाएं देश को समृद्धि बनाएंगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र कन्टई में ऐसे भी गांव हैं जहां मीठा पानी उपलब्ध नहीं है। बहुत से गांवों में गहरे ट्यूबवैल नहीं हैं, कोई सिंचाई सुविधाएं नहीं है, इसलिए उस क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था खराब हो रही है। 90 प्रतिशत लोग कृषक हैं। मुझे आशा है कि मंत्री जी हर वर्ष गांवों के समूह के विकास के लिए एक योजना बनाएंगे जिससे कि एक सीमित समय में भारत में सभी गावों का विकास हो सके।

मैं कहना चाहता हूं कि बजट में अथवा पूरक बजट में ली पौष्टिकता के प्रश्न पर विचार किया जाए। हमारे पास पौष्टिक कार्यक्रम हैं लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं, उन कार्यक्रमों को और अधिक क्षेत्रों में शुरु किया जाए क्योंकि जब तक हमारे बच्चे बलवान नहीं होंगे। हम यही आशा नहीं कर सकते कि भारत बलवान् और बलवान होगा और यह पौष्टिक कार्यक्रम जहां कहीं भी ठीक प्रकार से कार्यान्वित किया गया है काफी सहायक सिद्ध हुआ है। यदि आपने ध्यान दिया हो मुझे आशा है कि मेरे सभी मित्र भी मेरे साथ इस बात के लिए सहमत होंगे कि उनके क्षेत्र के बच्चों का विकास हुआ है और उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हुआ है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि पूरक बजट में भी इस पौष्टिकता के कार्यक्रम को अन्य क्षेत्रों में भी शुरु किया जाए क्योंकि युवा बच्चों के निर्माण के कार्यक्रमों में यह कार्यक्रम एक आधारभूत कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

**श्री अनुल बशर (गाजीपुर)** : सभापति जी, मैं वित्तमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं फोर्थ पे कमीशन के संबंध में कुछ कहूंगा। भारत सरकार ने फोर्थ पे कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं में काफी बढ़ोत्तरी की है।

[श्री जैनुल बशर—जारी]

यह बढ़ोत्तरी जो की गई है, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि यह बढ़ोत्तरी करते समय केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी विचार विमर्श किया या नहीं किया। क्योंकि इस बढ़ोत्तरी होने के साथ ही साथ आज राज्यों में राज्य कर्मचारी केन्द्र के बराबर वेतन भत्ता और अन्य सुविधाओं की मांग शुरू कर रहे हैं। समान काम और समान वेतन यह यह उनकी मांग है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज राज्य कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर हड़ताल कर रखी है। आज इन दो प्रांतों, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सारा काम काज ठप्प पड़ा हुआ है।

**श्री एन० जी० रंगा** : आन्ध्र प्रदेश आल्सो।

**श्री जैनुल बशर** : आंध्र प्रदेश में भी हड़ताल हो रही है, तो और राज्यों में भी होने वाली होगी। सारे राज्य कर्मचारियों में इस केन्द्र के वेतन बढ़ोत्तरी को लेकर बड़े पैमाने पर हल-चल मची हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकारों से आपने भी विचार किया था, तो इस बढ़ोत्तरी को लेकर राज्य सरकारों ने जरूर अपनी शंकाएं व्यक्त की होंगी कि राज्य कर्मचारी भी इतनी मांग कर सकते हैं। उस समय क्या आपने उनको कोई आश्वासन दिया था कि उनके यहां जो पैसे की कमी होगी, आप उसको पूरा करेंगे। आज बहुत-सी राज्य सरकारें इस स्थिति में में नहीं हैं कि वे केन्द्र के बराबर वेतन का भत्ता अपने कर्मचारियों को दे सकें।

मैं उत्तर प्रदेश की बात ही लेता हूं, जो इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां सबसे अधिक संख्या में राज्य कर्मचारी हैं। अगर उनकी मांगें मान ली जायें तो सरकार को लगभग 800 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। इन आठ सौ करोड़ रुपयों को देने में उत्तर प्रदेश के सारे विकास के काम ठप्प हो जायेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता के पास अब यह सामर्थ्य नहीं है कि वह और टैक्सों के बोझ को बर्दाश्त कर सके। मैं जानना चाहता हूं, इस बारे में आप क्या रवैया अपनाने जा रहें हैं, किस प्रकार से आप राज्य सरकारों की सहायता करने जा रहे हैं? क्योंकि राज्य कर्मचारियों का वेतन तो बढ़ाना होगा ही। उनकी मांग में दम है, वजन है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। जिस प्रकार काम केन्द्र सरकार के कर्मचारी करते हैं, उसी प्रकार का काम राज्य कर्मचारी भी करते हैं, तो उनको कम वेतन और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अधिक वेतन क्यों दिया जाए। फोर्थ पे-कमीशन की रिपोर्ट के बाद उनके और केन्द्र सरकार के बीच दुगने और अढ़ाई गुने का फर्क हो चुका है। कहीं-कहीं तो अढ़ाई गुने से भी अधिक है। इतना अधिक फर्क होते हुए इस देश में दो प्रकार के कर्मचारी कैसे काम करेंगे। इसके बारे में आपको सोचना होगा और इस स्थिति का समाधान आपको खोजना होगा। बिना इसके समाधान के खोजे ठीक प्रकार से काम काज नहीं हो सकता है। इसलिए में माननीय वित्तमंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे तत्काल उत्तर प्रदेश और राजस्थान व आंध्र प्रदेश की तरफ ध्यान दें। इन प्रदेशों के राज्य कर्मचारियों की जो हड़ताल है, उसको खत्म करने में आप क्या योगदान दे सकते हैं, उन प्रदेशों को आप कितनी वित्तीय सहायता दे सकते हैं, जिससे उन प्रदेशों में चल रही हड़ताल समाप्त हो सके।

सभापति जी, दूसरी बात मैं बाढ़ और सूखे के बारे में कहना चाहता हूं। हमारा देश एक ऐसा विचित्र देश है, यहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हर वर्ष किसी न किसी प्रदेश में, भारत का आधे से अधिक हिस्सा सूखा और बाढ़ की चपेट में रहता है। बहुत से प्रदेश तो ऐसे भी हैं, जहां बाढ़ और सूखा दोनों साथ-साथ चलते हैं।

और प्रदेशों की बात तो मैं यहां नहीं कह सकता क्योंकि हमारे माननीय सदस्य अपने-अपने प्रदेश की बात कहते रहे हैं और कहेंगे। मैं उत्तर प्रदेश की बात यहां कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष बाढ़ और सूखा दोनों रहा। उत्तर प्रदेश में ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि शायद ही कोई वर्ष ऐसा जाता हो जब कि सूखा और बाढ़ न हो या दोनों ही न हों। इस वर्ष बाढ़ और सूखा और दोनों ही थे। प्रदेश सरकार ने जो उसके सामर्थ्य में हो सका, राहत कार्य किया। लेकिन बड़े पैमाने पर राहत कार्य करने के लिए प्रदेश सरकार के पास साधन नहीं है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ और सूखा उसकी आर्थिक कमर तोड़ देते हैं। अगर विकास की तरफ प्रदेश दो कदम आगे बढ़ता है तो दूसरे ही साल उत्तर प्रदेश तीन कदम पीछे हट जाता है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश जैसा पिछड़ा राज्य कैसे विकास करेगा, यह बात समझ में नहीं आती। बाढ़ और सूखे की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में कोई प्रभावकारी योजना नहीं बनाई गई जबकि नदियों का प्रदेश है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड बना आसाम की बाढ़ रोकने के लिए। करोड़ो रुपए उसको दिए गए। गंगा बोर्ड बना गंगा की बाढ़ को रोकने के लिए लेकिन गंगा बोर्ड को एक भी पैसा नहीं दिया गया। गंगा की बाढ़ अगर रोकी जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार के दो बड़े-बड़े सूबे उससे लाभान्वित हो सकते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि सबसे बड़ी तबाही, सबसे अधिक जनसंख्या इस देश में गंगा की भयंकर बाढ़ से प्रभावित होती है। लेकिन उसकी रोकथाम के लिए आज तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गये। जो बाढ़ की रोकथाम का उपाय है, वे सूखे के लिए भी वरदान हो सकता है। अगर बरसात में बाढ़ के समय इन नदियों का पानी इकट्ठा कर लिया जाए, बड़े-बड़े जलाशय बना लिए जाएं और उन जलाशयों में पानी भर लिया जाए तो वह बाढ़ की भी रोकथाम कर सकते हैं और सूखे के समय भी फसलों को उगा सकते हैं, उपजा सकते हैं। इतनी बड़ी योजना हाथ में लेना उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के बस की बात नहीं है। इसके लिए कोई बड़ा राष्ट्रीय कदम उठाना होगा। इसके लिए केन्द्र सरकार को सारा पैसा देना होगा तब जाकर ये चीजें हो सकती हैं। मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि गंगा बोर्ड जो है उसको एक्टीवाइज करें। उसके लिए अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराएं और उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बाढ़ की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्था करें।

मैं अन्तिम बात जो कहना चाहता हूं वह फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग से संबंध रखती है। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन उत्तर प्रदेश को जो मिट्टी के तेल का कोटा मिलता है, वह और प्रदेशों के मुकाबले कम मिलता है। प्रति व्यक्ति मिट्टी के तेल का जो आवंटन होना चाहिए वह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में गरीब लोग ज्यादा रहते है। मिट्टी के तेल की ज्यादा आवश्यकता उत्तर प्रदेश को पड़ती है। लेकिन राज्य सरकार मिट्टी के तेल के कोटे के आवंटन की जो मांग करती है, उतना कोटा उनको नहीं मिलता मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी पेट्रोलियम मन्त्री जी को कहें कि वह उत्तर प्रदेश की मांग के मुताबिक मिट्टी के तेल का कोटा दें। उसी प्रकार से चीनी का मामला है। प्रदेश में दशहरा, ईद और दीपावली के त्यौहार बीत गए लेकिन उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के लोग चीनी के लिए तरसते रहे। चीनी उनको नहीं मिली। इसमें प्रदेश सरकार का कोई दोष नहीं है। केन्द्र सरकार से जरूरत के मुताबिक आवंटन नहीं हुआ और अगर आवंटन हुआ तो एफ० सी० आई० ने उसको रिलीज नहीं किया।

[श्री जैनुल बशर—जारी]

पिछली बार हमने इस सदन में कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को लिखा है कि फूड कारपोरेशन आफ इन्डिया के लोग प्रदेश की सरकार के अधिकारियों से सामान रिलीज करने के लिए घूस मांगते हैं। लेकिन इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे एफ० सी० आई० के अधिकारी और ठीठ हो गए और इस वर्ष आवंटन होते हुए भी उन्होंने उत्तर प्रदेश को चीनी रिलीज नहीं की। इसका नतीजा यह हुआ कि सारे त्यौहार बीत गए और गांव के लोगों को चीनी नहीं मिल पाई।

मैं वित्त मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि वह फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को कहें कि वह उत्तर प्रदेश को मुनासिब चीनी का कोटा रिलीज करें और जो आवंटन हो वह एफ० सी० आई० के गोदामों से जल्दी से जल्दी वितरित करें। मुझे पूरी आशा है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने जो मैंने कहा है उन बातों पर ध्यान देंगे। आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कर्मचारी विशेषकर हमारे यहां के चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट से परेशान हैं उस पर इसका असर हुआ है इस मामले से निपटने के लिए आप राज्य सरकार की क्या मदद करने जा रहे हैं इसका ब्यौरा आप अपने जवाब में जरूर बतायेंगे।

[अनुवाद]

**श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा)** : मन्त्रिमंडल-गठन-विभाग परिवर्तन और अब तक अनसुने और अविचारित प्रकृति के नए निर्णय लेने में तदर्थ दृष्टिकोण अपनाना वर्तमान केन्द्रीय सरकार की विशेषता है।

अब उसी बजट की प्रक्रिया में हो सकता है कि तीसरी बार अनपूरक मांग आ जाये- इस समय हम दूसरी अनपूरक मांग पर चर्चा कर रहे हैं। अब दूसरी बार भी अध्यादेश के रूप में यदि वे कोई अन्य अनुपूरक मांग ले आयें तो जिस तरह वे चल रहे हैं उसे देखते हुए मुझे हैरानी नहीं होगी।

(व्यवधान)

तदर्थ दृष्टि कोण भी एक ऐसी विशेषता है जो धनवान लोगों के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है किन्तु निर्धनों को इतनी चिन्ता की बात नहीं है। यह बात आपके अनुपूरक बजट में भी परिलक्षित होती है। जो भी हो, इससे पहले कि मैं इस बारे में अपने विचार रखूं अनुपूरक बजट में किए गए आवंटन में तदर्थ दृष्टिकोण झलकता है। प्राथमिकताओं की ओर देखिए योजना को प्राथमिकता दी गई है। व्यय को नियन्त्रित करने के लिए एक व्यय मंत्री है। प्राथमिकताओं में हम किस बात का ध्यान रखते हैं? योजनागत आवन्टन शीर्ष के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदान में 787.58 करोड़ रुपये की अनुपूरक राशि दिखाई गई है, और योजनेतर शीर्ष में 2250.96 करोड़ रुपये, अर्थात योजनेतर व्यय की तीन चौथाई तथा योजनागत व्यय की एक चौथाई धनराशि अनुपूरक अनुदान के रूप में है। योजनेतर व्यय योजनागत व्यय से अधिक है। क्योंकि मैं ऐसा कह रही हूं। वेतन आयोग के तर्क को उठाया अर्थात 600 करोड़ रुपये की दलील दी जा सकती है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, वेतन आयोग से हुई वृद्धि भी सरकार की नीति के कारण ही हुई है। सरकारी रिकार्ड के अनुसार केवल एक वर्ष में ही उपभोक्ता मूल्यों में और गैर-सरकारी रिकार्ड के अनुसार इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 57 प्रतिशत वृद्धि हुई है जो सदस्य अपनी पत्नियों का ध्यान रखते हैं उन्हें इसका पता है क्योंकि वे बाजार जाते हैं। यह 57 प्रतिशत से भी अधिक है। यदि

आपको 600 करोड़ रुपये खर्च करने हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से आपकी तैयार की हुई स्थिति है। किन्तु मैं यह भी बताना चाहूंगी कि इस धनराशि में से आपको कम से कम दस प्रतिशत भविष्य निधि और आयकर के रूप में वापस मिल जायेगा। इसलिए यह वृद्धि इस प्रकार घाटा नहीं है। किन्तु यदि कीमतों की स्थिति इतनी बुरी न रही तो भविष्य में इस स्थिति को बचाया जा सकता है।

आपकी आर्थिक नीतियों के कारण मूल्यों संबंधी स्थिति बुरी है जिनके बारे में विस्तारपूर्वक कहने का मुझे समय नहीं है। इसके अलावा इस योजनेतर व्यय में सुरक्षित स्टाक तैयार करने हेतु भारतीय खाद्य निगम को ऋण के रूप में दिए जाने के लिए 600 करोड़ रुपये की एक अन्य धनराशि भी है।

**प्रो० एन० जी० रंगा** : वह योजना के अनुसार है।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : वह योजनेतर व्यय है। कहा यह जा रहा है कि पहले भारतीय खाद्य निगम बैंकों से ऋण लिया करता था। अब अपने सौ लाख टन का स्टाक तैयार करने के राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए बजटीय सहायता दे दी है। क्या इस समय आपके पास केवल 100 लाख टन का सुरक्षित स्टाक है अथवा अधिक का है? यदि आपके पास इससे अधिक है, तो आप यह बजटीय सहायता किसे दे रहे हैं? मेरा आरोप है कि आप चूहों और शार्कों की मदद कर रहे हैं। क्योंकि इसका अधिकांश भाग चूहे खा जायेंगे। यदि आप शीघ्र हमें जारी नहीं करेंगे तो इसे चूहे खा जायेंगे। मैं यह कहना चाहूंगी कि यदि आपने 100 लाख टन की सीमा से अधिक अनाज राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और गरीबी निवारण जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अनाज जारी किया होता, तो उससे रोजगार तैयार करने में सहायता मिलती, उससे हमारी जनता की कार्यशक्ति बढ़ गई होती। हम चूहों से हुए नुकसान और बड़े-बड़े मुनाफाखोरों से बच गए होते। क्योंकि आजकल व्यापारी और आटा मिलों के मालिक भारतीय खाद्य निगम से 205 रुपये प्रति क्विंटल की दर से असीमित स्टाक खरीद सकते हैं। इन्हें विशेषत: व्यापारियों को यह सुविधा देने की क्या जरूरत है? मेरा विचार है कि इसे सिलीगुड़ी से आन्ध्र प्रदेश तक व्यापारी भारतीय खाद्य निगम से 205 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे गए खाद्यानों को ट्रकों द्वारा इधर उधर ले जा रहे हैं। हम पर उनका कितना व्यय होता है और इतनी अधिक परिवहन लागत वहन करने के लिए कितना लाभ कमा रहे हैं? इन बड़े विचौलियों के लिए आप बजट में से सहायता दे रहे हैं? क्यों? मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत से हमारी स्थिति को कुछ बेहतर बना दिया है और 100 लाख टन एक सुरक्षित सीमा है। मेरा यह सुझाव है कि आप बाकी बचा हुआ 100 लाख टन से भी अधिक स्टाक जारी कर दें। इसलिए मेरा विचार है कि 600 करोड़ रुपये की इस राशि को इस प्रकार व्यय किया जाना चाहिए था।

अब हम कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हैं। औद्योगिक निर्यात के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की शेयर पूंजी में 12.50 करोड़ रुपये के अभिदान को योजना शीर्ष के अन्तर्गत माना जा रहा है। इसके अलावा, निर्यात संवर्धन के लिए 125 करोड़ रुपए की सहायता का भी प्रावधान है, जो निःसन्देह योजनेतर व्यय है। हम व्यापार संवर्धन और इस शेयर पूंजी पर भी विचार करते हैं। यह कहा जाता है कि 12.50 करोड़ रुपए में से कुछ धनराशि उन राष्ट्रीयकृत बैंकों को दी जाएगी जो इंजीनियरी उद्योगों आदि को उनकी अनुषंगी यूनिटों के लिए ऋण देंगे ताकि वे बेहतर निर्यात

[श्रीमती गीता मुखर्जी—जारी]

कर सकें। क्या मैं एक बात जान सकती हूं ? हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल 80,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। यदि आपको कुछ देना है, तो इसमें से क्यों नहीं देते ? बजटगत सहायता क्यों देते हैं ? दूसरे, ये निर्यातक क्या कर रहे हैं ? अब आप जो 125 करोड़ रुपए दे रहे हैं, क्या यह वास्तविक निर्यात के आधार पर दी जा रही है ? नहीं, समग्र परियोजना को देखकर। किन्तु सच यह है कि दिन प्रति दिन निर्यात में हमारी स्थिति खराब होती जा रही है। निश्चित रूप से इसकी कुछ जिम्मेदारी उन लोगों की भी होनी चाहिए जिन्होंने निर्यात के नाम पर देश को झांसा दिया है। अतः यह सहायता किसी और आधार पर नहीं, वास्तविक निर्यात के आधार पर दी जानी चाहिए। आप कुछ ऋण, अथवा आप इसे जो भी कहें, दे रहे हैं, किन्तु कुछ समय बाद यह भी सहायता राशि में परिवर्तित हो जाएगी। सीमेंट उद्योग में आधुनिकीकरण से, सरकार की नियन्त्रण हटाने की नीति के कारण ए० सी० सी०, सिंघानिया, बांगुर और बिड़ला ने, जो कि सीमेंट उद्योग के मालिक हैं, बहुत लाभ कमाया है। क्या वे अपने उद्योग का आधुनिकीकरण नहीं कर सकते ? आप घाटे को और अधिक क्यों बढ़ा रहे हैं ? क्या मैं जान सकती हूं कि इन धनराशियों को बजटीय स्रोतों से क्यों जारी किया जाता है ?

अब हम एक और अन्य फिजूलखर्च पर चर्चा करते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण से एशियाई खेल की सम्पत्ति का अर्जन करने के लिए 80 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। सचमुच, यह धनराशि इतनी ही है। इस वर्ष जबकि हमारे सभी गांव बाढ़ और सूखे से प्रभावित हैं और जबकि आपके सामने राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और आपके बजटगत घाटे में वृद्धि हो गई है, आपने इस वर्ष ही दिल्ली विकास प्राधिकरण से इन्दिरा गांधी स्टेडियम को खरीदने और खरीद की धनराशि को बजटगत व्यय में दिखाने का निर्णय लिया है। क्या मैं जान सकती हूं कि इसकी क्या आवश्यकता है ? मेरे विचार से सम्भवतः इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एशियाई खेलों के दिनों में, खासकर जबकि आपकी आलोचना की जा रही थी, आप इतना अधिक व्यय नहीं छिपाना चाहते थे। उस समय इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण के व्यय में दिखाया गया था। अब आप यह देख रहे हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान करने का समय आ गया है और सम्भवतः आपकी उसके साथ यह सांठ-गांठ है कि वे इसे अपनी निधि से दे दें और बाद में आप उन्हें यह धनराशि दे देंगे। इसलिए हमें किसी और बात के लिए नहीं, बल्कि केवल कुछ फिजूलखर्च के लिए ही 80 करोड़ रुपए का बजटगत घाटा क्यों उठाना चाहिए ?

इसके अलावा, मैं आपके राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव के बारे में चर्चा करूंगी। हम सभी संस्कृति के पक्षधर हैं। किन्तु आप संस्कृति के नाम पर फिजूल खर्च की संस्कृति को शामिल कर रहे हैं जो कि आपके तदर्थ दृष्टिकोण और सरकार के वास्तविक चरित्र के अनुरूप हैं। इसलिए मुझे अनुदान हेतु अनुपूरक मांगों का समर्थन करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। मैं इसके आधारभूत दर्शन का पूर्णतः विरोध करती हूं। इसके साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। इस बड़ी पुस्तक में भी, जो कि हमें दी गई है, मुझे बाढ़ों और सूखे से उत्पन्न आपदा का सामना करने के लिए राज्यों की सहायता का कोई प्रावधान दिखाई नहीं देता। पता नहीं उनका क्या होगा ? जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है वे इस स्थिति का सामना करने में बहुत कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। मुझे आशा है कि राज्यों को बाढ़ और सूखे से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए अपेक्षित धनराशि मिल जाएगी।

इन शब्दों के साथ ही मेरा यह विचार है किसी भी विवेकशील व्यक्ति को अनुदानों की इस अनुपूरक मांग का समर्थन करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : सभापति महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं : देश की आर्थिक परिस्थितियों का आकलन करना पड़ता है और उनके लिए समय और परिस्थितियों के आधार पर ही पूरक मांगों को रखना आवश्यक होता है इसीलिए मैं अनुदानों की पूरक मांगों का समर्थन करता हूं ।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो अत्यंत पिछड़े हुए हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार बड़े प्रदेश हैं और अत्यंत पिछड़े हुए हैं लेकिन वित्त मंत्रालय जब धन का आवंटन करता है तो ऐसे प्रदेशों के साथ भेदभाव करता है। मेरा निवेदन है कि प्रदेशों के क्षेत्र, जनसंख्या और वहां की आवश्यकताओं के अनुरूप ही धन का आवंटन किया जाना चाहिए ।

हमारे कई साथियों ने इस तरफ आपका ध्यान आकृष्ट किया भी है । हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है । यह गांव का देश है और गांव में जो हमारे खेतिहर और मजदूर हैं उनकी स्थिति जितनी अच्छी होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है । इसका क्या कारण है ? कुछ कारणों का सीधा लगाव हमारे गांवों से है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज किसान की जो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है खासतौर से हमारे खेतिहर मजदूर की, उसकी तरफ सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ।

आज हमारे किसानों की बहुत ही दयनीय स्थिति हो रही है । उनको कृषि उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है । खासतौर से जो सब्जी और फल पैदा करने वाले हमारे किसान भाई हैं, उनको बहुत ही कम दामों पर अपनी उपज का मूल्य मिल पा रहा है । उसका सारा पैसा बिचौलिया और व्यापारी वर्ग खा जाता है । यही कारण है कि बाजार में वह चीज महंगे दामों पर पहुंचती है जिससे कि महंगाई भी बढ़ती है । सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए और किसानों को अपनी कृषि उपज का उचित दाम मिले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

आज हमारे किसान भाइयों की मुख्य आवश्यकता उर्वरक और खाद की है । आज उनके दाम दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं । आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि उन्हें खाद आसानी से और सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सके । खाद और पानी से ही उनका विकास और उत्पादन होता है । सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनको उचित दर पर खाद मिले और क्षमता बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधायें जैसे कि नहरों और नलकूपों की व्यवस्था हो सके ।

सरकार जिन योजनाओं को स्वीकृत करती है, उसमें एक बात यह सुनिश्चित की जानी चाहिए कि वह योजनायें एक समयबद्ध कार्यक्रम में पूरी हो जायें, यानि कि जितना समय उसके लिए निर्धारित हो, उस समय सीमा के अन्तर्गत उस योजना का काम पूरा हो जाए । बहुत सी परियोजनायें ऐसी हैं, जिनको दो -ढाई गुना से भी अधिक समय पूरा होने में लगा है । ऐसा होने से उस पर खर्चा भी बढ़ता जाता है । मैं इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देना चाहूंगा—मेरे क्षेत्र में एक टांडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो कि 1979 में शुरू हुआ । 159 करोड़ रुपए की यह योजना

[श्री रामप्यारे सुमन—जारी]

थी। उस पर आज तक 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं। इसकी अभी तक एक भी यूनिट चालू नहीं हुई है, जबकि लक्ष्य यह था कि 1982 में इसकी एक यूनिट चालू कर दी जाएगी। इस प्रकार यह देखने में आ रहा है कि जितना धन जिस जिस प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किया गया क्योंकि वह समय सीमा के अन्दर पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसका खर्चा बढ़ता गया। सरकार पैसा देती गई और उससे सरकार पर बोझ बढ़ता गया। यही कारण है कि आज देश का अहित हो रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी परियोजना शुरु करें या स्वीकृत करें, उसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बना दे और उसके लिए जो भी सीमा निर्धारित करें, उस सीमा के अन्दर ही उस परियोजना का काम पूरा हो जिससे कि सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ न पड़े। ऐसी व्यवस्था होने के बाद ही देश का विकास तेजी से हो सकेगा।

आज पूरे देश की काफी जनसंख्या पेय-जल की समस्या से ग्रस्त है। आज बहुत से प्रदेशों में कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको कि पेय-जल की भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और तो और दिल्ली में कुछ स्थान ऐसे हैं, जहां पर कि पेय-जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वह गंदा जल इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दिशा में सरकार को तत्परता और तेजी के साथ काम करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरे देशवासियों को स्वच्छ जल पीने को मिल सके ताकि जो आज आम बीमारियां बढ़ रही हैं, वह और अधिक न फैल सकें।

आज सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए तमाम कार्यक्रम चला रही है और उसके लिए ज्यादा पैसा भी सरकार दे रही है, लेकिन देखने में यह आया है कि उस पैसे का ठीक से सदुपयोग नहीं हो रहा है। स्पैशल कम्पोनेंट प्रोग्राम जो कि खासतौर से अनुसूचित जातियों के लिए बनाया गया है, उसका पूरा फायदा गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तमाम प्रदेशों में इनकी हालत बहुत खस्ता होती जा रही है। आज वह पैसा उन वर्गों तक नहीं पहुंच पा रहा है जिससे उनका कल्याण नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि आज अनुसूचित जातियों पर शोषण हो रहा है। इसलिए जितना पैसा उनके कल्याण के लिए आवंटित किया जाए, उतना धन उन गरीब लोगों और मजदूरों की झोपड़ी तक अवश्य ही पहुंचना चाहिए। सरकार को इस बारे में कोई नीति अवश्य सुनिश्चित करनी चाहिए क्योंकि सरकार की मंशा उनका विकास करने की है और उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की है।

मुझे इस बात का खेद है कि हमारे उत्तर प्रदेश में स्पैशल कम्पोनेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत जो पैसा दिया जाता है, उसकी समीक्षा करने के लिए जिलों में कोई समिति नहीं है।

प्रदेश स्तर पर कभी कभार 6 महीने में बैठक होती है, इसलिए समीक्षा नहीं हो पाती। इसलिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं वह गरीबों तक पहुंच रहे हैं और उनको इसका लाभ पहुंच रहा है।

इसके अलावा एन. आर. ई. पी. और आर. एल. जी. पी. कार्यक्रमों के तहत भी काफी पैसा दिया जा रहा है और काफी सम्पर्क मार्ग भी बन रहे हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में भी हमें बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि गांवों का विकास तभी सम्भव है जब वहां जाने के लिए रास्ते हों और ग्रामों का इस तरह विकास हो जिससे हमारे किसान भाई अपनी उपज को बाजार तक पहुंचा सकें और वे अपने गांव से बाहर निकल सकें। इसलिए इस ओर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। यहां सड़कों की व्यवस्था तथा बिजली की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज बिजली की समस्या के

नाते बहुत से दूर-दराज के इलाके सूखे से प्रभावित हैं। इसलिए इस ओर खासतौर से सरकार को ध्यान देना चाहिए।

एक निवेदन और करना चाहता हूं, मुझे स्पष्ट रूप से जानकारी खासकर बाढ़ग्रस्त जिलों के बारे में है कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां हर साल बाढ़ आती है, जैसे हमारा जौनपुर जिला है, वहां हर साल बाढ़ आती है। इस तरह से बाढ़ग्रस्त जिलों और इलाकों के ऊपर हर साल करोड़ों रुपये बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिए खर्च करते हैं। मेरा कहना यह है कि सरकार को एक स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि इन इलाकों में जहां हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ से तबाही मच जाती है वहां की रोकथाम हो और वहां के लोगों के ऊपर यह जो अनावश्यक बोझ पड़ रहा है, इतना खर्चा हो रहा है वह कम हो सके। इसलिए बाढ़ को रोकने के लिए स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए।

गांवों में जो लोग रहते हैं, उनके लिए जो सस्ते गल्ले की सरकारी दुकानें खोली गई हैं वे सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। वहां पर समुचित तरीके से गांव के लोगों को आवश्यक सामान और मिट्टी का तेल नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सरकार यह सुनिश्चित करे कि वह उन वर्गों तक पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री बी० एस० विजयराघवन (पालाघाट) : सभापति महोदय, मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री तथा कर्न वित्तमंत्री महोदय के नेतृत्व में सरकार ने अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण लगा है। अर्थव्यवस्था से अनावश्यक नियन्त्रण समाप्त किया गया है तथा सभी उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस उपलब्धि के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं ऐसी प्रवृति आने वाले वर्षों में जारी रहेगी।

मंत्री महोदय ने वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में होने वाले खर्चे के लिए राजस्व खाते में 1590 करोड़ रुपए की मांग की है। इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूं। सरकार को अपने कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकारी तंत्र में सुधार करने और इसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप दिया है। मैं सरकार द्वारा भ्रष्ट कर्मचारियों को दण्डित करने तथा उन्हें सेवा से हटाने के लिए उठाये गए कदमों का स्वागत करता हूं। तथापि इस संदर्भ में मैं सरकार को एक बात के बारे में सावधान करना चाहूंगा। उच्च अधिकारियों में अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को परेशान व उत्पीड़ित करने की प्रवृति पाई जाती है। उन पर सख्ती से नियन्त्रण लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार प्रशासकीय विलम्ब को दूर करने के लिए वर्तमान प्रक्रिया और नियमों में संशोधन करना भी आवश्यक है। सरकार को विशेष मामलों पर निर्णय करने के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। यदि कोई अधिकारी फाइल का निपटान करने में विलम्ब करता पाया जाता है तो उनकी यह प्रवृत्ति उनके कार्य के प्रति लापरवाही समझी जानी चाहिए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी

*मलयालम में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री बी०एस० विजयराघवन—जारी]

चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो हम प्रशासकीय विलम्ब को दूर करने तथा काफी हद तक भ्रष्टाचार को कम करने में कामयाब हो सकते हैं। मुझे आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में उचित कदम उठायेगी।

कुछ मांगें ग्रामीण विकास से सम्बन्धित हैं। सरकार समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के तहत करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने इन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर एक अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इनके कार्यान्वयन में कई कमियां हैं। कुछ सप्ताह पहले राज्यों के ग्रामीण विकास के प्रभारी मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था जिसमें हमारे मन्त्री महोदय ने इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कुछ कमियां बताई थीं। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार इन कमियों को दूर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी। इनमें मुख्य कमी यह है कि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जनता के प्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका नहीं होती है। लेकिन अब सरकार ने इनके कार्यान्वयन में जनता के प्रतिनिधियों की अहम भूमिका सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्रियों को अनुदेश जारी किए हैं। महोदय, यदि इन कार्यक्रमों को कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जाए तो हम अपने गांवों का स्वरूप ही बदल देंगे। इस सन्दर्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि केरल उन राज्यों में से एक है जिन्होंने इन कार्यक्रमों को कारगर ढंग से कार्यान्वित किया है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात बताना चाहता हूं। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों को उनकी मजूरी का एक हिस्सा अनाज के रूप में अदा किया जाता है। केन्द्र इस प्रयोजन के लिए केवल गेहूं ही आवंटित कर रहा है। केरल के लोग चावल भोगी हैं और इसलिए वे गेहूं का प्रयोग नहीं करते इसी कारण हम इस कार्यक्रम में और अधिक मजदूर आकर्षित नहीं कर पाते। इसलिए केन्द्र को गेहूं के स्थान पर चावल का आवंटन करना चाहिए।

मेरा अगला मुद्दा रक्षा मन्त्रालय के सम्बन्ध में मांगों के बारे में है। मेरी मांग है कि ऐझिमाला में शीघ्रातिशीघ्र नौसेना अकादमी स्थापित की जाय। इस सम्बन्ध में पहले ही विलम्ब हो चुका है। इसी प्रकार केरल की यह काफी समय से चली आ रही मांग है कि राज्य में एक रक्षा सम्बन्धी उपक्रम स्थापित किया जाय। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। मेरी मांग है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही केरल में एक आयुध कारखाना खोला जाना चाहिए। मेरी यह भी मांग है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोचीन में नौसैनिक अड्डे का विकास किया जाना चाहिए।

अब मैं पर्यटन मंत्रालय के सम्बन्ध में मांगों पर आता हूं। यह मांग अधिक से अधिक विदेशी पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए है। मैं पर्यटन के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का स्वागत करता हूं। महोदय, केरल पर्यटकों के लिए स्वर्ग है विशेषतः पालघाट में, जो खूबसूरत पश्चिमी घाटों के अंचल में फैला हुआ है, पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। इस सभा में मैंने पहले कई बार मांग की थी कि मालाम्पूझा, नेल्लिआमपाती, परम्बुल्लम, शांत घाटी आदि को जोड़ते हुए एक पर्यटक स्थल बनाया जाय। माननीय मन्त्री श्री भगत जी ने आश्वासन दिया था कि इस पर विचार किया जायेगा। लेकिन इस बारे में कुछ विशेष नहीं किया गया है। यदि यह स्थल स्थापित हुआ तो भारी संख्या में विदेशी पर्यटक इससे आकर्षित होंगे। केरल में कई अन्य स्थान भी हैं जिनमें पर्यटन विकास की काफी सम्भावनाएं हैं। इसलिए

इसके विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए तथा पर्याप्त वित्तीय आवंटन किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं पूरक मांगों का पुनः समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री एम० आर० सैकिया (नवगांव)** : सभापति महोदय, मुझे इस वर्ष असम राज्य में व्याप्त भयंकर स्थिति को बताने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस वर्ष के शुरू में असम में भयंकर सूखा पड़ा जिससे धान, पटशन, गन्ना, चाय आदि की फसलों जंगलों, मछलियों, रेशम की खेती, पेयजल प्रणाली तथा सिंचाई के साधनों को भारी नुकसान हुआ, जिसके लिए राज्य सरकार ने, आंतरिक मूल्यांकन करने के बाद, 80 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का अनुरोध करते हुए केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। लेकिन स्थिति अचानक बदल गई। सैली धान की बुवाई के तुरन्त बाद जब किसान अच्छी खेती की आशा कर रहे थे, सारे राज्य में निरन्तर भारी वर्षा शुरू हो गई, जिससे रिहायशी मकानों, धान, गन्ना, पटशन, चाय आदि की फसलों, जंगलों, मछलियों, रेशम की खेती, पुलों, सड़कों, पुलियाओं, पेयजल संयंत्रों, विद्युत संयंत्रों, जन स्वास्थ्य केन्द्रों, राजकीय औषधालयों, शिक्षा संस्थाओं, भवनों इत्यादि को भारी नुकसान हुआ। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा। कई क्षेत्र जिला मुख्यालयों से कट गये और बहुत बड़े क्षेत्र में भूतल परिवहन/संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई जिससे राहत सामग्री पहुंचाने तथा बचाव दलों के आवागमन में काफी कठिनाई हुई। लोगों को आवागमन के लिए केवल नौका संचार का सहारा लेना पड़ा जो न तो पर्याप्त थी और न स्थानीय रूप से उपलब्ध थीं। हजारों लोगों को शिक्षण संस्थाओं में, मन्दिरों में, लगाये गए राहत शिविरों में जाना पड़ा और हजारों लोगों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर शरण लेनी पड़ी। 23 लाख से अधिक लोग और 4 लाख से अधिक परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए। केवल इतना ही नहीं, नवगांव और कार्बी अलोंग जिलों से गुजरने वाले राजमार्ग नियमित यातायात के लिए कई दिन तक बन्द रहे। ऊपरी असम के साथ सड़क परिवहन एक सप्ताह से भी अधिक अवधि के लिए बन्द रहा। यहां करीमगंज और कछार जिलों के साथ सड़क और रेल परिवहन 10 दिन से अधिक समय तक बन्द रहा।

यह बड़ी अभूतपूर्व स्थिति है क्योंकि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने स्थिति का पूरा जायजा लेने के बाद 400 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का अनुरोध करते हुए केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। असम एक गरीब राज्य है इसलिए राज्य सरकार गम्भीर स्थिति से निपटने में और राज्य को बाढ़ की स्थिति से पहले की स्थिति में लाने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने में तब तक असमर्थ रहेगी जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता नहीं दी जाती। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि सरकार को धन उपलब्ध कराये ताकि राज्य इस गम्भीर स्थिति से निपट सके।

असम के लोग बाढ़ और सूखे से बचने के लिए कुछ स्थाई उपाय चाहते थे। इस सम्बन्ध में मैं ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई दो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बताता हूं, जिन्हें अभी कार्यान्वित किया जाना है। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह सुबानसिरी और डिंग नदियों पर इन बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करे।

पानी की अधिकता तथा सूखे से तबाही हो जाती है और हमारी अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष भारी नुकसान होता है। सूखे और बाढ़ के बढ़ते हुए प्रभाव तथा उद्योग, कृषि और घरेलू प्रयोजनों के लिए

[श्री एम०आर० सुंकिया—जारी]

अधिकाधिक जल की बढ़ती हुई मांग के कारण एक राष्ट्रीय जल नीति बनाना आवश्यक हो गया है। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार करे ताकि सामान्य रूप से समूचे देश में लोगों को बाढ़ और सूखे से बचाया जा सके। मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि वह ऐसी राष्ट्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धन की व्यवस्था करे।

देश के आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असन्तुलन से हम बहुत चिन्तित हैं। देश के विभिन्न भागों में व्याप्त अव्यवस्था इसका मुख्य कारण है। इसलिए हमें इसमें सुधार करना चाहिए।

असम राज्य छात्र संघ और गण परिषद के नेताओं और केन्द्रीय सरकार के बीच हुए असम समझौते में यह घोषणा की गई थी कि असम में एक और तेल शोधक कारखाना लगाया जायेगा। यह भी घोषणा की गई थी कि सीमा पार से घुसपैठियों को रोकने के लिए असम की सीमा पर कांटेदार तारों की बाड़ लगाने और सड़कों का निर्माण करने के लिए कदम उठाये जायेंगे। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। असम समझौते के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की ईमानदारी पर असम के लोगों को सन्देह पैदा हो गया है। इसलिए मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह असम में इन परियोजनाओं का निर्माण करने तथा तेल शोधक कारखाना लगाने के लिए धन की व्यवस्था करे।

महोदय, पिछले बजट सत्र में पैट्रोलियम मंत्री ने इस सदन में यह घोषणा की थी डिगबोई तेल शोधक कारखाना, जो एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है, के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए तथा बोंगई गांव कम्पलैक्स के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाये जाएंगे। इस सम्बन्ध में अब तक कुछ नहीं किया गया है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि सदन में किए गए वायदों को पूरा करने के लिए जल्द कदम उठाये जायें ताकि असम के लोगों में पैदा हुई शंका को दूर किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

**श्री कम्मोदीलाल जाटव (मुरैना)** : माननीय सभापति जी, वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इस बजट में राज्य सरकारों को अनुदान दिया जायेगा और संघीय प्रदेशों को भी अनुदान दिया जायेगा।

इसके साथ ही मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की दो तीन बातें कहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र मुरैना में 9-10 नदियां बहती हैं और उन नदियों में कई जगह ऐसे रास्ते हैं, जहां आवागमन के साधन नहीं हैं। वहां पर किसानों के लिए आने जाने के लिए सुविधा नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय इसका सर्वे करायें और यह देखा जाय कि उन नदियों में कहां पुल बनाने की आवश्यकता है। और कहां रपटा बनाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मुरैना क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बहुत कम है। वहां पर 9, 10 नदियां हैं लेकिन फिर भी सिंचाई सुविधा बहुत कम हैं वहां पर उन नदियों में लिफ्ट इरीगेशन कराया जाए ताकि किसानों को सिंचाई की पूरी सुविधा मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

3.56 म. प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

**श्री राम सिंह यादव** (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मन्त्री जी ने जिस साहस और बुद्धिमानी से कार्य किया है। उसकी मैं तारीफ करता हूं। मैं सेन्ट्रल बोर्ड आफ डाइरेक्ट टैक्सेज और सेन्ट्रल बोर्ड आफ एक्साइज एण्ड कस्टम के अधिकारीगण और इन विभागों में लगे समस्त कर्मचारीगण की तारीफ करता हूं कि उन्होंने अपने तरीके से एडीशनल रिसोंसिज मोबेलाइजेशन में एक कीर्तिमान पैदा किया है।

मान्यवर, सातवीं पंचवर्षीय योजना में, जो हमारा लक्ष्य था, इस लक्ष्य के अनुसार 13 हजार करोड़ रुपये हमको एडीशनल रिसोर्सेज मोबेलाइजेशन से एकत्रित करना था और हमारे वित्त मंत्री जी ने अभी तक 10 हजार करोड़ रुपये एडीसनल रिसोंसिज मोबेलाइजेशन से एकत्र किए हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना एक बहुत ही एम्बीशस प्लान है, जिसके बारे में इस हाउस में और प्रेस में विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य और सदन के बाहर भी लोगों ने चिन्ता व्यक्त की थी कि क्या सरकार इस प्लान की पूर्ति कर सकेगी। इस बारे में हमारे प्रधान मन्त्री जी ने जोर देकर कहा है कि हम अपने साधनों और अपनी कर्तव्य निष्ठा से और अपनी प्रणाली से इस सातवीं पंचवर्षीय योजना को पूरा करेंगे और इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दो वर्षों में ही 10 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि एकत्रित की है एडीशनल रिसोंसिज मोबेलाइजेशन के माध्यम से जिससे प्लान में जो हमारा टार्गेट था एडीसनल रिसोर्सेज मोबेलाइजेशन का, उसकी पूर्ति होने की पूरी पूरी सम्भावना है।

इसके साथ ही प्रोडक्ट के माध्यम से जो नया सिस्टम टैक्सेशन का निकाला है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सितम्बर के महीने तक 4,500 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्रित हुई है। यह भी एक तरीका एडीशनल रिसोर्सेज मोबेलाइजेशन का है। इसके साथ ही माननीय वित्तमंत्री जी ने काले धन के बारे में, जिस काले धन के बारे में माननीय विरोधी पक्ष के सदस्य यह कहते थे कि काला धन अधिक बढ़ गया और हमारी आर्थिक स्थिति को विषाक्त करने का एक कारण है। उस काले धन को निकाला गया माननीय वित्त मंत्री जी ने और हमारी केन्द्रीय सरकार ने जो अथक प्रयत्न किए हैं उनके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं।

4.00 म० प०

जिस तरह से काले धन को निकाला गया और जो करोड़पतियों पर और धन्नासेठों पर रेड डाले गए उनका परिणाम हमारे सामने आया। आज हमारे देश का आम आदमी भी यह महसूस करने लगा है कि साधारण आदमी ही नहीं अगर बड़े से बड़ा व्यक्ति भी करवंचन करता है, कर चोरी करता है तो उसको भी किसी प्रकार से छोड़ा नहीं जा सकता है। आज आम आदमी को यह सांत्वना है, यह विश्वास है कि जो भी छिपा हुआ धन है, टैक्सों की चोरी से जिन लोगों ने पैसा बचाया है वह उनसे वसूल किया जायेगा। यह भी अपने आप में सरकार का एक प्रशंसनीय कार्य है और इसके लिए मैं केन्द्रीय सरकार को, माननीय वित्तमंत्री जी को और माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

[श्री राम सिंह यादव—जारी]

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में केवल रिसोर्स मोबेलाइजेशन ही नहीं बल्कि विकास का भी लक्ष्य रखा गया है कि हम पांच प्रतिशत की दर से विकास करेंगे। हमारे रिजर्व बैंक ने इस बात को कहा है कि जिस प्रकार की हिन्दुस्तान की आर्थिक नीतियां हैं और जिस प्रकार से हमारा देश प्रगति कर रहा है वह अपने आप में एक शुभ लक्षण है और मुझे आशा है कि आने वाले समय में हमने जो आर्थिक प्रगति का लक्ष्य रखा है उसमें हमें अवश्य ही कामयाबी हासिल होगी।

इसके साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के लिए जो प्रोग्राम स्वीकार किया गया था उसमें 1 करोड़ 50 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन मुझे खुशी है कि उस प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 61 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया इसी प्रकार शहरों में जो गरीबी के रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी हमारे प्रधान मंत्री जी ने सेल्फ एम्पलाएमेंट प्रोग्राम दिया है जिससे कि वे भी गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें। उनके लिए भी जो प्रोग्राम हैं उसके तहत वे बगैर किसी जमानत के, बिना किसी सिक्योरिटी के 5 हजार रुपए बैंक से ले सकते हैं। अब तक आई० आर० डी० का लाभ जो ग्रामीण जनता को मिलता था अब सेल्फ एम्पलाएमेंट स्कीम के तहत इसका लाभ शहरी गरीब जनता को भी मिल रहा है। यह भी अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है।

मान्यवर, आप देखते हैं कि विरोधी पक्ष के लोग जो लोन मेले लगाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में इस वर्ष जो लोन मेले लगे और मेरे जिले अलवर में 14 अक्तूबर को हर पंचायत क्षेत्र में लोन मेले लगे और उनमें हमारा जो पूरे वर्ष का लक्ष्य था, उसको पूरा किया गया। उन मेलों में सब के सामने गरीब आदमी को बुलाकर ऋण दिए गये। उन गरीब लोगों को आई०आर०डी० और ट्राईसम योजनाओं के तहत लाभ मिला। वह लाभ बैंक अधिकारियों, विकास अधिकारियों और जो दूसरे अधिकारी डवलपमेंट में लगे हुए हैं उनके सामने दिया गया। इससे जाहिर है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा।

अन्त में मैं एक बार फिर माननीय वित्त मंत्री जी और केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम अपने हाथ में लिए हैं जो कि गरीबों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए बहुत ही प्रशंसनीय हैं। इनमें हमें कामयाबी हासिल होगी। मैं पुनः वित्त मन्त्री जी और सरकार को धन्यवाद देता हूं।

---

4.03 म० प०

## बंगलौर में हुए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के दूसरे सम्मेलन के बारे वक्तव्य

[अनुवाद]

**प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी)** : महोदय, दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग एसोसियेशन का दूसरा शिखर सम्मेलन बंगलौर में 16 और 17 नवम्बर को सम्पन्न हुआ। यह सम्मेलन विश्व के सबसे बड़े और अद्यतन क्षेत्रीय एसोसियेशन के विकास का एक स्पस्ट और महत्वपूर्ण पड़ाव

कहा जा सकता है। कार्तिक-पूर्णिमा और पैगम्बर मोहम्मद और गुरु नानक जयंती के पवित्र अवसर पर इसका उद्घाटन हुआ और इसमें ऐसी समस्याओं को जो हम सबकी समस्याएं हैं मिलजुल कर दूर करके मानव मात्र की भलाई करने में हमारे विश्वास की पुनः पुष्टि हुई है।

बंगला देश के नेतृत्व में दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग एशोसियेशन ने अपने अस्तित्व के पहले वर्ष में विचार के स्तर से आगे बढ़कर एक मूर्त रूप ग्रहण किया है। अपने नेतृत्वकाल में एक ओर वहां पारस्परिक क्रियाकलापों को नई-नई दिशाएं देने की ओर अपने सहयोग को नए-नए तत्व प्रदान करने की कोशिश करेंगे वहीं हमारी यह भी कोशिश होगी कि अब तक हमने जो उपलब्ध किया है उसकी स्थिति मजबूत करें।

हमने सहयोग के जो क्षेत्र तय किए हैं उनका हमारे ज्यादातर लोगों के जीवन और उनके हित कल्याण पर सीधा असर पड़ता है। इनमें कृषि, वन विकास, मौसम विज्ञान, प्राकृतिक विपदाओं के आघातों से यथाशक्ति बचने का प्रयास, समूचे नारी समाज की उन्नति और "बाल जीवन" की रक्षा तथा विकास शामिल हैं। हमने औषध द्रव्यों का अवैध व्यापार, तथा आतंकवाद की दोहरी और अक्सर एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्या का मिलकर मुकाबला करने का भी संकल्प किया है। हमने अपने इस सहयोग को एक संस्थागत रूप देने के उद्देश्य से काठमांडु में एक स्थायी सचिवालय स्थापित करने का भी फैसला किया है जो हमारे कार्यक्रमों पर निगाह रखेगा और उनके क्रियान्वयन में तालमेल स्थापित करेगा। यह सचिवालय आगामी जनवरी से कार्य प्रारम्भ करेगा। हमारे प्रयासों में मुख्य जोर इस बात पर है कि सभी स्तरों पर जन-जन के संपर्क को बढ़ाया जाए ताकि अफसरशाही के रास्ते को छोटा किया जा सके और एक दूसरे को जानने के रास्ते की दूरी को भी कम किया जा सके।

नंदी हिल्स में नेहरु निलायम में अपने अवकाश के क्षणों में मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर उन अन्य क्षेत्रों को तय करने के लिए बातचीत की जिनसे जनता की भागीदारी और पारस्परिक कार्यकलाप को और अधिक मजबूत करने के लिए सहयोग करना संभव हो सकता हो। इनमें रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम, पर्यटन, विद्वानों का आदान-प्रदान, क्षेत्रीय प्रलेखन केन्द्र तथा पड़ौसी देशों में कृषि और वन विकास के विस्तार के कार्यक्रमों में एक संगठित स्वैच्छिक कार्यक्रम भी शामिल है।

मेरा यह विश्वास है कि इस प्रकार के जन-जन के सम्पर्क से न सिर्फ सरकारों के पारस्परिक प्रयत्नों को बल मिलेगा बल्कि सहयोग की क्षमताओं के अनुछुए क्षेत्रों का पता भी लगेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार के संपर्कों से हम एक दूसरे की महत्वकांक्षाओं को, एक दूसरे की जरूरतों को और इस बात को भी ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे कि हमारी अर्थ-व्यवस्थाओं में कौन किसका पूरक हो सकता है। इससे हमारी मित्रता और हमारा पारस्परिक विश्वास मजबूत होगा जिससे सामूहिक आत्मनिर्भरता और पारस्परिक निर्भरता बढ़ाने के लिए वातावरण बनेगा और जब ऐसा होगा तो क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी अनिवार्यतः बढ़ेगी। शायद यही हमारे लिए औपनिवेशिक विरासत में प्राप्त पुराने ढर्रे को तोड़ने का सबसे निश्चित तरीका है और पारस्परिक संदेह और विद्वेष, निरंकुशता को दूर करके क्षेत्रीय सहयोग का एक स्थायी ढांचा तैयार करने का भी।

[प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी—जारी]

दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग एशोसियेशन के दूसरे शिखर सम्मेलन में स्वीकृत बंगलौर घोषणा और अन्य दस्तावेजों ने इन समान लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग एशोसियेशन किसी तरह की राजनैतिक एशोशियेशन नहीं है। द्विपक्षीय विषय इसकी परिधि से बाहर है। लेकिन बंगलौर शिखर सम्मेलन से दूसरे नेताओं के साथ द्विपक्षीय-क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार विनियम करने का एक लाभदायक अवसर भी मिला। मैंने बंगलादेश के राष्ट्रपति, भूटान नरेश, मालद्वीप के राष्ट्रपति, नेपाल नरेश, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री तथा श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ भी बैठकें की इन द्विपक्षीय बैठकों के बारे में सरकार इस हफ्ते के अन्त में एक अलग वक्तव्य देगी।

---

4.08 म० प०

## अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1986-87—जारी

[हिन्दी]

**श्री शांति धारीवाल (कोटा)** : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो अनुदानों की अनुपूरक मांगें पेश की गई हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। देखा जाए तो फोर्थ पे कमीशन के द्वारा यह चीज पैदा हुई है। छह हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पूरे देश के लिए उस पर गिरा है। केन्द्र सरकार पर भी करीब दो हजार करोड़ रुपये का भार इस पे कमीशन की रिपोर्ट के द्वारा पड़ेगा। राज्यों की हालत भी इसी के कारण कुछ खराब हुई है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हड़तालें चल रही हैं। फोर्थ पे कमीशन के द्वारा जो सुविधाएं और वोनस वृद्धि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिली है, उसी को देखकर हर जगह हर स्टेट में इस प्रकार की मांग कर्मचारियों के द्वारा रखी जा रही है। इससे उत्तर प्रदेश में सात सौ करोड़ रुपये तथा राजस्थान जैसे छोटे प्रदेश में दो सौ करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मेरा यह निवेदन था कि जब राज्यों में यह हालत हो गई है कि पांच-पांच, सात-सात और दस-दस रोज से हड़तालें चल रही हैं और···राज्यों की वित्तीय स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि वह ऐसा भार वेतन बढ़ाकर सहन कर सके तो केन्द्र सरकार को यह चाहिए कि राज्यों की मदद के लिए वह सामने आए और राज्यों को कुछ अतिरिक्त धन इस प्रकार का देने की कोशिश करें जिससे कि राज्यों में यह जो हड़तालों की स्थिति आ रही है, उससे निपटा जा सके।

इसी बावत मेरा एक और निवेदन है कि जिस किसी राज्य से अकाल, बाढ़ या सूखे की रिपोर्ट केन्द्र के पास आती है और जो सहायता राशि की मांग की जाती है केन्द्र उसका 1/10 या 1/15 हिस्सा ही देता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोटा में बाढ़ का प्रकोप था। केन्द्र से मुआयना करने के लिए टोली आई उसने दो-चार घण्टे इधर-उधर देखकर अपनी रिपोर्ट दे दी, हमने मांग की थी 32 करोड़ रुपए की और हमें मंजूर किए गये केवल 7 करोड़ रुपये ही। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो टोली भेजते हैं मुआयना के लिए उसको यह निर्देश देना चाहिए कि वह अच्छी तरह से जांच करे कि वास्तव में कितना नुकसान हुआ है।

इसी तरह से राजस्थान में अकाल की स्थिति बड़ी भयंकर है, पूरे 27 जिले अकाल की चपेट में हैं। राजस्थान की सरकार ने एक मेमोरेण्डम भी केन्द्र सरकार को पेश किया है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। राज्य सरकार ने 800 करोड़ रुपये अकाल से निपटने के लिए मांगे थे। मेरा वित्त मंत्रीजी से निवेदन है कि हमारे यहां पीने का पानी नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है और लोगों के लिए रोजगार के कोई साधन नहीं हैं इसलिए अविलम्ब ऐसे मेमोरेंडम पर ध्यान देना चाहिए और केन्द्र सरकार को राज्य सरकार को एडहाक ग्राण्ट देनी चाहिए। वहां ऐसी हालत हो गई है कि लोग गांवों से पलायन कर रहे हैं, 25 से 30 प्रतिशत लोग गांव छोड़कर अपने पशुओं को 200-300 किलोमीटर दूर ले जाकर गुजारा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान की 80 प्रतिशत जनसंख्या इस अकाल से पीड़ित है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि ऐसे मेमोरेंडम पर ध्यान दे और एडहाक ग्रांट मंजूर करे।

4.12 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

इसी के साथ-साथ मंहगाई भी तेजी से बढ़ती जा रही है। चीनी और तेल के भाव तेजी से बढ़े हैं। तकनीक के नाम पर हम अंधाधुंध चीजें आयात करते चले जा रहे हैं जिससे हमारा आर्थिक संतुलन बिगड़ गया है। कई गैर जरूरत की चीजों को हम तकनीक के नाम पर आयात करते रहे तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, फायदा होने वाला नहीं है। आपने जो आयात की बाबत छूट दे रखी है उसको बन्द किया जाना चाहिए और निर्यात वालों की पूरी मदद करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि राजस्थान में अकाल की बाबत जो मेमोरेंडम राज्य सरकार ने आपको दिया है उस पर अविलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

**प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला)** : सभापति महोदय, मैं इस वाद-विवाद में थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहता हूं। मांगों की संख्या 107 है। इनकी राशि 3038.54 करोड़ रुपए है।

**सभापति महोदय** : केवल मंत्री ही हस्तक्षेप कर सकते हैं।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** : मैं जम्मू और कश्मीर राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। सभापति महोदय, यह कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है जिस पर वित्त मंत्रालय हमसे मंजूरी चाहता है और इन मांगों पर विचार करने और इन्हें मंजूर कर देने की एक परम्परा है।

यद्यपि मैं उन लोगों से सहमत हूं जिन्होंने इन मांगों का समर्थन किया है किन्तु मैं मंत्रालय का ध्यान एक ऐसे क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और वह क्षेत्र जिस पर श्री वी० पी० सिंह और उनके सहयोगियों को ध्यान देना चाहिए वह है क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का क्षेत्र। मंत्रालय का ध्यान इस पहलू की ओर आकर्षित करते हुए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जम्मू और कश्मीर के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए अधिक धन देने के बारे में विचार किया जाए।

मैं अधिक ब्यौरे में नहीं जाऊंगा किन्तु मैं इस बात को अवश्य दोहराऊंगा कि जम्मू और कश्मीर को सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में पर्याप्त हिस्सा नहीं मिला है। मैं आंकड़ों का उल्लेख नहीं

[श्री संकुहीन् सोज—जारी]

करूंगा, क्योंकि मंत्री महोदय को उनके बारे में पता है। किन्तु मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात की जांच करें कि जहां तक सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का संबंध है, जम्मू और कश्मीर को उसका हिस्सा मिला है या नहीं। राष्ट्र ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर लगभग 30,000 करोड़ रुपये निवेश किये हैं। अब आप ही को देखना है कि क्या जम्मू और कश्मीर को इसमें से कुछ मिला है। श्री नगर में स्थित एच० एम० टी के कारखाने के अतिरिक्त, वहां सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम शायद ही हो। मैं यह नहीं कहता हूं कि यह नीति जानबूझ कर बनाई गई है। परंतु यत्र-तत्र असन्तुलन हैं। परंतु अब हम उन कुछ मंत्रियों जो वित्त मंत्रालय में हैं के हाथों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें न केवल जम्मू और कश्मीर में अपितु समूचे देश में इस असंतुलन को दूर करना चाहिये।

जहां तक जम्मू और कश्मीर तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में पूंजीनिवेश का संबंध है, मैं आपका खास ध्यान कुछ असंतुलनों को दूर करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करूंगा। मैं आपको जिस दूसरे क्षेत्र पर पूंजीनिवेश करने का अनुरोध करूंगा, वह इलैक्ट्रॉनिक उद्योग है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने संसद में बयान दिया था कि वह हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में इलैक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना करने पर विचार करेंगी क्योंकि इन उद्योगों पर कम पूंजी लगानी पड़ती है और इससे प्रदूषण नहीं होता है। परंतु जहां तक इलैक्ट्रॉनिक उद्योगों अर्थात् जम्मू और कश्मीर में इन उद्योगों की स्थापना करने का संबंध है, भारत सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की है।

पर्यटन दूसरा क्षेत्र है। जम्मू और कश्मीर में हमारा अपना पर्यटन उद्योग मंत्रालय है। परंतु अन्ततोगत्वा, यह जिम्मेदारी भारत सरकार की ही है। सौभाग्यवश हाल ही में हम लोगों ने प्रधान मंत्री जम्मू और श्रीनगर में आए थे। उन्होंने स्वयं देखा है कि जहां तक पर्यटन का संबंध है, हमारे राज्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक क्षेत्र में डाल झील, जिसमें से प्रदूषण दूर करने के बारे में उन्होंने राज्य सरकार की सीधी सहायता करने के लिए कहा था। यह रमणीय झील है।

मैंने एक बार जेनेवा की झील को देखा और जेनेवा में लोग इसके प्रदूषण के बारे में काफी सावधानी बरतते हैं। और ईश्वर ने डाल झील के रूप में हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया है और वह अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है, जैसाकि, प्रधान मंत्री ने हाल ही में देखा है, वह झील पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। डाल झील से प्रदूषण को समाप्त करना अपने आप में एक परियोजना है जिस में आप राज्य सरकार की सीधी सहायता कर सकते हैं।

प्रधान मंत्री ने जम्मू और कश्मीर में कुछ वचन दिये थे और मुझे खेद है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के समक्ष दिये गये वचन इस दस्तावेज में शामिल नहीं किये गये हैं, उन्होंने वहां कहा था कि वे कृषि पर आधारित कुल उद्योगों, डाल झील से प्रदूषण दूर करने और श्रीनगर में मल व्यय के लिए एक बहुत बड़ी परियोजना आरम्भ करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। वहां काम में प्रगति बहुत धीमी रही है। यह परियोजना पांच वर्ष की थी और इस पर 70 करोड़ रुपये खर्च किये जाने थे। सातवां साल चल रहा है, और मेरी जानकारी के अनुसार 70 करोड़ रुपये में से केवल 11 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। लेकिन प्रधान मंत्री को इसकी जानकारी थी। अब प्रधान मंत्री द्वारा किए गए वायदे के अनुसार इस लिए 20 से 30

करोड़ रुपए और दिए जायेंगे। लेकिन इस दस्तावेज में प्रधान मंत्री के वायदे का कोई संकेत नहीं है।

(व्यवधान)

**प्रो० एन०जी० रंगा** : बजट की प्रतीक्षा कीजिए।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज़** : लेकिन उन्होंने ये मांगें रखी हैं और उन्हें प्रधान मंत्री के वायदों का सम्मान करना चाहिए।

अतः यदि अधिक नहीं तो हमें वायदे के अनुसार मिलना चाहिए। ऊंचाई के कारण जम्मू और कश्मीर राज्य में काम कर सकने की अवधि बहुत सीमित है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि जब वे इस वाद-विवाद का उत्तर दें तो यह बताने की कृपा करें कि इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय का या और किस प्रकार कार्यवाही करने का विचार है। वे मुझे यह भी समझाने की कृपा करें कि उन्होंने कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के वायदों को शामिल क्यों नहीं किया है। जिनके सम्बन्ध में वे चाहते थे कि विशिष्ट अवधि में भारत सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए।

अब प्रो० रंगा, जो इस सम्मानीय सभा के वरिष्ठतम् सदस्य हैं, जब मेरी गलती को बताते हैं मुझे खुशी होती है और वे कहते है कि मुझे बजट सत्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है मैं बजट सत्र की प्रतीक्षा कर सकता हूं।

**वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढवी)** : आपको कोई शंका एनहीं होनी चाहिए। यदि प्रधान मंत्री ने किसी बात का कोई वायदा किया है, तो उसे पूरा किया जायेगा।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज़** : आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल बचत में से वह जम्मू और कश्मीर राज्य की मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। जब बजट सत्र होगा। और बजट तैयार किया जायेगा, तब आप जल संसाधन और ऊर्जा संसाधनों पर भी विचार करेंगे। जम्मू और कश्मीर राज्य में अपार जल संसाधन हैं और इसमें से अधिकांश जल बेकार बहकर पाकिस्तान में जा रहा है। हम इससे न केवल जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए बल्कि देश के अन्य कमी वाले क्षेत्रों के लिए भी बिजली पैदा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

**श्री मूलचन्द डागा (पाली)** : सभापति महोदय, हमारे मंत्री महोदय 10 हजार करोड़ के करीब की टोटल सप्लीमैंटरी डिमांडें लाये हैं। 3 हजार करोड़ के करीब की डिमांड्ज अब भी लाये हैं और पहले भी लाये हैं। जब आप चाहते हैं, हर सैशन में सप्लीमैंटरी डिमांड्ज आ जाती हैं और उससे इन्फलेशन बढ़ता जाता है। जब इन्फलेशन बढ़ेगा तो डैफिसिट बजट होगा और जब डैफिसिट बजट होगा तो चीजों के भाव बढ़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि टोटल माउन्ट जब आप बजट लाते हैं तो करीबन्-करीबन हर वर्ष बढ़ाते जाते हैं। आज आपकी मंहगाई का क्या हाल हो रहा है, सब चीजों का भाव बढ़ गया है और इन्फलेशन 9.5 परसैंट बढ़ गया है।

इन्फलेशन के अलावा पुजारी ने राज्य-सभा में 11-11-86 को उत्तर देते हुए बताया था कि हमारे ऊपर आज 274 अरब 32 करोड़ 20 लाख का बराबर कर्ज़ा है। कर्जे के अलावा

[श्री मूल चन्द डागा—जारी]

उन्होंने यह बताया कि हमें कितनी सबसीडी देनी पड़ती है। और सबसीडी में हमारा कितना खर्चा होता है। मैं कहना चाहता हूं कि उससे पहले आपका मंहगाई भत्ता किस प्रकार बढ़ा है। मैं आपको मंहगाई के आंकड़े बताना चाहता हूं. उससे आप सोचेंगे कि हम लोग कितनी मंहगाई में पहुंच गये हैं।

सबसे बड़ा सवाल, जो आज गरीबों को तकलीफ दे रहा है, वह मंहगाई बढ़ी है। इस मंहगाई का कारण यही है कि आप हर वर्ष अपना खर्चा बढ़ाते जाते हैं। वेस्टफुल एक्सपैंडीचर और नान-डेवलपमैंटल एक्सपैंडीचर गवर्नमैंट के बढ़ते जाते हैं। गवर्नमैंट अखबारों में ऐलान करती है कि हम इन एक्सपैंडीचर्स को कम करेंगे, लेकिन जो आपने मंहगाई बढ़ाई है उसके कारण भाव बढ़े हैं। और भाव बढ़ने के कारण आम जनता को काफी तकलीफ पहुंची है। मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूं। कि इस प्रकार से जो महंगाई बढ़ती जाती है और लोगों को आम जरूरत की चीजें महंगी मिलती हैं तो उससे आम जनता को बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है। इसके अलावा एक बात और है—जो धनवान लोग हैं, जो कि डायरेक्ट टेक्सिज देते हैं, वह कम हो गये हैं और इन-डायरेक्ट टैक्सिज ज्यादा बढ़ गये हैं। मैं फीगर्स देकर यह बात साबित करना चाहता हूं—1951 के अन्दर आपका डायरेक्ट टैक्सेशन 43.3 परसेंट था और आज 1985-86 में 19.3 परसेंट ही रह गया है। इसी तरह से इन-डायरेक्ट टैक्स 1951 में 56.7 परसेंट था और आज 18.7 परसेंट बढ़ गया। इसका अर्थ यह हुआ कि गरीब के ऊपर ज्यादा भार पड़ गया है। जिन लोगों की कपैसिटी टू पे, देने की शक्ति थी वह दे नहीं पाये। आपने यह काम करके अच्छा नहीं किया। आपकी पालिसी भी यह कहती है कि आप वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कम नहीं कर सकते और न ही नान-डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हैं। अब अपनी इस पालिसी को बदलना होगा।

आज राजस्थान में पांचवीं बार भयंकर अकाल पड़ा है। मेरा ऐसा ख्याल है कि आप ऐसा समझते हैं कि राजस्थान में तो अकाल पड़ता ही रहता है। हमारे मंत्री महोदय हमारे पड़ौसी हैं। आशा है वह हमारी हालत को अच्छी तरह से जानते होंगे। आज राजस्थान के लोगों की यह हालत है कि उनके पास कोई क्रय-शक्ति नहीं है, उनको पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, चारा नहीं है, पशु मृत्यु के कगार पर पहुंच रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, घर खाली हो रहे हैं। इस प्रकार उन लोगों की हालत खराब हो रही है। मैंने कई बार निवेदन किया कि आप वहां मेहरबानी करके मदद दीजिए, लेकिन आपने अभी तक मदद देने का निर्णय ही नहीं लिया। हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री झिल्लो साहब इस समय सदन में मौजूद हैं। वह जानते हैं कि आज राजस्थान की हालत कितनी खराब है। लेकिन जो आवश्यक सहायता मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल रही है। मैं इसके लिये अपने फाइनेंस मिनिस्टर से अपील करूंगा कि वह पूरी मदद दें। आज आपके नान-डेवलपमेंट का खर्चा कैसे और किस रूप में बढ़ रहा है, उनके फीगर्स देकर आपको बताना चाहता हूं। :—

22 जुलाई 1986 को गढ़वी साहब ने उत्तर दिया है कि-

[अनुवाद]

वर्ष 1974-75 से 1984-85 के दौरान मुख्य व्यय विकास से भिन्न व्यय, अर्थात् रक्षा, ब्याज और भुगतान, पुलिस और खाद्यान्नों पर राजसहायता, 3.670 करोड़ रुपये से बढ़कर 14,794 करोड़ रुपये हो गया।

[हिन्दी]

यह अभी आपका उत्तर है। आपके नान-डेवलपमेंट और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर का ही नतीजा है कि दो सौ करोड़ रुपये प्रति वर्ष बैंकों के राइट आफ होते हैं। समय ज्यादा नहीं है और अभी माननीय मंत्री जी और सभापति महोदय कहेंगे कि अनुशासन नहीं मानते हैं। मैं कहता हूं कि अनुशासन उन लोगों पर लगाइए जो नहीं मानते हैं, आप हमारे बोलने पर अनुशासन मत लगाइए। आप यह अनुशासन वेस्टफुल एक्सपेंडीचर पर, नान-डेवलपमेंट एक्सपेंडीचर पर नहीं लगाते हैं। सभापति महोदय जब बैठते हैं तो बोलने वालों पर अनुशासन लगाते हैं लेकिन जो अनावश्यक खर्चा करते हैं उन पर कोई अनुशासन नहीं हैं।

फेमिली प्लानिंग में हम काफी काम कर रहे हैं लेकिन आप हमें बताइए कि जापान के अन्दर उन्होंने जनसंख्या कम कर ली, भारतवर्ष में क्या हुआ? आप का इस के ऊपर अरबों रुपये का खर्चा हुआ लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि भारत के अंदर जनसंख्या कम नहीं हुई। आप यह देखिए कि आप की कहां पर कमी है। मैं चाहूंगा कि आप एक-एक विलेज और टाउन पर अपना टार्गेट बनाए। अभी आप जिले को टार्गेट बनाते हैं। मेहरबानी कर के गांवों के स्तर पर और टाउन्स के स्तर पर टार्गेट फिक्स कीजिए जिससे फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम सकसेसफुल हो सके। यह जो जनसंख्या बढ़ रही है इसे आप ने नहीं रोका तो यह बहुत गलत काम होगा।

इसी तरह इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स पर इतना वेस्टफुल एक्सपेंडीचर हो रहा है, उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। हम एक ड्रिप भी इर्रीगेशन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। हमारी केनाल पक्की नहीं हैं। पंजाब में एक तरफ जमीन खराब हो रही है और दूसरी तरफ पानी वेस्ट जा रहा है। गलत जगह पर आपका यह सारा एक्सपेंडीचर हो रहा है। इस तरह का जो आप का वेस्टफुल एक्सपेंडीचर हो रहा है उस ने आप के जी०एन०पी० के परसेंटेज को बहुत कम कर दिया है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सरकार अगर यह वेस्टफुल एक्सपेंडीचर नहीं कम करेगी तो आपका डेफिसिट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और यह हो रहा है।

अंत में सबसे जरूरी बात मैं जो आप के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि राजस्थान में इस समय फैले हुए अकाल के समय जहां दो करोड़ की आबादी इस से प्रभावित है, गढ़वी साहब हमारे पड़ौसी हैं, वह जानते हैं और ढिल्ला साहब भी बैठे हुए हैं, दोनों मिल कर आज इस के लिए कुछ एलान अवश्य करें कि राजस्थान के लिए हम इतना कर देंगे। राजस्थान के सब लोगों ने इस पर जोर दिया है। मैं समझता हूं इस के ऊपर आप ध्यान देंगे और इसे प्राथमिकता देंगे। मैं चाहूंगा कि गढ़वी राहत और ढिल्ला साहब दोनों मिल कर वहां विजिट करें और देखें कि क्या हालत है और फिर उसके लिए कुछ व्यवस्था अवश्य करें।

4.33 म०प०

## इंचमपल्ली परियोजना के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर में जल संसाधन मंत्री की ओर से वस्त्र मंत्री द्वारा 6 नवम्बर, 1986 को दी गई कतिपय जानकारी के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य और उसके प्रत्युत्तर में मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

**श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद)** : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निदेश 115 के अंतर्गत निम्नलिखित वक्तव्य देता हू :—

श्री राम निवास मिर्धा ने 6.11.1986 को तारांकित प्रश्न संख्या 41 का, जल संसाधन मंत्री की ओर से उत्तर देते हुए इस बात पर बल देकर कहा था कि आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के, दिनांक 2 मई, 1985 के पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, जो कि इंचमपल्ली परियोजना की समस्या के निदान हेतु मंत्री स्तर पर बैठक आयोजित करने तथा आप्लावित क्षेत्र का निर्धारण करने हेतु कृतक बल गठित करने के बारे में था। श्री राम निवास मिर्धा ने जो बार-बार कहा, मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> "महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने 2 मई 1985 को लिखा था कि इस पत्र का आंध्र-प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे मुख्य मंत्री से बात क्यों नहीं करते ?"
>
> "किन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि आंध्र-प्रदेश के मुख्य मंत्री ने मई, 1985 के पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया।"
>
> "किंतु वर्तमान मुख्य मंत्री में भी इस मामले को उठाने तथा पत्र का उत्तर देने की कोई इच्छा होनी चाहिए।"

श्री राम निवास मिर्धा ने अनुपूरक प्रश्न पूछने के दौरान मेरे यह कहने के बाद भी कि यह उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है, यही उत्तर दोहराया।

वास्तव में आंध्र-प्रदेश के मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र तथा मध्य-प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ निरंतर यह मामला उठाने का प्रयत्न करते रहे कि ऐसी बैठक आयोजित की जाये।

आंध्र-प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के 2 मई, 1985 के पत्र का उत्तर दिया जिसका हवाला माननीय मंत्री श्री राम निवास मिर्धा ने 13.7.85 को दिए गए उत्तर में दिया तथा मंत्री स्तर पर अंतर्राज्यीय बैठक के लिए सहमति व्यक्त की और 26.7.1985 को बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया। मध्य-प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री मोती लाल वोहरा को भी मध्य प्रदेश की स्वीकृति हेतु एक पत्र भेजा गया।

मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री शिवाजीराव पाटिल नीलंगेकर ने 27.7.1985 को लिखे अपने पत्र में राज्य के सिंचाई मंत्री के, इस बैठक में भाग लेने के लिए भेजने में अपनी असमर्थता जाहिर की क्योंकि राज्य विधान मंडल का बजट सत्र 7 अगस्त, 1985 तक था। वे इसके बाद कोई उपयुक्त तिथि निश्चित करने पर सहमत हो गये।

**इंचमपल्ली परियोजना के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर में जल संसाधन मंत्री की ओर से वस्त्र मंत्री द्वारा 6 नवम्बर 1986 को दी गई कतिपय जानकारी के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य और उसके प्रत्युत्तर में मंत्री द्वारा वक्तव्य**

मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री मोती लाल वोहरा ने 22 जुलाई 1985 को उत्तर दिया कि चूंकि विधान सभा का सत्र 14 अगस्त 1985 तक होगा, इसलिए प्रस्तावित मंत्री स्तर की बैठक सितम्बर 1985 में किसी समय आयोजित की जा सकती है।

आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 22 जून, 1986 को एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री चव्हाण को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे बैठक के लिए अपनी सुविधानुसार कोई समय बतायें। इसी प्रकार का पत्र श्री मोती लाल वोहरा को भी लिखा गया।

श्री मोती लाल वोहरा ने 17 जुलाई, 1986 को पत्र लिखा कि मंत्री स्तर की बैठक से पहले मुख्य मंत्री स्तर की बैठक होनी चाहिए, इसलिए बैठक की तिथि आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री द्वारा निश्चित की जानी है। इसके पश्चात् सिंचाई विभाग के राज्य मंत्री ने 28.8.1986 को महाराष्ट्र के संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर प्रस्ताव किया कि सितम्बर, 1986 के दूसरे सप्ताह में हैदराबाद में बैठक आयोजित की जाये। इस पत्र का कोई उत्तर नहीं आया।

महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने 26 जुलाई 1986 को आंध्र प्रदेश के मुख्य को उनके 22 जून, 1986 के पत्र के उत्तर में लिखा कि उन्हें सितम्बर 1986 में प्रस्तावित बैठक की मेजबानी करके प्रसन्नता होगी तथा उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री की सुविधानुसार निश्चित की गई तिथि बताने के लिए कहा।

इसके उत्तर में आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 1 सितम्बर 1986 को, बम्बई में सितम्बर, 1986 में प्रस्तावित बैठक में भाग लेने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की। जहां तक तिथि का संबंध है, सितम्बर 1986 के दूसरे सप्ताह में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए सुविधाजनक तिथि अथवा 22 से 27 सितम्बर 1986 के बीच कोई तिथि प्रस्तावित की गई।

18 सितम्बर, 1986 को महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने इसके उत्तर में बताया कि पूर्व-निश्चित कार्यक्रमों के कारण प्रस्तावित तिथियां उनके लिए सुविधाजनक नहीं थी तथा "आपके परामर्श से शीघ्र ही सभी के लिए सुविधाजनक तिथियां शीघ्र निश्चित कर ली जायेंगी।" इसके बाद उनसे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आंध्र-प्रदेश के मुख्य मंत्री इस मामले को निरंतर उठाते रहे हैं तथा श्री राम निवास मिर्धा द्वारा लगाया गया यह इल्जाम कि आंध्र-प्रदेश के मुख्य मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री द्वारा मई 1985 को लिखे पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, गलत तथा भ्रामक है।

इसलिए, मैं श्री राम निवास मिर्धा से आग्रह करता हूं कि वे इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति बतायें।

**वस्त्र मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)**: महोदय, श्री सी० माधव रेड्डी द्वारा उठाये गये मामले के संबंध में वस्तु स्थिति निम्नवत् है :

[श्री राम निवास मिर्धा—जारी]

आंध्र प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों नामश: महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ अपने पत्र-व्यवहार की प्रतियां केन्द्र को नहीं भेजी हैं। श्री जे० चोक्का राव, संसद् सदस्य से प्राप्त एक पत्र के सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 13 मई, 1986 के पत्र संख्या 66/इरि०/एक्स/86-4 में यह उल्लेख किया था कि "इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश के मुख्य इन्जीनियरों का एक कार्य दल गठित करने तथा परियोजना के अधीन आरक्षित वन क्षेत्रों की जलमग्नता का मूल्यांकन करने और स्वीकृति प्राप्त करने के लिए परियोजना का पर्यावरणिक पक्ष तैयार करने हेतु प्रथमत: एक बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया है। इस पहलू पर सरकार ध्यान दे रही है।" इससे यह संकेत मिलता है कि मई, 1986 में महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री का 2 मई, 1985 का पत्र आंध्र प्रदेश सरकार के पास रुका हुआ था।

6-11-86 को उत्तरार्थ संसद प्रश्न सं० 41 प्राप्त होने के पश्चात मंत्रालय ने टेलेक्स संदेशों के माध्यम से प्रश्न के उत्तर के लिए सम्बन्धित राज्यों नामश: आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से विस्तृत सामग्री मांगी थी। राज्यों के बीच पारस्परिक पत्र व्यवहार के ब्यौरों की ऐसी कोई सामग्री किसी भी प्रेष्य राज्य से प्राप्त नहीं हुई थी।

अत: लोक सभा में 6-11-86 को दिया गया बयान केन्द्र के पास उपलब्ध सामग्री पर आधारित था। चूंकि केन्द्र सरकार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा आंध्र प्रदेश सरकार से पत्र-व्यवहार से अनभिज्ञ थी, इसलिए आंध्र के मुख्यमन्त्री से उत्तर प्राप्त न होने संबंधी मेरा बयान इस पत्र व्यवहार की जानकारी के अभाव पर आधारित था तथा जानबूझ कर सदन को गुमराह करने की कोई मंशा नहीं है।

**श्री सी० माधव रेड्डी** : श्रीमन्, श्री चोक्काराव के पत्र का उल्लेख करना अप्रासंगिक है।

**(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

**श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा)** : उन्हें सभा से क्षमा मांगनी चाहिए।

**श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा)** : श्रीमन, उन्होंने जानबूझ कर सभा को गुमराह किया है।

**(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : इसके संबंध में कोई चर्चा नहीं होगी।

**(व्यवधान)**

**श्री सी० माधव रेड्डी** : वास्तविकता यह है कि महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच पत्र-व्यवहार हुआ था। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है दोनों मुख्यमन्त्रियों ने एक-दूसरे को कई पत्र लिखे।

**सभापति महोदय** : श्री रेड्डी आपको जो भी संसदीय तरीके उपलब्ध हैं उनका उपयोग करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार नहीं अब श्री कमला प्रसाद सिंह बोलेंगे।

**श्री सी० माधव रेड्डी** : मन्त्री महोदय का यह कहना कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने उन्हें मई, 1985 में लिखे गये पत्र का कोई जवाब नहीं दिया निराधार और गुमराह करने वाला है और चूंकि मन्त्री महोदय ने इस पर कोई खेद व्यक्त नहीं किया है, इसलिए इसके विरोध में हम सभा छोड़कर बाहर जा रहे हैं।

तत्पश्चात श्री सी० माधव रेड्डी और कुछ अन्य सदस्य सभा से उठकर बाहर चले गये।

---

4.44 म०प०

## अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87— जारी

[हिन्दी]

**श्री कमला प्रसाद सिंह (जौनपुर)** : माननीय सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, माननीय वित्तमंत्री जी ने देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। मैं ऐसे पिछड़े हुए जनपद से आता हूं, उत्तर प्रदेश का पूर्वान्चल जौनपुर जनपद, जहां का मैं सांसद हूं। वहां की स्थिति ऐसी है कि प्रतिवर्ष बाढ़ आया करती है। बाढ़ और सूखे के कारण हमारे जनपद में सारी फसलों, जन और धन की हानि होती है। मैं बाढ़ के सिलसिले में बताना चाहता हूं कि गोमती नदी के बाढ़ से जौनपुर नगर की सुरक्षा हेतु पक्के बांध बनाने की एक योजना भारत सरकार को भेजी गई है। जिसका अनुमानित व्यय 22 करोड़ रुपए है। यह योजना भारत सरकार के बाढ़ नियन्त्रण परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत हो चुकी है और केन्द्रीय योजना आयोग के विचाराधीन है। इसलिए इस योजना को यथाशीघ्र स्वीकृत किया जाए।

मान्यवर, जौनपुर नगर के बाद जौनपुर जिले में गोमती नदी की बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र शाहगंज तहसील में ग्राम पिलकिछा एवं उसके आसपास का क्षेत्र है। जिसमें लगभग 60 ग्राम आते हैं। वर्ष 1985 में इस क्षेत्र में भयानक बाढ़ आई थी और राहत कार्य हेतु सेना को भी बुलाना पड़ा था। इस क्षेत्र के निवासियों की यह आशंका निर्मूल नहीं कही जा सकती है कि जौनपुर नगर की सुरक्षा हेतु पक्के तटबन्ध बनाये जाने से उनके क्षेत्र में और अधिक बाढ़ आएगी। अतः इन ग्रामों के निवासियों की यह मांग है इस क्षेत्र की सुरक्षा हेतु भी बांधों का निर्माण अवश्य कराया जाए ताकि जौनपुर नगर के बांधों के कारण इस क्षेत्र में जल स्तर अधिक न बढ़ने से पहले की अपेक्षा और अधिक नुकसान न पहुंचे। इस दिशा में शीघ्र सर्वेक्षण कराकर इस क्षेत्र की सुरक्षा हेतु भी योजना बनाई जानी चाहिए और बाढ़ नियन्त्रण के लिए स्थाई हल किया जाना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा जनपद हमेशा सूखे की चपेट में आता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जौनपुर की मड़ीयाहू तहसील में गर्मियों के दिनों में जब कुए में बाल्टी डालते हैं, तो पानी की जगह कीचड़ आती है। मैंने पहले भी कहा था कि वहां पर बारात आने पर सब तरह का स्वागत करने के बाद हम उनको पानी नहीं दे पाते और इस तरह बारात को वापस होना पड़ता है। वहां पर गर्मियों के दिनों में शासन के द्वारा टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा चुका है। इस इलाके में सूखे की बड़ी भयावह स्थिति है। वर्ष 1986 में इस जनपद में माह जून से लेकर

[श्री कमला प्रसाद सिंह—जारी]

सितम्बर तक सामान्य वर्षा 860 मि०मी० के विरुद्ध केवल 650 मि०मी० हुई, जिसके कारण जनपद के कुल बीसों ब्लाकों में, जिनमें 3449 ग्राम हैं, सूखे की भयावह स्थिति पैदा हो गई थी। सूखे के कारण खरीफ का सामान्य कृषक क्षेत्रफल 2,37,556 हेक्टेयर के विरुद्ध 2,14,347 हेक्टेयर बोया जा सका। खरीफ की खड़ी फसलों में जो हानि अनुमानित की गई है, वह करीब 50 परसेन्ट है।

जून, 1986 में ऐसे ग्रामों और पुरवों का सर्वेक्षण कराया गया था, जहां या तो पेयजल के साधन नहीं थे अथवा ग्रामीण कूपों का जल स्तर बहुत नीचे हो गया था और उनमें कीचड़ आती थी। इस सर्वेक्षण के आधार पर 275 इण्डिया मार्क 2 हैंडपंप की, प्रत्येक की लागत लगभग 12 हजार रुपए, लगाना प्रस्तावित किया गया था। सूखा राहत मद के अंतर्गत लगभग 6 लाख रुपए का आवंटन एवं जल निगम के विभागीय आवंटन से लगभग 100 हैंड पाइप लगाए जा चुके हैं। इस तरह से लगभग 175 हैंडपाइप लगवाने हेतु 20 लाख रुपए की मांग शासन से की गई थी। इसे स्वीकृत किया जाए। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक 1972 के सर्वेक्षण के आधार पर हैंडपाइप लगाए जा रहे हैं जबकि आज की जनसंख्या के आधार पर हैंडपाइप लगाए जाने चाहिए। ये जो सन 1972 की जनसंख्या के आधार पर हैंडपाइप लगाए जा रहे हैं, ये बहुत कम हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जो टंकियां बनाई जा रही थीं शासन द्वारा, उनका बनाना भी बन्द कर दिया गया है। उन टंकियों के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा था। ऐसी स्थिति मे वहां पर जो हैंडपाइप लगाए जाएं, वे मौजूदा जनसंख्या के आधार पर लगाए जाएं ताकि वहां पर पानी की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके और इस समस्या को साल्व किया जा सके।

एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में शाहगंज में एक रतना शुगर मिल है। 30 लाख की जनसंख्या में मात्र एक मुगर मिल है और वह एकदम खस्ता हालत में है और उसकी बहुत ही दयनीय स्थिति है। वह चल नहीं रहा है और करीब 80-85 लाख रुपया किसानों का बकाया है, 80-85 लाख रुपया वहां पर जो मजदूर काम करते थे, उनका बकाया है और लगभग दो-ढ़ाई करोड़ रुपया बैंक का बकाया है। वह मिल अब चल नहीं सकता। उसमें करोड़ों रुपए की चीनी मौजूद है, वह वहां पर रखी हुई है और वहां पर मजदूर उसमें ताला लगाए हुए हैं और उसको निकालने नहीं देते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस चीनी को बिकवाकर वहां के किसानों का जो बकाया है, मजदूरों का जो बकाया है, वह दिलवा दें। एक निवेदन और था। वहां पर एक मिल निश्चित रूप से स्थापित करनी चाहिए ताकि वहां के किसान अपना गन्ना उसको दे सकें वरना गन्ना खेतों में सूख जाएगा। 85 प्रतिशत देहातों में किसान रहते हैं और वे चाहे गन्ना पैदा करते हों या साग-सब्जी पैदा करते हों, वे कृषि पर आधारित रहते हैं। उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वहां पर जो ट्यूबवैल लगे हुए हैं, कम से कम 80 प्रतिशत ट्यूबवैल हमारे जनपद में खराब हैं। जब भी उनसे बात की जाती है तो कह दिया जाता है कि धनाभाव है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम का जो पहला सूत्र है वह सिंचाई कार्य का है। उसमें इस तरह की बात है। इसलिए निश्चित रूप से ट्यूबवैलों की मरम्मत के लिए और नये ट्यूबवैलों के लगाये जाने के लिए धन का आवंटन किया जाना आवश्यक है।

मान्यवर, जो हमारे यहां विद्यालय हैं, प्राइमरी स्कूल है उनमें छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हैं। वे विद्यालय जर्जर स्थिति में हैं। अगर पानी बरसता है तो वह बच्चों के सिर पर पड़ता है।

उससे बचने के लिए उनको पेड़ के साये में जाना पड़ता है। गर्मी में उन्हें धूप में बैठना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि जो हमारा जनपद है, हमारा निर्वाचन क्षेत्र है, उनमें ऐसे विद्यालयों जूनियर हाई स्कूलों, प्राइमरी स्कूलों के भवनों के लिए धन आवंटित करना चाहिए जिससे कि वहां बच्चों की शिक्षा ठीक ढंग से चल सके।

मान्यवर, हमारे यहां कोई बड़ा उद्योग नहीं है। वहां कोई उद्योग न होने के कारण वहां के शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं। वहां निश्चित रूप से बेरोजगारी बढ़ रही है। वहां के माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा कर बड़े संकट में हैं। वे अपने परिवारों का भरण-पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वहां उद्योग लगाये जाने चाहिए।

हमारे जनपद के सतहरिया में एक केबिल फैक्ट्री लगाए जाने की स्वीकृति मिली थी। रेडियो पर भी यह अनाऊंसमेंट हुआ था कि वित्तमंत्री जी ने सतहरिया केबिल फैक्ट्री के लिए 60 करोड़ रुपए स्वीकृत किये हैं। मैं चाहता हूं कि वहां पर जल्दी से केबिल फैक्ट्री लगवाई जाए जिससे कि वहां के बेरोजगार लोगों की कुछ बेरोजगारी दूर हो सके। वह एक पिछड़ा हुआ अंचल है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, सन् 1962 में जब वे प्रधानमन्त्री थे, तो उस समय श्री वी० आर० पटेल जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों में एक समिति वहां के पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए गई थी। वह जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बलिया जिलों में गई थी। उस समिति ने सबसे गरीब जनपद जौनपुर बताया था उसके विकास के लिए उस समिति ने यह भी कहा था कि वहां पर निश्चित रूप से उद्योग लगाये जाने चाहिएं और पब्लिक सैक्टर में भी लगाये जाने चाहिएं। लेकिन आज तक वहां कोई भी फैक्ट्री नहीं लग सकी जिससे कि वहां की गरीबी दूर हो सके।

वहां की गरीबी को देखते हुए, वहां के पिछड़ेपन को देखते हुए निश्चित रूप से वहां के लिए कोई योजना बनाकर कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे कि वहां के लोगों को लाभ मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार)** : सभापति महोदय, कोई भी ईमानदार व्यक्ति इस पूरक मांग का समर्थन नहीं कर सकता है और इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता।

आपकी दायीं ओर बैठे हुए सदस्य युवा और कर्मठ नेता के विषय में जोर-जोर से बोल रहे हैं, जो सम्पूर्ण देश को समृद्ध और वैभवशाली बनाकर 21वीं शताब्दी में ले जाएगा।

लेकिन बजट के बारे में आपकी क्या उपलब्धि है? यदि आप बजट सम्बन्धी उपलब्धियों को देखें, तो आपको पता चलेगा कि पिछले दो लगातार वर्षों अर्थात् छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष, 1984-85 और सातवीं योजना के पहले वर्ष, 1985-86 में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर 5 प्रतिशत से भी कम रही है।

सातवीं योजना का पोषण औद्योगिक क्षेत्र से अपेक्षित है। लक्ष्य 8 प्रतिशत है। उपलब्धि क्या है? वर्ष 1985-86 में वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत थी। वर्ष 1986-87 में सितम्बर तक यह

[श्री अमर राय प्रधान—जारी]

5.8 प्रतिशत है जो लक्ष्य से बहुत कम है। संयंत्र और उपकरणों के आयात के सम्बन्ध में आपने आयात नीति को जितना भी उदार बनाया है, इससे देश में उद्योगों को उतना ही नुकसान हुआ है और इससे हमारे औद्योगिक विकास की गति धीमी होती जा रही है।

अब हम कृषि क्षेत्र पर विचार करते हैं। सत्तारूढ़ दल के और विपक्ष के बहुत से सदस्यों ने इसके बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही हैं। गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? यह सच है कि वर्ष 1966-67 से लेकर 1985-86 तक गेहूं के उत्पादन में वृद्धि की औसत दर 6 प्रतिशत रही है। लेकिन चावल के उत्पादन की स्थिति क्या है। चावल के उत्पादन में वृद्धि की दर केवल 2.8 प्रतिशत है। इससे उत्पादन में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो रहा है। दालों के उत्पादन के लक्ष्यों की पूर्ति की बात तो दूर, इनके उत्पादन में वृद्धि की दर बहुत ही कम है। यह केवल 0.6 प्रतिशत है। लेकिन आप अनेक प्रकार की राजसहायता दे रहे हैं। खाद्यानों के लिए वर्ष 1980-81 में 1200 करोड़ रुपये की राजसहायता दी गई थी जो वर्ष 1985-86 में बढ़कर 3700 करोड़ रुपये हो गई। देश अब भी आयातित खाद्य तेलों तथा आयातित चीनी पर आश्रित है। यह सच है कि कच्चे पटसन और कपास का उत्पादन लक्ष्य तक पहुंच गया है। लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि पटसन उत्पादकों, कपास उत्पादकों, गन्ना उत्पादकों, नारियल उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिलना तो दूर रहा, समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। औद्योगिक मूल्यों और कृषि मूल्यों के बीच अन्तर तेजी से और बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि ग्रामीण निर्धन व्यक्ति और निर्धन होते जा रहे हैं। यह एक वास्तविकता और कटु सत्य है।

अब मैं कच्चे पटसन को लेता हूं क्योंकि मैं एक ऐसे राज्य से चुनकर आया हूं जहां कच्चे पटसन की खेती किसानों का मूल आधार है। कच्चा पटसन एक नकदी फसल है। लगभग 70 प्रतिशत से अधिक कच्चे पटसन का उत्पादन उस राज्य में होता है। इस सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट है? आपने उत्पादकों द्वारा कच्चे पटसन की हताश बिक्री के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है। जुलाई में हमारे प्रधानमन्त्री कलकत्ता गए थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय पटसन निगम सारा कच्चा पटसन समर्थन मूल्य पर खरीदेगा। क्या आपने खरीदा है? आपने नहीं खरीदा। सी. ए. सी. पी. ने इसे क्रमशः 235 रुपये और 240 रुपये घोषित किया है। लेकिन वास्तव में पटसन उत्पादकों की क्या प्रतिक्रिया है? इस बारे में 16 नवम्बर, 1986 के स्टेट्समेन में कुछ प्रकाशित हुआ है। मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं, "कच्चे पटसन की समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री"। मैं उसी अंक से कुछ अन्य पंक्तियां भी उद्धृत करना चाहूंगा। डब्लू-5 श्रेणी के कच्चे पटसन का बाजार मूल्य 150 रुपया प्रति क्विंटल है जबकि केन्द्र द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 235 रुपये प्रति क्विन्टल है।" यह नाजुक स्थिति है। भारतीय पटसन निगम एक सफेद हाथी बनकर रह गया है।

मैं भारतीय पटसन निगम द्वारा जारी किया गया एक और नोटिस, आपकी अनुमति से, उद्धृत करना चाहता हूं जो इस प्रकार है :

"एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय पटसन निगम आज 30 अगस्त, 1986 से धन के अभाव में कोई कच्चा पटसन नहीं खरीदेगा। कृपया अगली अधिसूचना की प्रतिक्षा कीजिए।"

ह० एम० सी० सेठिया
भारतीय पटसन निगम
हल्दीबाड़ी शाखा,
कूच बिहार (पश्चिमी बंगाल)

स्थानीय पटसन उत्पादकों ने भी उसी दिन अर्थात् 30 अगस्त 1986 को, हल्दीबाड़ी थाने में एक शिकायत दर्ज कराई। इसका मामला संख्या 799 दिनांक 30 अगस्त, 1986 है। भारतीय पटसन निगम में जनशक्ति और धनशक्ति का अभाव है, यद्यपि आप कई बार कह चुके हैं कि आपके पास पटसन उत्पादकों के लिए पर्याप्त धन है। आपने केवल बिचौलियों और व्यापारियों से ही कच्चा पटसन खरीदा है। वातविक उत्पादकों के बारे में स्थिति क्या है? वास्तविक उत्पादक को चाहे वह पटसन उत्पादक हो, कपास उत्पादक हो या गन्ना उत्पादक – लाभप्रद मूल्य तो क्या वास्तविक मूल्य भी नहीं मिला। वास्तविक स्थिति तो यह है। दूसरी ओर आपका कहना है, "हमारे प्रधान मन्त्री, युवा प्रधान मन्त्री, सक्रिय प्रधान मन्त्री को वास्तविकता की जानकारी है।" लेकिन मैं समझता हूं कि प्रधान मन्त्री के पास पटसन उत्पादकों के बारे में सोचने के लिए कोई समय नहीं है।

**5.00 म० प०**

महोदय हमने पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सहायता के बारे में इस सभा में चर्चा की है। पटसन के बड़े व्यापारियों के लिए 250 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि उन्होंने यह धन कहां से जुटाया? क्या यह योजना धन है या गैर-योजना धन है? यह कहां से आयेगा?

पटसन के बड़े व्यापारियों के लिए, भारतीय पटसन निर्माता संघ के लिए, आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए प्रधान मंत्री ने 150 करोड़ रुपये की घोषणा की है। भारतीय पटसन निर्माता संघ, जिसमें बिड़ला, डालमिया, सिंघानिया, जालान और इन्हीं जैसे अन्य व्यक्ति हैं, की क्या योजना है? उक्त योजना में पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है जिसके परिणामस्वरूप श्रमशक्ति में 35 प्रतिशत की कमी की जाएगी और इस प्रकार आधुनिकीकरण से 70,000 से अधिक पटसन मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे। यह आपकी प्रगति है। यह आपका विकास है और इस प्रकार आप पटसन उत्पादकों और मिल मजदूरों की सहायता कर रहे हैं। आप इस तरह की चाल चल रहे हैं। महोदय, क्या अब मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह सवाल कर सकता हूं? क्या आपने बड़े पटसन व्यापारियों, उद्योगपतियों, बिड़ला और गोयनका की सहायता करने के लिए आधुनिकीकरण के नाम पर उनकी पटसन मिलों के लिए 1976 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं की? क्या आपने 1976 से 1982 तक पटसन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 175 करोड़ रुपये मंजूर नहीं किए? आपने उक्त माध्यम से 175 करोड़ रुपये प्रदान किए। क्या आपको यह जांच करने की जरा सी भी फुरसत है कि उन्होंने इस धन का उचित उपयोग किया या नहीं? मैं बता सकता हूं—और वे भी मुझसे सहमत होंगे—कि उन्होंने 175 करोड़ रुपए की धनराशि में से एक कौड़ी भी खर्च नहीं की। उन्होंने कुछ भी खर्च नहीं किया। अब फिर भी आप उन्हें अधिकाधिक धन दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि इसके पीछे क्या राजनीति है। यह स्पष्ट है। जहां हम पटसन मिलों के राष्ट्रीयकरण की, कच्चे पटसन उत्पादकों की तथा मिल मजदूरों की बात कर रहे हैं, वहां आप दूसरा ही रास्ता अपना रहे हैं और आधुनिकीकरण के नाम पर 250 करोड़ रुपया दे रहे हैं, इसका मात्र कारण यही है कि आप पश्चिम बंगाल की विधान सभा के चुनावों से ठीक पहले इस आशा में 250 करोड़ रुपये का अनुदान दे रहे हो कि चुनावों के समय पटसन के बड़े व्यापारी और उद्योगपति चुनावों के समय आपकी मदद करेंगे।

**(व्यवधान)**

[श्री अमर राय प्रधान—जारी]

अब आपने नाच-गाना शुरु कर दिया है—अपना उत्सव के नाम पर देश के सभी भागों से कलाकार लाए जा रहे हैं। महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से यह जान सकता हूं कि आज हमारे देश में विशेषतः गांवों में स्थिति क्या है ? कम से कम 45,198 समस्याग्रस्त गांव हैं, जहां लोगों को पेयजल की एक बूंद भी नसीब नहीं होती। आप स्वतन्त्रता प्राप्ति के 38 वर्ष बाद भी उन्हें पीने के पानी की एक बूंद तक सुलभ नहीं कर सके। जनता शासन के तीन वर्ष छोड़ भी दिए जायें तो स्वतन्त्रता प्राप्ति के 35 वर्षों में आप गरीब लोगों को पीने के पानी का एक गिलास तक सुलभ नहीं करा सके। आज देश की यही हालत है। वर्ष 1984-85 में 40,126 समस्याग्रस्त गांव थे जिनकी संख्या वर्ष 1985-86 में बढ़कर 45,198 हो गई है। यह आपका प्रशासन है। यह आपके लिए शर्म की बात है कि आप गरीब लोगों को पीने के पानी का एक गिलास तक सुलभ नहीं करा सकते। दिल्ली में अपना उत्सव पर आप 10 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली नगरपालिका, तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा भी कुछ धनराशि खर्च की जा रही है। मुगल बादशाहों का रास्ता मत अपनाइए। मुगल बादशाह ऐसा किया करते थे। वे सभी क्षेत्रों से कलाकार बुलाया करते थे तथा उन्होंने इसे एक रंगमहल या मनोरंजन केन्द्र बना दिया था। आपको उस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश आप ऐसा ही कर रहे हैं और इस प्रकार आप गुजरात या महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल या उड़ीसा या असम ही नहीं, सारे देश को चूस रहे हैं। सारे देश को निचोड़ा जा रहा है और आप केवल दिल्ली को विकसित कर रहे हैं, जिसकी कि अपनी कोई संस्कृति नहीं है, आप एक ऐसी संस्कृति विकसित कर रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति नहीं है। इसके बारे में सावधान हो जाइए।

5.05 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

**श्री के० एस० राव (मछलीपत्तनम)** : उपाध्यक्ष महोदय मैं इस देश की अर्थव्यवस्था सुधारने तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में देश की साख कायम करने के लिए वित्त मन्त्री द्वारा दृढ़ संकल्प से किए जा रहे अनथक कार्य के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। विपक्ष के सदस्य चाहे कुछ भी आलोचना क्यों न करें अंतर्राष्ट्रीय रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि इस देश की अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है जिसका श्रेय निश्चय ही वित्त मन्त्री को जाता है।

अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे द्वारा मंजूर किए जाने वाले 3038 करोड़ रुपए में से 932 करोड़ रुपया रक्षा को, 857 करोड़ रुपया खाद्य निगम को और 488 करोड़ रुपया गैस प्राधिकरण जैसे सरकारी क्षेत्रों आदि को दिया जा रहा है। मैं केवल यह महसूस करता हूं कि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाने पर मन्त्री महोदय और सरकार को साथ-साथ इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या भारतीय खाद्य निगम को उसी प्रयोजन के लिए बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। देश में खाद्यान्नों पर से नियन्त्रण हटाकर या खाद्यान्नों की खरीद बन्द करके काफी धन बचाया जा सकता है। आज इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए यदि देश में खाद्यान्नों की खुली बिक्री की अनुमति दे दी जाती, तो पूरक मांगों से बचा जा सकता था। यदि भण्डारण परिवहन के दौरान हानि, चोरी, भ्रष्टाचार और अन्य कई चीजें न हों तो किसानों को बेहतर कीमतें मिल सकती हैं तथा साथ ही उपभोक्ताओं को भी वही वस्तु कम कीमतों पर मिल सकती है।

इसी तरह हमारे सीमावर्ती देशों के साथ बेहतर सम्बन्ध कायम करने तथा शान्ति स्थापित करने के प्रति सरकार के दृष्टिकोण और दक्षेश की उपलब्धि को देखते हुए मैं समझता हूं कि हम रक्षा सम्बन्धी व्यय में कमी ला सकते हैं और उस धनराशि को इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अन्य मदों पर व्यय कर सकते हैं। इस पर भी विचार किया जाए कि कूटनीति और बेहतर आपसी समझबूझ पर अधिक ध्यान देकर रक्षा पर व्यय में कमी लाई जा सकती है।

यद्यपि सरकार सरकारी क्षेत्र की अकुशलता से काफी क्षुब्ध है और इसकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए काफी उत्सुक है। किन्तु इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम होना आवश्यक है। केवल कुछ उपाय करके ही सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए, जिनसे शीघ्र ही पर्याप्त कार्यकुशलता नहीं आती। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि उपयुक्त ध्यान दिया जाए तो सरकारी क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है और सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में हानि को रोका जा सकता है।

केवल इन तीन मदों पर ही 2277 करोड़ रुपया व्यय होना है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि करों की बकाया राशि की वसूली करने की कार्यकुशलता में सुधार करने और काला धन जमा करने वालों पर छापे मारने के लिए कड़े कदम उठाने में वित्त मन्त्री महोदय ने जो तत्परता दिखाई, वह वसूल किए गए इस धन को, जो बेहतर प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता था, उक्त मदों पर व्यय करने से निरर्थक हो गई। मैं समझता हूं कि इस मांग में दो या तीन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में नहीं रखा गया है। वसूल की गई धनराशि में से इन दोनों को आवंटन से, जैसा कि मांगों में कहा गया है, अर्थव्यवस्था में सुधार होना सन्देहास्पद है। मुख्य बात मानव संसाधन विकास है। जब तक लोगों की प्रतिभा और क्रियात्मक क्षमता का उस विशेष मन्त्रालय को पर्याप्त धन देकर विकास नहीं किया जाता तब तक किसी भी प्रकार से अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त जब तक उत्पादन नहीं बढ़ता, मुद्रास्फीति बढ़ती जाएगी और कर्मचारियों की मांग भी बढ़ती जाएगी। विभिन्न मन्त्रालयों के आवंटन का निरीक्षण करने पर मैंने पाया कि प्रत्येक मन्त्रालय में वेतन शीर्ष के अन्तर्गत राशि बढ़ गई है। मैं कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वेतन के साथ कर्मचारियों द्वारा उत्पादन भी बढ़े। इसलिए जब कर्मचारियों की समस्याओं पर तथा उनकी वृद्धि पर विचार किया जाए, तो वेतन वृद्धि को उत्पादकता से जोड़ा जाना चाहिए, जो कर्मचारियों और अर्थव्यवस्था दोनों के हित में होगा। मजदूरी को उत्पादकता के साथ जोड़ने के लिए मजदूर संघों और मजदूरों की सहमति से व्यवहारिक तरीका निकाला जाना चाहिए।

अब मैं अपने राज्य आन्ध्र प्रदेश के बारे में कुछ कहूंगा। जब 1½ वर्ष पहले वित्त मंत्री महोदय ने फसल बीमा योजना लागू की, तो देश में सम्पूर्ण कृषक समुदाय को काफी प्रसन्नता हुई। यह सर्वविदित है कि आंध्र प्रदेश के गोदावरी, कृष्णा और अन्य जिलों के कृषक परिवारों को बाढ़ और सूखे के कारण अभूतपूर्व हानि हुई है। इस प्रकार की परिस्थितियों में यदि उन किसानों को जिन्हें वास्तव में हानि हुई है किसी न किसी तरह फसल बीमे का भुगतान नहीं किया जाता है, तो किसानों का सरकार में विश्वास नहीं रहेगा। यदि वास्तव में प्रभावित किसानों को अधिकार देने के लिए योजना में कोई संशोधन करना आवश्यक है, तो ये संशोधन तत्काल किये जाने चाहिए। फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिस किसान को बाढ और सूखे के कारण हानि हुई है उसकी सहायता की जा सके।

[श्री के०एस० राय—जारी]

इसी प्रकार जब हमारी राज्य सरकार ने पोल्लावरम, इचीमपल्ली और वंशधारा की परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया था, हम इन योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने में भारत सरकार की कठिनाई को समझ सकते हैं लेकिन इन योजनाओं को स्वीकृति देने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। उन योजनाओं को कार्यान्वित करना राज्य सरकार का कार्य जिससे उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है। आंध्र प्रदेश में तिलहनों को पैदा करने की व्यापक क्षमता है। जिससे विदेशी मुद्रा मिलती है। जब देश को व्यापारिक घाटा हो रहा है और देश के सामने विदेशी मुद्रा की समस्या है, आंध्र प्रदेश में कृषक वर्ग आधुनिक प्रौद्योगिकी की नई योजनाओं को कार्यान्वित करने में अत्याधिक उत्तरदायी साबित हुआ है, सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए जिससे विदेशी मुद्रा की समस्या को हल किया जा सके। मैं मंत्री महोदय से विशेष रूप से इस क्षेत्र में जिसमें हमें विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है प्रोत्साहन देने के लिए अनुरोध करता हूं। और जिससे कृषक इस क्षेत्र में सरकार की सहायता कर सकते हैं।

इसी प्रकार मेरे विचार से सरकार को उन सभी योजनाओं का पर्याप्त प्रचार करना चाहिए जिनकी हम संसद में स्वीकृति दे रहे हैं जिससे इन योजनाओं का सही लाभार्थी लाभ उठा सकें। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए, जो देश की भारी सेवा कर रहे हैं, 165 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसमें भी विशेष रूप से बैंकों की भूमिका के बारे में अच्छी तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे उन सही लाभार्थियों का पता लगाया जा सके जो अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं जो अंत में स्वत: राष्ट्र की आय होती है। बैंकों को अपनी व्यापक भूमिका निभानी है। इसी प्रकार, आपने निर्यात संवर्धन के लिए 126 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है यह भी एक बुनियादी आवश्यकता है।

मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विशाखापतनम इस्पात संयंत्र के लिए 80 करोड़ की व्यवस्था की लेकिन मैं उनसे यह अनुरोध करता हूं कि निर्धारित समय में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और धनराशि का प्रावधान किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही साथ मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मैंने जो भी मुद्दे रखे हैं उन पर भी विचार करें जिनसे अन्तत: जनता और देश दोनों को लाभ होगा।

**श्री एन०वी०एन० सोमू (मद्रास उत्तर)** : उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 1300 करोड़ रुपये की पहली अनुदानों की अनुपूरक मांगे इस सभा में ठीक तीन महीने पहले प्रस्तुत की गई थीं।

**एक माननीय सदस्य** : लगभग 1400 करोड़ रुपये।

**श्री एन०वी० एन० सोमू** : मेरे मित्र का कहना है कि ये 1400 करोड़ रुपये की थी।

अब वित्त मंत्री महोदय 3038 करोड़ रुपये की दूसरी अनुपूरक मांगें लेकर आये हैं। तीन महीने की अवधि के भीतर सरकार दूसरी बार पूरक मांगें लेकर आयी है। मैं यह कह सकता हूं कि वे दिन दूर नहीं हैं जब प्रत्येक महीने अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

3038 करोड़ रुपये में से 2250 करोड़ रुपये गैर-योजना सम्बन्धी कार्यों के लिए खर्च किये जाने हैं जो इस धनराशि का एक बड़ा भाग है। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है।

योजना व्यय के लिए ही खर्च करना चाहिए सरकार को इस सम्बन्ध में सावधानी रखनी चाहिए। जिससे अंत में देश की जनता विशेष रूप से गरीब जनता को लाभ होगा। सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए।

इसके पश्चात, 5 करोड़ रुपये वृहत बम्बई के विकास के लिए आवंटित किये गये हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन दूसरी ओर मद्रास जहां से मैं चुनकर आया हूं और जो एक महानगर भी है उसके विकास के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। मुझे उस बात का बड़े दुख और खेद के साथ उल्लेख करना पड़ता है।

मद्रास में जल निःसारणा की दशा बहुत खराब है। एक इंजीनियर ने यह चेतावनी दी है कि इस सम्बंध में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए अन्यथा मद्रास में बहुत शीघ्र ही नालियों के पानी के सड़कों के ऊपर बहने का खतरा हो जायेगा।

मद्रास तीव्र परिवहन रेलवे पद्धति के सम्बंध में प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हमारे बार-बार अनुरोध करने पर भी सरकार इस पर बिल्कुल विचार नहीं कर रही है। यह उचित समय है कि केन्द्रीय सरकार को मद्रास शहर के विकास के लिए अधिक धनराशि का आवंटन करना चाहिए।

**प्रो० एन०जी० रंगा** : कौन सा शहर।

**श्री एन०वी०एन० सोमू** : मद्रास शहर। आप भी संयुक्त मद्रास राज्य में थे और हमारे स्वर्गीय नेता श्री अन्ना के प्राध्यापक भी थे।

आपके बजट तैयार करने तथा विभिन्न उपाय करने के बावजूद भी जनता की क्रय शक्ति घट रही है। जुलाई, 1984 में यह 17.09 पैसे थी इसमें 7.5 प्रतिशत की कमी हुई थी, जुलाई, 1985 में यह 16.26 पैसे थी 4.9 प्रतिशत की कमी हुई थी। जुलाई, 1986 में यह 14.97 पैसे थी और 7.9 प्रतिशत की कमी हुई थी। यदि यही स्थिति है तो विभिन्न आर्थिक उपायों का क्या लाभ है। यदि जनता की क्रयशक्ति में वृद्धि नहीं होती है तो इन उपायों का कोई लाभ नहीं है। मैं इस सम्बंध में मंत्री महोदय से विशिष्ट उत्तर चाहता हूं।

वित्त मंत्री महोदय न केवल 3038 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगे रखी है, रेलवे ने 320 करोड़ रुपये रेल भाडे के रूप में बढ़ा दिये हैं। आपने लिफाफे और अन्तर्देशीय पत्रों की डाक दरें भी बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त संचार मंत्रालय ने टेलीफोनों के किराया प्रभारों में 100 प्रतिशत वृद्धि करने का भी प्रस्ताव रखा है अर्थात् 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये करना, टेलीफोन लगाने के खर्च को 300 रुपये से बढाकर 800 रुपये और टेलीफोन को एक स्थान से हटाकर दूसरे पर लगाने के खर्च को 150 रुपये से बडाकर 600 रुपये करने का भी प्रस्ताव है। आप एक ओर कुछ रियायतें दे रहे हैं और दूसरे ओर से उन्हें वापस ले रहे हैं और लाभ शून्य है। जनता इसे कैसे सहन कर सकती है।

मैं अब रुग्ण मिलों के बारे में उल्लेख करता हूं। मैं यहां बी एण्ड सी मिल्स का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा जो मेरे चुनाव क्षेत्र में बहुत लोक प्रिय है। यह मिल अब बहुत बुरी अवस्था में हैं विभिन्न वित्तीय और अर्थशास्त्र विशेषज्ञों से बहुत ही चेतावनियों के बावजूद भी बी० एण्ड सी० मिल्स के प्रबन्धक इसका प्रबंध जानबूझकर गलत तरीके से चला रहा है। कपास की खरीदारी करते समय, प्रबंधक बाजार मूल्य पर घटिया माल खरीद लेते हैं।

[श्री एन०बी०एन० सामू—जारी]

पहले बी० एण्ड सी मिल्स में 14000 श्रमिक थे और अब इनकी संख्या घटाकर 8000 कर दी गई है। लेकिन उत्पादन दुगुना हो गया है। और प्रतिदिन दो लाख मीटर कपड़ा तैयार हो रहा है प्रबंधकों ने श्रमिकों की संख्या 14000 से घटाकर 8000 कर दी है। और अब भी प्रबंधक यह कहते हैं कि मिल काम करने लायक तथा व्यवहार्य नहीं है। प्रबंधकों के कुप्रबन्ध के कारण ही मिल को घाटा हो रहा है।

प्रशासन में कदाचार के कारण कम्पनी की व्यवहार्यता पर भी संदेह है। प्रबंधक ऋणों को चुकाने की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। ऋण की राशि वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रही है। सरकार ब्याज माफ करने, ऋणों को चुकाने के लिए धनराशि देने, समान दर पर निरंतर बिजली उपलब्ध करने में विभिन्न प्रकार की सहायता देकर हर प्रकार की सहायता दे रही है। यद्यपि सरकार अधिक से अधिक सहायता दे रही है लेकिन श्रमिकों को कुप्रबंध के कारण नुकसान हो रहा है।

यही नहीं उत्पादन के तुरंत पश्चात माल को तत्काल नहीं बेचा जाता है। लेकिन माल को बहुत समय तक के लिए एकत्रित किया जा रहा है। वर्ष 1982 में ऋण 51 करोड़ रुपये का था जबकि यह वर्ष 1985 में यह बढ़कर 72 करोड़ रुपये हो गया है। गत वर्ष में इंजीनियरिंग विभाग 9 महीने से अधिक समय तक बंद रहा है।

बहुत से श्रमिक भूखों मर रहे हैं और मुझे आशंका है कि अत्यधिक गरीबी के कारण उनकी मृत्यु भी न हो जाये।

कम्पनी विभिन्न किस्म के कार्य करती है। प्रबंध उन बातों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है जिनसे उनको व्यक्तिगत लाभ नहीं है। इसके परिणामस्वरूप यह स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि 100 रुपये का अंकित मूल्य बाजार में 30 रुपये से कम बताया जा रहा है अतः कम से कम मिल तथा फिलहाल नुकसान उठा रहे श्रमिकों को बचाने के लिए वर्तमान प्रबंधकों को तत्काल बदल देना चाहिए।

अंत में मैं एक बात का उल्लेख और करना चाहता हूं। सत्तारूढ़ पार्टी के एक माननीय सदस्य को कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि करने के बारे में दुःख है। मैं यह अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि हमने बंगलादेश में 'दक्षेस' सम्मेलन के लिए लगभग 2 करोड़, रुपये खर्च किये हैं। श्री जयवर्धने का, जो कि अभी भी श्रीलंका में निर्दोष तमिलों की हत्या कर रहे हैं। भव्य स्वागत किया गया भारत एक, गरीब देश है और जिन देशों ने 'दक्षेस' सम्मेलन में भाग लिया वे भी गरीब हैं। लेकिन तब भी हमने सम्मेलन पर दो करोड़ रुपया खर्च किये। आपसे जोर देकर पूछता हूं कि क्या हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह खर्चा जरूरी था। कृपया आप इस बात पर विचार कीजिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय सरकार ने अनुदान के लिये अनुपूरक मांगों के रूप में 3200 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान किया है। इसका एक बड़ा हिस्सा लगभग 600 करोड़ रुपये मजदूरी में वृद्धि करने और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस देने के लिये नियत किया गया है। इसका दूसरा हिस्सा सरकारी क्षेत्र के लिये है और तीसरा बड़ा हिस्सा भारतीय खाद्य निगम के लिये है। ये इस बजट के मुख्य भाग हैं।

पहले मैं बम्बई के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जिसके बारे में मैं अत्यधिक चिन्तित हूं। गत वर्ष कांग्रेस शताब्दी समारोह के लिये जब श्री राजीव गान्धी ने बम्बई का दौरा किया

था तो उन्होंने 10 लाख लोगों के सामने यह आश्वासन दिया था कि बम्बई की गन्दी बस्तियों के विकास के लिये तथा टूटे-फूटे मकानों के लिये वे 100 करोड़ रुपये देंगे। यह सब दूरदर्शन, रेडियो और समाचार पत्रों के पहले पृष्ठों पर प्रकाशित हुआ। लेकिन मार्च में बजट में इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई। बाद में बजट पर चर्चा करते समय माननीय प्रधान मंत्री श्री वी०पी० सिंह ने वक्तव्य दिया था कि वे गैर-योजना बजट में कुछ धन आवंटित करेंगे और यह आवंटन 100 करोड़ रुपये का होगा। वाद विवाद के दौरान वे मेरे सवाल का जवाब दे रहे थे और उपाध्यक्ष महोदय आप उस समय पीठासीन थे। लेकिन बाद में वर्ष 1986-87 के लिये केवल 5 करोड़ रुपये दिये गये। माननीय मंत्री महोदय ने सभा में वक्तव्य दिया था कि 100 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।

श्री राजीव गांधी ने वक्तव्य दिया कि प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। वित्त मंत्री महोदय ने इसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया तथा फिर कहा कि प्रति वर्ष 25 करोड़ रुपये दिये जायेंगे लेकिन 4 वर्ष के लिये 100 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। उसके बाद इस सम्बन्ध में दूसरा वक्तव्य आया कि यह एक ऋण था। तब मैंने एक विशेषाधिकार का सवाल उठाया और श्री वी०पी० सिंह ने लिखा था कि यह गैर-योजना अनुदान होगा।

अब एक वर्ष बीत गया है यह दूसरा वर्ष है। यह वर्ष 1986-87 है। इस बजट में केवल 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महोदय यदि सभा द्वारा 10 लाख लोगों की सभा में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का आदर ही नहीं किया जाना तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिऐ था। उन्होंने कहा कि वे प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपया देंगे। बम्बई से केन्द्रीय सरकार को कितना पैसा मिल रहा है महोदय लगभग 900 करोड़ रुपया उत्पादन शुल्क, लगभग 1100 करोड़ रुपया आयकर से इस प्रकार प्रतिवर्ष कुल लगभग 2000 से 2500 करोड़ रुपया इनसे मिलता है। मैं जानता हूं कि अब आप क्या जबाब देने वाले हैं। आप कहेंगे कि यह समूचे भारत के आंकड़े हैं। यह बम्बई की जनता का हिस्सा है जो वह अदा कर रही है। गत 40 वर्षों में आपको एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रुपया मिल चुका है। सामान्यतः आप बम्बई का दौरा करते रहते हैं लेकिन असली बम्बई जाने को तैयार नहीं होते। आप हवाई जहाज से बम्बई की यात्रा करते हैं। वहां राजभवन और सचिवालय जाते हैं, यही आपके लिये असली बम्बई है। यह बम्बई नहीं है। एक करोड़ की जनसंख्या में से 50 लाख लोग गन्दी बस्तियों में टूटे-फूटे मकानों में रह रहे हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में नाल बाग और पटेल क्षेत्रों में लगभग 2 लाख लोग 18000 टूटे-फूटे मकानों में रह रहे हैं।

माननीय मंत्री तथा माननीय सदस्यों को वहां जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा लेना चाहिऐ। कि बम्बई क्या है?

शहरी गरीब लोग काफी दुःखी हैं। शहरी गरीब लोग—अनियत मजदूर जो झोपड़-पट्टियों में रह रहे हैं और अन्य मजदूर इत्यादि काफी दुखी हैं। अब आप हवाई अड्डा क्षेत्र के इर्द-गिर्द से उन लोगों को हटाकर हवाई अड्डा क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हो। सरकार जो वायदे करती है उन्हें पूरे करने चाहिये। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस दिशा में वह कुछ करे। मैं समझता हूं कि इस बजट का बड़ा हिस्सा चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित करने के लिये, कर्मचारियों को बोनस और बकाया भुगतान करने के लिये ही हैं। इसके लिये इस बजट में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

[डा० दत्ता सामन्त जारी]

महोदय मैं इस सरकार को दोषी ठहराता हूं क्योंकि वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 52 लाख कर्मचारियों को 14 वर्ष के अन्तराल के बाद लगभग 1200 करोड़ रुपया मिलना है। जब वेतन आयोग की रिपोर्ट सभा में पेश की जाती है तो सरकार इस पर चर्चा करने से काफी घबराती है। स्वयं मैंने इस सभा में इस पर चर्चा करने के लिये दो या तीन नोटिस दिये। लेकिन इसका कुछ परिणाम नहीं निकला। इस सब से यह पता चलता है कि आपको कर्मचारियों की कोई परवाह नहीं है और आप यह समझते हैं कि जो कुछ उन्हें दिया जाता है वह उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। 52 लाख कर्मचारियों के लिये 1200 करोड़ रुपया दिया गया है यह प्रत्येक कर्मचारी के हिस्से 190 रुपया बैठता है और इसमें से भी एक बड़ा भाग आयकर और भविष्य निधि के रूप में चला जाता है। वास्तव में हाथ में प्राप्त हुई राशि मात्र 160 रुपये बैठती है। कि जब दूसरी ओर बड़े अधिकारियों—प्रशासकों और सचिवों को 200 रुपये से 1000 रुपये तक की वृद्धि दी गई है। इस देश के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये जो डाक-तार विभाग और रेल विभाग में कार्य कर रहे हैं। आपने केवल 50 रुपये से 60 रुपये तक की वृद्धि दी है। अधिकांश कर्मचारियों को केवल यही लाभ मिला है। अधिकतम अनुपात 1:12 का बैठता है।

महोदय अब मेरा एक सीधा सा सवाल है कि इन 14 वर्षों में मुद्रा स्फीति की दर आपके द्वारा दर्शायी हुई दर से काफी अधिक क्यों रही? मंहगाई भत्ते ने इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की है। सरकार का रवैया काफी खेद जनक है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी असन्तुष्ट है। जब कभी वे आन्दोलन करते हैं। तो आप कुछ कर्मचारियों को बुलाते हैं और 5 या 10 रुपये की वेतन-वृद्धि देकर उनका निपटारा कर देते हो। मैं पूछना चाहता हूं कि यही रवैया व्यापारियों के साथ क्यों नहीं अपनाया जाता? पहले वर्ष में ही आपने विभिन्न तरीकों से उन्हें 200 करोड़ रुपये से अधिक की रियायत दे दी है। मैं बड़े व्यापारिक घरानों की बात कर रहा हूं।

मैं आप से दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं—600 करोड़ रुपये का प्रावधान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के लिये है गत वर्ष भी उन्हें इसका भुगतान किया गया था। तो आपने इस वर्ष बजट में इसके लिये प्रावधान क्यों नहीं रखा? जब वे आन्दोलन करते हैं तो आप उन्हें यह राशि दे देते हो। फिर आप यह बहाना करते हैं कि सब कुछ उनके कल्याण के लिये ही करते हैं। आपने 4 महीने के लिये रेलवे बजट में 320 करोड़ रुपये की भाड़े की दरों में वृद्धि की है। लेकिन अगले वर्ष 1987-88 में आप 1,000 करोड़ रुपये की वृद्धि और करने जा रहे हैं, तब 1987-88 के बजट में आप कहेंगे कि आप और अधिक प्रभार नहीं लगा रहे हैं। इसी प्रकार आप पूरक मांगे लाते हैं और दरों में वृद्धि कर देते हैं। अगले वर्ष आप डींग मारते हैं कि आप किराया नहीं बढ़ायेंगे। जनता इस प्रकार की वारदातों को सहन नहीं करेगी। काफी भ्रामक स्थिति बनती जा रही हैं।

अब मैं भारतीय खाद्य निगम के बारे में चर्चा करता हूं। यह एक विशाल उद्यम है। इस निगम ने 8,000 करोड़ रुपये का संचित घाटा दिखाया है। इस वर्ष भी आप उसी पद्धति को अपना रहे हैं।

गत वर्ष गेहूं की फसल अच्छी हुई थी। गत वर्ष सरकार ने 157 रुपये की दर से तथा चावल 1.52 रुपये की दर से खरीदा था। इस प्रकार काफी बड़ी मात्रा में 30 लाख टन की खरीद की गई तथा परिवहन और खरीद पर 1.04 रुपये की दर से प्रभार आया। किसान को

1.57 रुपये की दर से दाम मिले और भारतीय खाद्य निगम को खरीद और परिवहन प्रभार 1.04 रुपये की दर से आया जो 70 प्रतिशत बैठता है और उस पर 60 प्रतिशत राजसहायता दी गई है। आपने इसका बहुत बड़ा भाग गैर-सरकारी व्यापारियों को बेच दिया है जो कि इसे बम्बई लाते हैं और 3 रुपये तथा 4 रुपये की दर से बेचते हैं। इस देश में ऐसा समाजवाद है। किसानों को 1.57 रुपये की दर से क़ीमत मिलती है, आपका भारतीय खाद्य निगम काफी पैसा डकार जाता है और अन्ततः आम आदमी या जनता इसे 3 रुपये या 4 रुपये की दर से खरीदती है। यहां तक कि राशन के लिये भी दर 3 रुपये से 4 रुपये तक है।

सरकारी क्षेत्र के लिये 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि ऐसा श्रम के आधिक्य के कारण है और वे मजदूर कार्य नहीं कर रहे हैं। मुझे इस तरह का विवरण नहीं चाहिए। हमें सरकारी क्षेत्र पर चर्चा इस सभा में करनी चाहिये। सरकारी क्षेत्र के लिये कौन उत्तरदायी है। 130 कपड़ा मिलों के मालिकों ने उन मिलों को चूस डाला है और उन्हें रुग्ण बना दिया वे उनका आधुनिकीकरण कभी नहीं करेंगे। तब उन्होंने उन मिलों को आपके सरकारी उपक्रम राष्ट्रीय कपड़ा निगम को सौंप दिया। उन पर आपने कुल 1500 करोड़ रुपये का घाटा उठाया है। आप ऐसी रुग्ण मिलों का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं।

जब ऊर्जा मंत्री इस्पात मंत्री थे तब उन्होंने सरकारी क्षेत्र की यूनिटों में सुधार क्यों नहीं किया ? जो सुझाव वे आज दे रहे हैं उन सुझावों को उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान कार्यान्वित करना चाहिए था। इसलिये अब समय आ गया है कि जब सारी अर्थव्यवस्था का निजीकरण किया जाना चाहिये। दूसरे शब्दों में इससे जनता के लाभों में वृद्धि होने जा रही है। काले धन के बारे में आप यह जानते हैं कि स्विस बैंक में कितना धन है 1,300 करोड़ रुपये एक ओर यह है और दूसरी ओर इस देश में श्रमिक और गरीब जनता को सरकार की इस प्रकार की आर्थिक नीतियों के कारण नुकसान हो रहा है।

---

5.53 म० घ०

## आधे घंटे की चर्चा

### कराकोरम राजमार्ग का चीन द्वारा सुधार

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा में आधे घंटे की चर्चा आरम्भ की जायेगी। डा० गौरी शंकर राजहंस।

[हिन्दी]

**डा० गौरी शंकर राजहंस** (झंजारपुर) : डिप्टी स्पीकर महोदय, एक बड़ी ही सिरीयस सिचुएशन पैदा हो गई है। मैं तो चाहता था कि श्री नटवर सिंह जी यहां रहते, जिन्होंने कि मेन-क्वैश्चन का जवाब दिया था। मैं शुरू से प्रश्न पढ़ देता हूं, क्योंकि इसका नेशनल और इन्टरनेशनल इम्प्लीकेशन है। नहीं है नटवर सिंह जी तो फैलीरो साहब ही जवाब देंगे। प्रश्न है।

[गौरीशंकर राजहंस—जारी]

[अनुवाद]

"क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि खुंजेरब दर्रे से होकर पाक अधिकृत कश्मीर को जोड़ने वाले कराकोरम राज मार्ग के 420 किलोमीटर भाग को सुधारने के लिए चीन में 185 मिलियन युवान की परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया है·····"।

**सरकार का उत्तर था कि :**

"जी हां

चीन की समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने 9 अक्तूबर, 1986 की खबर दी थी कि "चीन-पाकिस्तान सीमा" पर झिनजियाग उगुर स्वाय क्षेत्र में काशी से खुंजेरब दर्रे तक सड़क की मरम्मत के लिए 2200 से भी अधिक मजदूरों ने काम शुरू कर दिया है। खबर में कहा गया था कि 420 किलोमीटर लम्बी इस परियोजना पर 5 करोड़ अमरीकी डालर खर्च होंगे और 1988 में जब पूरी हो जाएगी तो इससे चीन, पाकिस्तान और मध्य-पूर्व के देशों के बीच व्यापार और मैत्री-पूर्ण सम्पर्क बहुत बढ़ जाएगा।

भारत सरकार ने कराकोरम राजमार्ग के निर्माण तथा खुंजेरब मार्ग के खोले जाने के बारे में चीन और पाकिस्तान की सरकारों के साथ बराबर कड़ा विरोध प्रकट किया है तथा भारतीय क्षेत्र में जिस पर पाकिस्तान का गैर-कानूनी कब्जा है राजमार्ग का निर्माण करने के लिए पाकिस्तान को चीन की सहायता के सवाल पर भारत की स्थिति बहुत स्पष्ट रूप से बताई है।"

[हिन्दी]

इससे भी मजे की बात है, श्री मानक रेड्डी जी ने सप्लीमेंट्री प्रश्न किया—मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि 420 किलोमीटर का जो कराकोरम हाइवे है, उसके बारे में उन्होंने प्रोटैस्ट किया है। इस रोड से वह अपने देश को क्या खतरा एक्सपैक्ट कर रहे हैं और मिलिटरी इन्टैलीजेंस की रिपोर्ट इस रोड के बारे में क्या है? यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। इस प्रश्न पर मंत्री जी का जबाव बहुत ही दिलचस्प है। जो विदेश मंत्रालय और डिफेंस मंत्रालय के महकमे हैं, उनको यह खबर है कि कार्यवाही मरम्मत की शुरू हो गई है और हम आगाह हैं अगर कोई खतरा होगा। एक तो जो सड़क उन्होंने बनाई है, वह हमारे हिस्से में बनाई है, उन्हें इसके बनाने का कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन क्योंकि बना ली है, आज सवेरे ही मैंने नक्शे और आंकड़े देखे थे, हम पूरी तरह आगाह है कि वहां क्या हो रहा है। अगर कोई खतरा होगा तो हम संभाल लेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्रीजी से क्या खतरा है और उसे ये कैसे संभालेंगे। मुझे कहने में तकलीफ होती है लेकिन मैं दो टूक बात कहना चाहता हूं कि चीन और हिन्दुस्तान की दोस्ती का या संबंधों का जो इतिहास रहा है, वह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। 1949 में जब चीन आजाद हुआ तभी से बल्कि उससे पहले से हिन्दुस्तान ने यह कोशिश की थी कि चीन के साथ हमारी दोस्ती हो लेकिन 1949 में जब कम्युनिस्ट चाइना मैनलैंड से आया और कम्युनिस्ट रिजीम आया तब से पं० नेहरू ने लगातार कोशिश की चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने की और बार-बार कहते रहे कि आप भी एक्सप्लायटेड हुए हैं वेस्टर्न पावर से, कोलोनियल पावर से और हम भी एक्स-प्लायटेड हुए हैं वेस्टर्न पावर से कोलोनियल पावर से और हिन्दुस्तान और चीन की दोस्ती तो युद्ध के समय से है, इसलिए हम हिन्दी-चीनी भाई-भाई हैं और हमेशा पं० नेहरू को अंधेरे में रखकर

चीन ने कहा कि आप जो कहते हैं, वह ठीक कहते हैं। हम हिन्दी-चीनी भाई-भाई हैं। बात तो यह करते रहे लेकिन इस बीच चोरी-छिपे हमारी टेरीटरी पर अधिकार जमाते रहे। फिफटीज में जब दलाईलामा पर अत्याचार हुए और दलाईलामा भागकर हिन्दुस्तान आ गये, तो उन्होंने इंडियन टेरीटरी पर बहुत जोर-शोर से दखल शुरू किया। तब फिफटीज में पं० नेहरू ने कई पत्र चाऊ-एन-लाई को लिखे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चीन ने हमारे साथ स्ट्रेटवे डीलिंग नहीं किया। हम इन बातों को देश की जनता को नहीं देते रहे और बहुत हद तक रोकते रहे, उनको कहते नहीं रहे हैं यह सोचकर कि चीन अपने रवैये में परिवर्तन करेगा परन्तु इसके विपरीत चीन हमारे एरिया को हड़पता ही गया और चीन ने कभी कभी इस बात में एतराज किया कि क्यों भारत के पार्लियामेंट में चीन के बारे में बहस होती है। इसका जबाव जो पं० नेहरू ने दिया था, वह यह था कि हिन्दुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक प्रजातंत्र देश है और वहां अगर कोई प्रश्न पूछा जाए, तो हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम उस प्रश्न का जबाव न दें। फिर इस देश में प्रेस भी हैं और यदि अखबार वाले कुछ जानना चाहें, तो उन्हें हम कैसे रोक सकते हैं। ये सारी बातें होती रहीं और मन्त्री जी को भी पता होगा और अन्य लोगों को भी इसके बारे में पता होगा कि ये बातें होती रहीं और चीन अपने आपको मजबूत करता रहा। जब सिर से ऊपर पानी बहने लगा, तो नेहरू जी को लाचार होकर कहना पड़ा हिन्दुस्तान की फौजों को कि इन्हें निकालकर बाहर फेंको। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हमारे साथ जो मुलूक हुआ, वह पूरे देश को मालूम है।

मैं इस बारे में यह भी कहना चाहूंगा कि कराकोरम हाइवे जो है, यह बहुत ही स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेन्स का है। मन्त्री जी कहते हैं कि 8 अक्टूबर के अखबार में उन्होंने देखा और तब उनको मालूम पड़ा। ऐसी बात नहीं है। 1982 और 1983 में यह रोड बनना शुरू हो गया था और वहां पर ट्रैफिक आने जाने लगा था। सन् 1983-84 में पाकिस्तानी फौज का एक दस्ता इस रोड से गुजरकर दोस्ताना हाथ बढ़ाने के लिए, दोस्ती की बात करने के लिए चीन गया था और चीन ने उसे क्या सलाह दी, यह हम भी सोच सकते हैं और आप भी सोच सकते हैं।

मेरे कहने का अर्थ है कि जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो सरकार उनसे अनजान नहीं रह सकती और यह नहीं कह सकती कि 1982-83 में उसे पता नहीं था कि यह कराकोरम हाइवे बन रहा है। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने "ग्लिम्पिसिज आफ वर्ल्ड हिस्ट्री" में यह लिखा है कि यहां एक सिल्क रोड था जो साउथ ईस्ट एशिया होकर, चाइना होकर, कराकोरम होते हुए, मिडिल ईस्ट होते हुए योरोप को ले जाता था। चीन ने मिसचीवियसली कहा है कि हम उसी सिल्क रोड को बना रहे हैं।

मैं कहता हूं कि यह सिल्क रोड का बनाना, यह सब एक ही चीज को बताता है कि हमारी टेरीटरी पर उसने पूरी तरह से अख्तियार किया हुआ है और हम चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं।

मैं एक छोटी-सी देहाती बात कहूंगा। हमारी तरफ बिहार में कोई मजबूत आदमी किसी कमजोर आदमी को पीटता है तो वह कमजोर आदमी कहता है कि अबकी बार पीटो तो हम देखते हैं। वह फिर पीटता है तो वह फिर यही कहता है कि अबकी बार पीटो तो हम देखते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि चीन बार-बार हमारे एरिया को ले रहा है और खुले रूप से ले रहा है,

[गौरीशंकर राजहंस—जारी]

छिपकर नहीं, लेकिन हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जब हम सरकार से प्रश्न करते हैं तो सरकार कह देती है कि हमने प्रोटेस्ट कर दिया है।

पिछली गर्मियों में जो कुछ हुआ वह हम सब के लिए दुःख की बात है। अरुणाचल प्रदेश में हमारी टेरीटरी में चीन घुस आया। मैकमोहन लाईन के अन्दर आ गया और अभी तक वहां डटा हुआ है। वहां हैलीपेड भी बना लिया है। जिसके बारे में हमारे यहां से बड़ी कंम्यूज्ड रिपोर्टें मिल रही हैं। अभी हाल में विदेशों के अखबारों में यह समाचार निकला है कि वहां चीन अभी भी मौजूद है। वहां पर टेक्स वसूल कर रहा है। अक्साई चीन एरिया जो कि हमारा है, वह हमसे छीन लिया गया है। वहां हमारी कोई अथारिटी नहीं है।

मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि यह समस्या बड़ी गंभीर है। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि सरकार को इस रोड को ठीक करने के बारे में कि यहां पर तीस टन के ट्रक चलेंगे, कब जानकारी हुई? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार को यह पता है कि चीन इस रोड से पाकिस्तान से ही नहीं, मिडिल ईस्ट और योरोप से सीधा संबंध कर लेना चाहता है, वह अरेबियन सी और इंडियन ओसन में घुसना चाहता है? क्या सरकार को इस बात का पता है कि पाकिस्तान के न्युक्लियर अटेम्पट्स में चीन ने बहुत बड़ा साथ दिया है जो हमारी सुरक्षा को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर सकता है? एक ऐसा समय भी आ सकता है कि अगर इस कराकोरम हाईवे से चीन या पाकिस्तान हम पर कभी आक्रमण करना चाहेगा तो उसे कोई देर नहीं लगेगी।

मैं सरकार से अन्त में यह कहना चाहता हूं कि आप सही और सच्ची बात इस कराकोरम हाइवे के बारे में विस्तार से कहें और हो सके तो अरुणाचल प्रदेश में चीन ने जो घुसपैठ किया है या इंट्रजन किया है, उसके बारे में भी सच्ची बात सदन और मुल्क को भी बतायें।

[अनुवाद]

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)** : मेरे मित्र डा० राजहंस ने उस स्थिति के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बहुत विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए हैं जो कराकोरम राजमार्ग अथवा कराकोरम सड़क के कारण पैदा हुई है। चूंकि माननीय सदस्य यह जानते हैं और सभा को यह भी पता है कि कराकोरम राजमार्ग एक बहुत लम्बी सड़क है जो चीन से शुरू होती है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर जाती है और पाकिस्तान भीतर इस्लामाबाद के निकट जाकर समाप्त होती है। यह मार्ग लगभग 800 किलोमीटर है। मैं तथ्यों को स्पष्ट करूंगा जिससे हम उन्हें सरलता से ग्रहण कर सकें।

"कराकोरम राजमार्ग" के नाम से जानी जाने वाली सड़क पाकिस्तान से चीन को मिलाती है और वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरती है। उसका उद्घाटन 18 जून, 1978 को पाकिस्तान के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक जनरल जिया-उल-हक और चीन के उप प्रधानमंत्री श्री केंग पियाओ द्वारा थकोट में किया गया था। इस सड़क की योजना वर्ष 1963 में लगभग उस समय बनाई गई थी जब चीन और पाकिस्तान ने एक समझौता किया था जिसके अनुसार जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र का 2100 वर्ग मील क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान का अनधिकृत कब्जा था, चीन को दे दिया गया था। गिलगित और मोरखुन के बीच के क्षेत्र में सड़क निर्माण, वर्ष 1966 में किए गये करार के अनुसार शुरू किया गया, जो 1969 में पूरा हुआ। मोरखुन और खुंजेरब के बीच राजमार्ग का निर्माण 21 अक्तूबर, 1969 को दोनों देशों के मध्य हुए करार के अनुसार किया गया था। 18 जून, 1978 सड़क पूरी तरह से चालू हो गई।

रिपोर्ट के अनुसार 800 किलोमीटर लम्बा राज मार्ग हवेलियन रेल स्टेशन से आरम्भ होता है जो इस्लामाद से 60 मील उत्तर में है और थकोट से गिलगित तक सिंधु नदी के साथ-साथ चलता है। गिलगित से आगे गिलगित हुंजा और खुंजेरब नदियों के साथ-साथ खुंजेरब दर्रे तक जाता है जो समुद्र स्तर से 15,800 फीट की ऊंचाई पर है। खुंजेरब दर्रे से आगे यह राजमार्ग पश्चिम तिब्बत में चीन की उन अनेक सड़कों से मिल जाता है जो शिक्यांग प्रांत में कशगर से मिलाता है। इस राजमार्ग की ऊंचाई अलग-अलग स्थानों पर 2000 फीट से लेकर लगभग 15,000 फीट तक है। यह स्थिति है।

मैं यह बात भी इसी समय स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सड़क का सुधार, जिसके संबंध में प्रश्न पूछा गया है, उस भाग में नहीं किया गया है जो पाकिस्तान के भीतर है। यह सड़क के उस भाग में भी नहीं किया गया है जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। लेकिन यह सड़क के उस भाग में किया गया अथवा उस भाग तक ही सीमित रखा गया है जो चीन के भीतर है और यह चीन का निर्विवाद क्षेत्र है। संक्षेप में स्थिति यह है।

**डा० गौरीशंकर राजहंस** : यह निर्माण पाक अधिकृत कश्मीर में किया गया है?

**श्री एडुआर्डो फैलीरो** : नहीं, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि रिपोर्ट अक्तूबर 1986 की चीन समाचार एजेन्सी, सिन्हुआ की रिपोर्ट पर आधारित है। रिपोर्ट इस सम्बन्ध में थी कि 2200 श्रमिकों ने चीन के झिनझियांग उगुर औटोनौमस क्षेत्र में काशी से खुंजेरब दर्रे तक जो चीन पाकिस्तान सीमा पर चीन के क्षेत्र में है इस सड़क की मरम्मत का काम किया। तथापि यह वास्तव में कश्मीर की सीमा में है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अतः यह पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर नहीं आता है जो बात माननीय सदस्य के ध्यान में आई है रिपोर्ट के अनुसार यह चीन के क्षेत्र में है। मैं यह दोहराता हूं कि राजमार्ग का चीन का भाग भारतीय क्षेत्र के उस भाग में होकर नहीं जाता है जिसको पाकिस्तान ने वर्ष 1963 के अवैध चीन-पाक "सीमा करार" के अन्तर्गत अवैध रूप से चीन को दे दिया था।

माननीय सदस्य ने इस मामले में हमारी ओर से कार्यवाही न किए जाने के सम्बन्ध में चिंता व्यक्त की है। मैं माननीय सदस्य को यह याद दिलाता हूं कि यह अच्छी तरह जानते हैं कि इस सभा में हमने इस मामले को प्रारम्भ में ही उठाया था और हम इस मामले को निरन्तर उठाते रहे। चीन की सहायता से पाकिस्तान द्वारा कराकोरम राजमार्ग के अवैध निर्माण जहां तक भारत के क्षेत्र अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर का संबंध है हमने भारत की स्थिति को अनेकों बार स्पष्ट रूप से बताया है। जिस समय वर्ष 1969 में राजमार्ग का निर्माण शुरू किया गया था और वर्ष 1978 में जब इसे चालू किया गया था वर्ष 1982 में जब खुंजेरब दर्रा को खोलने के संबंध में पाकिस्तान और चीन द्वारा एक विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए गए थे वर्ष 1983 में खुंजेरब दर्रे को यातायात के लिए खोला गया था और अन्त में जब इसे मई, 1986 में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए खोला गया था, हमने पाकिस्तान और चीन सरकारों को समय-समय पर विरोध पत्र भेजे।

हमारे विरोधों का उद्देश्य यह बताना रहा है कि इस मामले में चीन और पाकिस्तान की कोई अधिकारिता नहीं है और इस क्षेत्र अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर जो भारतीय क्षेत्र का भाग है के संबंध में पाकिस्तान और चीन द्वारा मिलकर अथवा अलग-अलग जो भी कार्यवाही की गई है वह अवैध है और वह हमें स्वीकार्य नहीं है। इस संबंध में चीन और पाकिस्तान सरकारों से प्राप्त उत्तर संतोषजनक नहीं हैं।

[श्री एडुआर्डो फैलीरो—जारी]

माननीय सदस्य ने इस समझौते से उत्पन्न सुरक्षा संबंधी पेचदगियों के बारे में प्रश्न उठाया है। जैसाकि मैंने उल्लेख किया था कि वर्तमान सड़क सुधार से स्पष्टतः और प्रत्यक्षत. सुरक्षा संबंधी पेचदगियों का प्रश्न ही नहीं उठता है।

मैं यह कह सकता हूं कि हम निरन्तर पूर्ण निगरानी रखे हुए हैं और सामान्यतः यह भी कह सकता हूं कि हमारे पड़ोसी देशों में हमारी सुरक्षा को आघात पहुंचाने वाले सभी कार्यों पर निरन्तर निगरानी रखे हुए हैं और रक्षा की पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय भी करते हैं। हमने बार-बार यह आशा व्यक्त की है कि हमारे दोनों पड़ौसी देश जिनके पास हम अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित हो जायेगा कि यह संचार संपर्क उस तरीके से उपयोग नहीं किया जायेगा जिससे इस क्षेत्र में एक अच्छे पड़ौसी राज्य और उसकी स्थिरता को खतरा न हो। (व्यवधान)।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरा अन्य सदस्यों से अनुरोध है कि सारा विवरण तथा सारा इतिहास बताने के बजाय अपना भाषण संक्षिप्त करें क्योंकि डा० राजहंस ने कई बातें बता दी हैं। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे वही सवाल पूछें जिनके लिये मंत्री जी से सूचना मांगी गई है। आप अधिक से अधिक 5 मिनट का समय ले सकते हो।

**श्री सोमनाथ रथ** (आसका) : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्र में एक सड़क बनी हुई है। यह चीन और पाकिस्तान के सहयोग से बनी है। यह एक अलग मामला है. ऐसी खबर मिली है कि इस सड़क को चौड़ा किया गया है।

परमाणु कार्यक्रम के बारे में चीन और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ है अभी भारतीय क्षेत्र में चीन द्वारा घुसपैठ की गई है। सभा में एक बार यह जवाब दिया गया है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है। लेकिन कुछ दिन बाद यह स्वीकार किया गया कि चीन ने घुसपैठ की है और एक हेलीपेड बनाया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारा खुफिया विभाग यह पता लगाने में असफल रहा है कि हमारे देश की उक्त सीमा में किस भाग से हम पर हमला किया जा रहा है और किस क्षेत्र पर चीन और पाकिस्तान द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है? हम दूसरे सीमा क्षेत्र नाथ उला गये थे। वहां हमने अपने जवानों में काफी हौंसला पाया क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि चीन के साथ जो इतनी बैठकें, वार्तालाप, सम्मेलन हुऐ, उनका क्या परिणाम निकला तथा हम यथापूर्ण स्थिति कायम करना चाहते हैं और इस पर वार्तालाप जारी रखना चाहते हैं ताकि पड़ौसी देशों द्वारा गैर कानूनी रूप से हथियाऐ गये अपने भूभाग को वापस ले सकें? यह कैसे हो रहा है कि चीन हमारे भूभाग पर पुनः कब्जा कर रहा है? क्या हम मूक दर्शक बने रहेंगे? या केवल वार्तालाप ही करते रहेंगे? क्या हम स्थिति का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हैं? यही मामले हैं जिन पर मैं मंत्री महोदय का स्पष्टीकरण चाहता हूं तथा विशेष रूप से मैं जानना चाहता हूं कि इन समस्याओं का समाधान करने में हमारी सरकार क्या कार्रवाई कर रही है क्योंकि पीछे दोनो देशों ने कई आश्वासन दिये लेकिन कार्यवाही उनके विपरीत की।

चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया तथा पाकिस्तान ने तीन बार आक्रमण किया। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत हमें स्थिति से सचेत रहना चाहिऐ, तथा उनके कथन पर विश्वास नहीं करना चाहिऐ। लेकिन हमें उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई के प्रति सजग रहना चाहिऐ।

[हिन्दी]

**श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा)** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यहां जो बयान दिया है, उससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि कराकोरम राजमार्ग का सामरिक महत्व न केवल पाकिस्तान और चीन के लिए है, बल्कि हमारे लिए भी वह राजमार्ग बहुत महत्व का है। इसका महत्व इस बात से और ज्यादा बढ़ जाता है कि सियाचिन, जिसको लेकर पाकिस्तान लगातार हमसे छेड़खानी करता रहा है, उस सियाचिन से यह कराकोरम मार्ग बहुत पास पड़ता है। आगे चल कर यह कराकोरम मार्ग सियाचिन-अक्साइचिन मार्ग से मिल जाता है। यदि चीन आज इस मार्ग को अपने एरिया में अपग्रेड कर रहा है तो इलाके की स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उसे वह जनता की भलाई या विकास के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि निश्चित तौर पर सामरिक महत्व की दृष्टि से अपग्रेड कर रहा है। वर्तमान समय में पाकिस्तान और चीन के बीच जिस प्रकार के सम्बन्ध हैं, जिस तरह वे एक दूसरे से समझौते कर रहे हैं, उनके बीच पैक्ट हुए हैं और उनके अन्तर्गत चीन बराबर पाकिस्तान को सामरिक महत्व की चीजें देता जा रहा है, सैनिक साजो-सामान सप्लाई कर रहा है, उसको देखते हुए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कभी भी, यदि पाकिस्तान हम पर हमला करेगा तो उस स्थिति में चीन इस अपग्रेडिड मार्ग का प्रयोग सामरिक महत्व की चीजें पाकिस्तान पहुंचाने के लिए करेगा। इस मार्ग का उपयोग हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए करेगा। इसलिए पहले तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कराकोरम मार्ग, जिसका सामरिक महत्व के अलावा दूसरा कोई उपयोग हो नहीं सकता, के अपग्रेड करने के मामले को आगामी होने वाली मंत्री-स्तरीय वार्ता में उठायेंगे। वैसे, आगामी वार्ता की तिथि के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, परन्तु क्या इस प्रकरण पर चीन के साथ बातचीत की जायेगी।

दूसरे, जैसा कि अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि पिछली मंत्री-स्तरीय बातचीत में चीन ने अपने स्टैंड को बदला है, पहले चीन इस बात के लिए तैयार था कि नेफा एरिया में, उसके साथ हमारा जो सीमा-विवाद है, उस पर बातचीत हो जाए और उसके बाद अक्साइचिन के सीमा-सम्बन्धी विवाद पर वार्ता हो, पहले वह सैक्टर-वाइज बातचीत के लिए तैयार था, परन्तु अब चीन ने अपना वह स्टैंड बदल लिया है और अब चीन की सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि हम सैक्टर-वाइज वार्ता पहले नहीं करेंगे बल्कि पहले टैरिटरी एज.ए होल के डिस्प्यूट को लिया जाए। यदि यह बात सही है और ऐसा हुआ है तो क्या भारत सरकार अपने स्टैंड में किसी तरह का परिवर्तन करेगी या कुछ और पग उठायेगी।

[अनुवाद]

**श्री चिन्तामणि जैना (बालासोर)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय में माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके साथी श्री नटवर सिंह ने इस तारांकित प्रश्न का जवाब देते समय वही बताया जो मेरे मित्र डॉ० राजहंस पहले ही बता चुके हैं।

[हिन्दी]

**जब कोई खतरा आ जाएगा,** तो हम लोग संभाल लेंगे, तो इसीलिए·····।

[श्री चिन्तामणि जेना—जारी]

[अनुवाद]

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार की क्या योजना है। यदि सब कुछ गलत हो रहा है अथवा गलत घटनायें घटती हैं तो ऐसे समय में हम क्या कदम उठायेंगे ?

6.00 म०प०

महोदय डा० राजहंस के प्रश्न का उत्तर देते समय मन्त्री महोदय ने बताया कि वर्ष 1962 में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद पाकिस्तान ने भारतीय भूभाग के 2100 वर्ग मील के क्षेत्र का, जिसे 'अधिकृत-काश्मीर' के रूप में जाना जाता है, चीन को सौंप दिया और उन्होंने 2 मार्च 1963 से इस सड़क का निर्माण करना शुरु कर दिया और जून 1978 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया, जिसका उद्घाटन उनके उप प्रधानमन्त्री द्वारा किया गया था। इसलिए क्या यह सही है कि काराकोरम राजमार्ग के काफी बड़े हिस्से का निर्माण कश्मीर अधिकृत क्षेत्र पर हुआ है जो कि हमारा भूभाग है और यह क्षेत्र पाकिस्तान ने चीन को सौंपा है ? यदि हां, तो राजनयिक माध्यम द्वारा अपना प्रतिरोध दिखाने के सिवाय हमारी सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ? हमारी सरकार द्वारा क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं ?

इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से मैं क्या यह जान सकता हूं कि क्या इस मामले पर हमारे राजनयिकों और नेताओं ने पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री के साथ जब वे दो या तीन दिन पहले दक्षेश (सार्क) सम्मेलन में भाग लेने भारत के दौरे पर आए थे, चर्चा की थी ? यदि हां, तो क्या चर्चा की गई और उसका असली परिणाम क्या निकला ?

**श्री एडुआर्डो फैलीरो** : महोदय, माननीय सदस्यों ने बहुत व्यापक प्रश्न उठाये हैं। यद्यपि ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, मेरे लिए अथवा सभा के लिए इस विशेष आधे घन्टे की चर्चा में इन पर वाद-विवाद करना उचित नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये किसी भी तरह चर्चा के विषय से सम्बन्धित नहीं है। माननीय सदस्य श्री रथ ने पूर्वी क्षेत्र में घुसपैठ का सवाल उठाया है, जिसका कि इस सड़क से जो कि हजारों मील दूर है, कोई सम्बन्ध है।

**श्री सोमनाथ रथ** : मैंने इस सड़क को चौड़ा करने का उल्लेख किया था।

**श्री एडुआर्डो फैलीरो** : इस सड़क को चौड़ा करने के बारे में जानने से हम चीन के बारे में नहीं जान सकते। किसी भी प्रकार इसका सम्बन्ध मूल विषय से नहीं है। यह एक बिल्कुल अलग विषय तथा अलग क्षेत्र है।

इसी प्रकार अक्साइचीन भी वास्तव में चर्चा के विषय से सम्बन्धित नहीं है क्योंकि सड़क वहां से नहीं गुजरती। यह एक अलग ही क्षेत्र है।

**श्री सोमनाथ रथ** : इसका सम्बन्ध देश की सुरक्षा से है। इसका सम्बन्ध सड़क से नहीं है।

**श्री एडुआर्डो फैलीरो** : यदि आवश्यकता हुई तो मैं माननीय सदस्य को एक मानचित्र दूंगा जो इस समय मेरे सामने है।

**श्री पी० नामग्याल (लद्दाख)** : इसके माने आप अक्साइचीन के 35,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जिसे गैर कानूनी रूप से चीन ने हथिया रखा है, चीन को दे रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री नामग्याल, आप अपनी सीट पर बैठें।

**श्री एडुआर्डो फैलीरो** : श्री नामग्याल उक्त क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्र से आए हैं। हमें उनकी भावनाओं की प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन सड़क वहां से नहीं गुजरती।

**श्री सोमनाथ रथ** : इसका सड़क से सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध देश की सुरक्षा से है। यह अति महत्वपूर्ण मामला है। यह देश की सुरक्षा से सम्बन्धित है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सन्दर्भ में मन्त्री महोदय को हमें बताना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वे बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं।

**श्री सोमनाथ रथ** : मन्त्री महोदय केवल यह कह रहे हैं कि यह सम्बन्धित मामला नहीं है वह इससे सम्बन्धित नही है।

**श्री एडुआर्डो फैलीरो** : मैं विशेषकर श्री नामग्याल की भावनाओं की प्रशंसा करता हूं जो अक्साइचीन के निकटवर्ती क्षेत्र से आते हैं न कि सड़क के नजदीक से। जवाब में, मुझे माननीय सदस्यों का पृथक रूप से जवाब देना चाहिए। इस सन्दर्भ में इन क्षेत्रों की वास्तविक भौगोलिक स्थिति को जाने बिना जो कि चीन और हमारे मध्य विवाद बने हुए हैं और जो हमारी चर्चा में सम्मिलित नहीं है, मुझे कहना चाहिए जी हां, हम अपने पड़ौसी देशों के साथ, जिनमें चीन भी सम्मिलित है, मित्रता और सहयोग स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। सीमा विवाद के निपटारे का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि जब हम अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं तो हमारे पड़ौसी देशों को भी उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। जहां तक चीन का सम्बन्ध है हमारी सरकार की नीति उस देश के साथ हमारे द्विपक्षीय सम्बन्धों में सामान्यीकरण लाना है। एशिया में शान्ति और स्थिरता बनाये रखने के लिए भारत और चीन के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आवश्यक है। हम महसूस करते हैं कि सीमा सम्बन्धी जो सवाल सदस्यों ने उठाया है उसका न्यायसंगत और सन्तोषजनक समाधान किया जाना चाहिए। भारत-चीन सम्बन्धों में पूरी तरह सामान्यीकरण नहीं लाया जा सकता। फिर हम सीमा सम्बन्धी सवाल के शान्तिपूर्ण समझौते के लिए प्रयास करते रहेंगे। हमारी इच्छा है कि भारत-चीन सीमा पर शान्ति कायम रहे तथा जो समस्यायें पैदा हों उन्हें परस्पर विचार-विमर्श और बातचीत द्वारा सुलझाया जाए।

---

**6.05 म० प०**

## कार्य मंत्रणा समिति

### तीसवां प्रतिवेदन

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित)** : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा कल 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

**6.06 म० प०**

**तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 20 नवम्बर, 1986/29 कार्तिक, 1908 (शक) के 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।**